“पंचायतीराज संस्थाएँ और महिला सशक्तिकरण (बूंदी जिले की गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन) 2005–2015”

"PANCHAYATIRAJ INSTITUTIONS AND WOMEN EMPOWERMENT (With Special Reference to Gendoli Khurd and Pholai Gram-Panchayats of Bundi District) 2005-2015"

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
की पीएच.डी. (राजनीति विज्ञान) उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध–प्रबन्ध
सामाजिक विज्ञान संकाय

शोधार्थी

मीना श्रृंगी

शोध पर्यवेक्षक
डॉ. फूलसिंह गुर्जर
एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़ (राज0)

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

2019

C E R T I F I C A T E

I feel great pleasure in certifying that the thesis entitled " "पंचायतीराज संस्थाएँ और महिला सशक्तिकरण (बूंदी जिले की गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन) **2005–2015"** by Smt. Meena Shringi under my guidance. She has completed the following requirements as per Ph. D regulations of the University -

(a) Course work as per the university rules.

(b) Residential requirements of the university (200 days)

(c) Regularly submitted annual progress report.

(d) Presented her work in the departmental committee.

(e) Published/ accepted minimum of Two research papers in a referred research journal,

I recommend the submission of thesis.

Date

Dr. Phool Singh Gurjar
(Research Supervisor)

ANTI-PLAGIARISM CERTIFICATE

It is certified that PhD Thesis Titled **"PANCHAYATIRAJ INSTITUTIONS AND WOMEN EMPOWERMENT (With Special Reference to Gendoli Khurd and Pholai Gram-Panchayats of Bundi District) 2005-2015"** by **Meena Shringi** has been examined by us with the following anti-plagiarism tools. We undertake the follows:

a. Thesis has significant new work/knowledge as compared already published or are under consideration to be published elsewhere. No sentence, equation, diagram, table, paragraph or section has been copied verbatim from previous work unless it is placed under quotation marks and duly referenced.

b. The work presented is original and own work of the author (i.e. there is no plagiarism). No ideas, processes, results or words of others have been presented as author's own work.

c. There is no fabrication of data or results which have been compiled and analyzed.

d. There is no falsification by manipulating research materials, equipment or processes, or changing or omitting data or results such that the research is not accurately represented in the research record.

e. The thesis has been checked using plagiarism checker "plagiarismchecker.com", and found within limits as per HEC plagiarism Policy and instructions issued from time to time.

Meena Shringi
(Research Scholar)

Place:

Date:

Dr. Phool Singh Gurjar
(Research Supervisor)

Place:

Date:

शोध सार

सशक्तिकरण की प्रक्रिया सहभागिता पर आधारित है। यह जीवन को प्रभावित करने वाले विषयों पर स्वतन्त्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति का संचार करती है।

महिलाओं की स्वतंत्रता से लेकर राजनीति में उनकी भागीदारी तथा समाज में पुरूषों से उनकी समानता आदि प्रश्नों के बारे में जब हम सोचते हैं तो समाज में महिलाओं की एक दयनीय स्थिति उभरकर सामने आती है। हालांकि 19वीं शताब्दी में नारीवादी आंदोलन का प्रारंभ हुआ तथा विश्वभर में नारी सशक्तिकरण की चर्चा की जाने लगी जिसके परिणामस्वरूप 8 मार्च 1975 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। भारत में आजादी के पूर्व और बाद में भी महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किये गए। विभिन्न कानूनों द्वारा उन्हें अधिकार सम्पन्न बनाया गया। राजनीतिक क्षेत्र में महिला–सशक्तिकरण हेतु सबसे क्रांतिकारी कदम 73वें संविधान संशोधन द्वारा उठाया गया, जिससे महिलाओं को पंचायतीराज संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया और वर्तमान में 16 राज्यों (बिहार, आन्ध्रप्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल) में यह आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की प्रक्रिया जारी है। जिससे उनकी भूमिका और अधिक सशक्त हुई है और केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी महिलाओं के उत्थान हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत शोधकार्य पंचायती राज संस्थाएँ और ग्रामीण महिला सशक्तिकरण (बूंदी जिले की गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन) 2005–2015 में गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों की आरक्षित व सामान्य वर्ग की महिलाओं का पंचायतीराज प्रणाली में सशक्तिकरण को जाँचने हेतु तुलनात्मक मूल्यांकन किया है, साथ ही बूंदी व दोनों ग्राम पंचायतों का परिचयात्मक विवरण दिया है।

उपर्युक्त विषय पर प्रस्तावित शोध कार्य को सात अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है –

प्रथम अध्याय में शोध की रूपरेखा व शोध के सामान्य परिचय के बारे में बताया गया है, शोध के उद्देश्य व साहित्य समीक्षा के बारे में बताया है। शोध में प्रयुक्त शोध पद्धति व महत्त्व का विश्लेषण किया है। साथ ही इस अध्याय में पंचायतीराज व्यवस्था का संक्षिप्त परिचय देते हुए पंचायती राज का वैचारिक दर्शन प्रस्तुत किया गया है। प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक की पंचायती राज की यात्रा का विश्लेषण किया है।

द्वितीय अध्याय में बूंदी जिले को केन्द्र में रखकर बूंदी के ऐतिहासिक, राजनैतिक व

प्रशासनिक परिचय के साथ ही गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायत का भी ऐतिहासिक, राजनैतिक व प्रशासनिक परिचय दिया गया है। क्योंकि शोध का केन्द्र बिन्दु उक्त दोनों ग्राम पंचायतें हैं।

तृतीय अध्याय में महिलाओं के उत्थान के लिए पंचायतीराज व्यवस्था के माध्यम से जो भी नीतियाँ नियम बने उनका उल्लेख किया है। साथ ही केन्द्रीय संवैधानिक प्रावधान का भी वर्णन किया है।

चतुर्थ अध्याय में आरक्षित वर्ग की महिलाओं के नेतृत्व का परिचय, उनकी योग्यताएँ बैठकों में उपस्थिति तथा पंचायत से संबंधित क्रिया–प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया गया है।

पंचम् अध्याय में अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिलाओं के नेतृत्व का परिचय, उनकी योग्यताएँ बैठकों में उपस्थिति तथा पंचायत से संबंधित क्रिया–प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया गया है।

षष्टम् अध्याय में आरक्षित व अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिलाओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

अन्त में सप्तम् अध्याय में शोध का मुख्य सारांश बिन्दुवार प्रस्तुत किया गया है तथा शोध से संबंधित समस्याओं के सुझाव प्रस्तुत किये हैं।

प्रस्तुत शोध में बूँदी व दोनों ग्राम पंचायतों के इतिहास को जानने हेतु ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया गया है तथा आरक्षित व सामान्य वर्ग की महिलाओं के तुलनात्मक अध्ययन हेतु तुलनात्मक व सर्वेक्षणात्मक पद्धति को अपनाया गया है। उपरोक्त अध्यायों को पूर्ण करने में विभिन्न विद्वानों, विचारकों, लेखकों व विश्लेषकों की रचनाओं का सहारा लिया गया है। प्रस्तुत शोध पंचायतीराज में महिला– सशक्तिकरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करेगा।

हालांकि पंचायतीराज संस्थाओं में वर्तमान में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है व 16 राज्यों में 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए उनकी भूमिका को मजबूत किया जा रहा है। परन्तु आज भी यथार्थ धरातल पर वास्तविकता कुछ अलग ही नजर आती है। अतः महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण हेतु केन्द्र व राज्य सरकारों को और भी अधिक सकारात्मक प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण महिलाएँ भी अधिक प्रभावशाली तरीके से राजनीति में अपनी सशक्त भागीदारी निभा सकें, फिर चाहे वे किसी भी वर्ग से सम्बन्धित क्यों न हों।

Candidate's Declaration

I, hereby, certify that the work, which is being presented in the thesis, entitled **"PANCHAYATIRAJ INSTITUTIONS AND WOMEN EMPOWERMENT (With Special Reference to Gendoli Khurd and Pholai Gram-Panchayats of Bundi District) 2005-2015"** in partial fulfillment of the requirement for the award of the Degree of Doctor of Philosophy, carried under the supervision of Associate Professor/**Dr. Phool Singh Gurjar** and submitted to the University of Kota, Kota represents my ideas in my own words and where others ideas or words have been included, I have adequately cited and referenced the original sources. The work presented in this thesis has not been submitted elsewhere for the award of any other degree or diploma from any Institutions. I also declare that I have adhered to all principles of academic honesty and integrity and have not misrepresented or fabricated or falsified any idea/data/fact/source in my submission. I understand that any violation of the above will cause for disciplinary action by the University and can also evoke penal action from the sources which have thus not been properly cited or from whom proper permission has not been taken when needed.

---------------------------.

(Signature)

Meena Shringi

(Name of the Scholar)

----------------------------.

Date : _________

This is to certify that the above statement made by **Meena Shringi** (Registration No. RS/782/16.) is correct to the best of my knowledge.

Date : _____________

Dr. Phool Singh Gurjar

(Research Supervisor)

प्राक्कथन

भारत में पंचायतीराज का राजनैतिक इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव जाति का इतिहास। भारतीय राजनैतिक इतिहास के हर कालखण्ड में पंचायतीराज व्यवस्था दिखाई देती है, जिसका कार्य समाज में शांति व्यवस्था और आपसी विवाद का निपटारा करना रहा है। कहा भी गया है कि, "पंचों के मुख से ईश्वर बोलते है।" हालांकि–पंचायतीराज का संस्थागत स्वरूप तो संविधान में पंचायतीराज व्यवस्था को अपनाने के बाद दिखाई पड़ता है, लेकिन भारतीय इतिहास में 'पांच–पंचों' की परम्परा वर्षों पुरानी हैं जिसमें स्थानीय समस्याओं का समाधान कोर्ट कचहरी की बजाए पंचायतें करती थीं। गाँधी ने भी कहा था कि ''भारत की आत्मा गाँवों में बसती है"। वे देश का विकास पंचायतीराज व्यवस्था के माध्यम से कराना चाहते थे, जिससे गाँव के विकास में वहाँ के आम–आदमी की सीधी भागीदारी हो सके।

आजादी के बाद 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' से गाँवों के विकास का अध्याय शुरू हुआ। लेकिन वांछित सफलता नहीं मिलने पर बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। मेहता समिति ने पंचायतीराज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की, जिसे केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर लिया। पं. नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 (गांधी जयंती) पर राजस्थान के नागौर जिले में पंचायतीराज का श्रीगणेश किया। पंचायती व्यवस्था के लागू होने के बाद देश के सभी राज्यों ने उसे लागू किया, जिससे स्थानीय स्तर पर पंचायतीराज करवट बदलता हुआ नजर आया। महिला सशक्तिकरण से हमारा तात्पर्य महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता को समाहित करते हुए सामाजिक सेवाओं में समान अवसर प्रदान करना, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत् सुरक्षा देने का अधिकार आदि प्रदान करने से है। आज जरूरत इस बात की है कि महिलाओं में आत्मशक्ति के बारे में चेतना जाग्रत की जाए, जिससे न केवल महिलाओं का कल्याण होगा, बल्कि वे सामाजिक विकास की प्रवर्तक भी बन सकेंगी। एक सशक्त महिला न केवल स्वयं अपने लिए अपितु वे समाज के समग्र विकास के लिए भी उपयोगी व महत्वपूर्ण होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं में आत्मविश्वास, अपने अधिकारों की जागरूकता तथा अन्याय से लड़ने की नैतिक शक्ति से ही पैदा होता हैं।

वर्तमान समय में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण अत्यधिक प्रासंगिक है। विभिन्न राजनीतिक निकायों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे है। जिनमें पंचायती राज व्यवस्था को राजनीति की प्रथम पाठशाला कहा जाता है और इसे महिला सशक्तिकरण के विकास में प्रमुख माना जाता है।

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के विकास में महिला आरक्षण सबसे सुदृढ़ आधार है, परन्तु पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं को राजनीति में अपनी भूमिका निभाने में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे अशिक्षा, निर्धनता, सामाजिक कुरीतियाँ, घूँघट प्रथा, पारिवारिक उत्तरदायित्व आदि समस्याओं के कारण वे चाहते हुए भी राजनीति में सक्रिय सहभागी नहीं बन पाती हैं।

73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम पंचायतीराज संस्थाओं में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को आरक्षण के माध्यम से संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत एक तिहाई अर्थात् 33 प्रतिशत पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। पुरूष प्रधान भारतीय समाज में ग्रामीण स्तर पर संरक्षण के बिना किसी भी महिला का ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में भागीदारी करना कठिन कार्य था, किन्तु 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को पंचायतीराज संस्थाओं में भागीदारी का अवसर प्राप्त हुआ है।

किसी भी देश में लोकतांत्रिक संस्थाऐं तभी सशक्त हो सकती है जब प्रत्येक वयस्क नागरिक महिला व पुरूष के भेद से ऊपर उठकर अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। भारतीय संदर्भ में पंचायतीराज इसका सटीक प्रमाण हैं।

इस शोध में पंचायतीराज में आरक्षित व अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिलाओं के नेतृत्व की राजनीतिक अभिरूचि एवं राजनीतिक सजगता का तुलनात्मक विवेचन है और बूंदी जिले का ऐतिहासिक राजनैतिक व प्रशासनिक परिचय के साथ ही बूंदी जिले के केशवरायपाटन की गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों में आरक्षित व अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिलाओं की सक्रियता को जाँचने के लिए सन् 2005–2015 के चुनावों में उनकी भूमिका का पूर्ण विश्लेषण किया गया हैं। साथ ही इस अध्ययन का विषय स्थानीय निकायों गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों में आरक्षित व अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिला सरपंचों की राजनीतिक सशक्तिकरण की स्थिति को जानना हैं, उनकी समस्याओं, उनके काम करने के तरीके तथा आम महिलाओं के लिए किए गये कार्यों को जानना इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है।

अध्ययन व सुविधा की दृष्टि से इस शोध प्रबंध को सात अध्यायों में विभक्त किया गया है –

प्रथम अध्याय में परिचयात्मक विवरण दिया गया हैं द्वितीय अध्याय में बूंदी जिले का ऐतिहासिक, राजनैतिक व प्रशासनिक परिचय दिया है, तृतीय अध्याय में पंचायतों के

संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन किया गया है व कार्यनीतियों का विवेचन करते हुए 73वें संविधान संशोधन के उपरान्त महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण किया गया हैं। चतुर्थ अध्याय में आरक्षित वर्ग की महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण किया गया हैं पंचम् अध्याय में अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण तथा षष्टम् अध्याय में आरक्षित व अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की भूमिका का तुलनात्मक विवरण दिया गया है। सप्तम् अध्याय निष्कर्ष एवं आत्मकथन का हैं।

आभार

प्रस्तुतिकरण में जिन व्यक्तियों का सहयोग मुझे प्राप्त हुआ, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मैं अपना परम् कर्त्तव्य समझती हूँ।

प्रस्तुत शोध में मैं अपने शोध पर्यवेक्षक एवं परम्पूज्य गुरूवर डॉ. फूलसिंह गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़ (राजस्थान) के प्रति ह्रदय से आभारी व पूर्ण कृतज्ञ हूँ जिन्होंने स्नेहपूर्वक एवं अपनत्व भाव से पूर्ण दिशा–निर्देश देते हुए उचित मार्गदर्शन किया। उन्होंने न केवल शोध हेतु उचित मार्गदर्शन दिया अपितु मेरे शैक्षणिक स्तर के साथ व्यक्तित्व के विकास में भी पूर्ण सहयोग प्रदान किया। उनसे प्राप्त हुई प्रेरणा एवं सहयोग के लिए मैं सदैव उनकी ह्रदय से आभारी रहूँगी। गुरूदेव के सतत् सक्रिय और सर्वदा सुलभ निर्देशन के बिना इस शोध प्रबंध को पूर्ण करना संभव नहीं था। इसके साथ ही मैं शोध पर्यवेक्षक की धर्म पत्नि श्रीमती सज्जन पोसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़ को भी ह्रदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने पर्यवेक्षक महोदय द्वारा मुझे दिये जाने वाले उपयोगी समय में निरन्तर सहर्ष सहयोग दिया।

प्रस्तुत शोध प्रबंध को पूर्ण करने में कोटा विश्वविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़, कोटा खुला विश्वविद्यालय, पूना विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के कर्मचारियों व प्रभारियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करती हूँ।

मैं अपने पूजनीय ससुर श्री कैलाशचन्द्र श्रृंगी व पूजनीय सास श्रीमती कौशल्या श्रृंगी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। जिन्होंने मुझे पारिवारिक जिम्मेदारियों से स्वतंत्र रखते हुए इस शोध कार्य को सम्पादित करने में सदैव सहयोग प्रदान किया एवं मैं अपने पति नीरज श्रृंगी का भी ह्रदय से आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे इस शोध अध्ययन को यथासमय पूर्ण करने में धैर्य से और रचनात्मक सुझाव व मार्ग–दर्शन प्रदान किया। उनके सहयोग व प्रोत्साहन से यह कार्य सम्पन्न हो सका है।

मैं अपने पिताजी श्री हरिराज श्रृंगी एवं अपनी माता श्रीमती चन्द्रकान्ता श्रृंगी व साथ ही बड़े भैया विकास श्रृंगी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिनकी प्रेरणा व सहयोग से यह कार्य पूर्ण हो सका है। इसके अलावा मैं अपनी बहिन कल्पना श्रृंगी, शिवानी श्रृंगी छोटा भाई विवेक श्रृंगी व डॉ. योगेन्द्र सिंह के प्रति भी पूर्ण हृदय से आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने इस शोध कार्य में मेरी सहायता की।

इसके अतिरिक्त में अपने सभी परिवारजनों की एवं मित्रगणों की भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से समय–समय पर शोध अध्ययन कार्य को करने के लिए प्रेरित किया एवं इस शोध ग्रंथ को तैयार करने में मुझे सहयोग प्रदान किया है तथा मैं कम्प्यूटर टाईपिस्ट श्री मुकेश सेन (सरस्वती कम्प्यूटर्स, तीन बत्ती सर्किल, पटेल मार्केट, कोटा) की भी आभारी हूँ जिन्होंने शुद्ध व शीघ्र टंकण के माध्यम से विशेष सहयोग प्रदान किया।

शोधार्थी

मीना श्रृंगी

दिनांकः

अनुक्रमणिका

(Index)

क्र.सं.	विषयसूची	पृष्ठ सं.
1	मुख्यपृष्ठ	
2	प्रमाण पत्र	I
3	एन्टी–प्लेग्रिज्म प्रमाण पत्र	II
4	शोध सार	III-IV
5	घोषणा पत्र	V
6	प्राक्कथन	VI-VIII
7	आभार	IX-X
8	अनुक्रमणिका	XI-XII
9	सारणी सूची	XIII-XV
10	रेखाचित्र सूची	XVI
11	संक्षिप्त शब्दों की सूची	XVII
12	**प्रथम अध्याय -** शोध की रूपरेखा, शोध का सामान्य परिचय, अध्ययन क्षेत्र, उपलब्ध साहित्य समीक्षा, अध्ययन के उद्देश्य, शोध पद्धति, शोध का महत्त्व	1-31
13	**द्वितीय अध्याय -** बूंदी जिले का ऐतिहासिक, राजनैतिक और प्रशासनिक परिचय	32-70
14	**तृतीय अध्याय -** पंचायतीराज संस्थाओं के कार्य व नीतियाँ, केन्द्रीय संवैधानिक प्रावधान, विभिन्न समितियों के सुझाव, राजस्थान सरकार के आदेश–अध्यादेश, 73वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं की भूमिका	71-127
15	**चतुर्थ अध्याय -** गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों में आरक्षित वर्ग की महिलाओं का नेतृत्व, बैठकों में उपस्थिति, बैठकों के प्रमुख मुद्दे, क्रिया–प्रतिक्रिया, शीर्ष महिला नेतृत्व की भूमिका	128-154
16	**पंचम अध्याय -** गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों में अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिलाओं का नेतृत्व, बैठकों में उपस्थिति, बैठकों के प्रमुख मुद्दे, क्रिया–प्रतिक्रिया, शीर्ष महिला नेतृत्व की भूमिका	155-167
17	**षष्ठम् अध्याय -** गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों में आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग की महिलाओं की भागीदारी व अन्य क्षेत्रों में उनका तुलनात्मक अध्ययन	168-202

क्र.सं.	विषयसूची	पृष्ठ सं.
18	**अध्याय सप्तम् -** पंचायतराज संस्थाओं में दोनों ग्राम पंचायतों में महिला सशक्तिकरण का विश्लेषण किया गया है व सशक्तिकरण के सम्मुख आने वाली समस्याओं के बारे में बताते हुए उनके निराकरण के सुझाव दिये गये हैं।	203-218
19	**संक्षेपिका**	219-225
20	**संदर्भ ग्रन्थ सूची**	226-228
21	**परिशिष्ट**	229-233
22	**शोध पत्र**	

सारणी सूची

(List of Tables)

क्रम सं.	विषयवस्तु	पृष्ठ सं.
सारणी 2.1	बूंदी के उत्तराधिकारियों के कार्यकाल का विवरण	38
सारणी 2.2	जिला परिषद के जनप्रतिनिधियों का विवरण	52
सारणी 2.3	बूंदी जिले की पंचायत समितियों का विवरण	54
सारणी 2.4	बूंदी जिले के उपखण्डों का विवरण	54
सारणी 2.5	बूंदी जिले की नगरपालिकाओं में वार्डों की संख्या	55
सारणी 2.6	2005 में कार्यरत जनप्रतिनिधि	56
सारणी 2.7	2010 में कार्यरत जनप्रतिनिधि	56
सारणी 2.8	2015 में कार्यरत जनप्रतिनिधि	57
सारणी 2.9	फौलाई ग्राम पंचायत में वर्ष 2005 में जनप्रतिनिधियों की सूची	58
सारणी 2.10	फौलाई ग्राम पंचायत में वर्ष 2010 में जनप्रतिनिधियों की सूंची	59
सारणी 2.11	फौलाई ग्राम पंचायत में वर्ष 2015 में जनप्रतिनिधियों की सूंची	59
सारणी 2.12	बूंदी की वर्तमान प्रशासनिक संरचना –2014–15	61
सारणी 2.13	बूंदी जिले का प्रशासनिक विवरण	62
सारणी 2.14	बूंदी की जनसंख्या का विवरण	62
सारणी 2.15	बूंदी की जनसंख्या का विवरण (2)	63
सारणी 2.16	संस्थानुसार जनसंख्या अनु. जाति एवं अनु. जनजाति जनगणना 2011– ग्रामीण	63
सारणी 2.17	संस्थानुसार जनसंख्या अनु. जाति एवं अनु. जनजाति जनगणना 2011– शहरी	64
सारणी 2.18	जिला स्तरीय अधिकारीगण जिला बूंदी 2018	64
सारणी 2.19	बूंदी जिले के पुलिस प्रशासन का विवरण	65
सारणी 2.20	बूंदी जिले में महिला एवं बाल विकास 2014–15	66
सारणी 2.21	बूंदी जिले में शिक्षा–2014–15 (शिक्षण संस्थानों की संख्या)	66
सारणी 2.22	बूंदी जिले में शिक्षा–2014–15 (विद्यार्थियों की संख्या)	66
सारणी 2.23	बूंदी जिले की बैंकिंग व्यवस्था का विवरण– 2014–15	67
सारणी 2.24	सहकारिता का विवरण 2014–15	67
सारणी 2.25	2011 की जनगणना के अनुसार	69
सारणी 2.26	गेण्डोली खुर्द	69
सारणी 2.27	जनसंख्या 2011 के आधार पर	70
सारणी 2.28	फौलाई का प्रशासनिक परिचय	70
सारणी 3.1	आधुनिक भारत में पंचायतीराज व्यवस्था का विकास में निम्न समितियों का योगदान है।	101
सारणी 3.2	राजस्थान में पंचायतीराज व्यवस्था का विकास	111
सारणी 4.1	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत में महिला जनप्रतिनिधियों की शैक्षिक योग्यताएँ	133

क्रम सं.	विषयवस्तु	पृष्ठ सं.
सारणी 4.2	फौलाई ग्राम पंचायत में महिला जनप्रतिनिधियों की शैक्षिक योग्यताएँ	133
सारणी 4.3	बैठकों में उपस्थिति	135
सारणी 4.4	महिला प्रतिनिधि की बैठकों में उपस्थिति	135
सारणी 5.1	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत में अनारक्षित वर्ग की शैक्षिक योग्यताएँ	159
सारणी 5.2	फौलाई ग्राम पंचायत में अनारक्षित वर्ग की शैक्षिक योग्यताएँ	159
सारणी 5.3	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत में अनारक्षित महिला प्रतिनिधियों की बैठकों में उपस्थिति	161
सारणी 5.4	फौलाई अनारक्षित वर्ग की महिला प्रतिनिधियों की बैठकों में उपस्थिति	162
सारणी 6.1.1	आयु के आधार पर वर्गीकरण	169
सारणी 6.1.2	धर्म के आधार पर वर्गीकरण	170
सारणी 6.1.3	शैक्षणिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण	171
सारणी 6.1.4	वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण	172
सारणी 6.1.5	परिवार की संरचना के आधार पर वर्गीकरण	174
सारणी 6.1.6	परिवार की आर्थिक संरचना	174
सारणी 6.1.7	पति के व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण	175
सारणी 6.1.8	मकान का निर्माण	175
सारणी 6.2.1	महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए	176
सारणी 6.2.2	महिलाओं का राजनीति में आने के आधार पर वर्गीकरण	177
सारणी 6.2.3	कार्य क्रियान्वयन के दौरान समस्याओं का वर्गीकरण	178
सारणी 6.2.4	राजनीति में महिलाओं की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण	179
सारणी 6.2.5	73वें संविधान संशोधन से आए परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण	180
सारणी 6.2.6	निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका	181
सारणी 6.2.7	महिला आरक्षण की उपयोगिता	182
सारणी 6.2.8	प्रचायती राज में आरक्षण की प्रतिशतता के बारे में जानकारी	182
सारणी 6.2.9	पंचायतीराज संस्थाओं के स्तर के बारे में जानकारी	182
सारणी 6.2.10	पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यकाल के आधार पर वर्गीकरण	183
सारणी 6.2.11	नरेगा योजना की जानकारी के आधार पर वर्गीकरण	183
सारणी 6.2.12	नरेगा योजना से आत्मनिर्भरता में वृद्धि के आधार पर वर्गीकरण	184
सारणी 6.2.13	उज्ज्वला योजना से ग्राम पंचायत महिलाओं के जीवन स्तर पर प्रभाव	184
सारणी 6.2.14	प्रधानमंत्री आवास योजना व स्वच्छ भारत मिशन योजना से गाँवों के स्वरूप में परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण	185
सारणी 6.2.15	महिला—सशक्तिकरण से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी	185
सारणी 6.3.1	महिलाओं के लिए पुरूषों के समान राजनैतिक अवसर के आधार पर वर्गीकरण	186
सारणी 6.3.2	पंचायतीराज के केन्द्रीय संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानकारी	186
सारणी 6.3.3	आरक्षित व सामान्य वर्ग की महिलाओं की कार्यशैली में अन्तर	187
सारणी 6.3.4	कार्यक्षेत्र में पारिवारिक पुरूषों के हस्तक्षेप के आधार पर वर्गीकरण	188

क्रम सं.	विषयवस्तु	पृष्ठ सं.
सारणी 6.3.5	जनता का प्रतिनिधियों से सार्वजनिक कार्यों हेतु संपर्क के आधार पर वर्गीकरण	189
सारणी 6.3.6	पंचायत में उठाये जाने वाले मुद्दों के आधार पर वर्गीकरण	190
सारणी 6.3.7	पंचायत की बैठकों के बारे में जानकारी के आधार पर वर्गीकरण	190
सारणी 6.3.8	पंचायत की बैठकों के बारे में जानकारी प्राप्ति के माध्यम से वर्गीकरण	191
सारणी 6.3.9	महिलाओं के पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रहने के कारण	191
सारणी 6.4.1	महिलाओं की स्थिति सुधारने के पहलुओं के आधार पर वर्गीकरण	192
सारणी 6.4.2	महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ाव	193
सारणी 6.4.3	पंचायती क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण के आधार पर वर्गीकरण	193
सारणी 6.4.4	उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से बात करनी की कठिनाई के आधार पर वर्गीकरण	194
सारणी 6.4.5	पंचायत व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाने में महिलाओं को सामान्य रूप से आने वाली कठिनाइयों के आधार पर वर्गीकरण	194
सारणी 6.4.6	पंचायत में प्रशासनिक कार्यों को करने में महिलाओं की सक्षमता के आधार पर वर्गीकरण	195
सारणी 6.4.7	चुनाव में धन–बल व जातिवाद द्वारा भूमिका पर प्रभाव	196
सारणी 6.4.8	ऐतिहासिक स्थलों व राजनैतिक प्रशासनिक कार्यालयों के निर्माण, रख–रखाव पंचायत के द्वारा होते हैं या नहीं, इस आधार पर वर्गीकरण	197
सारणी 6.4.9	ग्राम पंचायत की समस्या के आधार पर वर्गीकरण	197
सारणी 6.4.10	ग्राम पंचायत की ऐतिहासिक समृद्धि के कारणों के आधार पर वर्गीकरण	198
सारणी 6.5.1	पंचायत क्षेत्र में शीर्ष महिला नेतृत्व से कार्यों के आधार पर वर्गीकरण से संतुष्टि	198
सारणी 6.5.2	आपकी ग्राम पंचायत कौनसे जिले के अन्तर्गत आती है?	199
सारणी 6.5.3	ग्राम पंचायत गेण्डोली खुर्द व फौलाई के क्रियान्वयन के वैधानिक स्रोत के आधार पर वर्गीकरण	199
सारणी 6.5.4	आरक्षित वर्ग व सामान्य वर्ग की कार्यप्रणाली में अन्तर के आधार पर वर्गीकरण	200
सारणी 6.5.5	ग्राम पंचायत में महिला सशक्तिकरण के मूल्यांकन के आधारभूत कारण के आधार पर वर्गीकरण	200
सारणी 6.5.6	महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सुझावों का वर्गीकरण	202

रेखाचित्र सूची

(List of Figures)

क्रम सं.	विषयवस्तु	पृष्ठ सं.
चित्र 1.1	शोध अध्ययन के उद्देश्य	27
चित्र 2.1	बूंदी जिले का विहंगम दृश्य	32
चित्र 2.2	तारागढ़ किला	39
चित्र 2.3	ब्रज–भूषण की हवेली	40
चित्र 2.4	चौरासी खम्भों की छतरी	41
चित्र 2.5	धाभाई कुंड	41
चित्र 2.6	जैत सागर झील	42
चित्र 2.7	नवल सागर झील	42
चित्र 2.8	रानीजी की बावड़ी	43
चित्र 2.9	क्षारबाग	44
चित्र 2.10	सुख महल	45
चित्र 2.11	मन्दिर श्री केशवराय जी	48
चित्र 2.12	नक्शा ग्राम पंचायत गेण्डोली खुर्द	49
चित्र 2.13	अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत गेण्डोली खुर्द	55
चित्र 2.14	अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत फौलाई	57
चित्र 2.15	बूंदी का प्रशासनिक मानचित्र	60
चित्र 4.1	(शोधार्थी ग्राम पंचायत फौलाई में सत्यनारायण गौतम व अन्य ग्रामीणों से चर्चा करते हुए)	146
चित्र 4.2	(शोधार्थी द्वारा महिला सरपंच पद्मावती मीणा का साक्षात्कार, वर्ष 2005 से 2010 तक कार्यरत)	149
चित्र 4.3	(शोधार्थी द्वारा महिला सरपंच अनिता मेघवाल का साक्षात्कार 2015 से कार्यरत)	151
चित्र 5.1	(शोधार्थी द्वारा महिला सरपंच निर्मला जैन का साक्षात्कार 2010 से 2015 तक कार्यरत)	164
चित्र 6.1.1	वर्ग के आधार पर वर्गीकरण	170
चित्र 6.1.2	निवास के आधार पर वर्गीकरण	173
चित्र 6.2.1	महिला उत्थान हेतु कार्यों का वर्गीकरण	178
चित्र 6.2.2	73वें संविधान संशोधन के बारे में जानकारी	180
चित्र 6.3.1	क्षेत्र में मतदान के आधार पर अन्तर	188
चित्र 6.4.1	2005–2015 में ग्राम पंचायत गेण्डोली खुर्द व फौलाई में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता घटने–बढ़ने के आधार पर वर्गीकरण	196
चित्र 6.5.1	पंचायतीराज में महिलाओं की सहभागिता से महिला शोषण कम होने के आधार पर वर्गीकरण	201

संक्षिप्त शब्दों की सूची

(List of Abbreviations)

क्रम सं.	संक्षिप्त शब्द	पूर्ण शब्द
1	के.पाटन	केशवराय पाटन
2	कि.मी.	किलोमीटर
3	भू.अ.नि.	भू–अभिलेख निरीक्षक
4	अनु.	अनुच्छेद
5	अ.जा.	अनुसूचित जाति
6	अ.ज.जा.	अनुसूचित जन जाति
7	सा.वर्ग	सामान्य वर्ग
8	सु.मण्डी	सुमेरगंज मण्डी
9	सहा. निदे.	सहायक निदेशक
10	सहा.	सहायक
11	सामा.	सामाजिक
12	व्या.	व्यावसायिक
13	ई.	ईस्वी
14	ST	Scheduled Tribe
15	SC	Scheduled Caste
16	OBC	Other Backward Caste
17	GEN	General
18	SC (W)	Scheduled Caste (Women)
19	ST (W)	Scheduled Tribe (Women)
20	AIR	All India Reporter
21	SC	Supreme Court
22	SCC	Supreme Court Case
23	IAS	Indian Administrative Service

प्रथम अध्याय

शोध की रूपरेखा, शोध का सामान्य परिचय, अध्ययन क्षेत्र, उपलब्ध साहित्य समीक्षा, अध्ययन के उद्देश्य, शोध पद्धति, शोध का महत्व

अध्याय–प्रथम

परिचयात्मक :–

1. शोध की रूपरेखा:–

प्राचीन काल से ही गाँव हमारे स्थानीय स्वशासन की प्राथमिक इकाई रहे हैं। पंचायती राज वस्तुतः प्रशासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोकतंत्र को समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। यह हमारे देश के लिए गौरव की बात हैं कि वैदिक काल से लेकर आज तक हमारे यहाँ पंचायतीराज व्यवस्था किसी न किसी रूप में कभी कमजोर तो कभी सशक्त रूप में मौजूद रही हैं।[1]

वैदिक ऋषियों और चिन्तकों से लेकर आधुनिक समाज दृष्टाओं और मनीषियों ने स्त्री के अन्दर छुपी शक्ति को पहचाना और स्वीकार किया। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा था कि "अगर घर के किसी कोने में छुपा हुआ खजाना अचानक मिल जाये तो कितनी खुशी होगी। उसी प्रकार महिला शक्ति सुप्त पड़ी है। अगर एशिया की महिलायें जाग जायें तो वे विश्व को चकाचौंध कर देगी।" जहाँ शक्ति है वहाँ क्षमता भी है। क्षमता योग्यता को विकसित कर सकती है। इसके लिये उचित अवसर की उपलब्धता और समाज के सहयोग की आवश्यकता हैं।

पारिवारिक, मांगलिक और धार्मिक कार्यों में महिलाओं की सहभागिता को जब हमारे प्राचीन मनीषियों ने अनिवार्य कर दिया था, तो आज सामाजिक कार्यो और सत्ता में उनकी सहभागिता अनिवार्य क्यों न हो? वैदिक काल में वह स्वतंत्रता का अनुभव करती थी और वह शिक्षा प्राप्त करने की भी अधिकारिणी थी। यही कारण हैं कि उस काल की स्त्रियाँ, ऋषि–मुनियों की पदवी तक पा गई थी, जैसे शचि, इन्द्राणी, अदिति अपाला, उर्वशी, सावित्री, सूर्या, गार्गी, मैत्रेयी आदि। लेकिन मध्यकाल आते–आते उनकी स्थिति दयनीय होती चली गई। अशिक्षा, अज्ञानता और रूढ़िवादिता ने उस काल में स्त्रियों को उबरने नहीं दिया।[2]

प्राचीन भारत में पंचायती राज संस्थाऐं जनता की संस्था के रूप में काफी प्रभावकारी रूप से कार्य करती रही है। गांवों के विकास में पुरूषों के समान महिलाओं की सहभागिता तथा भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान सर्वोपरि हैं। वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अहम् भूमिका निभाती हैं। जब तक महिलाऐं

---

[1] चौहान, भीमसिंह, "राजस्थान के पंचायती राज में महिलाओं का योगदान", अरिहन्त प्रकाशन, जोधपुर, 2011 पृ.सं. 1

[2] शर्मा आदर्श, "पंचायती राज में महिला–आरक्षण औचित्य एवं सम्भावनायें" राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, पृ.सं. 84

जागरूक नहीं होगी तथा राष्ट्रीय विकास की धारा में अपनी सक्रिय भूमिका और भागीदारी नहीं निभायेगी, तब तक राष्ट्र का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं हो पायेगा । इसी सन्दर्भ में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था यदि जनता में जाग्रति पैदा करनी हैं तो पहले महिलाओं में जाग्रति पैदा करो। एक बार जब वे आगे बढ़ती है तो एक परिवार आगे बढ़ता है, गांव तथा शहर आगे बढ़ता हैं, स्वंय सारा देश आगे बढ़ता हैं।[3]

पंचायत राज संस्थाऐं और महिला सशक्तिकरण की पूर्ण विवेचना या रूपरेखा के लिए भारत में पंचायती राज के विकास का ऐतिहासिक परिचय कराना अत्यंत आवश्यक हैं।

भारत में पंचायती राज संस्थाऐं प्राचीन काल से चली आ रही हैं। फिर भी पंचायती राज सस्थाओं की व्यवस्थित शुरूआत 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। ग्रामणी गांवों के स्थानीय प्रशासन की सबसे पुरानी, समर्थ एवं लोकप्रिय इकाईयां मानी जाती थी। इसी पंचायत व्यवस्था के कारण प्रत्येक ग्रामीण समाज एक लघु गणराज्य जैसा था और भारत की जनता को एक सूत्र में अच्छी तरह से बांधकर रखता था। इन पंचायतों का ग्रामीण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार और नियंत्रण था। भारत में पंचायती राज का इतिहास लगभग चार हजार वर्ष पुराना रहा है। भारत में प्राचीन काल से ही ग्रामीण समुदाय या पंचायतों का स्थल रहा है। यह माना जाता हैं कि यह पद्धति पहली बार राजा पृथु द्वारा आरम्भ की गयी थी।[4]

1. वैदिककाल में पंचायतीराजः–

प्राचीन काल में पंचायती स्वशासन का स्वरूप वैदिक युग से प्रारम्भ होता है जब नगरों का स्थान नगण्य था, गाँव शासन की धुरी माने जाते थें। इसी कारण ग्राम शासन का महत्व अधिक था। प्रत्येक गाँव एक छोटा प्रजातंत्र सा था। गाँवों में पंचायतें ग्रामवासियों द्वारा संगठित होती थी। वे प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को सम्पन्न करती थी।

2. रामायणकाल में पंचायतीराजः–

वैदिक युग के पश्चात् रामायण युग में भी सभा एवं समितियों का वर्णन देखने को मिलता है यथाः

---

3 चौहान, भीमसिंह, "राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका, अरिहन्त प्रकाशन, जोधपुर 2011"

4 मेहता, वीणा, "पंचायती राज तथा उसका प्रशासकीय ढांचा," कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, जुलाई, 1990, पृ.सं. 38

"यदिदमेडनु रूपार्थ मया साधु सुमिन्त्रतम्।
भवन्तोमेडनु मन्यन्ता म्यं वा करवाम्यहम्।।"

अर्थात "यदि मेरे द्वारा कहे गये उत्तम एवं सानुकूल विचार जिसकों मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, आपको उचित प्रतीत होते हो तो, उन विचारों को क्रियान्वित करने की आज्ञा प्रदान करें अन्यथा इस सम्बन्ध में क्या करना चाहिए? मार्गदर्शन प्रदान करे।" इस प्रकार राजा द्वारा सभा एवं समितियों से विचारों व कार्यों पर स्वीकृति प्राप्त की जाती थी।

श्रीरामचरित मानस में पंचायतीराज व्यवस्था के अनेक उदाहरण दिये गये है।

"जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी।
सो नृप अवसि नरक अधिकारी।।"

श्रीरामचरित मानस के उक्त दोहे में अभिव्यक्त भाव प्रजा कल्याण करना ही शासक के मुख्य ध्येय की ओर इंगित करता है। तात्कालिक शासन प्रणाली राजतन्त्र, प्रजातंत्र एवं विद्वत्तंत्र की अद्भुत समन्वित प्रणाली थी। पंचायतों का स्वरूप आधार से विकास एवं स्वशासन के भाव पर गठित था। सम्पूर्ण राज्य की एक जाति पंचायत होती थी। राज्यव्यापि पंचायत से चुना हुआ प्रतिनिधि राजा की मत्रिंपरिषद् का सदस्य होता था। इस प्रकार राज्य की मत्रिपरिषद् में राज्य में बसने वाली सभी जातियों के उक्त प्रतिनिधियों की सहमति की उपेक्षा राजा के लिए असम्भव थी।

महाभारत के शांतिपर्व में मनु की कृति 'मनुस्मृति', कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में स्थानीय शासन की इकाई ग्राम की महत्ता को इंगित किया गया है।

3. बौद्धकाल में पंचायतीराज :–

इस काल में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आधार ग्राम ही था। आबादी का अधिकाँश भाग गाँवों में ही रहता था। गाँवों की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों पर ही था।

4. गुप्तकाल में पंचायती राज :–

गुप्तकाल में भी स्थानीय शासन की रूपरेखा लगभग मौर्यकालीन ही रही। गुप्तकालीन अभिलेखों में ग्राम–सभा को ग्राम–जनपद एवं पचं मडंली कहा गया है जो महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन करती थी ईसा से पूर्व प्रथम शताब्दी में दक्षिणी भारत में 'सातवाहन

शासन' काल में नगरों व ग्रामों में स्थानीय राजनीतिक संस्थाऐं थी। दक्षिण भारत में भी चोल प्रशासन के काल में प्रशासन प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी। ग्राम व नगर परिषदे आरम्भिक परिषदें थी। 'नाडु' परिषदें प्रतिनिधि परिषदें थी, ग्रामवासियों के द्वारा विशिष्ट पद्वति से चयनित ग्राम परिषदों को ग्राम व्यवस्था का सम्पूर्ण कार्य भार सौंपा जाता था।[5]

मध्ययुगीन भारत में दिल्ली सल्तनत काल में राज्य की सबसे छोटी ईकाई 'ग्राम' थी। 'ग्राम' का प्रबन्धन लम्बरदारों, पटवारियों व चौकीदारों द्वारा किया जाता था। गाँवों को अपने प्रबन्धन के मामले में पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त थी। मुगलकालीन भारत में, शासन की सबसे छोटी ईकाई 'ग्राम' के शासन का प्रबन्धन पंचायत के द्वारा ही किया जाता था।

स्पष्ट हैं कि प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की मौलिक भावना शासन तंत्र में विद्यमान थी।

ब्रिटिश शासनकाल में पंचायतीराज संस्थाओं को उत्तरदायी प्रतिनिधिक संस्थाओं का दर्जा दिया गया था। स्थानीय शासन का इस काल में प्रारम्भ सन् 1687 से माना जा सकता है।

पंचायत के इसी विकास क्रम के साथ ही महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को वैदिक युग से आधुनिकाल तक शोध की रूपरेखा के अन्तर्गत प्राचीन, मध्य व वर्तमान स्वरूप के विकास को निम्न प्रकार से देखा जा सकता हैं।

वैदिक युग में भारतीय समाज में महिलाओं को पुरूषों के समान शिक्षा, धर्म, राजनीति, संपति व उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त थे। पुरूषों के समान स्वतंत्रता और शील तथा सम्मान की रक्षा करना एक महान् कर्त्तव्य माना जाता था।

वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। मध्ययुग में पितृसत्तात्मक और पुरूष प्रधान समाज में स्त्री–पुरुष में असमानता स्वीकृत थी। लिगंभेद के आधार पर स्त्री–पुरूष में असमानताऐं देखी जाती थी। लिंगभेद के आधार पर स्त्री–पुरुष की भूमिका निर्णित थी और स्त्रियों की स्थिति कमरे की चारदीवारी के भीतर ही सीमित थी। यह युग स्त्रियों की स्थिति की दृष्टि से एक कलंक का युग माना जाता है। अंग्रेजों के समय में शिक्षा सुधार के प्रयास, पश्चिम उदारवादिता, मानवतावाद और लौकतंत्र, स्वतंत्रता–समानता की वजह एवं स्वतंत्रता के बाद

---

5 मंगलानी, रूपा, 'पंचायतीराज की विकास यात्रा' राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर 2010,पृ.सं. 9

महिलाओं को दिये अधिकार, हक, शिक्षा, व्यवसाय जैसे आधुनिक कारकों के प्रभाव से महिलाओं के स्थान और भूमिका में बदलाव आया है।

महिलाओं को राजनैतिक क्षेत्र में उचित भागीदारी देने के लिए भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों द्वारा देश भर की पंचायतों व जिला परिषदों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया जो भारतीय स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थानों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की ओर एक सराहनीय कदम है। इससे महिलाओं में राजनीतिक जाग्रति उत्पन्न होगी और वह निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में व क्रियान्वयन में प्रभावी भूमिका निभायेगी और सामाजिक विकास में तथा एक सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना करने में अर्थपूर्ण कार्य करेगा। इतना ही नहीं भारत और विश्व में 1974 'महिला–वर्ष' के रूप में और 1975–1985 'महिला–दशक' के रूप में मनाया गया और भारत में 2001 का वर्ष 'महिला–सशक्तिकरण वर्ष' के रूप में मनाया गया था। विश्व की राजनीति और प्रशासन में महिलाओं की स्थिति पर एक नजर डालें तो रूस जैसे विशाल सम्पन्न एवं विकसित देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का लगभग 53 प्रतिशत है। वहां की 47 प्रतिशत महिलाऐं रोजगार में लगी है। और 50 प्रतिशत महिलाऐं उच्च शिक्षा प्राप्त है। महिलाओं का राजनीतिक संगठन बनाया गया, जिसमें से 21 महिलाओं ने वहां के संसदीय चुनाव में विजय प्राप्त की। इसी प्रकार जापान में प्रबन्धकीय पदों पर महिलाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है।

महिलाओं का राजनीतिक विकास क्या हैं? इसकी जानकारी के लिए हमें प्रसिद्ध विचारक लुसियन पाई ने जो अवधारणा विकसित की है, उसके अनुसार राजनीतिक विकास को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। इस क्रम में हमें महिलाओं की दृष्टि से तीन बातों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

I समानता के लिए संवेदनशीलता

II राज्य और समाज व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता

III राज्य व्यवस्था की इकाईयों से महिलाओं का संबंध

इन आधारों अथवा बातों पर किया जाने वाला प्रत्येक विश्लेषण महिलाओं के राजनीतिक विकास के स्तर को असंतोषजनक स्थिति में बताता है।

अतः भारत में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से महिलाओं का विकास तभी सम्भव हैं, जब सम्पूर्ण देश की महिलाऐं देश के समग्र विकास की प्रक्रिया में भाग लें।

संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष 1994 में बीजिंग में हुए विश्व महिला सम्मेलन से पहले जारी की गई 'मानव विकास रिपोर्ट' के अनुसार पूरे विश्व की संसदों में महिलाओं की औसत संख्या पुरूषों की तुलना में मात्र 10 प्रतिशत थी और मंत्री स्तर की स्थिति तो और भी दयनीय बताई गई थी। इसमें तो महिलाओं का औसत 6 प्रतिशत ही था। राजनीतिक विकास के मुख्य रूप से चार पक्ष हैं–

I राजनीतिक जागरूकता

II राजनीति में भागीदारी

III राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त करना, एवं

IV नेतृत्व प्राप्त कर निर्णयों को प्रभावित करन तथा दिशा देना।

भारत के राजनीतिक इतिहास में यह पहला समय था जब स्थानीय स्वशासित संस्थाओं में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। इन संविधान संशोधनों से पंचायत की सत्ता संरचना में और निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ेगी और वह अपनी शक्ति का सामाजिक विकास में तथा राजनैतिक कार्यकलापों में लगा सकेंगी और एक सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना कर सकेंगी।

इससे कई रचनात्मक परिणाम सामने आयें। राजनीति में भागीदारी से महिलाओं में जाग्रति उत्पन्न हुई और निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में हिस्सेदारी से उनमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान, समानता एवं स्वायत्तता के अधिकार का एहसास हुआ और वह नीति–निर्धारण व क्रियान्वयन में अपनी प्रभावी व रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करेगी। ये सब महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे।[6]

भारत में पंचायती राज और महिला–सशक्तिकरण के अन्तर्गत देखा जाए तो भारत एक ग्राम प्रधान लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की निम्नतम इकाई ग्राम पंचायत होती हैं तथा स्थानीय स्वशासन में यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। सन् 1957 में गठित बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज की प्रारम्भिक अवस्था पूर्णतः असफल सिद्ध हुई क्योंकि इसका मुख्य कारण सत्ता का पिछड़े वर्गों के स्थान पर गाँव के उच्च एवं विशेष वर्गों के हाथों में चले जाना था।

6 मकबाणा, रमेश एच., "महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण" कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, मार्च 2005, पृ.सं. 14–15

वास्तव में उस समय स्थिति ऐसी थी कि जिन वर्गों के उत्थान के लिये ग्राम पंचायती राज की व्यवस्था प्रारम्भ की गई थी, उन्हीं वर्गों को पंचायती राज के प्रबंध कार्य से दूर रखा गया। इनमें से एक वर्ग महिलाओं का भी था। कालान्तर में सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके उपर्युक्त अर्थों में पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को भागीदार बनाने का निश्चय किया गया।

अप्रैल 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करके पंचायतों में महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई। सन् 1959 में जब पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी तभी से यह अनुभव किया जा रहा था कि देश का समग्र विकास महिलाओं को अनदेखा करके नहीं किया जा सकता।

संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के माध्यम से पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था के परिणामस्वरूप, इस समय लगभग 10 लाख स्त्रियों त्रि–स्तरीय ढांचे में अध्यक्ष और सदस्य पदों पर कार्यरत् है। यह एक बडी संख्या हैं और निश्चिय ही इसमें अभी तक शहरी ग्रामीण–व्यवस्था में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा है। महिलाओं का यह राजनीतिक सशक्तिकरण न केवल महिलाओं के विकास के लिए आवश्यक हैं अपितु यह उनकी सदियों से दबाई गई रचनात्मक क्षमता को भी समाज के सम्मुख उजागर करता है।[7]

अतः स्पष्ट हैं कि 73वां संशोधन कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और महिलाओं के लिए पंचायत स्तर पर 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। हालांकि वर्तमान में 16 राज्यों में इसे 50 प्रतिशत किया जा रहा है। पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर चुनाव कराने में बिहार देश का प्रथम राज्य है।

राजनीतिक संस्थाओं के सबसे निचले स्तर पर महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य निर्णय–निर्माण में उनकी क्षमता को बढ़ाना है। इसमें वोट देने से लेकर पद प्राप्त करने तक के आयाम समाविष्ट है। जो नीतियों के निर्माण को प्रभावित करने की दृष्टि से उनकी शक्ति और भागीदारी को व्यक्त करती हैं, क्योंकि महिलाओं के पास ऐसी उद्देश्यपूर्ण सहभागिता के लिये आवश्यक संसाधन और अवसर उपलब्ध नहीं होते है। अतः आरक्षण उनके राजनीतिक सशक्तिकरण का एक प्रभावी उपकरण सिद्ध हुआ है। शक्ति औपचारिक संरचनात्मक, संस्थिति की अपेक्षा व्यक्ति के दृष्टिकोण में निहित होती हैं और सशक्तिकरण व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदल देता है। इसके साथ ही व्यक्ति को उन सभी शक्तियों के प्रति सचेत बना देता हैं जो उनके व्यवहार को प्रभावित करती है। सशक्तिकरण निम्नतम स्तर वाले व्यक्तियों को मुक्त कर उनमें सक्रियता और उत्साह की धारणा का संचार करता है।

---

7 अग्रवाल, एम.एच. और मोहन मयंक, पंचायती राज, महिलाओं की भूमिका, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, मार्च, 2005, पृ.सं.–28

नवीन पंचायती राज व्यवस्था में सहभागिता के संबंधित स्तर को सुनिश्चित करने के लिए जो संवैधानिक और विधिक प्रावधान किए गये वे युगान्तर परिवर्तनों का सूत्रपात करते थे। ये प्रावधान स्वयं में राजनीतिक सहभागिता के वास्तविक स्वरूप को सुनिश्चित नहीं कर सकते थे। सहभागिता का वास्तविक स्वरूप अनेक कारकों से निर्धारित और प्रभावित होता है। इन कारकों का कोई सार्वभौमिक प्रारूप भी परिकल्पित नहीं किया जा सकता। समय और स्थान की परिस्थितियाँ ऐसे कारकों की प्रासंगिकता के निर्धारण में महत्वपूर्ण होती है।

इस दृष्टि से सहभागिता के किसी भी सैद्धान्तिक अध्ययन को स्थान विशेष पर केन्द्रित, आनुभाविक अध्ययन के द्वारा पुष्ट किया जाना प्रासंगिक होता है।

नवीन पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थानों के आरक्षण के माध्यम से महिलाओं का संख्यात्मक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो गया हैं, किन्तु यह प्रतिनिधित्व, सामान्यता राजनीतिक प्रक्रिया में तथा विशिष्टतः पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी के स्वरूप में गुणात्मक परिवर्तन लाने में प्रभावी सिद्ध हुआ है। राजस्थान में नयी पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने के पश्चात् इन संस्थाओं के दो आम चुनाव सम्पन्न हो चुके है। विगत् दो दशक की अवधि महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप के आंकलन की दृष्टि से उपर्युक्त प्रतीत होती है।

प्रस्तुत अध्ययन में राजस्थान में नवीन पंचायती राज व्यवस्था में महिला, सहभागिता की संभावनाओं के एवं स्वरूप के सैद्धान्तिक विवेचन के साथ बूंदी जिले की गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों के संदर्भ में आनुभाविक अध्ययन के आधार पर महिला सहभागिता के वास्तविक स्तर और स्वरूप के वास्तविक आंकलन का प्रयास किया गया है।

शोध का सामान्य परिचयः–

इस शोधकार्य के माध्यम से पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता का विश्लेषण करते हुए बूंदी जिले की दो ग्राम पंचायतों गेण्डोली खुर्द व फौलाई के संदर्भ में विश्लेषण किया गया हैं तथा यह जानकारी प्राप्त की हैं कि प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में महिलायें अपनी भूमिका किस तरह निभा रही है? उनके सामने क्या कठिनाईयाँ आती हैं? आरक्षित व अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिलाओं के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया का पूर्णतया विश्लेषण किया गया है।

इसके अलावा पंचायतीराज में महिला–सशक्तिकरण को लेकर जितने अधि–निर्णय व संशोधन हुए है उनमें वर्तमान में महिलाओं की भूमिका में कितना बदलाव आया हैं आदि प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।

इस पूरे अध्ययन को सात खण्डों में विभक्त किया गया है।

प्रथम अध्यायः–

प्रथम अध्याय में विषय से सम्बन्धित शोध की रूपरेखा, शोध का सामान्य परिचय, अध्ययन क्षेत्र, उपलब्ध साहित्य समीक्षा, अध्ययन के उद्देश्य, शोध पद्धति, तथा शोध के महत्व के बारे में बताया गया है।

द्वितीय अध्यायः–

द्वितीय अध्याय में बूंदी जिले के ऐतिहासिक, राजनैतिक परिचय व प्रशासनिक परिचय के साथ ही शोध के अध्ययन का केन्द्र बिन्दु, गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों का भी ऐतिहासिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिचय दिया गया है। बूंदी जिले के पर्यटन स्थलों राजनैतिक संरचना व प्रशासनिक कार्यालयों का जहाँ पर सम्पूर्ण राजनैतिक व प्रशासनिक प्रक्रिया संचालित होती है आदि का विस्तृत विवरण दिया गया है इसके साथ ही गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों का भी ऐतिहासिक सम्पन्नता के साथ राजनैतिक व प्रशासनिक विवरण दिया गया है।

तृतीय अध्यायः–

तृतीय अध्याय में पंचायती राज संस्थाओं की कार्य व नीतियों के बारे में बताया गया हैं। महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित केन्द्रीय व संवैधानिक प्रावधानों का विवरण दिया गया है। विभिन्न समीतियों ने महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित समय–समय पर जो सुझाव दिये हैं उनका उल्लेख किया गया है। राजस्थान सरकार ने महिलाओं को पंचायतीराज में सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु क्या–क्या आदेश व अध्यादेश जारी किये और 73 वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं की भूमिका में क्या अन्तर आया, वे कितनी सशक्त होकर उभरी है? को प्रस्तुत किया गया है।

चतुर्थ अध्यायः–

चतुर्थ अध्याय में शोध के मुख्य केन्द्र रहे गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों में आरक्षित वर्ग की महिलाओं का नेतृत्व, परिचय योग्यताऐं, तथा बैठकों में उपस्थिति के प्रमुख मुद्दे, और उनकी क्रिया–प्रतिक्रिया व शीर्ष महिला नेतृत्व का विश्लेषित किया गया है।

पंचम अध्यायः–

इस प्रकार पंचम् अध्याय में अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिलाओं के नेतृत्व की भूमिका, परिचय, योग्यताऐं बैठकों में उपस्थिति व शीर्ष महिला नेतृत्व की भूमिका का विवेचन किया गया हैं साथ ये पता लगाया हैं कि उनकी कार्यप्रणाली किस प्रकार से आरक्षित वर्ग की महिलाओं से भिन्न रही।

षष्टम् अध्यायः–

षष्टम् अध्याय में गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों में आरक्षित व अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिलाओं की भागीदारी व अन्य क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है जिससे यह पता लगाया जा सके कि अपने उत्तरदायित्व की निर्वहन में कौनसे वर्ग की महिलाऐं अधिक सक्रिय रही है।

सप्तम् अध्यायः–

इस अध्याय में पंचायतीराज संस्थाओं में उक्त ग्राम पंचायतों में महिला सशक्तिकरण का सर्वेक्षण व साक्षात्कार किया गया हैं। जिसमें प्रकार्यात्मक पहलुओं व बाधाओं का पता लगाया गया हैं और वर्णित समस्याओं के निराकरण एवं पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता को प्रभावकारी बनाने हेतु किये गए प्रयासों एवं सुझावों का विश्लेषण किया गया है।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता से इन्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि प्राचीन भारत में महिला सशक्तिकरण के महत्व को समझाया गया है। मनु ने 'मनुस्मृति' में कहा भी गया था कि "देवता उसी स्थान पर वास करते हैं, जहाँ महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता है"।[8] 20वीं शताब्दी में गांधी ने महिलाओं को राष्ट्रीय आन्दोलन में हिस्सा लेने हेतु उत्साहित किया। लाखों महिलाओं ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया एवं स्त्री शक्ति का उद्घोष किया। महात्मा गांधी ने भारत की महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था "कि जनता में जाग्रति पैदा करनी हैं तो महिलाओं में जाग्रति पैदा करो। एक बार जब वे आगे बढ़ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव व शहर आगे बढ़ता है एवं सारा देश आगे बढ़ता है"। भारत के संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझा था। संविधान के अनुच्छेद 15 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया हैं कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा

---

8 चन्देल, धर्मवीर, चन्देल डॉ. नरेन्द्र कुमार, "पंचायतीराज और महिला सहभागिता" अविष्कार पब्लिशर्स, 2016, पृ.सं. 46–48

सकता। अनुच्छेद 15 (3) में भी स्पष्ट रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य को विशेष प्रावधान बनाने की अनुभूति दी गई है। संविधान के इन प्रावधानों के उपरान्त भी यदि हम देखे तो पाते हैं कि समाज का एक बहुत बडा वर्ग, जो महिलाओं का हैं, निश्चित रूप से सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है।[9]

अतः महिला सशक्तिकरण का प्रमुख एवं प्रभावी आयाम राजनीति में महिलाओं की भागीदारी से जुडा है, प्रस्तुत विषय "पंचायतीराज संस्थाऐ और महिला सशक्तिकरण के इसी क्रम में प्रस्तुत करने का प्रयास है। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका प्रभावी हैं अतः प्रस्तुत अध्ययन में शक्ति विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को सुनिश्चित करने के विभिन्न पक्षों को समायोजित करने का प्रयास है।

भारतीय संदर्भ में महिला सहभागिता का क्रम प्राचीन काल से वर्तमान काल तक अंकित है। स्वतंत्रता संघर्ष पर विहंगम दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता हैं कि आन्दोलन में महिलाओं की सहभागिता का सूत्रपात 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हुआ था इस अवधि के दौरान एक छोटे से समूह ने समाज–कल्याण गतिविधियों में हिस्सा लेना प्रारम्भ किया और कुछ जैसे– (कल्पना दत्त और लाडों रानी जुत्थी) ने क्रांतिकारी आन्दोलन की राह पकड़ी। नारी संगठनों का अविर्भाव भी 20वीं सदीं के आरम्भ में ही हुआ था और तभी से नारी के राजनैतिक अधिकारों की मांग की जाने लगी।[10]

सहभागिता, सशक्तिकरण, व महिला संदर्भ राष्ट्र के सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम है, इनमें राजनीतिक आयाम प्रमुख है। राजनीतिक दृष्टि से सहभागिता का स्तर यदि ऊँचा होगा तभी समाज राज्य एवं राष्ट्र का विकास सम्भव होगा।

जनसहभागिता की अवधारणा समाज में कुछ लोगों की गरीबी और संसाधनहीनता की समस्या सिर्फ आर्थिक समस्या की नहीं है, यह हमारी पूरी राजनीतिक परिस्थिति और उसकी संरचना से जुड़ी है।

ऐसी सामाजिक परिस्थिति जहाँ संसाधनों से सम्पन्न वर्ग राजनीति में यथा स्थिति बनाये रखना चाहता है। राजनीति में सत्ता, संरचना और निर्णयों की जगह पर जो लोग बैठे हैं, उनमें से अधिकांश लोग उन समस्याओं और परिस्थितियों पर योजना बनाते है। जिनकों उन्होने कभी

---

9 शर्मा, रेखा, "ग्रामीण महिलायें एवं पंचायतीराज" रावत प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012 पृ.सं. 21

10 जोशी, आर.पी, रूपा मंगलानी, "पंचायती राज के नवीन आयाम" युनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा. लि. जयपुर, 1998, पृ.सं. 123

महसूस तक नहीं किया। अब तक के अनुभव यही बताते हैं कि कमजोर वर्ग, गरीब महिलाओं एवं संसाधनहीन लोगों को जब तक निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता हैं तब तक सकारात्मक राजनीतिक बदलाव व आर्थिक विकास नहीं होने वाला है।

इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने व राजनीति में न्यायोचित स्थान प्रदान करने के लिए वर्ष 2001 को भारत में महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाया जा चुका है। महिला विकास हेतु हमें उन सभी मान्यताओं, प्रथाओं को समाप्त करना होगा जो महिलाओं के विकास में बाधक है और साथ ही उप–प्रक्रियाओं तथा कार्यक्रमों का प्रचार व्यापक रूप से करना होगा। उन्हें सभी प्रकार से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विकासात्मक प्रक्रिया का भागीदार बनाया जाना चाहिए। इसी संबंध में स्वामी विवेकानन्द ने लिखा हैं कि "औरतों की स्थिति में सुधार लाये बिना दुनिया का कल्याण संभव नहीं है, एक पंख से चिड़िया उड़ान नहीं भर सकती।"

विभिन्न महिला संगठनों ने प्रस्ताव पारित करके महिलाओं को अधिकार प्रदान किये जाने की मांग की है। उन्हें शिक्षा, चिक्त्सा व अन्य सरकारी नौकरियों में भी अवसर प्रदान किए जा रहे है। इसी प्रकार उन्हें राजनीति में भी भागीदारी के लिये हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों, कर्त्तव्यों को शामिल किया गया है, तथा महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार दिये गये है एवं नीति निर्देशक तत्वों में महिलाओं के साथ समानता रखने के निर्देश दिए गए है। यह राजनीतिक भागीदारी स्थानीय प्रशासन के प्रथम निकाय, जो कि राजनीति का प्रवेश द्वार "पंचायती राज" कहा जाता है, से ही सम्भव हो सकती है।

सन् 1959 में सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना हुई। पंचायत राज व्यवस्था, महिला हो या पुरूष, सभी राजनीतिक भागीदारों की राजनीति में भागीदारी की प्रथम सीढ़ी है। लेकिन इस प्रकार के ऐसे कितने ही निकाय स्थापित कर लिये जाए तो भी ये सुधार तब तक असंभव हैं जब तक कि हम अपने मानसिक, वैचारिक दृष्टिकोण को नहीं बदलेंगे क्योंकि आज की राजनीति में नारी भागीदार तो बन रही है परन्तु संख्यात्मक दृष्टि से उनका मानसिक दृष्टिकोण तो अभी भी कुछ सीमा तक सिकुड़ा ही हुआ है। पंचायतों में ग्रामीण महिलाऐं चुनाव जीत कर आ तो जाती हैं, लेकिन अपने विचार व्यक्त करने का अभी तक उनमें आत्मविश्वास जाग्रत नहीं हो पाया है।

जिससे वे राजनीतिक निर्णयों में अपनी पूर्ण भागीदारी नहीं दे पाती। साथ ही वे पंच, सरपंच होते हुए भी अशिक्षित है। पंचायतों में साक्षारता के लेबल तो लगा दिए जाते है परन्तु आज भी कई महिलाऐं अपने विचार शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। महिलाओं के पारिवारिक दायित्व के मूल्यों तथा वैचारिक सोच के कारण वे राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले

पाती है। इसलिए महिलाऐं पंचायत की सभाओं तक में भी अपनी पूर्ण उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाती है। इन सभाओं में कभी–कभी उपस्थित रहने पर भी एक कोने में सिकुड़ी हुई सी बैठकर अन्य पुरूष पंचों, सरपंचों की बातों का गर्दन हिलाकर बिना किसी प्रकार का तर्क–विर्तक किये समर्थन कर देती है।

महिलाओं की इस प्रकार की भागीदारी उनके परिवार या सदस्यों का राजनीति में कदम रखने का केवल मात्र एक माध्यम बन कर रह जाती है। यदि महिलाओं की भागीदारी का स्तर इसी रूप में रहा, तो निश्चय ही, संस्थागत रूप में उनकी भागीदारी का अशक्त स्तर होगा, किन्तु गुणात्मक पक्ष निश्चय ही प्रबल नहीं हो पायेगा। इतने सब पर उनकी पूर्ण राजनीतिक भागीदारी नहीं मानी जा सकती। इस परिदृश्य के बाद भी कहीं–कहीं महिलाओं में जाग्रति और सशक्तिकरण के कुछ लक्षण दिखायी देने लगे है। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन, संवैधानिक आदेश, निर्देश, महिला अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष और महिला कर घोषणा तथा बहुत सी सरकारी योजनाऐं और नीतियां महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित की जाने लगी है।[11]

प्रारम्भिक अवस्था में जब महिलायें निर्वाचित होकर आयी तो उस समय वे राजनीतिक क्रियाकलापों, निर्णय–निर्माण, कागजी कार्यवाही, नियमों आदि से अपरिचित थी। जिससे कुछ तो समायोजन नहीं कर सकी व कुछ पंचायत व्यवस्था के क्रियाकलापों तक में नहीं गई। प्रारम्भ में महिला पंचायत बैठकों में जाती और पुरूष से दूर एक कोने में बैठ जाती थी कोई तर्क–वितर्क नहीं किया करती थी बस उनका कार्य तो इतना रहता हैं कि वे पुरूष वर्ग के कहे अनुसार हाँ या ना कह देती थी वे बड़े–बड़े ग्रामीण व शहरी सम्मेलनों, सेमीनारों में भी मूक अवस्था में ही बैठी रहती थी। कई स्थानों पर तो महिलाओं के राजनीतिक कार्य पुरूष ही करते है वे तो नाम मात्र की पंचायत सदस्य बन कर रह जाती थी, वे सभी कार्य पुरूष के कथनानुसार बिना अपने स्वविवेक के उपयोग से करती थी

हालांकि उपरोक्त व्यावहारिक रूप में विभिन्न युगों में भारत में नारी की स्थिति उठती और गिरती रही हैं इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान में महिलाऐं पर्दे से बाहर निकली हैं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनका योगदन निरंतर बढ़ रहा है। भारतीय समाज पर दृष्टिपात करने पर हमें मालूम होता हैं कि चंद वर्षों में ही महिलाओं ने अपनी सफलता के झडें गाड़ दिए है, जो भले ही उनके समक्ष नई समस्याऐं पैदा करने वाले कारक बने हों, परन्तु इससे पुरानी रूढ़ियां हिल गई है। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है, जो महिलाओं से अछूता हो। पिछले 20 वर्षों में भारतीय महिलाओं ने अपनी स्थिति मे अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। भारत

---

[11] जोशी, आर.पी. रूपा मंगलानी, "पंचायती राज के नवीन आयाम" युनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा.लि. जयपुर 1998, पृ.सं. 123

में जहाँ पर कुल जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाओं का है, उनका सशक्तिकरण अपरिहार्य हैं एवं यह केवल उनके राजनीतिक सशक्तिकरण के द्वारा ही संभव हो सकता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, उसके प्रत्येक नागरिक की ठोस और समुचित राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है।

वास्तव में देश का सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि महिला नेतृत्व महिला होने के नाते महिलाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है। अतः केवल महिलाऐं ही महिलाओं के मत और महिला तथा बच्चों की समस्याओं का प्रभावशाली तरीके से पर्याप्त समाधान कर सकती हैं साथ ही बहुत से विकास के लाभ जो महिलाओं एवं बच्चों के लिए संभव है। उन्हें सुरक्षित रख सकती है। यद्यपि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधान किए गए है। जिससे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित किया गया है।

परन्तु व्यावहारिक धरातल पर महिला राजनीतिक सहभागिता को संविधान के 73वें व 74वें संविधान संशोधन एवं स्थानीय नगर निकायों में प्रत्येक स्तर के पदों पर एक–तिहाई स्थानों पर आरक्षण की व्यवस्था से महिलाओं को एक सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ है। राज्य एंव केन्द्रीय स्तर पर राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता का स्तर भले ही उत्साहजनक ना हो, परन्तु पंचायतीराज संस्थाओं तथा स्थानीय नगर निकायों में उनकी सहभागिता लगातार बढ़ रही है। 73वें व 74वें संविधान संशोधन से प्रत्येक स्तर के पदों पर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हो गया है।[12]

बिहार देश का पहला राज्य हैं, जहाँ पंचायतीराज संस्थाओं में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, छतीसगढ़, झारखण्ड, केरल महाराष्ट्र, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्यप्रदेश सहित देश के कुल 16 राज्यों में महिलाओं का कोटा एक तिहाई से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की प्रक्रिया चल रही हैं। वर्तमान केन्द्र सरकार कानून लाकर इस व्यवस्था (महिलाओं हेतु स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण) को सम्पूर्ण राष्ट्र में लागू करने का सराहनीय प्रयत्न कर रही है।

पंचायतों में महिलाओं को उपलब्ध 33 प्रतिशत (किन्ही राज्यों में 50 प्रतिशत) आरक्षण ने भारत में लगभग आधी आबादी को राजनीति सशक्तता प्रदान करने का कार्य किया है, जिसके फलस्वरूप आने वाली पीढ़ी को सशक्त एंव प्रभावी मार्गदर्शन प्राप्त होने की आशा बलवती हुई है। राजनीति में महिलाओं को आरक्षण ने हर स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में

---

12 गोयल, प्रीति प्रभा, भारतीय नारी विकास की ओर, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, 2009 पृ.सं. 127

वृद्धि की है, और आज पंचायतीराज का परिदृश्य बदल रहा है। महिलाऐं अपनी राजनीतिक भूमिका व अधिकारों के प्रति सजग व जागरूक होने लगी हैं तथा अपनी भूमिका को सफलतापूर्वक निभाने के लिए आवश्यक दक्षता प्राप्त कर रही है।[13]

इस प्रकार पंचायतीराज संस्थओं एवं स्थानीय नगर निकायों में महिलाओं के सुनिश्चित प्रतिनिधित्व से महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जो निःसंदेह संसद व विधानमण्डलों में उनके लिए एक–तिहाई आरक्षण के संघर्ष को बल प्रदान करेगा और आरक्षित व अनारक्षित (सामान्य) दोनों वर्ग की महिलाओं की कार्यप्रणाली कितनी सजग हुई है? और जिसका मूल्यांकन बैठकों में उनकी उपस्थिति व विभिन्न मुद्दों पर क्रिया–प्रतिक्रिया से तुलनात्मक विश्लेषण से ही प्राप्त होगा।

इसके अलावा महिलाओं के संपूर्ण एवं वास्तविक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक हैं कि पंचायतों का 'सशक्तिकरण' हो। कमजोर पंचायतें मजबूत महिलाओं को भी कमजोर बना सकती है। अधिकतर पंचायतों के पास अपना कोई राजस्व नहीं है, नीति–निर्धारण करने का प्रावधान नहीं है, न्याय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के विकेन्द्रीकरण का सर्वथा अभाव है, इसलिए हमें पंचायती राज को विकास के वाहक के रूप में देखने की बजाय विकास को ही पंचायती राज के वाहक के रूप में देखना चाहिए। तभी वास्तविक सशक्तिकरण संभव हो सकेगा। हमें यह याद रखना होगा कि केवल ऊपर से नीचे सत्ता के हस्तान्तरण से स्थानीय स्वशासन को अपने मूलरूप में स्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि लोकतंत्र शासन की इकाई के आकार पर नहीं वरन् शासन की गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करता है। लोकतंत्र का मतलब स्थानीय–भू–क्षेत्र को छोटी–छोटी मात्रा में सत्ता थमा देना नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र का सारतत्व क्षेत्र न होकर व्यक्ति में निहित होता हैं इसलिए हमें गांधीवादी स्वरूप वाला स्वशासन चाहिए, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के आड़ में लोकतांत्रिक केन्द्रवाद जैसा खतरा पैदा न हो।[14]

अध्ययन क्षेत्रः–

प्रस्तुत शोध अध्ययन का क्षेत्र राजस्थान का बूंदी जिला हैं। अध्ययन के लिए ऐसे जिले का चयन किया गया हैं, जो ना तो अत्याधिक विकसित है और न ही पिछड़ा हुआ हैं। यह न्यूनाधिक मात्रा में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत शोध में आरक्षित व अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिलाओं के स्तर की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु बूंदी जिले के केशवरायपाटन

---

13 शर्मा, कविता, स्त्री सशक्तिकरण के आयाम् रजत प्रकाशन् नई दिल्ली, 2012 पृ.सं. 188

14 पाण्डेय, जीतेन्द्र कुमार, 'महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका', कुरूक्षेत्र अगस्त 2006 नई दिल्ली, पृ.सं. 31

तहसील की ग्राम में स्थित पंचायत गेण्डोली खुर्द व फौलाई की महिला प्रतिनिधियों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार करके महिलाओं की पंचायती राज संस्थाओं में वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

उपलब्ध साहित्य समीक्षाः–

सामाजिक अनुसंधान सत्य की परस्पर सम्बन्धित प्रक्रियाओं की सुनिश्चित खोज तथा विश्लेषण है।–पी.वी. यंग

एक सफल निष्कर्ष वाले सामाजिक शोध के लिए उससे सम्बंधित पूर्व में जितने भी शोध– साहित्य उपलब्ध हैं उनका अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार पूर्व के अनुसंधान अध्ययनों के द्वारा वर्तमान शोध में आने वाली समस्याओं का पहले से ही पता लग जाता हैं और इससे शोध को भी सही दिशा मिलती है। साहित्य समीक्षा के दो पक्ष होते है। प्रथम पक्ष में समस्या से सम्बन्धित प्रकाशित सामग्री को पढ़ा जाता है। जिससे अध्ययन के मुख्य विचार और परिणामों का ज्ञान हो सके और द्वितीय पक्ष में शोधकर्ता और पढ़ने वाले दोनों के लाभकारी विचारों को लिखा जाता है।

अतः शोध एक ऐसी व्यवस्थित विधि है, जिसके द्वारा नये तथ्यों की खोज तथा पुराने तथ्यों की पुष्टि की जाती है और उनके अनुक्रमों, परस्पर सम्बंधों, कारणात्मक व्याख्याओं एवं प्राकृतिक नियमों, जो उन्हें संचालित करते है, का अध्ययन किया जाता है।[15]

शोधकर्ता शोध–प्रक्रिया के समय एक पूर्व निश्चित वैज्ञानिक कार्य–पद्धति के आधार पर तथ्यों का मूल्यांकन करता हैं तथा इन तथ्यों के विश्लेषण और परीक्षण के आधार पर अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है। शोध ज्ञान के विकास का वह माध्यम हैं जो प्राप्त साहित्य सामग्री से घनिष्ट संबंध रखता है। शोध–विषय से सम्बंधित साहित्य का सम्पूर्णता से अध्ययन किया जाए। परन्तु अपने पास उपलब्ध समय व सामार्थ्य के कारण प्रायः इतना ही पर्याप्त होता हैं कि शोधार्थी सम्बंधित साहित्य का यथासामर्थ्य अध्ययन करें।

इस प्रकार अपने शोध को पूर्ण स्पष्टता प्रदान करते हुए नवीन स्फूर्ति व संकल्प के साथ शोध के उद्देश्यों को प्राप्त करें।[16]

"महिला–सशक्तिकरण" एक ऐसा विषय हैं जिसके बारे में न केवल पश्चिमी देशों में अपितु भारत में अनेक विद्वानों, विशेषज्ञों और शोध कर्त्ताओं ने पूर्व में अपने विचार व्यक्त किए

---

15 श्रीवास्तव, जी. पी. रिसर्च मेथडोलोजी, युनिक ट्रेन्डर्स जयपुर, 2014, पृ.सं. 1

16 शर्मा, वीरेन्द्र प्रकाश, रिसर्च मेथडोलोजी, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2015 पृ.सं 225

है। महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी, महिला आरक्षण की समस्याएँ एवं उनके समाधान के लिए किये गये प्रयास भी सम्मिलित है। प्रस्तुत शोध से संबंधित अग्रलिखित हैं जिनमें पंचायतीराज व्यवस्था व महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का वर्णन है।,

1. चौहान, डॉ भीमसिंह, (2011), "राजस्थान के पंचायतीराज में महिलाओं का योगदान" के अन्तर्गत बताया हैं कि 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतीराज के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम था। इसके द्वारा इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गयी। राजस्थान अधिनियम 1994 को लागू किया गया। इसके द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता को निश्चित कर उन्हें नेतृत्व करने की शक्ति प्रदान की गयी। इसके पश्चात् सम्पन्न होने वाले चुनावों में सत्ता की शक्ति महिलाओं एवं कमजोर वर्ग के हाथों में आ गई। महिलायें घूँघट को त्याग कर इन संस्थाओं का नेतृत्व करने लगी।

2. शर्मा, आदर्श, "पंचायतीराज में महिला आरक्षण की औचित्य एवं सम्भावनायें", राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर में महिला आरक्षण की सम्भावनाओं को तराशा गया है।

3. शक्तावत, डॉ गायत्री (2011), "महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता व पंचायती राज व्यवस्था" में लेखिका ने राजस्थान व चितौड़गढ की महिलाओं की सामाजिक व राजनैतिक स्थिति को प्रस्तुत करते हुये चितौड़गढ़ के विशेष संदर्भ में महिलाओं की पंचायतीराज व्यवस्था में भूमिका का विश्लेषण किया है।

4. शर्मा, रेखा (2012), "ग्रामीण महिलायें एवं पंचायतीराज" में बताया गया हैं कि किसी भी देश के विकास में उस देश की महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हालांकि किसी भी देश के विकास में उस देश के क्षेत्र में महिलायें पुरूषों के समक्ष अपनी समान उपस्थिति दर्ज करा रही है। लेकिन आज भी भारत में स्त्रियां दोयम दर्जे की स्थिति झेलने को मजबूर है। उनके साथ सामाजिक भेदभाव की परिस्थितियाँ कायम है। प्रस्तुत पुस्तक में 'भारतीय समाज में महिलाओं की दशा, ग्रामीण महिलाओं के अधिकार एवं शिक्षा व ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं के विकास हेतु कार्यक्रम तथा पंचायतीराज व ग्रामीण विकास के बारे में बताया गया है।

5. राजस्थान जिला गजेटियर बूंदी, 1999 में बूंदी जिले की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति एवं ऐतिहासिक और समकालीन घटनाओं के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है।

6. बाबेल, डॉ बसतीलाल, "पंचायतीराज एंव ग्रामीण विकास योजनाएँ" के प्रारम्भ में पंचायतीराज व प्रारम्भिक तथा नवीनतम् और अद्यतन ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में बताया गया है। यह पुस्तक मुख्य रूप से ग्राम–वासियों के लिए लिखी गई है। समाज का हर वर्ग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके, पंचायतीराज संस्थाओं में अपना स्थान बना सके तथा महिलाएँ पुरूषों के समान दर्जा पा सकें, यही इस कृति का प्रमुख ध्येय है।

7. अग्रवाल सरोज (2013) "महिला अधिकारिता और सुरक्षा 2013" में महिलाओं के अधिकार व सुरक्षा संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। स्वतंत्र भारत में महिलाओं की अधिकारिता एवं सुरक्षा की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गये है। सरकार में कई क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। विभिन्न आयोगों की स्थापना कर उनकी स्थिति को जानने व उसमें आवश्यक सुधार करने का भी प्रयास किया गया है।

8. आर्य, डॉ विमला 2016 "पंचायतीराज और दलित महिलाएँ" नामक पुस्तक में बताया हैं कि गाँव की झोपड़ी में रहने वाले आम दलित के मन में आत्मविश्वास जागना चाहिए तथा हर क्षेत्र में उसे बराबरी का हक मिलना चाहिए। तभी इस आरक्षण व्यवस्था की सार्थकता सिद्ध होगी। ग्रामीण संस्कृति में एक योग्य दलित महिला प्रतिनिधि का कोई मूल्य नहीं है एक उच्च जाति की महिला प्रधान अथवा सरपंच को जो सम्मान मिलता हैं वह सम्मान एक दलित महिला प्रतिनिधि को नहीं दिया जाता है।

9. चन्देल डॉ. धर्मवीर, चन्देल डॉ नरेन्द्र कुमार 2016 "पंचायतीराज और महिला सहभागिता" नामक पुस्तक में यह स्पष्ट किया गया है कि 73 वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं की स्थिति में कितना परिवर्तन आया हैं, क्या वे आज जनप्रतिनिधि के रूप में स्वतंत्र निर्णय ले पाती हैं, इनके जवाब भी तलाशने के प्रयास किए गए हैं।

10. नायक, अशोक, व द्विवेदी, हर्षित 2013, पंचायती राज में ग्रामीण नेतृत्व, "महिलाएँ एवं राजनीतिक सहभगिता पंचायती राज के विश्लेषण की विधियाँ," "ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक सहभागिता में महिलाओं की भूमिका," पंचायतीराज के विश्लेषण की विधियाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक सहभागिता में महिलाओं की भूमिका, "पंचायतीराज एवं महिलाएँ," महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में समन्वयात्मक दृष्टिकोण, आदि पुस्तकों में निष्कर्ष एवं सुझाव का विस्तृत विवरण दिया गया हैं।

11. कौशिक, सुशीला (1993) 'वुमैन एण्ड पंचायतीराज' पुस्तक में लेखिका के द्वारा पंचायतीराज में महिलाओं की सहभागिता संबंधी वर्णन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक में लेखिका द्वारा पंचायतीराज की पृष्ठभूमि तथा देश के विभिन्न राज्यों की पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया है। इसमें बताया गया है कि 73 वे संविधान संशोधन के अन्तर्गत महिलाओं को जो एक तिहाई आरक्षण प्रदान किया हैं। उसको उचित बताते हुए कहा गया है कि लिंग के आधार पर सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। इस अध्ययन में पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी तथा समान अधिकारों को विक्रेन्द्रिकृत करनें के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण की महत्ता को दिखाया गया है।

12. सिन्हा, अनिल किशोर (2004), "पंचायतीराज एण्ड एम्पावरमेंट ऑफ वुमैन" पुस्तक में लेखक ने महिला सहभागिता को स्थानीय स्वशासन में प्रस्तुत करने का प्रयास किया हैं। इससे महिला आरक्षण के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान व इस वर्ग की बढ़ती नेतृत्व क्षमता का वर्णन किया है। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व स्वास्थ्य एवं कानूनी स्थिति के संदर्भ के पंचायतीराज व्यवस्था का विश्लेष्णात्मक वर्णन किया गया है।

13. गनपताई प्लानीथ्यूराई (2005) ने "डायनामिक्स ऑफ न्यू पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया" नायक ने अपनी पुस्तक में पंचायती राज व्यवस्था का नवीन तरीके से विश्लेषण किया हैं। पंचायती राज व्यवस्था को स्वशासन की मजबूत संस्था बताते हुए इसके विभिन्न नवीन आयामों पर प्रकाश ड़ाला हैं। इसके अन्तर्गत लेखक के द्वारा महिला नेतृत्व की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया हैं।

14. त्यागी, शालिनी (2006), "पंचायतीराज व्यवस्था में सत्ताशक्ति का विकेन्द्रीकरण" में लेखिका ने राजस्थान के टोंक जिले के अपने अध्ययन में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का मूल्यांकन किया हैं। लेखक ने महिला सशक्तिकरण के लिए आरक्षण के साथ ही सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक संस्थाओं के साथ ही सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक संस्थाओं का समानान्तर विकास अत्यावश्यक बताया है।

15. गोयल, एस.एल., एस. रजनीश (2009), द्वारा लिखित पुस्तक 'पंचायती राज इन इंडिया थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस' में पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया गया हैं।

पुस्तक को 18 अध्यायों में विभाजित कर चार्ट, सारणी, केस स्टेडी द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को समझाया गया हैं।

16. कुरूक्षेत्र हिन्दी मासिक पत्रिका (2005) 'महिला–सशक्तिकरण' शीर्षक वाली तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में विभिन्न लेखकों के विचारों को अलग–अलग अध्यायों में वर्णित किया गया हैं। इसमें महिला सशक्तिकरण, महिला व आरक्षण, पंचायत राज महिलाओं की भूमिका व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुद्ध पेयजल, जल संरक्षण आदि के बारे में बताया गया है।

17. कुरूक्षेत्र हिन्दी मासिक पत्रिका (2018) "ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण" शीर्षक वाली तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण, राष्ट्रीय महिला नीति 2016 में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और किशोरियों से जुड़े मुद्दे, भारतीय महिला जैविक उत्सव 2017 के साथ जनजातीय महिलाओं के कल्याण के बारे में बताया गया है।

18. शर्मा, अशोक (2011) भारत में स्थानीय प्रशासन पुस्तक में लेखक ने स्वशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया हैं। इस पुस्तक में पंचायती राज व्यवस्था के संगठनात्मक एवं कार्यात्मक पहलु, प्रशासनिक तंत्र, कानूनी एवं संवैधानिक पक्ष, पंचायतीराज संस्थाओं के संवैधानिकरण, ग्राम–पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद का विस्तार से वर्णन, विकेन्द्रीकरण, पंचायती व्यवस्था व महिला सहभागिता 73वें, 74वें संविधान संशोधन के बारे में वर्णन किया गया है।

19. श्रीवास्तव, डॉ. जी.पी., (2014) ने अपनी कृति "रिसर्च–मेथड़ोलोजी" में सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक सर्वेक्षण, उसका आयोजन, प्रक्रिया, विधियाँ, प्रविधियाँ सिद्धान्तों, समस्या, उपकल्पना, इसकी आवश्यकता तथ्य संकलन न्यायदर्शन आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है।

20. जैन डॉ बी.एम. ने अपनी कृति "रिसर्च मैथडोलोजी" में गुप्त–स्थान की अवधारणा माप विश्लेषण की प्रविधियों आदि को ग्राफ एवं सूत्रों द्वारा भली–भाँति समझाया गया है।

21. जोशी, डॉ. आर.पी., मंगलानी डॉ. रूपा (2013), द्वारा सम्पादित पुस्तक भारत में पंचायती राज तथा उसके परिवर्तनों से संबधित विभिन्न लेखकों के विद्वतापूर्ण विचारों का संकलन है। राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर के इस प्रकाशन में पंचायतीराज व्यवस्था की विकास यात्रा, संगठनात्मक एवं कार्यात्मक पहलु, प्रशासनिक व्यवस्था, जनप्रतिनिधि, महिलाओं की सहभागिता, वित्तिय व्यवस्था, आर्थिक नियोजन, ग्रामीण

विकास, राजनीतिक दलों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका, सामाजिक अंकेक्षण एवं ई–गवर्नेन्स से संबंधित लेख दिए गए हैं।

22. श्रीवास्तव डॉ. कमल स्वरूप (2011) द्वारा संपादित पुस्तक "ग्रामीण विकास एवं महिला विकास कार्यक्रम" में बताया है कि देश के विकास में महिलाओं की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। इनके माध्यम से परिवार में पुरूषों के साथ महिलाएँ भी धनोपार्जन करके पारिवारिक आय में वृद्धि करती हैं। परिवारों का स्वास्थय पोषण व शिक्षा का स्तर अच्छा होता हैं।

23. महाजन, संजीव (2012), "भारत में ग्रामीण समाज" इस पुस्तक में भारतीय संदर्भ में ग्रामीण समाज के सभी पहलुओं को समझाने का प्रयास किया गया हैं। इसमें ग्रामीण समाजशास्त्र, इसमें प्रयुक्त विविध अवधारणाओं तथा इसकी केन्द्रीय विषय–वस्तु व गाँव के विभिन्न पक्षों का परिचय सरल एवं स्पष्ट भाषा में दिया गया हैं।

24. सुराणा, डॉ राजकुमारी (2000), "भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और नव पंचायती राज" नामक पुस्तक में ग्रामीण महिलाओं का पंचायतीराज व्यवस्था में योगदान व पंचायतीराज से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के सुझाव देकर पुस्तक को महत्वपूर्ण बनाया गया हैं।

25. शर्मा, रमा, मिश्रा, एम. के (2010) "महिलाओं के मौलिक अधिकार" उक्त पुस्तक में महिलाओं के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है।

26. कुमार मनीष, 2010, "महिला सशक्तिकरण दशा और दिशा" में महिलाओं के सशक्तिकरण से सम्बंधित विभिन्न आयामों का विश्लेषण किया हैं।

27. कौर, गुरूशरण (2016) "रूरल डवलपमेंट प्रोगाम्स एण्ड वुमैन एम्पावरमेंट" नामक पुस्तक में महिला सशक्तिकरण व ग्रामीण विकास प्रोग्राम के प्रभाव को जाँचने का एक प्रयास है इसमें लेखक ने बताया है कि स्वतंत्रता से लेकर अब तक जितने भी प्रोग्राम हुए हैं उनका पंचातीराज व महिला सशक्तिकरण पर कितना प्रभाव पड़ा है।

28. तिवारी नुपुर (2016) पंचायतीराज और महिला सशक्तिकरण इस पुस्तक में बताया गया है कि महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी ने सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए हैं। निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारत ने मुख्य रूप से आरक्षण के तरीके पर भरोसा किया हैं। लेकिन वास्तव में भागीदारी को

प्रोत्साहित करने की आवश्यकता हैं। यह पुस्तक महिलाओं और पंचायतीराज संस्थाओं की पृष्ठभूमि के बारे में हैं।

29. अंबेड़कर, एस.एन., शैलजा नगेन्द्र, "महिला सशक्तिकरण और पंचायतीराज"। उक्त पुस्तक में ग्रामीण भारत में नई पंचायतीराज प्रणाली से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विकेन्द्रीकृत लोकतंत्र को प्रबंधित करने वाली महिला नेताओं की धारणाओं और उन्मुखताओं का विश्लेषित करने की कोशिश की गई है।

30. राम, डॉ. सुन्दर, (2009), "महिला–सशक्तिकरण और पंचायतीराज संस्थाएँ", नामक पुस्तक का उद्देश्य भारतीय राजनीति और शासन में महिलाओं के सशक्तिकरण के पेशेवरों और विपक्ष को देखना है और भारतीय संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की दिशा में विभिन्न राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण के लिए एक ब्ल्यू प्रिंट तैयार करना है। यह बहुमूल्य पुस्तक भारत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की समस्या के कारणों और समाधानों संबंधित दृष्टिकोणों की एक श्रृंखला लाती है। इस पुस्तक में बताया गया है कि केवल चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों या राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की गैर–पूर्ती की जरूरतों का वर्णन करने पर नहीं बल्कि भारतीय महिलाओं की ओर से सकारात्मक समाधान और सफल पहलुओं पर उदाहरण भी प्रस्तुत करना है।

31. अमरेश्वर ओर अवस्थी, आनंद प्रकाश, (2013) ने "भारतीय प्रशासन" नामक अपनी पुस्तक में भारतीय प्रशासन के विविध आयामों को विस्तार से समझाया है। लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में भारतीय प्रशासन के विविध आयामों के साथ–साथ जिला प्रशासन, ग्रामीण विकास, विकेन्द्रीकृत पंचायतीराज, 73वाँ संविधान संशोधन तथा पंचायतीराज से जुड़ी विभिन्न समितियों के प्रावधानों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

32. छेत्री, हरिप्रसाद, (2008), "पंचायती राज सिस्टम एण्ड डेवलपमेंट प्लानिंग", इस पुस्तक पंचायतीराज संस्थाओं के कामकाज और दोषों के बारे में लेखक के अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। इस पुस्तक में सिक्किम राज्य में पंचायती राज की संरचना और कार्यकलाप का अध्ययन करने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के विशेष संदर्भ, शक्तियों के वितरण, विकास प्रक्रिया में लोगों के कमजोर वर्गों की भागीदारी, संसाधन संवर्द्धन, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों द्वारा विकसित स्वायत्तता की सीमा, विकास योजनाओं से लाभ की स्थिति, नौकरशाही की भूमिका का विश्लेषण किया है।

33. नायक, अशोक व द्विवेदी, हर्षित, (2012), "पंचायती राज में ग्रामीण नेतृत्व, महिलाएँ एवं राजनीतिक सहभागिता", नामक पुस्तक में पंचायतीराज व्यवस्था में ग्रामीण महिलाओं की नेतृत्व क्षमता के साथ उनकी राजनीतिक सहभागिता का विश्लेषण किया गया है, बताया गया हैं कि स्थानीय शासन में वे किस प्रकार भागीदार बन रही हैं।

34. डॉ. विवेकानन्द, प्रसाद एवं डॉ. गोपाल, (2014), "पंचायती राज व्यवस्था", नामक पुस्तक में भारत की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बहुत गहराई के साथ एक सारगर्भित शोध प्रस्तुत किया गया है।

35. पंचोली, स्मिता, (2015), "जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था" नामक पुस्तक में पंचायती राज के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन किस प्रकार से आत्मनिर्भरता व विकास के प्रतिरूप के रूप में मुखरित हो रहा है, का विश्लेषण किया गया है।

36. गुप्ता, माधव प्रसाद, (2016), "मनरेगा पंचायतीराज एवं जनजातीय विकास", नामक पुस्तक में मनरेगा योजना द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के उत्थान व प्रभाव के बारे में बताया है कि किस प्रकार यह योजना ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों में एक संजीवनी का कार्य कर रही है।

37. खंडेला, मानचंद, (2002), "महिला–सशक्तिकरण" उक्त पुस्तक में महिला मुक्ति की अवधारणा व यथार्थ से लेकर सामाजिक परिवर्तन और महिला विकास, तथा महिला हितों के संरक्षण के कानून, राजस्थान राज्य महिला आयोग व उसकी प्रगति आदि के बारे में वर्णन किया है।

38. कुमार, मनीष, (2010), "महिला सशक्तिकरण दशा और दिशा", नामक पुस्तक में महिला में पुरूषों की भूमिका का विश्लेषण करते हुए सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया है।

39. सिंह, निशांत, मीनाक्षी, (2009), "महिला सशक्तिकरण का सच", उक्त पुस्तक में लेखिका द्वारा महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया है, साथ ही महिलाओं को किस प्रकार और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है, उससे सम्बन्धित सुझाव भी दिये हैं।

40. शर्मा, कविता, (2012), "स्त्री सशक्तिकरण के आयाम", नामक पुस्तक में बताया है कि कानून और संविधान के द्वारा भले ही स्त्री को समानता का अधिकार दे दिया हो पर व्यावहारिक रूप से उसे आज भी वे अधिकार नहीं मिलते। उसकी बजाय शोषण और

अन्याय ही उन्हें मिला है और बालिका के रूप में उपेक्षा, जबकि उसकी परम्परागत छवि के स्थान पर उसे कर्मठ रूप में चित्रित किया जाना चाहिए।

41. यादव, रामजी, (2009), "भारत में ग्रामीण विकास", उक्त पुस्तक में पंचायतीराज और ग्रामीण विकास, ग्रामीण भारत और विकेन्द्रीकरण, स्वातंत्र्योत्तर भारत में ग्राम्य विकास की दिशा आदि के बारे में बताया गया है।

42. महाजन, संजीव, (2012), "भारत में ग्रामीण विकास", उक्त पुस्तक में भारतीय संदर्भ में ग्रामीण समाज के सभी पहलुओं को समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें ग्रामीण समाजशास्त्र, इसमें प्रयुक्त विधि अवधारणाओं तथा इसकी केन्द्रीय विषयवस्तु गाँव के विभिन्न पक्षों का परिचय सरल एवं स्पष्ट भाषा में दिया गया है।

43. शर्मा, ओम प्रकाश, "ग्रामीण समाज में नियोजित सामाजिक परिवर्तन", उक्त पुस्तक में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

44. वशिष्ठ, प्रो. सरिता, (2010), "महिला–सशक्तिकरण", प्रस्तुत पुस्तक में महिलाओं की स्थिति के बारे में बताते हुए महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया है। शिक्षा द्वारा उनके सशक्तिकरण, महिलाओं के मानवाधिकार, समाज में उनकी स्थिति के बारे में बताया है। शिक्षा द्वारा उनके सशक्तिकरण को किस प्रकार बल मिलेगा आदि का उल्लेख किया है।

45. शर्मा, शिव कुमार (2009), "पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास योजनाएँ", उक्त पुस्तक के अन्तर्गत ग्रामीण विकास योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार से ग्रामीण विकास हो रहा है और पंचायतीराज व्यवस्था कैसे सशक्त बन रही है। पंचायतीराज के माध्यम से ग्रामीण विकास तेजी से हुआ है। इन्हीं योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा इस पुस्तक में दिया गया है।

46. मिश्र, रोहित, (2011), "समाज कार्य एवं महिला सशक्तिकरण", प्रस्तुत पुस्तक में भारत में समाज कार्य एवं उत्पत्ति व विकास के बारे में बताया है तथा भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, उनके सामने आने वाली समस्याएँ, महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित कानून, नीतियाँ और कार्यक्रम के बारे में बताया गया है।

47. सिंह, निशांत, मीनाक्षी, (2010), "आधुनिकता और महिला उत्पीड़न", उक्त पुस्तक में महिला उत्पीड़न के ही विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है ताकि मानवता के इस शर्मनाक पहलु को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सके।

48. राउत, एन.यू., (2013), "महिला सुरक्षा एवं समाज", प्रस्तुत पुस्तक में बताया है कि आज महिलाएँ पहले की अपेक्षा अत्यधिक जागरूक हो चुकी है और अपने तमाम अधिकारों की माँग कर रही है। यही संघर्ष सशक्तिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अतः प्रस्तुत पुस्तक में महिला सुरक्षा के प्रश्नों एवं उन पहलुओं को दर्शाया है जो हमारे समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे उत्पीड़न तथा सुरक्षा हेतु जिम्मेदार हैं।

49. शेखर, डॉ. हिमांशु (कुरूक्षेत्र हिन्दी मासिक पत्रिका, 2014), "पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी" शीर्षक वाली तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित इस लेख में बताया गया है कि महिला सशक्तिकरण में पंचायत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामसभा से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। अब स्थिति यह है कि पंचायतों में भागीदारी होने के साथ ही उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। उनमें जागरूकता आई है और वे छोटे–छोटे स्वयं–सहायता समूहों के जरिए स्वरोजगार अपना रही हैं और विकास में अपना सहयोग दे रही हैं।

50. सक्सेना, अरविन्द कुमार, "बूंदी राज्य का सम्पूर्ण इतिहास", नामक पुस्तक में बूंदी के इतिहास के बारे में विस्तार से बताया गया है।

51. माथुर, दुर्गाप्रसाद, (2010), "बूंदी राज्य का सम्पूर्ण इतिहास", में बूंदी के भौगोलिक परिचय व सम्पूर्ण इतिहास का वर्णन किया गया है। विभिन्न राजाओं के कालक्रम के साथ उनके जीवन परिचय के बारे में बताया गया है, जो बूंदी जिले से संबंधित रहे हैं।

52. सिंह, मीनाक्षी, (2013), "महिला–कानून" उक्त पुस्तक में महिलाओं के उत्थान के लिए संविधान ने जिन कानूनों का निर्माण किया है, उनका उल्लेख किया है।

53. भारद्वाज, निधि, (2012), "महिला–सशक्तिकरण" में महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों का उल्लेख किया है। जैसे – पंचायतीराज, पत्रकारिता, राजनीति, कृषि, इनके साथ ही आधुनिक समाज में महिलाओं का क्या योगदान है और वह किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही है।

निष्कर्ष –

उक्त अध्ययनों से निष्कर्ष निकलता है कि पंचायती राज में ग्रामीण महिला नेतृत्व को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बढ़ावा दिया है। इससे पुरूषों की मानसिकता भी बदली है, जिससे वे महिलाओं को पंचायतीराज में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहन दे रहे

हैं, जिससे यह आशा की जा सकती है कि सभी वर्ग की महिलाएँ चाहे वे आरक्षित हो या सामान्य वर्ग की हो राजनीतिक कौशल प्राप्ति के साथ नियम एवं विभिन्न प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से जानकर स्वयं के निर्णयों व सोच के अनुसार कार्य कर सकेंगी। महिला नेतृत्व शक्ति के उभरने से सद्भाव व पारस्परिक सहयोग पर आधारित बेहतर ग्रामीण परिवेश का निर्माण होगा। लिंग समानता व सामाजिक व राजनीतिक न्याय की स्थापना होगी। इससे भविष्य में पंचायती राज में महिला नेतृत्व और अधिक उभर कर सामने आयेगा, जो पहले से ज्यादा दक्ष व आत्मविश्वासी सजग व कुशल होगा। सारांशतः विभिन्न प्रकार के अनुसंधान (साहित्य) ग्रंथों का अध्ययन कर वर्तमान समस्या से सम्बन्धित करने का प्रयास किया है। साहित्य के सर्वेक्षण तथा पूर्व साहित्य की जानकारी से मुझे समस्या के चुनाव से लेकर प्रतिवेदन लिखने तक सहायता मिली है। इस प्रकार शोध सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन मेरे लिए अत्यन्त लाभदायक, सहायक, आवश्यक, महत्वपूर्ण एवं मार्गदर्शक रहा है।

शोध उद्देश्यः—

एक सफल सामाजिक शोध की सफलता एवं अच्छे परिणामों के लिए उद्देश्य का होना आवश्यक हैं क्योंकि कोई भी कार्य किसी न किसी उद्देश्य से ही किया जाता है। उद्देश्य ही किसी भी कार्य को उचित दिशा, दशा व शक्ति प्रदान करता हैं तथा उद्देश्यहीन कार्य उचित दिशा एवं दशा के अभाव में पूर्ण नहीं हो पाता है। किसी भी प्रकार के उद्देश्य निर्धारण के बाद कार्य सम्यक, सुगम, सरल एवं सारगर्भित व सुविधापूर्ण तरीके से सम्पन्न किया जा सकता है। बिना उद्देश्य का कार्य स्वयं और समाज दोनों के लिए कोई अर्थ नहीं रखता है। चाहे सामाजिक क्षेत्र का अध्ययन हो या राजनीतिक क्षेत्र का चाहे मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक क्षेत्र का सभी अध्ययनों में कार्य करने से पूर्व उसके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शोधकर्त्ता ने प्रस्तुत अध्ययन "पंचायतीराज संस्थाएँ और महिला सशक्तिकरण" (बूंदी जिले की गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन 2005—2015) के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये है।

1. पंचायतीराज संस्थाओं में आरक्षित व अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिला प्रतिनिधियों की कार्यशैली का तुलनात्मक अध्ययन शोध का प्रमुख उद्देश्य है।
2. पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का विवेचन एजेंसियों जैसे ग्रामीण विकास अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत विकास अधिकारी, ब्लॉक विकास अधिकारी कार्यालयों से सम्बंध जानना।

3. अध्ययन क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित करना तथा उठाये जाने वाले कदमों के बारे में सुझाव और अनुशंसायें करना।

4. इस अध्ययन द्वारा यह पता लगाने की कोशिश की गई हैं कि महिला आरक्षण के बावजूद ग्रामीण महिलाओं की पंचायतों में सशक्तिकरण सुनिश्चित हुआ या नहीं।

5. महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के वास्तविक स्तर का मूल्यांकन करना।

6. महिलाओं की राजनीति में भागीदारी व ंपंचायतीराज संस्थाओं में लिखे जाने वाले निर्णयों में आने वाली कठिनाईयों का अध्ययन करना।

7. महिला प्रतिनिधियों के ज्ञानात्मक पक्ष, जागरूकता तथा विचारधाराओं, अभिवृतियों व रूचियों को जानना।

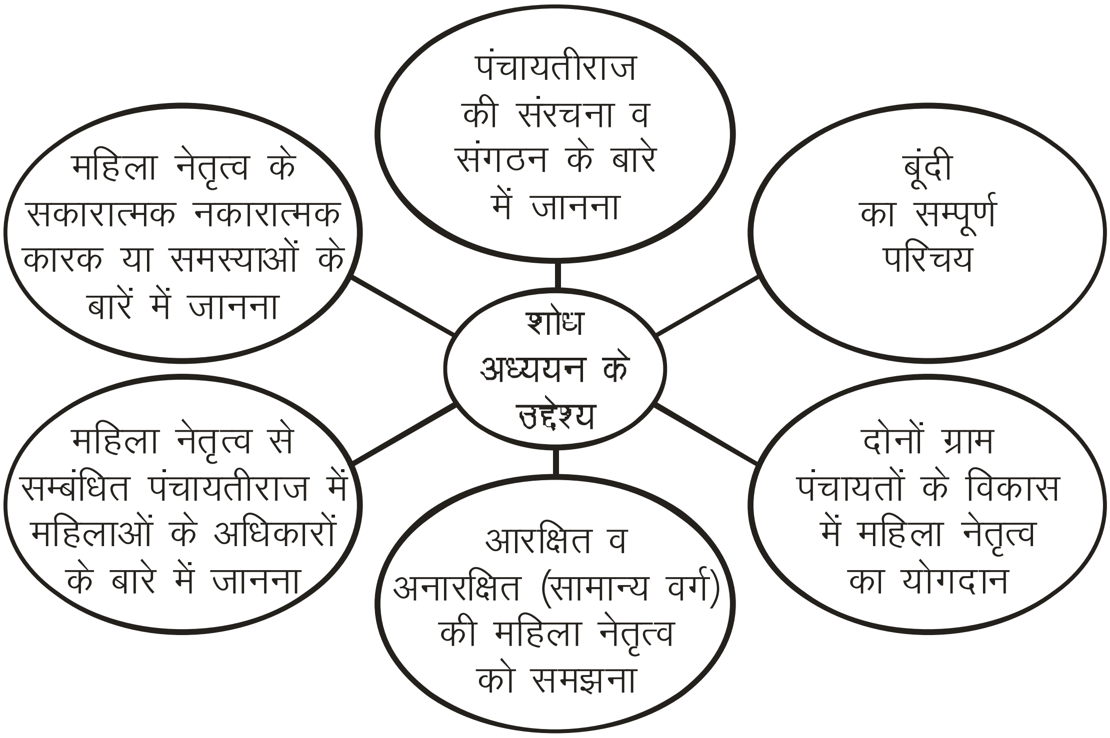

चित्र 1.1 : शोध अध्ययन के उद्देश्य

शोध–पद्धति :–

सामाजिक शोध की जटिल प्रक्रिया में शोध के उद्देश्यों की प्राप्ति तथा शोध को सहीं दिशा देने हेतु एक व्यवस्थित अध्ययन पद्धति को चुना जाता है। सामाजिक अनुसंधान तथा सामाजिक सर्वेक्षण की पद्धति वैज्ञानिक हैं अतः इनका अध्ययन भी वैज्ञानिक तौर पर किया जाता है। सामाजिक तथ्यों की खोज के लिए प्राचीन साहित्य की भी सहायता ली जाती है। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति द्वारा भी किया जा सकता है तथा

तुलनात्मक विश्लेषण द्वारा भी किया जा सकता है। जटिल और अर्मूत मानव सम्बन्धों का ज्ञान उनके गुणात्मक विवेचन से भी सम्भव हैं और गणनात्मक, सांख्यिकीय प्रयोग से भी। किस समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी प्रणाली का प्रयोग उचित होगा इसके लिए पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता हैं तथा नई–नई प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। सर्वेक्षण में अध्ययन प्रणालियों का प्रयोग सदैव उनकी समस्या को ध्यान में रखकर किया जाता है। अतः उक्त पद्वतियाँ शोध में काम आती है।[17]

आज के समय में अगर राजनीति विज्ञान विषय की अगर बात करें तो यह अत्याधिक जटिल, विस्तृत और प्रभावमय हो गया है। राजनीति क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की घटनाओं, तथ्यों, कारकों को समझने एंव तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न शोध–पद्धतियों या शोध–प्रविधि पर ही शोध प्ररचना, सामग्री संकलन की प्रविधियाँ निर्भर करती है।

डॉ आर.एन. सक्सेना ने कहा है, "सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन के अध्ययन करने में, विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालने की एक पद्धति हैं जिससे कि किसी सिद्धान्त के निर्माण अथवा कला के अभ्यास में योगदान देने हेतु ज्ञान का विकास, सुधार अथवा परीक्षण किया जाता है।"

शोध प्रक्रिया के समय–समस्या का विश्लेषण, परिकल्पना का निर्माण, अवलोकन, आधार सामग्री का संकलन वर्गीकरण, विश्लेषण, सामान्यीकरण और निष्कर्ष आदि की चरणबद्ध विवेचना की जाती है।

राजनीति विज्ञान से जो शोध सम्बन्धित हैं उसमें शोध से सम्बन्धित विषय के रूप में किसी न किसी समस्या, घटना, व्यक्ति व समूह की गति–विधियों का चुनाव किया जाता है।

शोध व्यूह रचना का शोध–अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान हैं और इसमें प्रकार एवं स्रोत की दृष्टि से प्राप्त तथ्यात्मक सामग्री को दो भागों में बाँटा गया है। प्राथमिक तथ्य सामग्री तथा द्वितीयक तथ्य सामग्री।

प्राथमिक तथ्य सामग्री हेतु शोधकर्ता स्वयं शोध के क्षेत्र में जाकर उससे सम्बन्धित व्यक्तियों से साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन और अनुसूची के द्वारा तथ्य एकत्रित करने के लिए व्यक्तिगत प्रलेखों व सार्वजनिक प्रलेखों का उपयोग करता है।

---

17 माथुर, जी.पी., रिसर्च मेथेडोलाजी, युनिक ट्रेडर्स, 2014, पृ.स.119

प्रस्तुत शोध ”पंचायतीराज संस्थाएँ और महिला – सशक्तिकरण (गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन 2005–2015) में बूंदी जिले की उक्त दोनों ग्राम पंचायतों में आरक्षित व अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिलाओं की नेतृत्व क्षमता व उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजनीतिक पृष्टभूमि निर्वाचन, प्रशिक्षण, मनोबल एवं कार्यसंतुष्टि हेतु सर्वेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है तथा ऐतिहासिक विवरण दिया गया है।

इसके अलावा प्रस्तुत शोध में दोनों ग्राम पंचायत संस्थाओं में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के सामान्य आंकलन के लिए विभिन्न प्रतिवेदनों तथा अन्य स्रोतों से उपलब्ध तथ्यों के विश्लेषण को आधार बनाया गया है। स्थानीय ग्रामीण संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के पश्चात् उनकी सहभागिता के विभिन्न संदर्भों में आने वाले परिवर्तनों तथा राजनीतिक प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों में सहभागिता के आंकलन के लिए तुलनात्मक पद्धति को अपनाया गया है? प्रस्तुत शोध में गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों की क्रमश 100 आरक्षित व 100 अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिला प्रतिनिधियों को अध्ययन में शमिल किया है। अतः कुल 400 महिलाओं से साक्षात्कार किया गया है।

द्वितीयक समंकों को एकत्रित करने के लिए व्यक्तिगत प्रलेख, सांख्यिकी, पत्र–पत्रिकाओं की रिपोर्ट, सहित्यिक प्रतिवेदन, चुनाव सामग्री, पंचायती राज से सम्बन्धित पुस्तकें, केन्द्र व राज्य सरकार की रिपोर्ट, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, ग्राम पंचायत दस्तावेज, बूंदी के इतिहास से सम्बंधित पुस्तकें व प्रशासनिक दस्तावेजों का प्रयोग किया गया है।

शोध का महत्व –

प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित महत्व दृष्टिगत हैं –

(1) राजनीति में महिलाओं की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होगा जिससे उनकी भूमिका एवं क्रियाशीलता के प्रभावी आयाम सामने आ सके।

(2) 73वें व 74वें संविधान संशोधनों के प्रभावों की सउद्देश्यीय जानकारी प्राप्त हो पायेगी।

(3) दोनों पंचायत समितियों (गेण्डोली खुर्द व फौलाई) की महिला प्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली का सूक्ष्म अध्ययन करने से उनकी भूमिका का पूर्ण मूल्यांकन किया जा सकेगा।

(4) लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा का अर्थ, महत्त्व, आवश्यकता, वर्तमान स्वरूप एवं संरचना के सैद्धान्तिक पक्ष को समझना।

(5) पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक सहभागिता, जागरूकता एवं सक्रियता को समझना, विशेषतः महिलाओं की पंचायतीराज में भूमिका का विवेचनात्मक, गंवेषणात्मक, अनुभवमूलक अध्ययन करना।

(6) महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना जिससे मुख्यतः उम्र, परिवार की सहभागिता, शिक्षा, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति, धर्म आदि सम्मिलित है।

(7) पंचायतीराज संस्थाओं में महिला नेतृत्व के दृष्टिकोण का पता लगाना जिसमें पंचायतराज संस्थाओं के बारे में जानकारी पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया, अधिकार एवं कर्त्तव्यों की जानकारी आदि का उल्लेख करना है।

(8) आरक्षित व अनारक्षित (सामान्य) वर्ग की महिलाओं की भूमिका एवं जवाबदारी के संदर्भ में विभिन्न सामाजिक मूल्यों एवं ग्रामीण विकास के प्रति सोच को विश्लेषित करना।

(9) पंचायतीराज स्तर पर महिलाओं की स्थिति का आकलन करते हुए नियमित पंचायत चुनावों से पूर्व एवं उसके पश्चात् आए परिणामों से उनमें सामाजिक, मानसिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन को विश्लेषित किया गया।

(10) पंचायतीराज संस्थाओं में आरक्षित व अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिलाओं की सशक्त भागीदारी एवं उसके सशक्तिकरण हेतु सुझाव।

(11) महिलाओं के राजनीति में प्रवेश की प्रमुख समस्याओं के सामने आने से महिला विकास की स्थिति का पता चलेगा और उनमें सुधार के लिए यह अध्ययन आधार बनेगा।

(12) राजनैतिक दलों के लिए भी यह अध्ययन सुधार की दृष्टि से एक अच्छा संकेतक बनेगा।

(13) ये शोध आम महिलाओं के लिए व राजनीति में निर्वाचित महिलाओं की भागीदारी, उन्हें आगे लाने तथा प्रोत्साहित करने का काम करेगा।

(14) प्रस्तुत अध्ययन से महिला सशक्तिकरण तथा राजनीति में महिलाओं की भूमिका का आकलन संभव हो सकेगा तथा उसमें निहित प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए सुधारों के विकल्प प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

अध्ययन का विषय स्थानीय निकायों में आरक्षित व अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिला सरपंचों की राजनीतिक सशक्तिकरण की स्थिति को जानना है, महिला सरपंचों की समस्याओं, उनके काम करने के तरीकों, जनता के साथ जुड़ने तथा आम महिलाओं के लिए किए गए कार्यों को जानना इस अध्ययन का विषय है।

महिलाओं के राजनीति में आने से राजनीति क्षेत्र में उनकी स्थिति में कितना परिवर्तन आया है? यह जानना इसका प्रथम कारण है।

दूसरा आरक्षित व अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की चुनी गई प्रतिनिधियों में से कौन अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही है और जो नहीं निभा पा रही है उनके पीछे क्या कारण है, क्या सुधार किये जाने चाहिए इसका भी पूर्ण विवरण देना रहा है।

तीसरा कारण यह है कि महिला राजनेताओं की वास्तविक समस्याओं को आम–जन के सामने लाने का है कि क्या राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं को शोषण, लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या नहीं।

अध्ययन का महत्व यह है कि समाज में आरक्षित व अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण की स्थिति स्पष्ट होगी। महिलाओं के विकास हेतु दिये जाने वाले प्रयास चाहे वे व्यक्तिगत स्तर पर हो या संस्थागत स्तर पर अधिक प्रभावी होंगे।

अतः स्पष्ट है कि प्रथम अध्याय के अन्तर्गत शोध की रूपरेखा के अन्तर्गत प्राचीनकाल से वर्तमान तक महिलाओं की स्थिति के बारे में बताना है तथा बूंदी जिले की गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों के संदर्भ में अनुभविक अध्ययन के आधार पर महिला सहभागिता के वास्तविक स्तर और स्वरूप के वास्तविक आंकलन को जानने का प्रयास किया है। शोध के सामान्य परिचय के साथ शोध के क्या उद्देश्य रहे हैं, उनका विस्तृत विवरण दिया है। साहित्यावलोकन के अन्तर्गत विभिन्न साहित्यों की समीक्षा की गई है तथा तुलनात्मक व सर्वेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है। अन्त में शोध के महत्व के बारे में बताया गया है।

द्वितीय अध्याय

बूंदी जिले का ऐतिहासिक, राजनैतिक
और प्रशासनिक परिचय

द्वितीय अध्याय

इस अध्याय के अन्तर्गत बूंदी जिले के ऐतिहासिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिचय के साथ ही केशवरायपाटन के गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों का भी ऐतिहासिक, राजनीतिक व प्रशासनिक विवरण दिया जा रहा हैं। क्योंकि शोध का मुख्य केन्द्र गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतें ही हैं, अतः बूंदी के संक्षिप्त परिचय के साथ ही इनका परिचय भी अत्यंत आवश्यक है।

बूंदी जिले का ऐतिहासिक परिचयः–

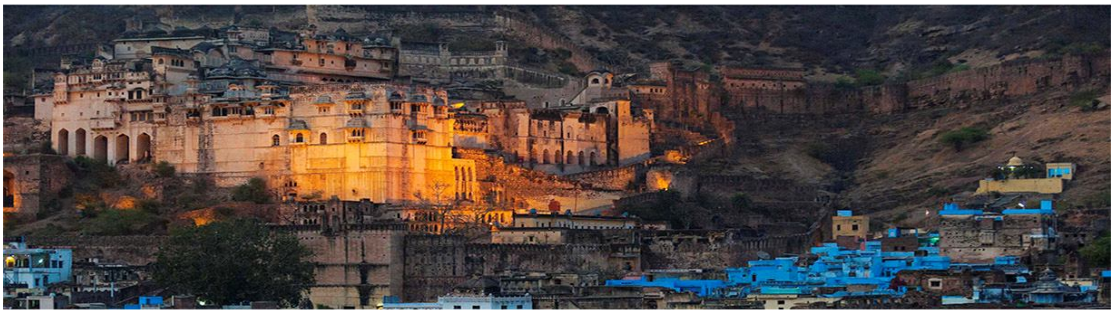

चित्र 2.1 : बूंदी जिले का विहंगम दृश्य

बूंदी के शिलालेखों को समझने के लिए बूंदी के इतिहास को जानना परम आवश्यक है। अतः इसकी ऐतिहासिक गौरवपूर्ण पृष्ठभूमि का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। अरावली की पहाड़ियों से घिरी बूंदी एक अतीत का साक्षी है। चौदहवी शताब्दी से लेकर बीसवीं शताब्दी तक बून्दी हाड़ाओं का मुख्य केन्द्र बना रहा था। 'यहाँ जैता मीणा के अधीन 300 घरों की बस्ती थी'।[18]

जैता मीणा के समय बने बून्दा मीणा के प्राचीन महलों से ज्ञात होता हैं कि उस समय बून्दा नाल को छोड़ कर बस्ती आधुनिक चौगान गेट से बाहर बसी हुई थी। शेष भाग में यहां भयानक जंगल और पानी ही पानी था। बून्दा मीणा के महल आधुनिक नगर पालिका परिसर में स्थित सराय में आज भी निर्मित है। जानकार सूत्रों का मानना हैं कि आधुनिक बूंदी का बालचन्दपाड़ा से लेकर बाहरली बूंदी तक का समस्त निर्माण मात्र हाड़ा शासकों की देन है। जिन्होंने रावला, गढ़ एवं किले जैसे राजमहलों का जो इतिहास प्रसिद्ध है आदि का निर्माण करवा कर बून्दी के विकास में अपना अद्भूत योगदान दिया है और इस योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उस समय उन्हीं के सहयोग ये यहाँ के भयंकर जंगल को कटवाया गया और गहरे नाले में सदैव बह रहे जल प्रवाह को ऊपर रोक कर उसे मिट्टी से भरा गया

---

18 राजस्थान जिला गजेटियर, बूंदी प्रकाशन वर्ष 1999 पृ.सं. 33

तथा समस्त ऊबड़–खाबड़ मैदानों को समतल करवा कर यहाँ बस्ती बसाने संबंधी सहुलतें प्रदान की गई और जैसे–जैसे बस्ती बसती गई परकोटे भी निर्मित किये गये।[19] इस प्रकार बूंदी के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई।

नीचे बूंदी के शासकों का संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण दिया जा रहा हैं जिससे बूंदी के इतिहास की पूर्ण जानकारी मिल सके वह इस प्रकार है–

बूंदी के इतिहास को समझने के लिए इसे तीन भागों में बांटा गया हैं–

1. प्रारम्भिक काल, 2. मध्यकाल, 3.आधुनिक काल

1. प्रारम्भिक कालः–

मध्य बूंदी पहाड़ी श्रृंखला तथा चंबल व दूसरी सहायक नदियों के तटों पर प्रागेतिहासिक मानव के चिन्ह प्राप्त हुए है। ऐसा प्रतीत होता हैं कि चौथे अन्तर हिम–युग में बूंदी और चितौड़गढ़ के बीच की पहाड़ियों, चंबल व दूसरी सहायक नदियों के किनारे मानव का लगातार निवास रहा था।[20]

बूंदी से 16 कि.मी. दूर नमाना ग्राम के टीलों से महत्वपूर्ण ताम्र उपकरण बूंदी निवासी श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा खोजे गये थे जो आज पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में सुरक्षित है।[21]

बूंदी में 7000 वर्ष पुराने पाषाण उपकरण मिले, बूंदी निवासी ओमप्रकाश शर्मा ने कुछ मृद्–पात्र के टुकड़े एकत्रित किये हैं।

बूंदी क्षेत्र में मौर्यकाल और उसके बाद की सामग्री अभी तक उपलब्ध नहीं हुई हैं लेकिन पास ही टोंक जिले में मालवों के केन्द्र नगर (कारकोट नगर) की विद्यमानता से यह अनुमान किया जाना परमसंगत हैं कि बूंदी क्षेत्र में भी ईसा की तीसरी शती में मालवों का अधिपत्य रहा होगा।[22]

बूंदी क्षेत्र में पूर्व मध्ययुगीन (7वीं से 9वीं शती तक की) सामग्री का अभाव खटकता हैं परन्तु मध्यकाल में यहाँ तत्कालीन कला विकसित रही होगी जो साक्ष्य रूप में कतिपय प्रस्तर प्रतिमाओं के रूप में मिली है। समीपवर्ती मेनाल–बिजौलिया के चाहमान कालीन मंदिर

---

19 माथुर, दुर्गाप्रसाद, "बून्दी का शासकीय, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विकास", चित्रगुप्त प्रकाशन, बून्दी पृ.सं.–2

20 मजूमदार, आ.सी., "द वैदिक एज बम्बई" पृ.सं. 27

21 राजस्थान पत्रिका 5 अप्रैल 1996 पृ.सं. 7

22 एपिग्राफिया इन्डिका पार्ट 9, परमार, बृजमोहन सिंह, "कायनेज ऑफ राजस्थान" शोधक जिल्द–20 भाग बी, 1991 पृ.सं. 81–94

मध्यकालीन भारतीय शिल्प एवं स्थापत्य के भव्य–अवशेष है। बूंदी के नमाना स्थल से भी 1974 में चाहमान शासकों के सिक्के मिले थे जो आज राजकीय संग्रहालय कोटा में सुरक्षित हैं वे पंजिका संख्या 2027–2062 पर अंकित है।

केशवरायपाटन से गुप्तकालीन मृण्मय फलक मिला था जो आर. डी. खन्ना, आई. ए. एस. के निजी संरक्षण में था जिसकों आर. सी. अग्रवाल ने प्रकाशित किया है। यह फलक चितौड़ के पास नगरी की मूर्तियों से पूर्णतया मेल खाता हैं जो पूना के दकन कॉलेज में सुरक्षित है। केशोरायपाटन में ही गुप्तकाल की मृण्मूर्ति पर शिव का अंकन किया गया था जिसकों अग्रवाल ने अपने उपरोक्त लेख में ही चित्र 3 पर प्रकाशित किया है।[23]

2. मध्यकालः–

समकालीन मीणा– मीणों के उद्भाव के बारे में विश्वास किया जाता हैं कि प्रांरभिक ऐतिहासिक युग में उनका निवास स्थान कालीखोह था जो आमेर से यमुना तक फैला हुआ था।[24]

किंवदन्तियों के अनुसार वहाँ पर मीणा जनपदों का एक संघ था जिसे आमेर के कच्छवाह कुल के संस्थापक दूल्हा राय ने नष्ट कर दिया था। ढूँढाड़ के मीणों की विशुद्ध प्रजाति 'पचवारियाँ' कहलाती थी जो पांच बड़ी जनजातियों में बंटी हुई थी। कर्नल टॉड के अनुसार उसके समय में उनकी केवल एक असल जनजाति बची हुई थी जो 'उसारा' कहलाती थी। मीणों की बारह जनजातियाँ राजपूतों से निकली हुई होने के कारण मिश्रित थी। वे चौहान कच्छावा मीणा आदि कहलाते थे। ये जनजातियाँ और आगे 32 कुलों में विभाजित थी।

बारहवीं शताब्दी के मध्य में राजपूतों ने मीणों के प्रदेश में तेजी से जबरन घुसना शुरू कर दिया था। 1143 ई. के आसपास अधिकांश कस्बों को छोड़कर अन्यत्र बस गये थे। 13 वीं शताब्दी के मध्य मे ंचौहानों के हाड़ा वंश के राव देवा ने इनकों हराकर इनकी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया और इस क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया।

अभी तक बूंदी के इतिहास का एक ही स्रोत 'वंश–भास्कर' हैं जो प्रसिद्ध डिंगल कवि सूर्यमल्ल मिश्रण ने संवत् 1897 (1840) ई. में लिखा था थोड़ा बहुत परन्तु विश्वसनीय विवरण नैणसी की ख्यात में भी उपलब्ध है। नैणसी को जोधपुर के महाराजा जयवंतसिंह ने संवत् 1771 (1654 ई.) में अपना विश्वस्त मंत्री नियुक्ति किया था और जिसने 1670 ई. में आत्महत्या कर

---

23 राजस्थान जिला गजेटियर– बूंदी 1999 पृ.सं. 28

24 टॉड, कर्नल जेम्स, "एनल्स एण्ड एक्टीक्यूटीज ऑफ राजस्थान" जिल्द 3 पृ.सं. 1330–33

ली थी। उसकी ख्यात में ही बूंदी का सबसे पुराना विवरण मिलता है। कर्नल टॉड ने राजस्थान संबंधी अपनी पुस्तक (1829–1832) के बीच लिखी थी। 1739 ई. के बाद का उसका बूंदी का विवरण, विशेषकर उम्मेद सिंह, अजीतसिंह व बिशनसिंह के शासनकाल का विश्वसनीय हो सकता है जो इस प्रकार है–

हाड़ा अधिपत्यः– बारहवीं शताब्दी के मध्य के लगभग अल्हण नाडोल की गद्दी पर बैठा जबकि उसके छोटे भाई माणिक राव ने दक्षिण पूर्व में जाकर वहाँ अपना राज्य कायम किया और बम्बावदा को अपनी राजधानी बनाया। माणिक राव की छठी पीढ़ी मे ंहरराज हुआ जिसका भाटों ने हाड़ा के नाम से उल्लेख किया है।

देवसिंहः– देवीसिंह ने बूंदा घाटी के मध्य में हाड़ों की राजधानी बूंदी को बसाया। वह काफी योग्य था। उसने खटपुर, पाटन, गेण्डोली और करवर को भी जीत लिया। इसके बाद उसने अपने पुत्र समरसिंह के पक्ष में गद्दी छोड़ दी। टाड़ का मानना हैं कि उसने मीणों का जो संहार किया था उसके पश्चाताप में गद्दी छोड़ी थी।

नाथू जी (नाथाजी)ः– इसके बाद नाथूजी गद्दी पर बैठा जिसने पलायथा को महेशदास खींची से और टोडा को सोलंकी राजा से जीतकर अपने राज्य में मिलाया था, नारायणदास राव सुबन्धदेव के पुत्र नारायणदास ने बूंदी को फिर जीतकर उस पर अपना शासन कायम किया। उसके साहस व वीरता के अनेक किस्से प्रचलित है।

सूरजमलः– नारायणदास के बाद सूरजमल गद्दी पर बैठा। अपने पिता की तरह सूरजमल भी बहादुर था। उसकी बहन सूजाबाई का विवाह राणा रतन से हुआ था। राणा की बहन का विवाह बूंदी के राव से होने के कारण संबंध और भी घनिष्ट हो गये थे।

सुरतानः– राव सूरजमल के बाद उसका पुत्र सुरतान 1531 ई. में बूंदी के सिंहासन पर बैठा।

सुरजनः– राव सुरजन के साथ बूंदी के एक नये युग की शुरूआत होती हैं इससे पहले बूंदी, मेवाड़ पर आश्रित उसके अधीन एक राज्य था अब वह दिल्ली के बादशाह की छत्रछाया में आ गया था।

दूदाः– राव सुरजन ने रणथम्भौर का किला अकबर को समर्पित कर दिया तो राव अपने बड़े बेटे दूदा को बूंदी का प्रशासन सौंप कर मुगल सेवा में चला गया।

राज भोजः– राव भोज ने अपने भाई दूदा के साथ गुजरात अभियान में भाग लिया था और कहा जाता हैं कि उसी ने शत्रु सेना के मुखिया को मारा था जब उससे इस कार्य के लिए

इनाम मांगने के लिए कहा गया तो उसने कहा कि उसे हर वर्ष बरसात के मौसम में बूंदी जाने की अनुमति दी जाये।

रावरतनः– राव भोज के पुत्र रावरतन के समय में हाड़ौती का विभाजन हुआ।

राव छत्रसालः– अपनी बहादुरी व वचनबद्धता के लिए छत्रसाल हाड़ौती के इतिहास में अविस्मरणीय है।

भावसिंहः– राव छत्रसाल के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र राव भाव गद्दी पर आसीन हुआ। मुगलों के सत्ता संघर्ष के युद्धों में वह किसी प्रकार बच गया था। बहादुरी व उदारता के लिए वह अपना नाम छोड़ गया।

बुद्धसिंहः– बुद्धसिंह के शासन संभालने के बाद बूंदी के इतिहास संबंधी सामग्री की कोई कमी नहीं हैं क्योंकि अंग्रेजों से संधि करने वाली रियासतों के अभिलेखागारों में प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है।

उम्मेदसिंहः– बुद्धसिंह हतोत्साहित होकर रहा और इसी हालत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके बाद उसके पुत्र उम्मेदसिंह ने इस लड़ाई को जारी रखने का बीड़ा उठाया। इसके बाद ईश्वरीसिंह का शासनकाल आया। अजीतसिंह के समय मेवाड़ द्वारा में एक किले के निर्माण को लेकर मेवाड़ व बूंदी में मनमुटाव हो गया। इसकी मृत्यु 1773 में हुई थी।

बिशनसिंह (विष्णुसिंह)ः– बिशनसिंह जब बूंदी की गद्दी पर बैठा तब मात्र 2 वर्ष का था। 1794 बाद जब कोटा के दीवान जालिमसिंह और बिशनसिंह के संबंधों में तनाव पैदा होने लगा तो जालिमसिंह का बूंदी को मराठों व पिण्डारियों से बचाये रखने में कोई सरोकार नहीं रहा।

3. आधुनिक कालः–

सन् 1821 में महाराव बिशनसिंह की मृत्यु होने पर उसका पुत्र रामसिंह शासन पर बैठा जो उस समय केवल 11 वर्ष का ही था। उस समय तक पिण्डारियों व मराठों के आतंक को समाप्त कर दिया गया था जिसके फलस्वरूप बूंदी का इतिहास में उतार–चढ़ाव के समय का अंत हुआ और शांतिपूर्ण स्थिति कायम हुई। इसके बाद बूंदी की अखण्डता की जिम्मेदारी अंग्रेजों पर आ गई।

रामसिंहः– राव बिशनसिंह ने मरते समय कर्नल टॉड को नाबालिग रामसिंह का अभिभावक नियुक्त कर दिया था तथा उसे अपने पुत्र तथा बूंदी के हितों का ध्यान रखने का कार्य सौंपा

गया था। टॉड ने 3 अगस्त 1821 को रामसिंह को गद्दी पर बैठाया। रामसिंह लगभग 68 वर्ष राज्य करने के बाद 1889 में स्वर्गवासी हो गया था

रघुवीर सिंहः— महाराव राजा रघुवरसिंह 12 अप्रैल 1889 को गद्दी पर बैठा और उसकों 9 जनवरी 1890 को पूर्ण शासनधिकार प्राप्त हुए। सन् 1914—1918 के प्रथम विश्वयुद्ध और 1919 के अफगान अभियान में उसने अपनी स्वयं की सेवाएँ अपने समस्त संसाधन ब्रिटिश सरकार के उपयोग के लिए सौपं दिये। उसे महाराव की उपाधि दी गई 26 जुलाई 1927 को उसकी मृत्यु हो गई। उसने 37 वर्ष तक शासन किया और उसके मरने पर उसका भतीजा महाराव ईश्वरीसिंह 8 अगस्त 1927 को गद्दी पर बैठा।

ईश्वर सिंहः— महाराव राव ईवरीसिंह (1927—1945) को 26 सिंतम्बर 1927 को पूर्ण शासनाधिकार मिले। उसका प्रधानमंत्री ए. वी. रोबर्टसन था जो एक योग्य प्रशासक था जिसके समय में बूंदी की कई आलीशान इमारतों का निर्माण हुआ तथा सड़के बनाई गईं। उसने लगभग दस वर्ष राज्य की सेवा की।

बहादुरसिंहः— महाराव राजा ईश्वरीसिंह की मृत्यु 1945 में हुई इसकी जगह कापरेन के परिवार से सन् 1933 में गोद लिए महाराव राजा बहादुरसिंह को उत्तराधिकारी बनाया गया जो बूंदी के पूर्व शासक बुद्धसिंह (1695—1739) की वंशावली से सीधा संबंध रखता था। उसका जन्म 17 मार्च 1921 को हुआ था। वह 23 अप्रैल 1945 को गद्दी पर बैठा।

स्वाधीनता के बाद का कालः—

अगस्त 1947 में विदेशी शासकों के सत्ता छोड़कर भारत से चले जाने के बाद महाराव राजा बहादुरसिंह ने अपनी रियासत को भारतीय प्रभुत्व के अन्तर्गत होने की सहमति दे दी। मार्च 1948 में बांसवाड़ा, कुशलगढ़ सहित डूँगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, झालावाड़ और टोंक को मिलाकर संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ तो बूंदी भी इसमें शामिल हो गया। सन् 1948 में एक और संधि में शामिल हुआ। यह पुनर्गठन उदयपुर रियासत के शामिल होने से किया गया था। और इसका उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को किया गया। 1948 में इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, और जैसलमेर भी शामिल हो गये। अब इसका नाम संयुक्त प्रमुख बनाया गया और जयपुर शासक को राज प्रमुख के बाद में मत्स्य संघ के अन्तर्गत अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को भी 10 मई 1949 को शामिल करके 15 मई 1949 को नये राजस्थान राज्य का गठन किया गया। इसके बाद विभागों, जिलों, उपखण्डों तहसीलों आदि

के सीमांकन का कार्य पूरा किया गया तो बूंदी को राजस्थान के 25 जिलों में से एक जिला घोषित किया गया।[25]

संक्षेप में बूंदी के उत्तराधिकारियों के कार्यकाल का विवरण– 1343 से 1945 निम्न प्रकार से हैं–

सारणी 2.1 : बूंदी के उत्तराधिकारियों के कार्यकाल का विवरण

बूंदी के प्रमुख राजवंश	काल–अवधि
जैता मीणा	–
राव देवा	1343 से 1342
राव नाथूजी	
राव हेमूजी	1384–1400
राव बरसिंह	1400–1415
राव बीरों	1415 से 1470
राव बाँदों	1470 से 1491
राव नारायणदास	1491 से 1527
राव सूरजमल	1527 से 1531
राव सूरतान सिंह	1531 से 1544
राव राजा सुर्जनसिंह	1544 से 1585
राव राजा भोज सिंह	1585 से 1608
राव राजा रतन सिंह	1608 से 1632
राव राजा छत्रपाल सिंह	1632 से 1658
राव राजा भाव सिंह	1658 से 1682
राव राजा अनिरूद्ध सिंह	1682 से 1696
राव राजा बुद्ध सिंह	1696 से 1735
राव राजा दलेल सिंह	–
राव राजा उम्मेद सिंह	1749 से 1770
राव राजा अजित सिंह	1770 से 1773
राव राजा बिशन सिंह	1804 से 1821
महाराव राजा सिंह साहिब बहादुर	1821 से 1889
महाराव राजा श्री रघुवीर सिंह साहिब बहादुर	1869 से 1927
महाराव राजा श्री सर ईश्वरसिंह बहादुर	1927 से 1945

हाड़ौती में पर्यटन की दृष्टि से भी बूंदी का नाम विशेष रूप से लिया जाता हैं। क्योंकि यहाँ देखने योग्य कई अच्छे पर्यटन स्थल है। मध्ययुगीन किले, मंदिर, हवेलियाँ और भव्य महल शामिल है। शांत वातावरण और अद्भूत परिदृश्य के कारण सैलानियों को बूंदी की यात्रा बहुत पंसद आती है। बूंदी एक बड़े पहाड़ की तलहटी में बसा है, जिसके मध्य में खूबसूरत झील है

25 राजस्थान जिला गजेटियर, निर्देशालय जनशक्ति एवं जिला गजेटियर्स राजस्थान, 1999 जयपुर पृ.सं. 28–41

1. तारागढ़ किलाः–

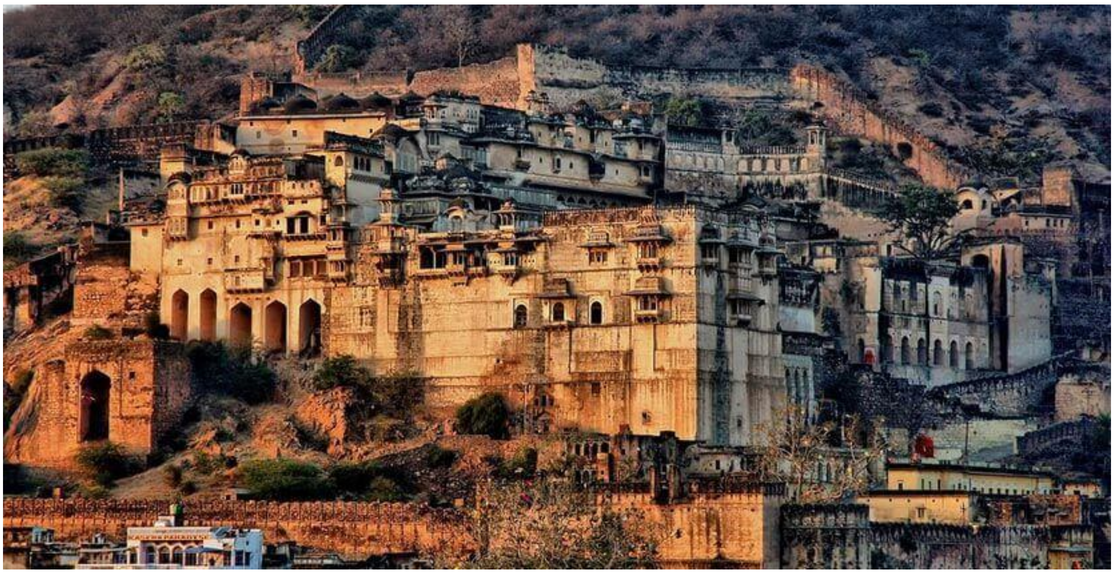

चित्र 2.2 : तारागढ़ किला

बूंदी के मुख्य आकर्षण सबसे प्रभावशाली तारागढ़ किला है। इस किले का निर्माण 14 वीं सदी में हुआ था। यहाँ पर सैलानी किले के अंदर भीम बुर्ज नाम की एक बड़ी प्राचीर भी देख सकते है। यहाँ एक बड़ा जलाशय भी देखा जा सकता है। इस जलाशय का निर्माण चट्टान के एक ही टुकड़े से हुआ है।

तारागढ़ किले के पास स्थित बूंदी महल भी आकर्षण की एक और जगह है। भारतीय शाही यूग को दर्शाते बहुत सूंदर कुछ भित्ति चित्र भी देखे जा सकते है।

बूंदी बड़ी संख्या में मौजुद अपने सीढ़ीदार कुओं यानि बावड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। आज तक जो बावड़ियां सहेज कर रखी गई है। वो नगर सागर कुंड, रानी जी की बावड़ी और नवल सागर है। एक प्रमुख आकर्षण भगवान वरूण का नवल सागर झील में आधा डूबा हुआ मंदिर है। जो सैलानी यह मंदिर देखना चाहते है। उन्हे नाव से जाना जरूरी है।

2. बिजौलियाः–

बूंदी से बिजौलिया का भ्रमण प्राचीन बिजौलिया किले और उसके अंदर बसे शहर से यादगार बन जाता है। बिजौलिया बूंदी से 50 कि.मी. दूर है। यह बूंदी से सड़क और रेल के जरिए जुड़ा है। खुद के वाहन से यात्रा कर रहे सैलानियों को बूंदी–चितौड़गढ़ सड़क से यात्रा करनी होती है।

3. ब्रज–भूषण की हवेलीः–

चित्र 2.3 : ब्रज–भूषण की हवेली

ब्रज–भूषण की हवेली राजस्थान के बूंदी में एक सुंदर होटल है। इस होटल में कई आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जिसमें रेस्त्रां से लेकर पिकअप सुविधा तक शामिल है। यह लोकप्रिय होटल बूंदी शहर के मध्य में स्थिति है।

4. चौरासी खम्भों की छतरीः–

चित्र 2.4 : चौरासी खम्भों की छतरी

चौरासी खम्भों की छतरी राजस्थान में बूंदी के मुख्य आकर्षणों में से एक हैं जैसा कि नाम से ही पता चलता हैं इस इमारत में 84 खंभे हैं जो कि पूरे स्मारक को सहारा देते है। यह विशाल स्मारक बूंदी के दक्षिण मे ंस्थित है। मशहूर राजपूत राव अनिरूद्ध सिंह ने इस मंडप को 17वीं सदी में बनाया था।

5. धाभाई कुंडः–

चित्र 2.5 : धाभाई कुंड

बूंदी के धाभाई कुंड को राजस्थान का सबसे बड़ा कुंड माना जाता है। यह शहर का सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्थान है। यह कुंड दरअसल शाही राजपूत राजाओं द्वारा बनवाए गहरे कुंए होते है।

6. जैत सागर झीलः–

चित्र 2.6 : जैत सागर झील

जैत सागर झील राजस्थान के बूंदी शहर से किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय भ्रमण है। बूंदी, राजस्थान का सबसे कम घूमा जाने वाला शहर है। शहर में कई आकर्षक स्थान है, जो यहाँ की समृद्ध परम्परा और सांस्कृतिक विरासत को दिखाते है। शहर के आकर्षणों के अलावा बूंदी के पास कई स्थान हैं जो छोटे से भ्रमण में देखे जा सकते है।

7. नवल सागर झीलः–

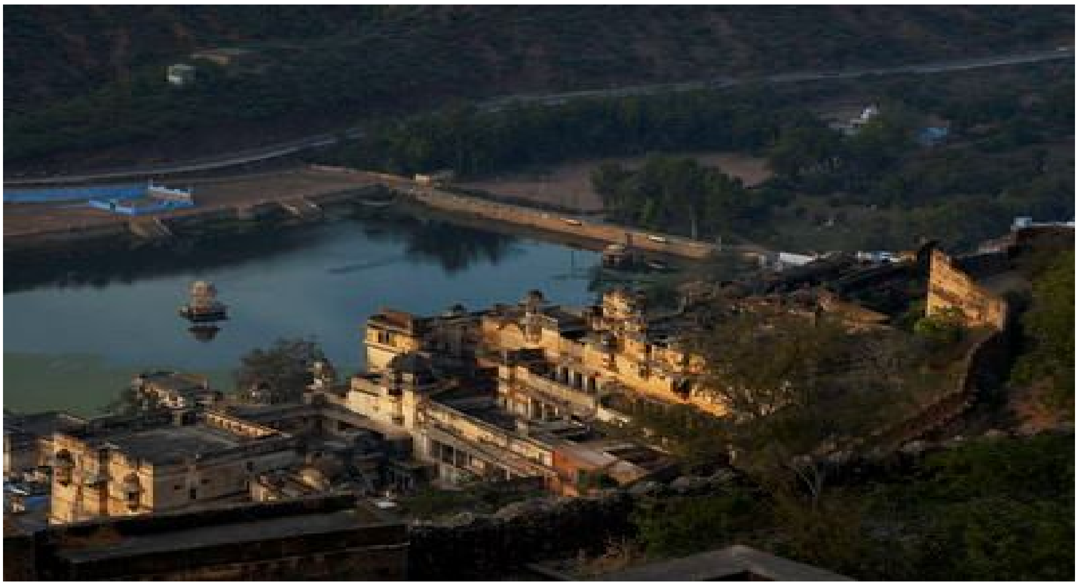

चित्र 2.7 : नवल सागर झील

राजस्थान के बूंदी में नवल सागर झील एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। इस कृत्रिम झील को तारागढ़ किले से भी देखा जा सकता हैं जो कि बूंदी का एक और आकर्षण है। बूंदी मुख्य तौर पर अपने किलों और महलों के लिए मशहूर हैं, जो इस शहर की समृद्ध परंपरा और संस्कृति के सबूत है।

8. रानीजी की बावड़ीः–

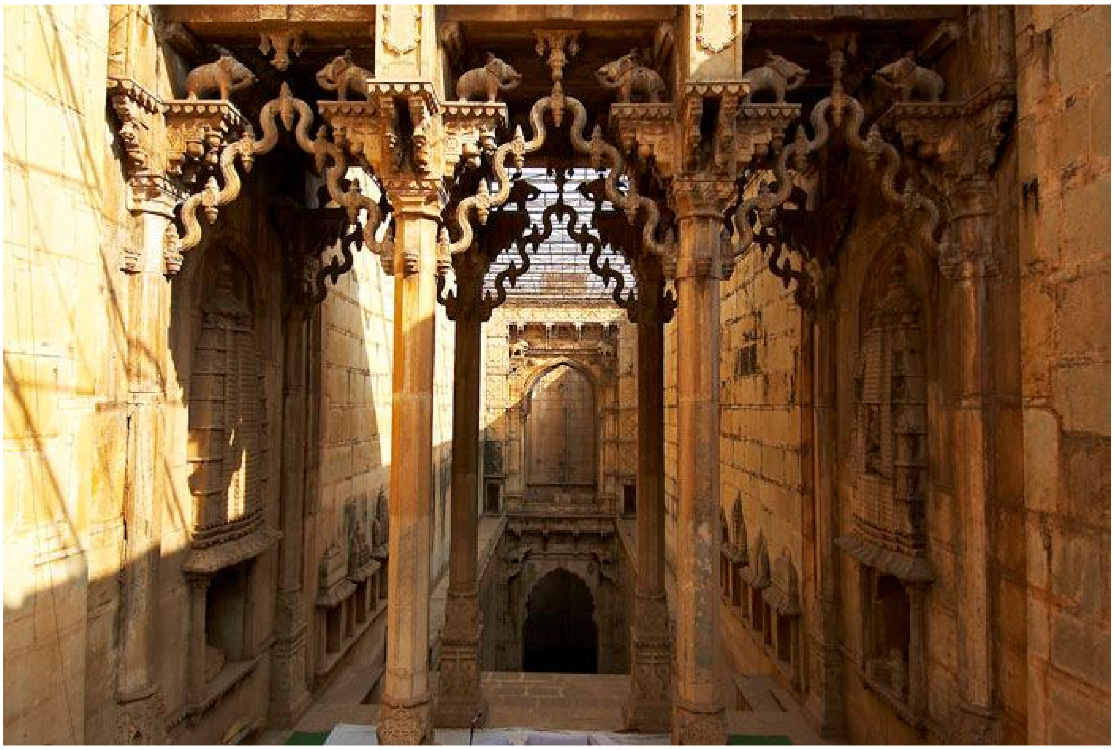

चित्र 2.8 : रानीजी की बावड़ी

बूंदी राजस्थान का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर हैं जो कि अपने विशाल किलों, महलों और बावड़ियों के लिए जाना जाता है। रानीजी की बावड़ी भी बूंदी की ऐसी ही एक आकर्षक जगह है। यह राजस्थान की सबसे शानदार बावड़ियों में से एक मानी जाती है

9. रतन दौलतः–

राजस्थान के छोटे लेकिन सुरूचिपूर्ण शहर बूंदी में रतन दौलत एक प्रमुख आकर्षक स्थल है। बूंदी का यह विशाल स्मारक महान् राजपूत राजाओं के शौर्य और उपलब्धियों की गवाही देता है। राजा राव रतन सिंह जो कि एक बहादुर और महान् राजपूत राजा थे, उन्होंने रतन दौलत का बूंदी में निर्माण करवाया था।[26]

---

[26] https://hindi.mapsafindia.com इंटरनेट

10. क्षारबागः–

चित्र 2.9 : क्षारबाग

इस बाग में बूंदी के राजाओं, रानियों व राजकुमारों की स्मृति में 66 छतरियाँ बनी है। इनमें सबसे पुरानी छतरी राव सुरजन के पुत्र महाराज कुमार दूदा की स्मृति में बनाई गई थी जो सन् 1581 में मुगलों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। सबसे बाद की छतरी महाराव राजा विष्णु सिंह की हैं जिनका 1821 में देहान्त हुआ था। इन छतरियों पर हाथियों व घोड़े की मूर्तियाँ पत्थरों को तराश कर बनाई गई है। यहाँ पर अनेक रानियों के अपने स्वामियों के साथ सती होने का उल्लेख है।

11. फूलसागरः–

यह तालाब बूंदी के उत्तरी–पश्चिम में 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण 17 वीं शताब्दी के शुरू में राव राजा भोजसिंह की एक उपपत्नि 'फूललता' ने करवाया था परन्तु इसके नीचे के उद्यान व झरने का निर्माण इसके 70 वर्ष बाद करवाया गया था। कुंड या छोटे तालाब और इसके किनारे दो छोटे महलों और बीच में एक छतरी का निर्माण महाराव राजा रामसिंह ने करवाया था। फूलसागर का आधुनिकीकरण महाराव बहादुरसिंह ने करवाया था।

12. शिकार बुर्जः–

1770 ई. में महाराव राजा उम्मेदसिंह ने अपने पुत्र अजीतसिंह के पक्ष में सिहांसन छोड़ा था। उस समय राजपूत कानून के तहत वे बूंदी के शासकों द्वारा बनवाये गये महलों में नहीं रह सकते थे।

इसलिए उन्होंने बूंदी के निकट जंगलों से ढ़की हुई पहाड़ियों पर एक छोटे से निवास स्थान का निर्माण करवाया जिसमें से वे समय–समय पर तीर्थ यात्राओं से लौटने पर कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। बाद में इसका उपयोग शिकारगाह के रूप में किया जाने लगा और इसका ही नाम शिकार बुर्ज पड़ गया। आजकल लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते है। इसके आसपास कई अन्य दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें महाराव राजा उम्मेदसिंहद्वारा 1770 ई. में बनवाई गई हनुमान जी की छतरी, चौथ माताजी का मंदिर व केदारेश्वर महादेव का मंदिर प्रमुख है। इसके पास ही शंभुसागर है।

13. सुंदर घाटः–

18 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में महाराव राजा विष्णुसिंह की एक उपपत्नी सुंदर शोभा जी ने नवल सागर तालाब के किनारे एक घाट व सुन्दर महल का निर्माण करवाया था। इसकी प्रथम मंजिल पर हनुमान जी की आदमकद खड़ी उत्तरमुखी सांख्य भाव की प्रतिमा है।

14. सुख महलः–

चित्र 2.10 : सुख महल

जैत सागर के किनारे पर एक खुला महल हैं जिसे सुखमहल कहते है। इसे सन् 1773 में महाराव राजा विष्णु सिंह ने बनाया था। इसका उद्यान भी बहुत सुन्दर है। सुखमहल के पास

ही एक चट्टान हैं जो समुद्रतल से 373 मीटर ऊँचा है।

15. मीरा साहब की दरगाहः–

यह सुख महल के ऊपर पहाड़ी पर स्थित हैं कहा जाता हैं कि यह मस्जिद नुमा दरगाह राजपूतों के बूंदी पर कब्जा करने से पहले की बनी हुई है। इसका नाम मीरा साहब नाम के एक मुस्लिम फकीर के नाम पर मीरा दरगाह रखा गया हैं जिनका मकबरा अजमेर में है। रात को इस दरगाह की शोभा देखते ही बनती हैं। बूंदी में साम्प्रदायिक सद्भाव का यह उत्कृष्ट उदाहरण भी है।

16. सूरज छतरीः–

जिस पहाड़ी पर तारागढ़ महल स्थित हैं उसके एक स्कन्ध पर एक छतरी बनी हुई हैं जिसका गुम्बज 16 खम्भों पर टिका हुआ हैं इसका व्यास 36.5 मीटर का है इसमें भगवान सूर्य की विशाल प्रतिमा है।

17. रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्यः–

बूंदी नगर से नैनवाँ तहसील के जैतपुर गाँव तक फैले 236 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिस का प्रबन्धन कोटा स्थित वन्य जीव प्रतिपालक कार्यालय से होता हैं यह प्राकृतिक वन सौन्दर्य तथा बूंदी में उपलब्ध जीवजन्तु देखने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अभी भी यहाँ बाघ दिखाई देते है। रामगढ़ में महाराव रामसिंह द्वारा निर्मित सुन्दर महल भी है।

18. रामेश्वरः–

यह बूंदी के उत्तर पश्चिम में 14 किलोमीटर की दूरी पर दो पहाड़ियों के बीच की घाटी में ऊँचाई पर घने जंगलों के बीच एक रमणीय स्थान हैं। यहाँ पर शिव मंदिर हैं। जिसके कारण इसका धार्मिक महत्व है। यहाँ पर एक ऐसा झरना हैं जो लगभग 60 मीटर की ऊँचाई से नीचे स्थापित कई शिवलिंगों पर आकर गिरता है।

बूंदी में पुरातत्व व ऐतिहासिक महत्व के कई मन्दिर है। इनमे प्रमुख रंगनाथजी का मन्दिर, चारभुजा मन्दिर, चौथमाताजी का मन्दिर, हंसादेवी माताजी का मन्दिर, दधिमती माताजी का मन्दिर, कल्याण रायजी का मन्दिर और लक्ष्मीनाथ जी का मन्दिर है प्रतिमाओं में गजलक्ष्मी व सरस्वती की प्रतिमायें अपूर्व हैं चौगान दरवाजे के बाहर नागर–सागर नाम के दो कुंड हैं। पूर्व में इन्हें गंगासागर और यमुना सागर के नाम से जाना जाता था। ये कुंड शिल्प की भव्यता

के लिए विख्यात है।[27]

बूंदी जिले की स्थितिः–

इस जिले की सीमा समलम्ब चतुर्भुजाकार है। इसके उत्तर में टोंक और जयपुर, दक्षिण में चितौड़गढ़, पूर्व मे ंकोटा तथा पश्चिम में भीलवाड़ा व उदयपुर है। बूंदी जिले का क्षेत्रफल लगभग 2220 वर्ग मील था, इसमें से 857 वर्ग मील भूमि जागीरों में तथा 1363 वर्ग मील भूमि खालसा की थी। अब बूंदी जिले का क्षेत्रफल 2138.9 वर्गमील है।[28]

इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह हैं कि इसमें उत्तर–पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशाओं में दो पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई है। यह क्षेत्र मुख्यतः विध्याचल और अरावली चट्टानों से बना है। इन चट्टानों की समुद्रतल से ऊँचाई 300 से 1793 फीट तक की है। इस श्रेणीकी सबसे ऊँची चोटी हिण्डोली तहसील के सथूर ग्राम में है, जिसकी ऊँचाई समुद्रतल से 1793 फीट है।[29]

इसके चारों तरफ फैली पहाड़ियों के मध्य के रास्ते को नाल कहते है। यहाँ पहली नाल बूंदी शहर के पास हैं जिसमें से होकर जयपुर जबलपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता हैं दूसरी पूर्व की तरफ जयनिवास के पास हैं जिसमें से होकर टोंक को जाया जाता हैं, तीसरी रामगढ़ व खटकड़ के बीच हैं जिसमें से मेज नदी बहती हैं तथा चौथी उत्तरपूर्व में लाखेरी के पास है।[30]

स्पष्ट हैं जिले के भावी विकास में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान होने की प्रबल संभावना हैं अगर इस क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। क्योंकि वर्तमान में बूंदी जिले को देश के पर्यटन मानचित्र पर उपर्युक्त स्थान प्राप्त नहीं है, जबकि अकेले बूंदी में 9 पर्यटन स्थल है। जिनका वर्णन शोध में किया जा चुका है। बूंदी के आस–पास पर्यटन क्षेत्रों में कई मन्दिर जैसे रामेश्वर, भीमलत, केशवराय पाटन, कमलेश्वर महादेव इसके अतिरिक्त रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य तलवास और इन्द्रगढ़ का किला भी अच्छे पर्यटन स्थल है। भीलवाड़ा जिले में पड़ने वाले मैनाल के लिए भी यहाँ से सुगम रास्ता है। इस प्रकार आने वाले समय में पर्यटन विकास के माध्यम से जिलें में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रबल संभावना है।

इस शोध में बूंदी जिले के केशवरायपाटन की पंचायत समीतियों का उल्लेख किया गया

27 राजस्थान जिला गजेटियर (बूंदी) जनशक्ति एवं जिला गजेटियर्स 1999 पृ.सं. 293–294
28 कुमार, अरविन्द, "बून्दी राज्य का इतिहास" पृ.सं. 1
29 राजस्थान जिला गजेटियर, बूंदी 1999 पृ.सं. 4 (प्रकाशन वर्ष 1984)
30 गहलोत, जगदीश सिंह, "राजपूतानें का इतिहास" पृ.सं. 6

हैं अतः केशवरायपाटन के इतिहास को जानना भी आवश्यक है।

चित्र 2.11 : मन्दिर श्री केशवराय जी

केशवरायपाटन प्राचीन नगर राजस्थान के कोटा शहर से 22 किलोमीटर दूर चम्बल नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान पाटन ही प्राचीन आश्रम पठन हैं जो बूंदी से 38 किलोमीटर की दूरी पर है। 1991 की जनगणना के अनुसार इसे नगर श्रेणी इतिहास में रखा गया है।[31]:–

प्राचीन मतों के अनुसार चन्दवंशी राजा हस्ती (जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया) के चचेरे भाई रितदेव ने इसे बसाया था। यहाँ पाण्डवों के द्वारा अज्ञातवास में कुछ समय शरण लेने का भी उल्लेख भी मिला है।

वास्तुकलाः–

हम्मीर महाकाव्य से ज्ञात होता हैं कि रणथम्भौर के चौहान राजा क्षेत्रसिंह वृद्धावस्था में अपने पुत्र हम्मीर को राज्य देकर पत्नी सहित यहाँ मंदिर की पूजा हेतु आये थे। यहाँ के प्राचीन मंदिर के गिर जाने पर बूंदी नरेश राजा शत्रुसाल हाड़ा ने एक बड़ा मंदिर 1641 ई. में फिर बनवाया था। इस मंदिर में केशवराय (विष्णु) की चतर्भुज सफेद पाषाण की मूर्ति प्रतिष्ठित हैं, जिसकों शत्रुसाल मथुरा से लाये थे। यह मंदिर वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है।

धार्मिक स्थलः–

पत्थर की बारीक कटाई, तक्षणकला का श्रेष्ठ नमूना मण्डोवर व शिखर पर उकेरी

31 राजस्थान जिला गजेटियर बूंदी पृ.सं. –291

आकृतियाँ मनमोहक है। मंदिर के गर्भगृह में, बड़ी संख्या में मंदिर से भी प्राचीन प्रतिमाओं का संकलन है। इसकी बाहरी दीवारों पर प्राचीन प्रतिमाएँ उत्कीर्ण है। यहाँ चम्बल नदी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ कार्तिक माह में प्रसिद्ध मेला लगता है। केशवराय का यह मंदिर बाहर से देखने पर अलौकिक दिखाई देता है। मंदिर निर्माण की शैली उत्कृष्ट एवं तक्षण कला बेजोड़ हैं। यहाँ राजराजेश्वर मंदिर (शैव) भी प्राचीनकालीन महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है।

चमत्कारिक शिला:–

इस नगर में जैन मुनि सुब्रतनाथ की 2500 वर्ष प्राचीन एक चमत्कारिक प्रतिमा हैं, जो सम्वत् 336 में प्रतिष्ठित की गई थी। यहाँ एक शिला फलक पर हैं इसकी पॉलिश मौर्य व मध्यवर्ती कुषाण काल की सिद्ध होती है। इसके अलावा यहाँ तेरवहीं शताब्दी की और भी प्रतिमायें है। यह मंदिर भूमिदेवरा नामक जैन मंदिर भी कहलाता है। इसमें स्थित मूर्ति को मोहम्मद गोरी द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया था। जिसकी पुष्टि कर्नल टॉड, दशरत शर्मा इत्यादी विद्वान करते है। एक अन्य खेत शिला फलक पर पद्यप्रभु की खड़गासन मूर्ति है, जो मूतिकला की दृष्टि से बहुत आकर्षक है। अतः स्पष्ट हैं केशवरायपाटन भी ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध शहर है।[32]

चूंकी अध्ययन का मुख्य केन्द्र बिन्दु बून्दी जिले का गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायते हैं अतः दोनों का ऐतिहासिक विवरण भी यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

चित्र 2.12 : नक्शा ग्राम पंचायत गेण्डोली खुर्द

32 bharatdiscovery.org/india इंटरनेट

अरावली पर्वतमाला की तलहटी मे बसे गेण्डोली खुर्द गाँव केशवरायपाटन से 30 कि.मी. दूरी पर स्थित हैं और फौलाई 35 कि.मी. दूरी पर स्थित है। गेण्डोली खुर्द गाँव जो एक ग्राम पंचायत हैं इसके अंतर्गत आठ गाँव आते हैं जिनमें विभिन्न धार्मिक स्थल है। इसी प्रकार फौलाई ग्राम पंचायत के अंतर्गत 10 गाँव आते है। फौलाई में भी धार्मिक स्थल है।

गेण्डोली खुर्द के धार्मिक स्थल

A. गेण्डोली खुर्द में

1. चाचोल्याँ के बालाजी
2. केशवराय जी का मंदिर
3. पुराने मंदिर
4. जैन मंदिर

B. बड़ी झोपड़ियाँ

1. बाबड़दा बालाजी मंदिर
2. महुआ–देवजी
3. देवनारायणमंदिर

C. गेण्डोली कलां

1. भोगनाथ महादेव मंदिर
2. कंचनधाम आश्रम
3. गणेश मंदिर
4. हनुमान मंदिर

कला :–

ग्राम गेण्डोली खुर्द में मूर्तिकला पत्थर पर तरासकर मूर्तिकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की मूर्तियां हस्त शिल्प कला द्वारा उकेरी जाकर क्षेत्र के मंदिरों में विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ बनाई जाती है। जो दर्शनी है। इन मूर्तिकारों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन की आवश्यकता है। हालांकि सरकार समय पर बैंकों के माध्यम ऋण सुविधाएँ भी उपलब्ध कराती है।

कारीगरी चिनाई, नक्कासी, कुओं में उल्टी चिनाई डिजाइन आदि से गेण्डोली कलां के कारीगरों के नाम अच्छे कारीगरों में आते है।

स्रोत : स्थानीय ग्रामीणों ग्राम पंचायत गेण्डोली खुर्द से प्राप्त विवरण के आधार पर

राजनीतिक परिचयः–

बूंदी का राजनैतिक परिचयः–

प्रारंभ में बूंदी में राजनीतिक चेतना जाग्रत करने का कार्य किसान आंदोलन के माध्यम से हुआ था। बूंदी से सार्वजनिक सूचना के लक्षण 1922 में परिवर्तित हुए। इसका श्रेय बिजैलिया किसान आंदोलन के नेता विजय सिंह पथिक जी को ही जाता हैं। पथिक जी के द्वारा बरड़ आंदोलन को समर्थन देने से राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। बूंदी में भी कई लागें वे बेगारें ली जाती थी और भूमि कर की दर भी ऊँची थी। पथिक जी ने रामनारायण चौधरी के साथ मिलकर कर

वृद्धि व बेगार प्रथा के विरूद्ध आंदोलन शुरू किया था जब इस विरोध ने आंदोलन का रूप धारण कर लिया तो पुलिस आंदोलनकारियों पर अमानुषिक अत्याचार करने लगे। आंदोलन को व्यापक होता देख बूंदी नरेश महाराज ईश्वरीसिंह ने बेगार प्रथा को प्रतिबन्धित कर दिया। इसके पश्चात् राजमहल में एक अजीब सी घटना हुई। महाराज की एक प्रिय पासवान की 1927 में मृत्यु हो गई उसकी अन्तिम क्रिया कराने से राजपुरोहित ने इन्कार कर दिया। इसका उसने कारण बताया कि वह पासवान राजघराने की सदस्य नहीं थी इस पर खुद महाराज ने पुलिस द्वारा उसका कत्ल करवा दिया। राजपुरोहित के कत्ल से बूंदी में भारी असंतोष फैल गया नगर में 9 दिन हड़ताल रहीं। इससे पुलिस का क्रोध और बड़ा और उसने जनता पर गोली चला दी। इससे जनता राज–विरोधी हो गई।

बूंदी प्रजामंडल की स्थापनाः–

जन विरोध के इस वातावरण में कांतिलाल की अध्यक्षता में 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई। इस आन्दोलन में ऋषि दत्त मेहता, नित्यानंद नगर, गोपाल कोटिया, गोपाल लाल जोशी मोतीलाल अग्रवाल, पूनमचंद आदि बूंदी प्रजामंडल के प्रमुख सक्रिय कार्यकर्ता थे। प्रजामंडल ने सरकार के समक्ष उत्तरदायी शासन और नागरिक अधिकारों की मांग प्रस्तुत की। महाराज ने इस मांग को अस्वीकार करते हुए जनसभाओं पर प्रतिबंध लगा दिए। इसके फलस्वरूप जनता का आक्रोश और उग्र हो गया और प्रजा–मंडल के माध्यम से प्रशासनिक सुधारों की मांग करने लगा। सरकार की दमन की नीति भी उग्र होने लगी तब सरकार ने 1936 में समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिए। 1937 में प्रजामंडल के तत्कालीन अध्यक्ष श्री ऋषि दत्त मेहता की गिरफ्तारी के बाद ब्रज सुंदर शर्मा ने प्रजामंडल का नेतृत्व संभाला।

बूंदी राज्य लोकपरिषद् का गठनः–

1942 में श्री. ऋषिदत्त मेहता को गिरफ्तार कर अजमेर भेज दिया गया था, जेल से रिहा होने पर ऋषिदत्त मेहता ने 1944 में बूंदी राज्य लोक–परिषद् का गठन किया। हरिमोहन माथुर को बूंदी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष और ब्रज सुंदर शर्मा को इसका मंत्री बनाया गया। इस परिषद का उद्देश्य भी उत्तरदायी शासन की मांग और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना था। बूंदी राज्य लोक परिषद कुछ समय बाद मान्यता प्राप्त हो गई। महाराव ने बदलती परिस्थितियों को भाँपते हुए संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया। जिसमें प्रजामंडल के सदस्य मनोनीत किए गए। नव निर्मित संविधान पारित होने से पूर्व ही बूंदी जिले का राजस्थान में विलय हो गया।[33]

[33] www.samanyanedu.in

हालांकि 1944 में लोक परिषद् की विधि मान्य स्थापना से पूर्व इस जिले में कोई राजनैतिक दल नहीं था। इस दल के संस्थापक अध्यक्ष हरिमोहन माथुर और सचिव बृजसुन्दर शर्मा थे। इन्ही के प्रयासों से 1946 में रियासत में संविधान सभा का गठन किया जाना था। 1950 में इस लोक–परिषद का कांग्रेस में विलय कर दिया गया।

वर्ष 1952 के लोकसभा चुनावों में कोटा व बूंदी जिलों को मिलाकर एक संसदीय क्षेत्र बनाया गया था सन् 1952 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में इस जिले को तीन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों बूंदी, हिण्डोली व केशवरायपाटन आदि तीनों भागों में विभाजित किया गया था।[34]

1951 से वर्तमान तक यहाँ पर चुनाव होते रहे है और राजनीतिक जनप्रतिधियों के द्वारा चुनाव में हमेशा सक्रिय योगदान दिया गया।

बूंदी जिले की राजनैतिक इकाईयों का विवरण निम्न प्रकार है–

1. जिला परिषद्
2. पंचायत समितियाँ
3. ग्राम पंचायत

1. जिला–परिषद्:– प्रत्येक जिले में एक जिला–परिषद् का गठन किया गया है। जिसमें चार लाख तक की जनसंख्या पर कम से कम 17 सदस्य होते है। चार लाख से प्रत्येक एक लाख या उसके भाग पर दो सदस्य और बढ़ाये जाते है। जिला प्रमुख इन्हीं के द्वारा इन्हीं में से चुना जाता है।

जिलों के सांसद और विधायक पदेन सदस्य होते हैं परन्तु उन्हें प्रमुख के चुनाव व प्रमुख के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विरूद्ध मतदान का अधिकार नहीं होता।

बूंदी जिला परिषद् में 23 सदस्य हैं जो कि सीधे चुनाव द्वारा निर्वाचित हैं इसके अतिरिक्त जिले के चारों विधायक और सांसद पदेन सदस्य है

सारणी 2.2 : जिला परिषद के जनप्रतिनिधियों का विवरण

क्रम	मद	इकाई	विवरण
1	सांसद	संख्या	बून्दी जिला दोनों में विभाजित
2	विधायक	संख्या	3
3	जिला परिषद सदस्य	संख्या	23

34 राजस्थान जिला गजेटियर बूंदी 1999 पृ.सं. 277

2. पंचायत समितियाँः–

बूंदी में छः पंचायत समितियाँ है।

बूंदी, केशवराय पाटन, नैनवां, हिण्डोली, इन्द्रगढ़, तालेड़ा

पंचायत समिति बूंदीः– पंचायत समिति बूंदी में 39 पटवार मण्डल, 30 ग्राम पंचायत, 166 राजस्व ग्राम व कुल जनसंख्या 251926 है।

पंचायत समिति के.पाटनः– केशवरायपाटन की तहसील के.पाटन ही हैं इसकी उपतहसील कापरेन है। यहाँ 38 पटवार मण्डल है। 46 ग्राम पंचायत है व 122 राजस्व ग्राम हैं व 153987 यहाँ की कुल जनंसख्या है।

पंचायत समीति नैनवांः– नैनवां की तहसील तो नैनवां ही लगती हैं उप–तहसील देई करवर हैं व पटवार मण्डल की संख्या 50 हैं व ग्राम पंचायतों की संख्या 33 है व 190 राजस्व ग्राम हैं तथा यहाँ की जनसंख्या 196070 है।

पंचायत समिति हिण्डोलीः– हिण्डोली की तहसील भी हिण्डोली ही लगती है। उप–तहसील दबलाना हैं व पटवार मण्डल की संख्या 50 हैं व 42 ग्राम पंचायत हैं तथा 186 राजस्व ग्राम हैं तथा 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 221601 है।

पंचायत, पंचायत समिति इन्द्रगढ़ः– इन्द्रगढ़ की तहसील भी इन्द्रगढ़ है। यहाँ की उप–तहसील लाखेरी हैं यहाँ के पटवार मण्डल की संख्या 28 हैं। यहाँ के पटवार मण्डल की संख्या 28 है। यहाँ राजस्व ग्राम 121 हैं तथा 2011 की जनसंख्या के अनुसार कुल जनसंख्या 127715 है।

पंचायत समिति तालेड़ाः– तालेड़ा की तहसील भी तालेड़ा हैं तथा उपतहसील डाबी हैं यहाँ 32 पटवार मण्डल हैं व 32 ग्राम पंचायत हैं व 106 राजस्व ग्राम हैं तथा यहाँ की कुल जनसंख्या 159607 है।

पंचायत समिति तालेड़ाः– तालेड़ा की तहसील भी तालेड़ा हैं तथा उपतहसील डाबी है। यहाँ 32 पटवार मण्डल हैं व 32 ग्राम पंचायत हैं व 106 राजस्व ग्राम हैं तथा यहाँ कुल जनसंख्या 159607 है।

अतः पंचायत समितियों का पूर्ण विवरण अग्र सारणियों द्वारा स्पष्ट है।

सारणी 2.3 : बूंदी जिले की पंचायत समितियों का विवरण

क्र.स.	पंचायत समिति	प.स सदस्य	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत वार्ड संख्या
1.	हिण्डोली	23	42	472
2.	नैनवां	19	33	373
3.	के.पाटन	23	46	464
4.	तालेड़ा	17	32	364
5.	बूंदी	15	30	320
	योग	97	183	1993

सारणी 2.4 : बूंदी जिले के उपखण्डों का विवरण

क्र. स.	उपखण्ड	तहसील	उप–तहसील	भू.अभि निरिसकृत	पटवार मण्डल	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	कुल जनसंख्या
1.	बूंदी	बूंदी	–	9	39	30	166	251926
2.	के.पाटन	के.पाटन	कापरेन	9	38	46	122	153987
3.	नैनवां	नैनवां	देई करवर	12	50	33	190	196070
4.	हिण्डोली	हिण्डोली	दबलना	12	50	42	186	221601
5.	इन्द्रगढ़	इन्द्रगढ़	लाखेरी	7	28	–	121	127715
6.	तालेड़ा	तालेड़ा	डाबी	7	32	32	106	159607
	योग			56	237	183	891	1110906

बूंदी जिले के 1951 से 2013 तक विधानसभा के चुनावों व उम्मीदवारों के साथ किसकों कितने मत मिले व कौन विजयी रहा इसका पूर्ण विवरण मत मिले व कौन विजयी रहा इसका पूर्ण विवरण दे दिया गया है। निम्न सारणी में दर्शाया गया हैं कि अब तक कौन–कौन से दलों की सरकारें रही हैं और कब–कब चुनाव हुए। इसके माध्यम से बूंदी जिले के चुनावों का पूरा विश्लेषण किया जा सकता है।[35]

बूंदी जिले में 6 नगरपालिकाएँ है। राजस्थान सरकार ने म्यूनिस्पल एक्ट 1959 में 1994 मे ंसंशोधन कर नगर पालिकाओं का कार्यकाल पाँच वर्ष कर दिया है। पहली बार उनके चुनावों के लिए अलग से एक चुनाव आयोग की राज्य स्तर पर व्यवस्था की है। प्रत्येक नगरपालिका में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए तथा अनु. जाति और जनजाति के लोगों के लिए जनसंख्या के अनुपात 42 प्रतिशत आरक्षित किये है।[36]

बूंदी नगर पालिका विधेयक 1936 में पास होकर अक्टूबर 1937 में लागू हुआ। लाखेरी नगर–पालिका की स्थापना 1937 में हुई थी। नैनवाँ नगरपालिका की स्थापना वर्ष 1933 में हुई। केशवरायपाटन नगर–पालिका की स्थापना तिथि 1934 है। इन्दगढ़ नगरपालिका की स्थापना 1926 में हुई थी।

---

35 www.bundi.rajsathan.in

36 www.elections.in

आजादी से पूर्व कापरेन में नगरपालिका थी। लेकिन सन् 1954–55 में इसे ग्राम पंचायत बना दिया और 20.9.79 में पुनः नगरपालिका बना दिया।

सारणी 2.5 : बूंदी जिले की नगरपालिकाओं में वार्डों की संख्या

क्र.स.	नगरपालिका	वार्डों की संख्या	सदस्य संख्या
1.	नैनवा	20	20
2.	इन्दगढ़	13	13
3.	लाखेरी	25	25
4.	कापरेन	20	20
5.	के.पाटन	20	20
6.	बूंदी	40	40
	योग	138	138

यहाँ पर शोध का विषय बूंदी जिले की केशवरायपाटन क्षेत्र की दो ग्राम पंचायतें गेण्डोली खुर्द व फौलाई है। यहाँ पर राजनीतिक परिचय के अन्तर्गत 2005 से 2015 के जनप्रतिनिधियों का उल्लेख है।

1. गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत का राजनीतिक परिचयः–

चित्र 2.13 : अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत गेण्डोली खुर्द

गैण्डली खुर्द ग्राम पंचायत पंचायत समिति केशवरायपाटन के अन्तर्गत आती है। इस ग्राम पंचायत में 6 गाँवों को सम्मिलित किया गया है। जो निम्न हैं गेण्डोली कलां, झाड़ोल, महुआ गूथां, गेण्डोली खुर्द की झौपाड़ियाँ, नयागांव। अतः कुल गाँवों की संख्या 7 है। पंचायत समिति कार्यालय जो गेण्डोली खुर्द में स्थित हैं यहाँ से ही समस्त राजनैतिक कार्यों का

सम्पादन किया जाता हैं और समय–समय पर ग्राम संभाओं का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में यहाँ OBC वर्ग के सरपंच मदनलाल गुर्जर कार्यरत है।

शोध में 2005 से 2015 की अवधि के महिला जनप्रतिनिधियों का तुलनात्मक विवेचन किया गया हैं अतः गेण्डोली खुर्द में 2005 से 2015 तक कार्यरत सरपंच, उपसरपंच व पंचों का विवरण प्रस्तुत सारणी के माध्यम से दिया जा रहा है।

सारणी 2.6 : 2005 में कार्यरत जनप्रतिनिधि

क्र.स.	सरपंच/पंच का नाम	पद	आरक्षित केटेगरी
1.	श्रीमती पद्मावती	सरपंच	STW
2.	चाहन्या बाई	वार्ड पंच	STW
3.	श्री महावीर	वार्ड पंच	GEN
4.	भवानी सिंह	वार्ड पंच	GEN
5.	फोकर लाल	वार्ड पंच	SC
6.	श्रीमती राममूर्ती	वार्ड पंच	GEN
7.	मोडी बाई	वार्ड पंच	GEN
8.	प्रताप सिंह	वार्ड पंच	ST
9.	उकार लाल	वार्ड पंच	OBC
10.	रमेश	पंच	SC
11.	प्रेमबाई	पंच	SCW

सारणी 2.7 : 2010 में कार्यरत जनप्रतिनिधि

क्र.स.	सरपंच/पंच का नाम	पद	आरक्षित केटेगरी
1.	निर्मला जैन	सरपंच	GEN
2.	रामलाल	वार्ड पंच	GEN
3.	हेमराज	वार्ड पंच	ST
4.	मोहनी बाई	वार्ड पंच	SC
5.	ब्रदीलाल	वार्ड पंच	GEN
6.	जमनालाल	वार्ड पंच	OBC
7.	मोहनलाल	वार्ड पंच	SC
8.	रामजानकी	वार्ड पंच	GEN
9.	उम्मेद	वार्ड पंच	GEN
10.	मनभर बाई	वार्डपंच	GEN
11.	चन्द्रकला	वार्डपंच	GEN
12.	मंजू	वार्डपंच	ST

सारणी 2.8 : 2015 में कार्यरत जनप्रतिनिधि

क्र. सं.	सरपंच / पंच का नाम	पद	आरक्षित केटेगरी
1.	श्री मदनलाल गुर्जर	सरपंच	OBC
2.	श्री बनवारी मीणा	उपसरपंच	ST
3.	श्री मायाराम	वार्ड पंच	GEN
4.	श्री मती लाडकंवर	वार्ड पंच	OBC
5.	उर्मिला	वार्ड पंच	OBC
6.	मोत्या बाई	वार्ड पंच	SC
7.	श्री राधेश्याम रेगर	वार्ड पंच	SC
8.	श्री लोकश कुमार	वार्ड पंच	OBC
9.	श्रीमती ललिता	वार्ड पंच	ST
10.	रूकमणी	वार्ड पंच	OBC
11.	श्री बालाराम	वार्ड पंच	OBC
12.	श्री महावीर	वार्ड पंच	OBC

अतः स्पष्ट हैं कि उक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द के 2005–2015 के जनप्रतिनिधियों का विवरण है।[37]

फौलाई ग्राम पंचायत का राजनैतिक परिचयः–

चित्र 2.14 : अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत फौलाई

[37] स्रोतः– "ग्राम पंचायत गेण्डोली खुर्द के उपस्थिति रजिस्टर से प्राप्त विवरण के आधार पर"

फौलाई ग्राम पंचायत पंचायत समीति केशवराय पाटन के अन्तर्गत आती है। इस ग्राम पंचायत में फौलाई के अतिरिक्त 10 गाँवों को सम्मिलित किया गया हैं अतः कुल गाँवों की संख्या 11 है। पंचायत समिति कार्यालय जो फौलाई में स्थित है यहाँ से समस्त राजनीतिक कार्यों का सम्पादन किया जाता हैं और समय–समय पर ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में यहाँ पर आरक्षित वर्ग की महिला सरपंच अनिता मेघवाल कार्यरत है।

प्रस्तुत शोध में 2005 से 2015 की अवधि के महिला जनप्रतिनिधियों का तुलनात्मक विवेचन किया गया हैं अतः फौलाई में 2005 से 2015तक कार्यरत सरपंच, उपसरपंच व पंचों का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा हैं जिसके माध्यम से फौलाई के उक्त अवधि में कार्यरत जनप्रतिनिधियों की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके जो आगे के तुलनात्मक विवेचन में भी उल्लेखनीय हैं

सारणी 2.9 : फौलाई ग्राम पंचायत में वर्ष 2005 में जनप्रतिनिधियों की सूची

क्र. सं.	सरपंच/पंच का नाम	पद	केटेगरी
1.	रामनिवास	सरपंच	ST
2.	सीताराम	वार्ड पंच	OBC
3.	रूपचंद	वार्ड पंच	GEN
4.	हंसराज	वार्ड पंच	OBC
5.	महावीर	वार्ड पंच	ST
6.	मोहनलाल	वार्ड पंच	GEN
7.	शकुन्तला	वार्ड पंच	SC(W)
8.	कन्या	वार्ड पंच	GEN (W)
9.	किसकन्धा	वार्ड पंच	ST (W)
10.	ब्रजकंवर	उपसरपंच	GEN
11.	रामराज	वार्ड पंच	GEN
12.	भगवान सिंह	वार्ड पंच	GEN

सारणी 2.10 : फौलाई ग्राम पंचायत में वर्ष 2010 में जनप्रतिनिधियों की सूंची

क्र. सं.	सरपंच/पंच का नाम	पद	केटेगरी
1.	मुकेश मीणा	सरपंच	ST
2.	मनभर बाई	वार्ड पंच	ST
3.	देवीशंकर	वार्ड पंच	SC
4.	सुरजा बाई	वार्ड पंच	SC
5.	मुकेश	वार्ड पंच	GEN
6.	धमू बाई	वार्ड पंच	ST
7.	कन्हैयालाल	वार्ड पंच	ST
8.	देवलाल	वार्ड पंच	OBC
9.	राजूलाल	वार्ड पंच	GEN
10.	कंचन	वार्ड पंच	GEN
11.	कल्याणी बाई	वार्ड पंच	GEN
12.	सत्यनारायण	उपसरपंच	GEN

सारणी 2.11 : फौलाई ग्राम पंचायत में वर्ष 2015 में जनप्रतिनिधियों की सूंची

क्र. सं.	सरपंच/पंच का नाम	पद	आरक्षित केटेगरी
1.	अनीता मेघवाल	सरपंच	SC
2.	हरिओम गुर्जर	उपसरपंच	OBC
3.	रानीबाई गुर्जर	वार्ड पंच	ST
4.	ब्रहमाबाई गुर्जर	वार्ड पंच	OBC
5.	हरिओम गुर्जर	वार्ड पंच	OBC
6.	हेमराज मेघवाल	वार्ड पंच	SC
7.	भंवरलाल रेबारी	वार्ड पंच	OBC
8.	कलावती बाई गुर्जर	वार्ड पंच	OBC
9.	दुर्गेश गौत्तम	वार्ड पंच	GEN
10.	रामराज मीणा	वार्ड पंच	ST
11.	मंजू बाई पांचाल	वार्ड पंच	OBC
12.	मिथलेश	वार्ड पंच	GEN

अतः स्पष्ट हैं कि उक्त सारणियों में गेण्डोली खुर्द व फौलाई दोनों ग्राम पंचायतों का 2005–2015 का पूर्ण राजनैतिक परिचय दिया गया है। साथ बूंदी का भी सम्पूर्ण राजनैतिक परिचय व चुनावों का विवरण दिया गया है। जिला परिषद् नगरपालिका व पंचायत समीतियों का पूरा परिचय दिया गया है।[38]

[38] स्रोतः– "फौलाई ग्राम पंचायत के उपस्थिति रजिस्टर से प्राप्त विवरण के आधार पर"

2. बूंदी का प्रशासनिक परिचयः–

चित्र 2.15 : बूंदी का प्रशासनिक मानचित्र

ऐतिहासिक प्रशासनिक परिचयः–

विलय से पूर्व बूंदी रियासत का सामान्य प्रशासन महाराव राजा के संपूर्ण नियंत्रण में रहता था और इसके लिए गणमान्य सदस्यों का एक मंत्रिमण्डल था जिसके प्रत्येक सदस्य के अधीन एक विभाग था। रियासत कई तहसीलों में विभक्त थी। प्रत्येक तहसील एक तहसीलदार के अधीन थी जिसकी सहायता के लिए पटवारी व शहनाज होते थे। तहसीलों की संख्या समय–समय पर बदलती रहती थी। लेकिन इनकी संख्या कभी चार से कम नहीं हुई। सन् 1908 में तहसीलें भंग कर दी गयी और समस्त रियासत को पाँच निजामतों में बाँट दिया गया। निजामत का अधिकारी नाजिम कहलाता था जिसे सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, दीवानी एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त थे। 1932 के भू–बंदोबस्त के बाद निजामतों को भंग कर नौ तहसीलों में बाँट कर तीन उपखण्डों के अधीन कर दिया गया। प्रत्येक उपखण्ड का

प्रभारी अधिकारी डिप्टी कमिशनर कहलाता था। जिसे राजस्व फौजदारी व दीवानी के अधिकार प्राप्त थे। यह व्यवस्था 1941 तक जारी रही इसके बाद इनकी दीवानी अधिकार नवनियुक्त मुन्सिलों को दे दिये, बूंदी के जागीदार क्षेत्र में व्यवस्था रियासत की व्यवस्था के समरूप थी क्योंकि रियासत में किसी भी जागीदार को प्रशासनिक व न्यायिक अधिकार प्राप्त नहीं थे।[39]

वर्तमान स्थितिः–

आधुनिक बूंदी जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। यह जिला कोटा से 36 कि.मी. पश्चिम में, चितौड़ से 198 कि.मी. उत्तर में, टोंक से 110 कि.मी. दक्षिण में, भीलवाड़ा से 127 कि.मी. उत्तर–पूर्व में तथा सवाई माधोपुर से 128 कि.मी., दक्षिण पश्चिम में स्थित है।

बूंदी का कुल क्षेत्रफल 5850 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम में इस जिले की लम्बाई 110.4 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण में चौड़ाई 10.4 किलोमीटर है। इसकी दक्षिणी पूर्वी सीमाओं का निर्माण चम्बल नदी करती हैं जो कोटा और बूंदी जिलों की सीमाओं पर स्थित है। रियासती काल में यही नदी कोटा और बूंदी राज्यों की विभाजन रेखा के रूप में भी मानी जाती थी।[40]

वर्तमान व्यवस्थाः–

पूर्व बूंदी राज्य के राजस्थान विलय के बाद लगभग समस्त पूर्व रियासत के क्षेत्र को एक जिले का रूप दे दिया गया। परन्तु बूंदी रियासत के तीस गाँव टोंक जिले में मिला दिये गये तथा कोटा जिले के सात गाँव बूंदी में मिला दिये गये। 1983 में कोटा जिले के इन्द्रगढ़ क्षेत्र को बूंदी मे मिला दिया गया। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर (जिलाधीश) हैं जो जिला कलेक्टर व जिला दण्डनायक होता है।

सारणी 2.12 : बूंदी की वर्तमान प्रशासनिक संरचना –2014–15

क्र. सं.	मद	ईकाई	विवरण
1.	उपखण्ड	संख्या	6
2.	तहसील	संख्या	6
3.	पंचायत समीति	संख्या	5
4.	कुल आबाद ग्राम (राजस्व)	संख्या	885
5.	कुल गैर आबाद ग्राम (राजस्व)	संख्या	6
6.	कुल आबाद ग्राम (जनगणना 2011)	संख्या	872

39 राजस्थान जिला गजेटियर बूंदी पृ.सं. 175

40 माथुर दुर्गाप्रसाद, "बूंदी राज्य का सम्पूर्ण इतिहास", महेश प्रिन्टिग, सदर बाजार बूंदी 2010, पृ.सं. 1

क्र. सं.	मद	ईकाई	विवरण
7.	कुल गैर आबद ग्राम (जनगणना 2011)	संख्या	6
8.	कुल नगर	संख्या	6
9.	कुल ग्राम पंचायत	संख्या	183
10.	भू. अ. नि. कृत संख्या	संख्या	56

उक्त सारणी से स्पष्ट हैं कि बूंदी जिले में उपखण्डों की संख्या 6 हैं, तहसीलों की संख्या 6 है तथा 5 पंचायत समिति है। कुल आबाद ग्राम व गैर ग्रामों की संख्या क्रमशः 885 व 6 है। व 2011 की जनगणना के अनुरूप 872 ग्राम हैं व 6 गैर आबाद ग्राम है। कुल नगरों की संख्या 6 है। कुल ग्राम पंचायत 183 हैं तथा भू.अ.नि. वृत संख्या 56 है।

सारणी 2.13 : बूंदी जिले का प्रशासनिक विवरण

क्र.सं.	उपखण्ड	तहसील	उप–तहसील	भू–अभिलेख निर्वातकृत	परवार मण्डल	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम
1.	बूंदी	बूंदी	–	9	39	30	166
2.	के.पाटन	के पाटन	कापरेन	9	38	46	122
3.	नैनवां	नैनवा	देई करवर	12	50	33	190
4.	हिण्डोली	हिण्डोली	दबलाना	12	50	42	186
5.	इन्द्रगढ़	इन्द्रगढ़	लाखेरी	7	28	–	121
6.	तालेड़ा	तालेड़ा	डाबी	7	32	32	106
	योग			56	237	183	891

निम्न सारणी में वर्ष 2014–15 के अनुसार बूंदी में पाँच उपतहसील हैं व 237 पटवार मण्डल हैं व 891 राजस्व ग्राम है। तथा 183 ग्राम पंचायत है।

सारणी 2.14 : बूंदी की जनसंख्या का विवरण

क्र.सं.	**उपखण्ड**	**अनु जाति**	**अनु.ज.जाति**	**कुल जनसंख्या**
1.	बूंदी	46791	45413	251926
2.	के. पाटन	30969	32552	153987
3.	नैनवां	34861	41643	196070
4.	हिण्डोली	41057	41022	221601
5.	इन्द्रगढ़	25638	30899	127715
6.	तालेडा	31472	37020	159607
	योग	210788	228549000	1110906

जनसंख्या की दृष्टि से बूंदी में 2011 की जनगणना के अन्तर्गत 210788 व्यक्ति अनुसूचित जाति व 228549 अनुसूचित जनजाति के हैं व कुल जनसंख्या 1110906 है। बूंदी जिले का क्षेत्रफल – 5850.50 है।

सारणी 2.15 : बूंदी की जनसंख्या का विवरण (2)

क्र. सं.	मद	इकाई	विवरण
1.	पुरूष	संख्या	577160
2.	स्त्री	संख्या	533746
3.	जिले की कुल जनसंख्या	संख्या	1110906
4.	ग्रामीण	संख्या	888205
5.	शहरी	संख्या	222701
6.	जनसंख्या का घनत्व/ प्रति वर्ग कि.मी.	संख्या	190
7.	कुल साक्षारत	प्रतिशत	61.52
8.	पुरूष	प्रतिशत	75.44
9.	स्त्री	प्रतिशत	46.55
10.	कुल जनसंख्यास में शहरी जन का प्रति	प्रतिशत	20.05
11.	लिंगानुपात (म.)प्रति हजार पु.	संख्या	925
12.	06 आयु वर्ग जनसंख्या	संख्या	159884
13.	पुरूष	संख्या	84431
14.	महिला	संख्या	75453
15.	जनसंख्या की दस वर्षीय वृद्धि दर	प्रतिशत	15.40

उक्त सारणी में बूंदी जिले में पुरूषों की संख्या 577160 व स्त्रियों की 533746 बताई है। ग्रामीण 888205 व शहरी 222701 जनसंख्या घनत्व 190 बताया हैं कुल साक्षरता 61.52 हैं जिसमें पुरूष 75.44 व महिला 46.55 प्रतिशत है। लिंगानुपात 925 हैं जनसंख्या की दस वर्षीय वृद्धि दर 15.40 प्रतिशत है।

(अ) संस्थानुसार जनसंख्या अनु. जाति एवं अनु. जनजाति जनगणना 2011– ग्रामीण

सारणी 2.16 : संस्थानुसार जनसंख्या अनु. जाति एवं अनु. जनजाति जनगणना 2011– ग्रामीण

क्र.सं.	ग्रामीण	पुरुष	स्त्री	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.
1.	हिण्डोली	114242	105726	219968	40293	40557
2.	नैनवां	92236	84349	176585	32216	41142
3.	इन्दगढ़	45457	41609	87066	14104	25480
4.	के.पाटन	56203	52409	108612	22145	28470
5.	बूंदी	153596	142378	295974	59559	77356
	योग ग्रामीण	461734	426471	888205	168317	217005

(ब) शहरी–

सारणी 2.17 : संस्थानुसार जनसंख्या अनु. जाति एवं अनु. जनजाति जनगणना 2011– शहरी

क्र.सं.	शहरी	पुरूष	स्त्री	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.
1.	नैनवां	10098	9387	19485	2645	501
2.	इन्द्रगढ़	3901	3543	7444	1732	194
3.	लाखेरी	15222	14350	29572	9321	941
4.	कापरेन	10758	9990	20748	4057	3478
5.	के.पाटन	12703	11924	24748	4767	604
6.	बूंदी	54485	50434	104919	15892	4364
7.	बुधपुरा (CT)	2654	2416	5070	1407	1003
8.	तालेड़ा(CT)	3724	3479	7203	2169	175
	सु.मण्डी	1881	1752	3633	481	284
	योग शहरी	115426	107275	222701	42471	11544
	जिला योग	577160	533746	1110906	210788	228549

उक्त सारणियों (अ) (ब) दोनों में ग्रामीण व शहरी पुरूष व स्त्रीयों का उल्लेख हैं तथा अनुसूचित जाति व जनजाति का पूर्ण विवरण दिया गया है।

कलेक्टर की भूमिकाः–

जिले का सामान्य प्रशासन कलक्टर के अधीन है, जिसका मुख्यालय बूंदी में है। वह जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है। जिसके अधीन जिले का पूरा प्रशासन चलता हैं वह जिले में राजस्व प्रशासन का प्रधान अधिकारी होने के साथ–साथ अपने अधिकृत क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था भी बनाये रखता हैं तथा अन्य विभागों के अधिकारियों के कार्यों की निगरानी भी करता है। साथ ही विकास कार्यक्रमों के सहीं तौर से निष्पादन में तथा अन्य सभी विभागों के कार्यकलापों में समन्वय लाने का दायित्व भी कलक्टर का है।

1. बूंदी जिले की प्रशासनिक संरचना व अधिकारियों का विवरण इस प्रकार है–

सारणी 2.18 : जिला स्तरीय अधिकारीगण जिला बूंदी 2018

क्र.सं.	नाम	पद
1.	शिवांगी स्वर्णकार	जिला कलक्टर बूंदी
2.	श्री नरेश मालव	अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
3.	श्रीमती ममता कुमारी तिवाड़ी	अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
4.	श्री जुगल किशोर मीणा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बूंदी

क्र.सं.	नाम	पद
5.	श्री सुदर्शन सिंह तोमर	अति. मुख्य कार्य. अधिकारी जिला परिषद् बूंदी
6.	श्री अनिल भाल	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
7.	श्री पंकज मीणा	ए.सी.पी. डीओआईटी (उप–निर्देशक ई–मित्र)
8.	श्री श्याम सुन्दर व्यास	मुख्य आयोजना अधिकारी बूंदी
9.	श्रीमती रचना शर्मा	मुख्य आयोजना अधिकारी बूंदी
10.	श्री जगदीश शर्मा	परियोजना प्रबन्धक एस.सी.डी.सी.
11.	श्री सन्दीप माथुर	जिला रसद अधिकारी बूंदी
12.	श्रीमती रूचि अग्रवाल	प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति निगम
13.	श्रीमती सविता कृष्णियां	सहा.निदे. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, बूंदी
14.	श्री अख्तार हुसैन	सहा निर्देशक जिला साख्यिकी बूंदी

2. बूंदी जिला के अन्तर्गत कानून व पुलिस प्रशासन आदि का विवरणः–

जिला मजिस्ट्रेट के तौर पर कलक्टर जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होता हैं इस कार्य को करने में दंड प्रक्रिया संहिता एंव अन्य अधिनियमों के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप, पुलिस अधीक्षक द्वारा उसकी सहायता ली जाती है। वर्तमान में बूंदी जिले के पुलिस प्रशासन का विवरण इस प्रकार है।

सारणी 2.19 : बूंदी जिले के पुलिस प्रशासन का विवरण

क्र.सं.	मद	इकाई	विवरण
1.	पुलिस कृत कार्यालय	संख्या	05
2.	पुलिस थाना	संख्या	18
3.	पुलिस चौकियां	संख्या	25
4.	कारागार	संख्या	–
5.	कुल आरक्षी दल	संख्या	983
6.	थाने के अन्दर आरक्षी दल	संख्या	473
7.	अधीनस्था चौकियां	संख्या	25
8.	अधीनस्थ चौकियां में आरक्षी दल	संख्या	120
9.	प्रतिवेदन अपराध	संख्या	11551
1	संज्ञेय	संख्या	5727
2.	असंज्ञेय	संख्या	5824

उक्त सारणी के अन्तर्गत बूंदी जिले में पुलिस वृत कार्यालयों की संख्या 05 है, 18 पुलिस थाने हैं, 25 पुलिस चौकियां है। कुल आरक्षी दलों की संख्या 983 हैं व थाने के अन्दर के आरक्षी दलों की संख्या–473 हैं अधीनस्थ चौकियाँ 25 है। व प्रतिवेदन अपराध 11551 हैं जिसमें संज्ञेय प्रतिवेदन 5727 व असंज्ञेय 5824 है।

3. बूंदी जिले में महिला एवं बाल विकास 2014–15

सारणी 2.20 : बूंदी जिले में महिला एवं बाल विकास 2014–15

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	सेक्टर	आंगनबाडी केन्द्र		पोषाहार वितरण केन्द्र
1.	बूंदी शहर	4	125	125	125
2.	तालेड़ा	11	325	333	188
3.	हिण्डोली	8	273	273	233
4.	के. पाटन	8	223	231	213
5.	नैनवाँ	7	234	233	196
	योग	38	1200	1195	955

4. बूंदी जिले में शिक्षा–2014–15 (शिक्षण संस्थानों की संख्या)

सारणी 2.21 : बूंदी जिले में शिक्षा–2014–15 (शिक्षण संस्थानों की संख्या)

क्र. सं.	मद	योग
	कुल विद्यालयों की संख्या	1957
1.	प्राथमिक विद्यालय	817
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	691
3.	माध्यमिक विद्यालय	168
4.	उच्च माध्यमिक विद्यालय	275
5.	सामान्य शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु कॉलेज	6

5. बूंदी जिले में शिक्षा–2014–15 (विद्यार्थियों की संख्या)

सारणी 2.22 : बूंदी जिले में शिक्षा–2014–15 (विद्यार्थियों की संख्या)

क्र. सं.	मद	छात्र	छात्रा	योग
	विद्यालयों में कुल छात्रों की संख्या	80196	145940	326136
1.	प्राथमिक विद्यालय	62208	55146	117354
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	34290	27979	62269
3.	माध्यमिक विद्यालय	37189	31349	68538
4.	उच्च माध्यमिक विद्यालय	42678	28244	70922
5.	सामा. शिक्षा एवं व्या. शिक्षा हेतु कॉलेज	3831	3222	7053

वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत बूंदी जिले में 1200 स्वीकृत आंगनबाड़ी व 955 पोषाहार वितरण केन्द्र

शिक्षा के स्तर को देखा जाए तो बूंदी में वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत कुल विद्यालयों की संख्या 1957 है प्राथमिक विद्यालय 817 व उच्च प्राथमिक विद्यालय 691 हैं तथा माध्यमिक विद्यालय 168 हैं उच्च माध्यमिक 275 हैं तथा 6 कॉलेज हैं अतः शिक्षा के क्षेत्र में भी बूंदी में शिक्षण संस्थाओं की संख्या बहुत है।

विद्यालयों में छात्रों की संख्या 326136 है। और प्राथमिक स्तर के विद्यालय ने छात्रों की संख्या 17354 हैं व उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 62269 है। माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या 68538 हैं व उच्च माध्यमिक विद्यालयों मे छात्रों की संख्या 70922 हैं व सामान्य शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा हेतु कॉलेजों में छात्रों की संख्या 7053 है।

अतः शैक्षिक दृष्टि से बूंदी में पर्याप्त शैक्षणिक संस्थाएँ व छात्र संख्या है।

6. बूंदी जिले की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 2014–15 के अन्तर्गत –

बूंदी जिले में चिकित्सा व स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत में जिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ वह इस प्रकार हैं यहाँ पर एक एलोपेथिक चिकित्सालय 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहै। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 31 हैं तथा 62 औषाधालय हैं। स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 207 है। निजी चिकित्सालयों की संख्या 14 हैं इस प्रकार चिकित्सा सेवाएँ भी प्रगतिशील है।

7. बूंदी जिले की बैंकिंग व्यवस्था का विवरण– 2014–15

सारणी 2.23 : बूंदी जिले की बैंकिंग व्यवस्था का विवरण– 2014–15

क्र. सं.	मद	इकाई	विवरण
1.	अनुसूचित व्यावसायिक बैंक		71
2.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		33
3.	सरकारी बैंक		12
4.	भूमि विकास बैक		02

2014–15 बूंदी जिले में 71 अनुसूचित व्यावसायिक बैंक हैं तथा 33 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व 12 सहकारी बैंक हैं व 02 भूमि विकास बैंक है।

8. सहकारिता का विवरण 2014–15

सारणी 2.24 : सहकारिता का विवरण 2014–15

क्र. सं.	मद	इकाई	विवरण
1.	सहकारी समितियां	संख्या	751
2.	सदस्यता	संख्या	413
3.	डेयरी सहकारी समितियां	संख्या	1.65 लाख

बूंदी जिले में सहकारी समितियां व डेयरी समितियां भी है।

9. यातायात एवं संचार 2014–15

इसके अलावा 2014–15 के अन्तर्गत बूंदी जिले में 175 डाकघर है। 594 लेटर बॉक्स तथा 183 अटल सेवा केन्द्र हैं व एस.टी.डी/ पी.सी.ओं. की संख्या 476 है। दूरभाष कनेक्शन की संख्या 4929 है। जिसमें ग्रामीण दूरभाष कनेक्शन संख्या 1178 हैं व शहरी कनेक्शन 3751 है। इसके अलावा मोबाइल कनेक्शन की संख्या 89798 है। मोटर वाहनों के पंजीयन की संख्या 23078 है। सड़कों की लम्बाई 2610 कि.मी. है। राज. राजमार्ग 204.00 कि.मी. है। अन्य सड़के 2657.39 कि.मी. तथा सड़कों से जुड़े गाँवों की संख्या 762 हैं।

अतः स्पष्ट हैं कि उक्त विवरण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है। कि 1941 के समय से 2014–14 के अन्तर्गत बूंदी जिले की प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत अंतर आ गया अब पहले कि अपेक्षा बहुत ही प्रगतिशील प्रशासनिक व्यवस्था है। जिले के समस्त प्रशासनिक व गैर प्रशासनिक कार्यों का संयोजन जिला कलक्टर जिले में नियुक्त निम्न जिला एवं अन्य अधिकारियों के माध्यम से करता है। इसके साथ ही बूंदी में 44 प्रशासनिक कार्यालय हैं जिनमें प्रशासन से सम्बिन्धित कार्य सम्पन्न होते है। इन कार्यालयों में बूंदी जिले के अन्तर्गत आने वाले गांवों के लोग अपने कार्यों के लिए निर्भर है।

स्रोत राजस्थान जिला गजेटियर बूंदी 1999 जनशक्ति जिला गजेटियर्स राजस्थान जयपुर, 1999, पृष्ठ 180–181

यहाँ बूंदी जिले की सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था के साथ ही गेण्डोली खुर्द व फौलाई के प्रशासन का विवरण दिया जा रहा है।

गेण्डोली खुर्द की प्रशासनिक संरचना–

गेण्डोली खुर्द– 2011 की जनगणना के अन्तर्गत गेण्डोली खुर्द का लोकेशन कोड और ग्राम कोड 094188 है। यह ग्राम पंचायत केशवरायपाटन तहसील में आती है। इसका जिला बूंदी हैं व राज्य राजस्थान है। यह हेडक्वाटर्स केशवरायपाटन से 36 किलोमीटर दूर हैं और जिला हेडक्वाटर बूंदी से 40 किलोमीटर दूर है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र 905 हैक्टर हैं तथा कुल जनसंख्या 2479 है। तथा यहाँ पर 526 घर है। तथा इसका निकटतम कस्बा लाखेरी हैं जो यहाँ से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ सरकारी व प्राईवेट वाहन (बस) सुविधा भी उपलब्ध हैं और रेलवे स्टेशन गाँव से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले गाँव

गेण्डोली कंला	झाड़ोल	महुआ	गूथां
गेण्डोली खुर्द की झौपड़ियाँ	नया गाँव	गेण्डोली खुर्द	

गेण्डोली खुर्द के निकटतम गाँव निम्न हैं–

जगन्नाथपुरा	भैंसखेड़ा	लोहली	गेण्डोली कला
नयागाँव (बोहरा जी कजोड़ की झौपड़ियाँ)	गेण्डोली खुर्द की झौपड़ियाँ	गूथा	महवा
झाड़ोल	भौरदां काच्छयान्		

कुल गाँवों की संख्या 7 है।

गेण्डोली खुर्द की जनसंख्या –

सारणी 2.25 : 2011 की जनगणना के अनुसार

कुल जनसंख्या	–	2479
पुरूष जनसंख्या	–	1287
महिला जनसंख्या	–	1192

सारणी 2.26 : गेण्डोली खुर्द का प्रशासनिक परिचय

ग्राम पंचायत	गेण्डोली खुर्द
तहसील	केशवरायपाटन
जिला	बूंदी
राज्य	राजस्थान
पिनकोड	323803
क्षेत्र	905 हेक्टर
जनसंख्या	2479
घर	525
निकटतम कस्बा	लाखेरी (22 कि.मी)

फौलाई ग्राम पंचायत की प्रशासनिक संरचना–

फौलाई :–

2011 की जनगणना के अनुसार फौलाई का लोकेशन कोड और ग्राम कोड 094180 हैं यह ग्राम पंचायत केशवरायपाटन तहसील में आती हैं व इसका जिला बूंदी हैं व राज्य राजस्थान है। यह सब हेडक्वाटर्स केशवरायपाटन से 39 किलोमीटर दूर स्थित हैं व जिला हेडक्वाटर्स बूंदी से 34 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 362 हेक्टर

है। यहाँ की कुल जनसंख्या 900 हैं व 190 घर है। कापरेन निकटतम कस्बा है। जो 22 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ सरकारी व प्राइवेट वाहन सेवा उपलब्ध है। व 10 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन हैं

फौलाई ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले गाँव

जटरिया	कुआँ गाँव	भाट्या की झौपड़ियाँ	गोपालपुरा
गोटड़ा	खुदना	जगन्नाथपुरा	भैंसखेड़ा
लोहली	बीरमपुरा		

फौलाई के निकटतम गाँव–

सुमेरगंज मंडी	बीरमपुरा	गोपालपुरा	कुआँ गाँव
जौहरिया	जगन्नाथ पुरा	भैंसखेड़ा	गेण्डोली कला
मोरखोदना	भोहली		

फौलाई –ग्रामपंचायत –कुल 11 गाँव है।

सारणी 2.27 : जनसंख्या 2011 के आधार पर

कुल जनसंख्या	पुरूष जनसंख्या	महिला जनसंख्या
900	478	422

सारणी 2.28 : फौलाई का प्रशासनिक परिचय

1.	ग्राम पंचायत	फौलाई
2.	ब्लोक / तहसील	केशवरायपाटन
3.	जिला	बूंदी
4.	राज्य	राजस्थान
5.	पिनकोड	323803
6.	क्षेत्रफल	362 हेक्टर
7.	जनसंख्या	900
8.	घर	190
9.	निकटतम कस्बा	कापरेन (22 कि.मी.)

तृतीय अध्याय

पंचायतीराज संस्थाओं के कार्य व नीतियाँ, केन्द्रीय संवैधानिक प्रावधान, विभिन्न समितियों के सुझाव, राजस्थान सरकार के आदेश–अध्यादेश, 73वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं की भूमिका

तृतीय अध्याय

हमारे देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाएँ हैं अतः देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बगैर नहीं हो सकता। भारत में आदि काल से जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं ने पुरूषों के साथ मिलकर काम किया। भारतीय महिलाएँ घर–गृहस्थी का पूरा काम–काज निपटाने के साथ–साथ राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में योगदान करती आयी हैं। चाहे गाँवों में साक्षरता के प्रसार का अभियान हो या गांव के युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने का मामला हो, गांव में पीने के पानी की समस्या हो अथवा फसलों को बीमारियों से बचाना हो यह सब कार्य ग्रामीण महिलाएँ ही आपसी सहयोग और विकास कार्यों में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करके कर सकती हैं। बढ़ती आबादी की रोकथाम, पर्यावरण की रक्षा, बच्चों को पौष्टिक व संतुलित आहार देने और इन सबसे बढ़कर स्थानीय संसाधनों की अधिकाधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में महिलाएँ ही अपना योगदान और नेतृत्व दे सकती है। अतः पंचायतीराज संस्थाओं में भी महिलाओं की अहम् भूमिका है।

1. स्वतंत्रता के पश्चात् पहली बार पंचायतीराज व्यवस्था में महिला सहभागिता के सम्बंध बलवंत राय मेहता समिति ने सहवरण के माध्यम से दो महिलाओं को पंचायतीराज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर लेने की सिफारिश की।[41]

प्रस्तुत शोध के अन्तर्गत भी राजस्थान के बून्दी जिले की दो ग्राम पंचायतों गेण्डोली खुर्द व फौलाई को केन्द्र में रखकर पंचायतों में महिला सशक्तिकरण का विवेचन किया जा रहा है कि महिलाओं के उत्थान के लिए पंचायतों के पहले क्या कार्य रहे हैं? विभिन्न समितियों ने जो सुझाव दिये उनसे महिलाओं के विकास में क्या परिवर्तन आया? समय–समय पर राजस्थान सरकार ने विभिन्न आदेश अध्यादेश निकाले जिनका क्या प्रभाव रहा और 73वें संविधान संशोधन के उपरान्त महिलाओं की भूमिका में 2015 तक कितना परिवर्तन आया है? इन परिवर्तनों के फलस्वरूप उक्त दोनों ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भूमिका में कितना परिवर्तन आया? अपने उत्तरदायित्व का वह किस प्रकार से निर्वाह कर रही हैं और कितनी सजग जागरूक हुई है उसका तुलनात्मक विश्लेषण किया जा रहा है।

पंचायती राज संस्थानों के कार्य व नीतियाँ –

स्वायत्तशासी संस्थायें लोकतंत्र का मूल आधार है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना तभी मानी जाती है जबकि देश के निचले स्तरों तक लोकतांत्रिकी संस्थाओं का प्रसार किया जाये एवं उन्हें स्थानीय विषयों का प्रशासन चलाने में स्वंतत्रता प्राप्त हो। वस्तुतः ये संस्थायें ही

---

41 पटनी, चन्द्रा, ग्रामीण प्रशासन, विश्वभारती पब्लिकेशन, जयपुर, 2006, पृ.सं. 176

लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला एवं लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रत्याभूति हैं। स्थानीय संस्थायें सरकार के दूसरे अंगों से बढ़कर जनता को लोकतंत्र की सुरक्षा देती है, साथ ही विकेन्द्रीकरण एवं शक्ति से भागीदारी के प्रति निष्ठा व्यक्त करती है। पंचायतीराज, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक रूप है, जिसमें लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके पूर्व–निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयास किये जाते हैं। अच्छी शासन–व्यवस्था के मुख्य लक्ष्यों अंतर्गत व्यवस्था को अधिकाधिक क्षमतावान बनाने हेतु जन–आवश्यकताओं को पूर्ण करना, जन–समस्याओं का निराकरण, तीव्र आर्थिक प्रगति, सामाजिक सुधारों की निरंतरता, वितरणात्मक न्याय एंव मानवीय संसाधनों का विकास आदि शामिल हैं।[42]

पंचायतीराज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण उद्योगों का विकास, परिवार कल्याण कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम, पशु–संरक्षण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था आदि का उचित प्रबंधन करके, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करना भी पंचायतीराज का मौलिक उद्देश्य है।

पंचायतों के कार्य –

संविधान के 73वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई 11वीं अनुसूची तथा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 50, 51 व 52 तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय अनुसूची के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के कृत्य एवं शक्तियाँ निम्नानुसार हैं।

पंचायतों के कार्य और शक्तियाँ –

1. साधारण कृत्य

(क) पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाएँ तैयार करना।

(ख) वार्षिक बजट तैयार करना

(ग) प्राकृतिक आपदाओं में सहायता जुटाना

(घ) सामुदायिक कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अभिदाय संगठन

(ड.) गाँव की आवश्यक सांख्यिकी रखना

2. प्रशासन के क्षेत्र में –

(क) परिसरों का संख्याकन करना

(ख) जनगणना करना

---

42 भनोत, बेला, पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2010

(ग) पंचायत सर्किल में कृषि उपज का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाना

(घ) ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए आवश्यक प्रदायों और वित्त की अपेक्षा दर्शित करने वाला विवरण तैयार करना।

(ड.) ऐसी प्रणाली क रूप में कार्य करना जिसके माध्यम से केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा भी प्रयोजन के लिए दी गयी सहायता पंचायत सर्किल में पहुँचे

(च) सर्वेक्षण करना

(छ) पशु स्टेण्डों, खलिहालों, चारागाहों और सामुदायिक भूमि पर नियंत्रण करना

(ज) ऐसे मेलों, तीर्थ यात्राओं और उत्सवों का, जिनका प्रबन्ध राज्य सरकार या किसी पंचायत समिति द्वारा नहीं किया जाता है, स्थापना, रखरखाव और विनियमन करना।

(झ) बेरोजगारी की सांख्यिकी तैयार करना।

(ञ) ऐसी शिकायतों की समुचित प्राधिकारियों को रिपोर्ट करना, जो पंचायत द्वारा दूर नहीं की जा सकती हो।

(ट) पंचायत अभिलेखों की तैयारी, संधारण और अनुरक्षण करना।

(ठ) जन्म, मृत्यु और विवाहों का ऐसी रीति और ऐसे प्रारूप में रजिस्ट्रीकरण जो राज्य सरकार द्वारा निर्मित साधारण या विशेष आदेश का अभिकथन किया से किया जाये।

(ड) पंचायत सर्किल के भीतर के गाँव के विकास के लिए योजनाएँ तैयार करना।

जहाँ ग्राम पंचायत की भूमि का आंवटन किया जाना है वहाँ ऐसा आंवटन सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जाना चाहिए।

3. कृषि विस्तार सहित कृषि

(क) कृषि ओर बागवानी की प्रोन्नति और विकास करना

(ख) बंजर भूमि का विकास करना

(ग) चारागाहों का विकास और रख–रखाव तथा उनके अप्राधिकृत अन्य संक्रमण का उपयोग करना।

4. पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालनः–

1. पशुओं, कुक्कुटों और अन्य पशुधन की नस्ल का विकास करना।

2. डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन और सूअर पालन की प्रोन्नति करना।

3. चारागाहों का विकास करना।

5. मत्स्य पालन :–

गाँव (गाँवों) में मत्स्य पालन का विकास।

6. सामाजिक और फार्म वानिकी, लघुवन उपज,

ईधन और चाराः–

(क) गाँव और जिला सड़कों के पार्श्वों पर और उनके नियंत्रणाधीन अन्य लोक–भूमि पर वृक्षों का रोपण और परिरक्षण सुनिश्चित करना।

(ख) ईधन रोपण और चारा विकास करने के उपाय करना।

(ग) कार्य वानिकी को प्रोत्साहित करना।

(घ) सामाजिक वानिकी और कृषक पौधशालाओं का विकास करना।

7. लघु सिंचाईः–

50 एकड़ तक सिंचाई करने वाले जलाशयों पर नियंत्रण और उनका रख–रखाव।

8. खादी–ग्राम और कुटीर उद्योगः–

(क) ग्रामीण और कुटीर उद्योग को प्रोन्नत करना,

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों के फायदे के लिए चेतना शिविरों सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन करना।

9. ग्रामीण आवासनः–

(क) अपनी अधिकारिता के भीतर मुक्त आवास स्थलों का आवंटन करना।

(ख) आवास स्थलों और अन्य निजी तथा लोक सम्पत्तियों से सम्बन्धित अभिलेख रखना।

10. पेयजल

(क) पेयजल कुओं, जलाशयों और तालाबों का संनिर्माण, मरम्मत और रख–रखाव।

(ख) जल–प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण।

(ग) हैण्डपम्पों का रखरखाव और पम्प एवं जलाशय योजनाएँ।

11. सड़कें, भवन, पुलियाएँ, पुल, नौघाट, जलमार्ग और अन्य संचार साधन।

(क) ग्रामीण सड़कों, नालियों और पुलियाओं का संनिर्माण और रख–रखाव।

(ख) अपने नियंत्रणाधीन या सरकार या किसी भी लोक प्राधिकरण द्वारा उसे अन्तरिम भवनों का रख–रखाव

(ग) नावों, नौघाटों और जलमार्गों का रखरखाव।

12. ग्रामीण विधुतीकरणः–

इसमें लोकमार्गों और अन्य स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था करना और उसका रखरखाव सम्मिलित हैं।

13. गैर–परम्परागत ऊर्जा–स्रोतः–

(क) गैर–परम्परागत ऊर्जा योजनाओं की प्रोन्नति और रखरखाव।

(ख) सामुदायिक गैर–परम्परागत ऊर्जा युक्तियों का, जिनमें गोबर गैस संयत्र सम्मिलित है, रखरखाव।

(ग) विकसित चूल्हों और अन्य दक्ष ऊर्जा युक्तियों का प्रचार

14. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमः–

(क) अधिकाधिक नियोजन और उत्पादक आस्तियों आदि के सृजन के लिए गरीबी उन्मूलन सम्बंधी जनचेतना और उसमें भागीदारी को प्रोन्नत करना।

(ख) ग्रामसभाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों का चयन करना।

(ग) उपर्युक्त सभी के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुवीक्षण में भाग लेना।

15. शिक्षा (प्राथमिक)

(क) समग्र साक्षरता कार्यक्रम के लिए लोक–चेतना प्रौन्नत करना और ग्राम सेवा समितियों में भाग लेना।

(ख) प्राथमिक विद्यालयों और उनके प्रबंध में लड़कों का और विशेष रूप से लड़कियों का पूर्ण नामांकन व उपस्थिति सुनिश्चित करना।

16. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षाः–

प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम को प्रोन्नत करना और उसका अनुवीक्षण

17. पुस्तकालयः–

ग्रामीण पुस्तकालय और वाचनालय।

18. सांस्कृतिक क्रियाकलापः–

सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियान्वयन को प्रोन्नत करना।

19. बाजार और मेले

मेलों (पशु मेलों सहित) और उत्सवों का विनियमन

20. ग्रामीण स्वच्छताः–

(क) सामान्य स्वच्छता रखना

(ख) लोक–सड़कों, नालियों, जलाशयों, कुओं और अन्य लोक–स्थानों की सफाई।

(ग) श्मशान, शौचालयों, सुविधा पार्कों और स्नान स्थलों और सोकपिटों इत्यादि का संनिर्माण और रख–रखाव

(ड.) अदावाकृत शवों और जीवजन्तु के शवों का निपटारा करना।

(च) धोने और स्नान के घाटों का प्रबंध और नियंत्रण।

21. लोक–स्वास्थ्य और परिवार कल्याणः–

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

(ख) महामारी की रोकथाम और उपचार के उपाय

(ग) मांस, मछली और अन्य विनश्वर खाद्य पदार्थों के विक्रय का विनियमन।

(घ) मानव और पशु–टीकाकरण के कार्यक्रम में भाग लेना।

(ड.) खाने और मनोरंजन के स्थानों का अनुज्ञापन

(च) आवारा कुत्तों का नाश

(छ) खालों और चमड़ों के संस्करण, चर्मशोधन और रंगाई विनियमन

(ज) आपराधिक और हानिकारक व्यापार का विनियमन

22. महिला और बाल–विकास

(क) महिला और बाल कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना।

(ख) विद्यालय स्वास्थ्य और पोषाहार कार्यक्रमों को प्रोन्नत करना।

(ग) आंगनबाड़ी केन्द्रों का पर्यवेक्षण

23. विकलांगों और मंदबुद्धि लोगों के कल्याण सहित समाज कल्याणः–

(क) विकलांगों, मंदबुद्धि लोगों और निराश्रितों के कल्याण सहित समाज कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना।

(ख) वृद्ध और विधवा पेंशन तथा सामाजिक बीमा योजनाओं में सहायता करना।

24. कमजोर वर्गों और विशेषतया अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कल्याण।

(क) अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के सम्बंध में जनजागृति को प्रोन्नत करना।

(ख) कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भाग लेना।

25. लोक–वितरण व्यवस्थाः–

(क) आवश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बंध में जनजागृति को प्रोन्नत करना।

(ख) लोक–वितरण व्यवस्था का अनुवीक्षण

26. धर्मशालाओं और ऐसी ही संस्थाओं का सन्निनिर्माण और रख–रखाव

27. पशु शेडों, पोखरों और गाड़ी स्टेडों का सन्निर्माण और रख–रखाव

28. बूचड़खानों का सन्निर्माण और रख–रखाव

29. लोक–उद्यानों, खेल के मैदानों इत्यादि का रख–रखाव।

30. लोक–स्थानों में खाद के गड्ढों का विनियमन

31. शराब की दुकानों का विनियमन

32. पंचायतों की सामान्य शक्तियाँ

इस प्रकार ग्राम पंचायतों को अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत व्यापक अधिकार प्रदान किये गये है।[43]

उक्त पंचायतों के कार्य हैं। अतः पंचायत व्यवस्था को अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान करने क उद्देश्य से सम्पूर्ण भारत वर्ष में पंचायत व्यवस्था की संरचना एवं कार्यप्रणाली को पुर्नगठित करने का निर्णय लिया गया। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर संविधान में 73वां संशोधन कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और महिलाओं के लिए

---

[43] बाबेल, बसंतीलाल, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएं राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2014 पृ.सं. 50–52

पंचायत स्तर पर 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। जो बढ़ाकर अब 50 प्रतिशत कर दी गयी है।

राजनैतिक माहौल में सहभागी महिला प्रतिनिधियों के प्रति पुरूष समाज की रूढ़िवादी सोच बदलनी होगी। महिलाएं पहली बार राजनैतिक माहौल में आ रही है। इसलिए उनमें भय, संकोच एवं घबराहट होती है। ऐसी महिलाओं में साहस उत्पन्न करना होगा तथा महिलाओं को उनकी आंतरिक क्षमता एवं शक्ति पर भरोसा करना होगा। महिलाओं को भी पुरूषों जैसा ही मान–सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा देनी होगी तभी राजनीति में महिलाओं का सकारात्मक सहयोग प्राप्त हो सकेगा। राजनैतिक माहौल में अपराधीकरण, आतंकवाद, काला धन, चरित्र लांछन जैसे दुर्गुण हैं, इससे महिलाएं सार्वजानिक रूप से अलग रहती हैं। उन्हें सामाजिक अप्रतिष्ठा का भय बना रहता हैं। इसलिए राजनेताओं और राजनैतिक दलों द्वारा इस दूषित वातावरण में परिवर्तन लाना जरूरी है, ताकि महिलायें राजनीति में अपना सक्रिय योगदान दे सकें।[44]

साथ ही भारतीय संविधान के 73वें–74वें संशोधनों 1993 ने राजनीतिक अधिकारों की संरचना में महिलाओं के लिए समान भागीदारी तथा सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता दिलाई है। पंचायतीराज संस्थाएं सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने की प्रक्रिया में केन्द्रीय भूमिका निभाएंगी। पंचायतीराज संस्थाएँ तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाएं बुनयादी स्तर पर राष्ट्रीय महिला नीति के क्रियान्वयन तथा निष्पादन में सक्रिय रूप से शामिल होंगी।

साथ पंचायतों के जो कार्य निर्धारित किये गये हैं उसमें संरपच, पंच व उपसरपंच के दायित्व निर्धारित किये हैं और यह दायित्व महिला पुरूष दोनों के लिए समान है ताकि वह पंचायतों के कार्यों को पूर्ण कर सके इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके।

सरपंच के दायित्व :– महिला व पुरूष दोनों के लिए समान

1. बैठकों में लिये गये निर्णयों को लागू करना तथा समय–समय पर इन कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करना, चाहे जाने पर इस प्रगति से सदस्यों को अवगत कराना।
2. अधिनियम के तहत सौंपी गई संपूर्ण जिम्मेदारियों, कार्यों को संचालित करने के उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना।
3. आयोजित बैठकों की अध्यक्षता करना तथा चर्चा के विषयों में भाग लेना।

44 इन्टरनेट

4. जनपद पंचायत, जिला पंचायत तथा जिला प्रशासन से सही तालमेल व सहज संपर्क बनाए रखना।

5. ग्राम विकास की योजनाओं को बनाना, उन्हें लागू करने एवं समय–समय पर इनकी प्रगति का अवलोकन करना।

6. अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत में गठित समितियों की गतिविधयों पर नियंत्रण रखना एवं इनके कार्यों पर निगाह रखना।

7. विभिन्न विभागों के शासकीय कर्मचारियों और उनके द्वारा ग्राम पंचायतों में किये जाने वाले कार्यों पर नियंत्रण रखना।

8. समय–समय पर उचित कार्यों का मार्गदर्शन करना।

9. धर्म, जाति के आधार पर कोई भेद–भाव नहीं करना।

सरपंच या मुखिया ग्राम पंचायत का प्रमुख होता हैं। अतः उसको अधिनियम के तहत जो अधिकार और उत्तरदायित्व दिये गये हैं, उसका ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करना उसकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है।

उप–सरपंच के दायित्वः–

ग्राम पंचायत में सरपंच के बाद उप–सरपंच का स्थान होता हैं। उपसरपंच बनने वाला व्यक्ति अपने क्षेत्र का प्रतिनिधी भी होता हैं। यदि किसी कारणवश सरपंच अनुपस्थिति होता है, तो उसके सभी कार्यों की जिम्मेदारी उप–सरपंच की होती हैं उप–सरपंच का यह भी दायित्व है कि वह ग्राम विकास के संपूर्ण कार्यों के सम्पादन में सरपंच का सहयोग करें एवं आवश्यक होने पर उसे सुझाव भी दे। सरपंच का त्याग–पत्र देने या बर्खास्त करने की स्थिति में उसके सभी दायित्वों और कार्यों को उप–सरपंच को सौंप दिया जाता है और जब तक नए सरपंच का पद नहीं भरा जाता हैं, तब तक कार्य चलाने का उत्तदायित्व दिया जा सकता हैं। धारा 48 के तहत नियम द्वारा विहित की गई शक्तियों एवं कार्यों का पालन एवं संचालन उप–सरपंच द्वारा किया जायेगा।

पंच के दायित्व :–

1. ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कार्यसूची में शामिल किये जाने हेतु प्रस्ताव ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को भेजना।

2. अपने वार्ड की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना में उन कार्यों को सम्मिलित करवाने क लिए प्रस्ताव देना।

3. शासकीय अधिकारियों/अमले से जरूरी सहयोग प्राप्त करना तथा आवश्यक सहयोग देना।

4. अगर किसी विषय पर निर्णय लेने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर मतदान की आवश्यक होता है, तो अपना निष्पक्ष मत देना।

5. वह जिस वार्ड का प्रतिनिधि है, उसके समग्र विकास के लिए प्रयास करना।

6. कार्यसूची के किसी भी विषय पर ग्राम पंचायत की बैठक में जानकारी लेना एवं सुझाव देना।

7. ग्राम पंचायत के बजट की जानकारी प्राप्त करना।

8. ग्राम पंचायत क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं, निर्माण कार्यों एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करने का दायित्व पंच का होगा।

9. सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी के प्रचार–प्रसार में सहयोग देकर ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों/परिवारों तक इस जानकारी को पहुँचाने में सहयोग देना।

10. ग्राम पंचायत की गतिविधियों पर निगाह रखना और अगर कहीं पर कोई अनियमितता हो रही हो, तो उसकी तरफ ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव का ध्यान आकर्षित करना।

11. सरपंच तथा उपसरपंच को उनके कार्यों के संचालन में सहयोग करना और सहायता देना।

12. ग्राम पंचायत के सरपंच अथवा उप–सरपंच की अनुपस्थिति या उसके अपने पद पर न होने की दशा में ग्राम–पंचायत की बैठक हेतु अध्यक्ष को चुनना।

13. उप–सरपंच के चुनाव में मत देना।

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान परिपेक्ष्य में ग्राम–पंचायत का विशेष महत्व हैं। उद्भव काल से लेकर अब तक इसके स्वरूप में काफी बदलाव आया हैं। साथ ही इसके अधिकार व दायित्व भी बढ़े हैं। सरपंच एक प्रभावशाली व्यक्ति होता हैं। वह गाँव के विभिन्न छोटे–छोटे मामले स्वयं ही सुलझा सकता है। ग्रामीण विकास का सम्पूर्ण

दायित्व उसी पर होता है। सरकार द्वारा चलाई गई ग्रामीण विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं का लाभ गाँवों तक पहुँचाने में उसकी महती भूमिका होती हैं।[45]

राजनीतिक तंत्र में परिवर्तन का माध्यम बनी पंचायतीराज की नई व्यवस्था जिसमें पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गयी, उनका कार्य क्षेत्र परिभाषित किया गया, उनके संसाधनों के स्रोत निश्चित किये गये। इन्हें भारतीय राज्य का तीसरा स्तर कहा जाता है। ये संस्थाऐं नागरिक समाज एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करती हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित हुआ है कि तीनों स्तरों की पंचायतों की कम से कम एक–तिहाई सीटों और पदों पर महिलाएँ होगी। यदि आरक्षण मात्र महिलाओं को दिया गया होता तो ज्यादातर सवर्ण और सम्पन्न परिवारों की महिलाऐं ही दिखायी देती। इसलिए सामान्य वर्ग में ही नही, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर भी इन वर्गों की एक तिहाई महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। इस तरह पंचायत क्रांति को समाज के सभी वर्गों तक ले जाने की कोशिश हुई। यह पंचायतीराज व्यवस्था चार अवधारणाओं पर काम कर रही हैं।

पहला– पंचायतीराज के माध्यम से लोग राजनीति में ज्यादा प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे।

दूसरा– स्थानीय समुदाय को परिवर्तन का वाहक बनाने और उनमें योजनागत चेतना फूंकने से आर्थिक परिवर्तन तेजी से और सक्षमतापूर्वक होगा।

तीसरा– पंचायतों को शक्तियों का हस्तान्तरण होने से सरकारी संस्थानों सामुदायिक विकास केन्द्रों योजना समितियों को एक नयी समाज व्यवस्था एवं नागरिक समाज के उन्नयन यानि एक सहकारी समाज के लिए रास्ता साफ होगा।

चौथा – आम जनता के ऐसे समान अनुभव के आधार पर राजनीतिक संगठनों की ऐसी प्रणाली राष्ट्रीय एकता का वाहक बनेगी।[46]

---

45 शर्मा, रेखा, ग्रामीण महिलायें एवं पंचायतीराज, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012, पृ.सं. 108–110

46 कुमार पाण्डेय, जितेन्द्र, महिला सशक्तिकरण में पंचायतीराज की भूमिका, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, 2006, पृ.सं. 30

केन्द्रीय संवैधानिक प्रावधान

पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी महज प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में राजनैतिक सहभागिता के लिए ही आवश्यक नहीं समझा जाता, वरन् महिलाओं के लिए विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भी जरूरी माना जाता है।[47]

प्राचीन भारत में पंचायतीराज संस्थाऐं जनता की संस्था के रूप में काफी प्रभावकारी रूप से कार्य करती रही है। गाँवों के विकास में पुरूषों के समान महिलाओं की सहभागिता तथा भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान सर्वोपरि है। वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अहम् भूमिका निभाती है। जब तक महिलाएँ जागरूक नहीं होगी। तथा राष्ट्रीय विकास की धारा में अपनी सक्रिय भूमिका तथा भागीदारी नहीं निभायेंगी, तब तक राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हैं। इसी संदर्भ में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था यदि जनता में जाग्रति पैदा करनी है तो पहले महिलाओं मे जाग्रति पैदा करो। एक बार जब वे आगे बढ़ती है तो एक परिवार आगे बढ़ता है, गाँव तथा शहर आगे बढ़ता है, स्वयं सारा देश आगे बढ़ता है।[48]

हालांकि महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कानून और संवैधानिक प्रावधान हैं ताकि पंचायतों में महिलायें भी सक्रिय योगदान दे सके इसके लिए भारत में पंचायतराज संस्थाओं के विकास के स्वरूप को समझना आवश्यक है।

पंचायतीराज भारत की विलक्षण विशेषता है जन–जन को शासक की गतिविधियों में सक्रिय बनाये जाने के दृष्टिकोण पर आधारित पंचायतीराज व्यवस्था ऐतिहासिक अवधारणा है। प्रशासनिक संगठन एवं स्वरूप, चाहे जो रहा हो पंचायतीराज संस्थायें मानव की मनौवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक आवश्यकताओं के रूप में विद्यमान हैं।[49]

स्थानीय स्वशासनः–

पंचायतों के माध्यम से भारत जैसे विशाल और विविधताओं वाले देश मे प्रशासन आम लोगों तक पहुँचता है तथा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय लोगों के स्थानीय अधिकार द्वारा की जाती हैं यही सच्चे लोकतंत्र और पंचायती राज का सारतत्व है। शाब्दिक दृष्टि से

---

47 शर्मा, श्री कृष्णदत्त शर्मा एवं दाधीच, श्रीमती सुनीता, राजस्थान पंचायती कानून पंचायतीराज जन चेतना संस्थान, जयपुर, 1997, पृ.सं. 6

48 मिश्रा, श्वेता, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता, ग्रामीण विकास न्यूज लेटर, 1997, पृ.सं. 7

49 मंगलानी, रूपा, पंचायती राज की विकास यात्रा, राज. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2010, पृ.सं. 7

पंचायतीराज शब्द हिन्दी भाषा के दो शब्दों पंचायत और राज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ पाँच जनप्रतिनिधियों के समूह का शासन

ये पाँच प्रतिनिधि ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र तथा परमेश्वर । एक प्रसिद्ध कहावत भी है– पाँच पंच मिल कीजै काज, हारे जीतै हो न लाज। अर्थात पंचों के निर्णय में हार अथवा जीत में लज्जा या शर्मिदंगी नहीं होती है।

भारत मे ंप्राचीन पंचायती राज के विषय में आधुनिक साम्यवादी विचारधारा के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स ने अपनी कृति पूंजी (दास कैपिटल) में लिखा है प्राचीनकाल से चले आ रहे ये छोटे–छोटे भारतीय ग्राम समुदाय धार्मिक ढ़ंग से संयुक्त स्वामित्व तथा किसान और मजदूर के श्रम–विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित है। ये ग्राम–समुदाय अपने आप में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। एशियाई समाज में जो सुदृढ़ता, संगठन तथा स्वामित्व पाया जाता है, उसका मुख्य श्रेय इन स्वावलंबी ग्राम–समुदायों की उत्पादन प्रणाली को ही है। [50], [51]

भारत में पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता है। इसी तरह नगरपालिका के सदस्यों का निर्वाचन नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता है। स्थानीय संस्थाऐं आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाओं की क्रियान्विति में अत्यधिक सहायक होती है। भारत में सामुदायिक विकास की योजनाओं को पंचायतीराज के माध्यम से क्रियान्विति करने का प्रयास किया गया है। इसी तरह सैद्धान्तिक स्तर पर प्रो. हिक्स का इस संबंध में मत हैं कि राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है, उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार सम्पन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन इनको संगठित करने का सुगम मार्ग हैं।

पंचायतराज विकास के सोपानः–

भारत में स्थानीय शासन की जड़ें कहीं अधिक गहरी और प्राचीन है। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से ग्रामीण समुदाय कई अर्थों में स्वतंत्र ईकाई के रूप में क्रियाशील था। राजनैतिक दृष्टि से भी ग्रामीण समाज अपनी स्वतंत्र पहचान रखता रहा है। प्राचीन भारतीय राजव्यवस्था के विद्धान ए.एस. उन्तेयर तथा के.सी. जायसवाल जैसे विद्धानों का यह मत है कि ग्राम वैदिक काल से ही समुची राजव्यवस्था की ईकाई एवं धुरी के रूप में कार्य करते थे।[52]

50 पंचायतीराज अवधारणा एक विंहगम दृष्टि, कुरूक्षेत्र, अगस्त 2006, नई दिल्ली

51 जोशी, ओ.पी., मंगलानी रूपा, भारत में पंचायतीराज, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी 2010, पृ.सं. 1

52 सेठ, शमता, पंचायतीराज, हिमांशु पब्लिकेशन उदयपुर, नई दिल्ली, 2002, पृ.स.4

स्थानीय स्वशासन के अभितंत्र के रूप में पंचायतीराज संस्थाओं के अतीत से वर्तमान काल खण्ड तक के विकास का अध्ययन निम्नांकित शीर्षकों में किया जा सकता है।[53]

प्राचीन कालः–

पंचायत शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द पंचायत से हुई है जिसका मतलब हैं "पांच व्यक्तियों का समूह"

वैदिक साहित्य में स्थानीय स्वशासित संस्थाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। जो इनकी वैदिक काल में होने की पुष्टि करता हैं। वैदिक युग में यद्यपि प्रादेशिक राज्य व्यवस्था थी। परन्तु इनके प्रशासन की आधारभूत ईकाई ग्राम थी। इसके मुखिया को 'ग्रामणी' कहा जाता था। इस शब्द का उपयोग वैदिक साहित्य और जातक ग्रंथों में समान रूप से हुआ है। ग्रामणी अन्य वृद्धों के सहयोग से ग्राम का प्रशासन चलाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसकी संज्ञा 'ग्रामक' हो जाती है। उत्तर भारत में इसको ग्रामक भी कहा जाता था, जबकि दक्षिण में "मुनुन्द" महाराष्ट्र में ग्रामकुट या 'पद्टक किल' और कर्नाटक में "गांबुडा" कहते थे। इस काल में गांव की चौपाल पर बैठकर सभा सदस्य चर्चा किया करते थे, जिसमें राजा सहित सम्पूर्ण जनता भाग लेती थी।[54]

"प्रभानाथ बनर्जी के अनुसार वैदिक काल के प्रारंभिक काल में ग्राम स्वायत्तशासन ईकाई के रूप में केन्द्र नियंत्रण से दूर थे। ग्रामीणों द्वारा जो भी ग्रामीणी व अन्य गांव कार्मिक ग्रामीणों को नियुक्त किए जाते थे वे उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होते थे"[55]

महाकाव्य कालः–

उत्तर वैदिक काल में, रामायण एवं महाभारत में भी पंचायतों की महत्वपूर्ण स्थिति देखने को मिलती हैं। ग्राम के शासक को ग्रामीणी की जगह ग्रामिक कहा जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में राष्ट्रीय जीवन इन विभिन्न स्वायत्त शासनों में अपने आपको अभिव्यक्ति करता है, ऐसा करने में वास्तव में उन्होनें वैदिक परम्पराओं, सामुदायिक संस्थाओं को आगे बढ़ाया। इस काल में ग्राम प्रमुख को ग्रामीणी अथवा महत्तर के नाम से जाना जाता था।

---

53 जोशी, आर.पी., मंगलानी रूपा, भारत में पंचायतीराज, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 2010 पृ.स. 1

54 राय, स्नेह, 'कुरूक्षेत्र' ग्रामीण विकास मंत्रालय –10 अगस्त, नई दिल्ली, 2006, पृ.सं. 13

55 महीपाल, पंचायतीराज चुनौतियां एवं संभावनाएँ, नेशनल बुक इंडिया, नई दिल्ली, 2005, पृ.स. 3

बौद्धकाल में पंचायतों के बारे में जातक कथाओं से पता चलता हैं कि ग्राम के शासक को 'ग्राम–भोजक' कहा जाता था। सभी ग्राम संगठन का एक मनोरंजक और महत्वपूर्ण अंग थी, जिसमें ग्राम के वृद्ध बैठते थे, जो कुटुंब के सबसे बड़े–बूढ़े हुआ करते थे। उस समय ग्राम सभा के मुख्य कार्य थे– न्याय करना, गांव की आंतरिक सुरक्षा, सरकारी मकान, घाट, मंदिर, तलाब, कुएं बनवाना, कर वसूल करना तथा शिक्षा आदि।[56]

मौर्यकाल व गुप्तकाल में पंचायतीराजः–

मौर्य युग में ग्राम शासन की सबसे छोटी ईकाई थी व ग्राम की जनता द्वारा चयनित व्यक्ति 'ग्रामिक' ग्राम का मुखिया था।[57]

कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों की स्थानीय शासन एवं न्याय व्यवस्था में भूमिका का उल्लेख करते हुए लिखा है कि स्थानीय विवादों का निर्णय ग्राम वृद्ध या सांमत किसी विवादास्पद विषय पर निर्णय लेने में मतभेद रखते है तो उस स्थान की जनता की अनुमति से वहां के धार्मिक पुरूष उस विषय पर निर्णय से अथवा मध्यस्थ को नियत कराकर उससे निर्णय करवाया जा सकता है।[58]

गुप्तकालीन व्यवस्था में भी ग्राम पंचायत का अत्याधिक महत्व था। उस समय यद्यपि राजवंशी प्रणाली थी, लेकिन शासन का विकेन्द्रीकरण विभिन्न स्तरों पर किया गया था। ग्रामीण मामलों के प्रबंध हेतु एक पद सोपानिक पंचायती व्यवस्था विद्यमान थी। गुप्तकाल के बाद हूण, यशोधर्मन, मैत्रिक इत्यादि वंशों का शासन रहा। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में विशेष परिर्वतन नहीं किये। हर्षवर्धन के समय में ग्राम के मुखिया का चुनाव होता था। ग्राम की प्रशासनिक व्यवस्था में विशेष परिवर्तन नहीं किये। हर्षवर्धन के समय में ग्राम के मुखिया का चुनाव होता था। ग्राम की प्रशासनिक गतिविधयों का आपराधिक स्थितियों के निराकरण के लिए अष्टकुल अधिकरण नामक समिति अस्तिव में थी।

ग्राम के प्रभारी अधिकारी को ग्राम अक्षपटलक कहा जाता था।

पंचायती व्यवस्था का सर्वथा परिष्कृत व स्वर्णिक स्वरूप दक्षिण भारत के विशेषतया चोल शासन में दिखाई देता हैं। चोल अभिलेखों में स्थानीय स्वशासन की मौलिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता हैं। कोट्टम (गांव) से लेकर मण्डल/ प्रान्त तक स्वशासन की संस्थाऐं

---

56 पंचायतीराज अवधारणा एक विंहगम दृष्टि, कुरूक्षेत्र, अगस्त 2006, नई दिल्ली

57 जोशी, आर.पी., मंगलानी रूपा, भारत में पंचायतीराज, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी 2010, पृ.स.

58 पंचायतीराज अवधारण–एक विंहगम दृष्टि, कुरूक्षेत्र, अगस्त 2006, नई दिल्ली

थी, जो प्रशासन का कार्य देखती थी, क्लनाड़ (बड़े–प्रदेश) की सभा को नगस्तार, नाड़ृ (जिलें) में कार्यरत संस्था नाट्टर कहलाती थी।[59]

'दसवीं सदीं की शुक्राचार्य लिखित पुस्तक 'शुक्र नीति सार' में गांव की जिन्दगी एवं संगठन का वर्णन मिलता था। परन्तु ग्राम की पंचायत या चुनी हुई प्रतिनिधि सभा को न्याय और व्यवस्था दोनों ही के सम्बंध में बड़े अधिकार थे। नीतिसार में यह भी उल्लेख हैं कि पंचायतों के पदाधिकारियों के सालाना चुनाव होते थे, और जिनमें महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार होता था, उसमें महिलाएँ अपनी इच्छानुसार हिस्सा ले सकती थी।'[60]

मुगलकाल :–

मध्ययुगीन भारत मे दिल्ली सल्तनत काल मे राज्य की सबसे छोटी ईकाई ग्राम थी। 'ग्राम' का प्रबंधन लम्बरदारों, पटवारियों व चौकीदारों द्वारा किया जाता था। गांवों को अपने प्रबंधन के मामले में पर्याप्त स्वायत्ता प्राप्त थी। मुगलकालीन भारत में शासन की सबसे छोटी ईकाई ग्राम के शासन का प्रबन्धन पंचायत द्वारा किया जाता था।[61]

मध्यकुल में भी "पंचकुल" नाम से पंचायत की परम्परा अक्षुण्य रही। स्थानीय पुलिस प्रशासन व राजस्व प्रशासन भी पंचकुल के अधीन होते थे। मंदिरों की व्यवस्था "गोष्ठिक" लोग करते थे। जो प्रायः पंचकुलों की देखरेख में कार्य करते थे।[62]

प्राचीन पंचायतें चाहे जाति पंचायत के रूप में हो या एक न्यायिक या प्रशासनिक निकाय के रूप में प्रायः अपना विचार विमर्श सभी लोगों की उपस्थिति में करती थी, जो उपस्थित होने के लिए सचेत रहते थे।[63]

ब्रिटिशकाल में पंचायतीराजः–

ब्रिटिशकालीन स्थानीय शासन के विषय में अच्छा विवरण उपलब्ध होता है। संगठन और कार्यप्रणाली की दृष्टि से उसका व्यवस्थित प्रादुर्भाव ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत ही हुआ था। स्थानीय शासन की ईकाईयों को निर्वाचित स्वरूप देना, उसे करारोपण की विस्तृत शक्ति

---

59 पंचायतीराज अवधारण एक विहंगम दृष्टि, कुरूक्षेत्र, अगस्त 2006, नई दिल्ली,

60 नेहरू जवाहर लाल, हिन्दोस्तान की कहानी, सत्ता, साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1990, पृ.स. 335–36

61 जोशी, आर.पी. रूपा मंगलानी, "भारत मे पंचायतीराज", राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 2010, पृ.स. 9

62 सेठ, शमता, "पंचायतीराज" हिमांशु पब्लिकेशन, उदयपुर, नई दिल्ली, 2002, पृ.स. 9

63 शर्मा, श्रीमती पारूल, "पंचायतीराज प्रशासन, रितु पब्लिकेशन जयपुर, पृ.स. 30"

देना और प्रजातंत्र की पाठशाला के रूप में विकसित करने का कार्य ब्रिटिशकाल में ही हुआ है।[64]

ब्रिटिशकाल में 1687 से स्थानीय प्रशासन को महत्व प्रदान करना प्रारम्भ किया। लेकिन उनका ध्यान नगरीय स्थानीय प्रशासन को विकसित करने पर था। 1687 में उन्होंने मद्रास नगर निगम की स्थापना की। स्थानीय शासन की ईकाईयों को स्वरूप देना, उन्हें सुव्यवस्थित रूप से संगठित करना, उन्हे कर लगाने का अधिकार देना आदि ब्रिटिशकाल में ही प्रारम्भ हुआ। स्थानीय शासन ब्रिटिश काल में ब्रिटिश शासकों अधिकारियों के अधीन रहा इसलिए इसमें पूर्ण स्वायतत्ता या स्थानीय जनता की सहभागिता स्थापित नहीं हो सकी। किन्तु फिर भी ब्रिटिश शासन काल में भी शाही विकेन्द्रीकरण आयोग की सिफारिश पर सन् 1920 में उत्तरप्रदेश, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाये गये।[65]

अंग्रेजों का भारत में उद्देश्य शोषण करना था। अतः पंचायतों की व्यवस्था में इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिवर्तन किया गया। शासन संचालन के लिए अधिकतर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। पंचायत के अधिकार इनके हाथों में आना प्रारंभ हो गए। लॉर्ड कर्जन की केन्द्रीयकरण की नीति के फलस्वरूप इन संस्थाओं पर सरकारी वर्चस्व स्थापित हो गया।

पंचायतों पर प्रथम आक्रमण वर्ष 1773 में प्रारंभ हुआ। जब वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में रेग्युलेशन एक्ट द्वारा पंचायतों के अधिकार एक के बाद एक छीने जाने लगे। गांव से मालगुजारी एकत्र करने के लिए जमींदार नियुक्त हुए जो व्यक्तिगत रूप से लगान वसूल करने लगे। ब्रिटिश शासनकाल मे ंव्यापक पैमाने पर दीवानी एवं दण्ड न्यायालयों की स्थापना हुई, जिनका क्षेत्राधिकार गांवों तक भी सीमित था। इन न्यायालयों में अधिकांश मामलों की सुनवाई होने के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायतें धीरे–धीरे अपने प्राधिकार से शून्य होती गई। वर्ष 1821 में एल्फिन स्टोन ने ग्राम पंचायतों के महत्व को स्वीकार करते हुए कुछ राज्यों में जिला कोषों की स्थापना की गई तथा ग्रामीण प्रशासन को भू–राजस्व, शिक्षा एवं पथ कर लगाने के अधिकार प्रदान किए गए। वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपन ने ग्रामीण क्षेत्रों में बोर्ड अथवा मण्डलों की स्थापना का सुझाव दिया। वर्ष 1884 चेन्नई एवं बंगाल में यूनियन पंचायतों के गठन के संबंध में कार्यवाही एक उल्लेखनीय प्रयास था।

---

64 शर्मा अशोक, 'भारत में स्थानीय प्रशासन' आर.बी.एस.ई. पब्लिनशर्स, जयपुर, 2011, पृ.स. 16

65 चौहान, भीमसिंह, राजस्थान के पंचायतीराज में महिलाओं का योगदान, अरिहन्त प्रकाशन, जोधपुर, 2011

19वीं सदी के उत्तरार्द्ध मे ंदादाभाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय, विपिन चन्द्र पाल, रवीन्द्रनाथ ठाकुर आदि नेताओं ने ग्रामीण जनता को उसकी प्राचीन ग्राम पंचायतों तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज व्यवस्था की याद दिलाई। वर्ष 1907 में अंग्रेजों ने विकेन्द्रीकरण के लिए शाही आयोग गठित किया। वह देशभर में घूमा और उसने पंचायतों की स्थापना का सुझाव दिया। 1910 में इलाहाबाद में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान ब्रिटिश सरकार के समक्ष ग्राम पंचायतों की स्थापना की मांग रखी गई।

वर्ष 1915 की शासकीय रिपोर्ट में पंचायतों के विषय में कहा गया कि पंचायतों को निश्चित कर लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन इस पर प्रांतीय सरकार का नियंत्रण रखना चाहिए। इस बात का भी ध्यान चाहिए कि कर वसूली में पंचायतें इतनी मग्न न हो जाए कि वे अन्य कार्यों में शिथिल हो जाए। वर्ष 1919 में मांटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुझावों के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के पास होने के बाद पंचायतों की ओर कुछ ध्यान दिया गया। इसके लागू होने का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि पंचायतों का विषय केन्द्रीय सरकार का न होकर प्रांतीय सरकारों का विषय बन गया।

वर्ष 1920 में मद्रास प्रांत में पंचायत कानून बना। इसमें स्थानीय संस्थाओं और पंचायतों को अधिकार दिए गए। 1922 में गया में ंहुए कांग्रेस के सम्मेलन में देशबंधु चितरंजन दास ने अपनी पांच सूत्रीय योजना प्रस्तुत की थी। इसमें पंचायतों को भारतीय शासन के पुनर्निर्माण का आधार बनाया गया। इन पर ही उच्च स्तर की सरकार आधारित करने की तथा उन्हें अवशिष्ट शक्तियां देने की कल्पना की गई थी। 1930 से पंचायतों के अधिकारों में फिर कटौती की जाने लगी।

वर्ष 1935 में प्रान्तों को स्वायत्तता मिली। ग्रामीण क्षेत्रों मे ंपंचायतों का निर्माण होने लगा। वर्ष 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जनता के शासन की कई मांगे मान ली गई थी। परन्तु पंचायतों की दशा में कोई खास सुधार नहीं हुआ। 1942 के विद्रोही दौर में सारे अधिकार व्यवहारतः शासकीय विभागीय अधिकारियों को सौंप दिये गए। यद्यपि 1941 में ही पंचायतों के लिए अलग से विधान बनाने का एक दस्तावेज तैयार हुआ था। 1946 में जाकर ग्राम पंचायत अधिनियम बना।

समय–समय पर विभिन्न प्रान्तों के लिए ग्राम पंचायत संबंधी जो अधिनियम पारित किये गए वे इस प्रकार है– बंगाल में स्थानीय अधिनियम 1919, मद्रास में स्थानीय सरकार अधिनियम 1920, बम्बई ग्राम पंचायत अधिनियम 1920, बम्बई उत्तर प्रदेश पंचायत एक्ट 1920, बिहार

सरकार अधिनियम 1920, सेन्ट्रल प्रोविन्स अधिनियम 1920, पंचायत अधिनियम .... 1922, आसाम सरकार अधिनियम 1925, मैसूर ग्राम पंचायत अधिनियम 1928।

स्वतंत्रता के बाद प्रगति :–

लोकतंत्र की सबसे छोटी ईकाई पंचायत ही थी जो सदियों से भारत के शासन संचालन का आधार रही है।

संविधान का प्रारूप गांधीजी द्वारा दिखाया गया कि हमें सबसे निचले स्तर से काम आरंभ करना होगा अन्यथा उच्च तथा मध्य का तंत्र लड़खड़ाकर गिर जाएगा। स्वराज का अर्थ कुछ लोगों के हाथ में क्षमता नहीं है, बल्कि बहुमत के हाथ में, वह शासक को नियंत्रित कर सके, अर्थात् विकेन्द्रीकरण ही भारत के तंत्र का समाधान हैं।

इसके फलस्वरूप संविधान सभा का इस ओर ध्यान गया। राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों में पंचायत को स्थान दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 40 में उल्लेख किया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा, जो उनको स्वायत्त शासन ईकाई के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।

संविधान में ग्राम पंचायत को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में स्थान देकर उन्हें ऐच्छिक स्थिति में रखा गया। पंचायतों को सिर्फ नागरिक कार्य सौंपे गए।

वर्ष 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए जनसहभागिता की समस्या के समाधान के संबंध में अध्ययन करके सुझाव देने के लिए बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायतीराज का उद्‌घाटन करते हुए इस नए भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम बताया।

इसके बाद सही अर्थों में संविधान के 73वें 74वें सशोधनों के क्रमशः 24 अप्रैल और पहली जून 1993 को कानून बन जाने पर हमारे यहाँ मौजूदा पंचायतीराज प्रणाली की शुरूआत हुई। 73वें संविधान संशोधन ने मृतप्रायः पंचायतों को जीवन प्रदान किया। संवैधानिक दर्जा दिए जाने से उनका अस्तिव सुरक्षित हो गया। इससे पंचायतों को न केवल प्रशासनिक अधिकार

प्राप्त हुए बल्कि वित्तीय संसाधनों की गारंटी भी प्राप्त हुई। जिससे ग्रामीण विकास में सहायता प्राप्त हो सकेगी।[66]

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी विभिन्न केन्द्रीय व संवैधानिक प्रावधान आये जिनमें सबसे पहले राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 का उल्लेख किया जा रहा है।

1.1 संविधान न केवल महिलाओं के लिए समानता की बात करता है बल्कि राज्य को भी इस बात के लिए अधिकार देता हैं कि वह महिलाओं की बेहतरी के लिए सकारात्मक कदम उठाए।

1.2 एक जनतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में, हमारे कानून, विकास नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम इस तरह से बनाए गए हैं कि हर क्षेत्र में महिलाओं का उत्थान हो। पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–78) से महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चाहे वे उनके कल्याण से जुड़े हों या विकास से, दृष्टिकोण में स्पष्ट बदलाव आया हैं। हाल के वर्षों में महिला सशक्तिकरण को महिलाओं की स्थिति तय करने में केन्द्रीय मुद्दा माना गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया। ताकि महिलाओं के अधिकार और कानूनी हकों की रक्षा की जा सके। भारतीय संविधान में किए गए 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से महिलाओं के लिए पंचायतों व नगरपालिकाओं में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई हैं ताकि स्थानीय स्तर पर लिए जाने वाले नीतिगत फैसलों में उनकी भागीदारी को ठोस आधार मिल सके।

1.3 भारत ने महिलाओं के समान अधिकार को लेकर वचनबद्धता जताने वाले विभिन्न अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनों और मानवाधिकार पक्षों को अपना समर्थन दिया है। उनमें 1993 में आयोजित महिलाओं के खिलाफ सभी रूपों में होने वाले भेदभाव को हटाने को लेकर हुआ सम्मेलन सबसे प्रमुख है।

1.4 मैक्सिको प्लान ऑफ एक्शन (1975), दि नैरोबी लुकिंग स्ट्रेटेजीज (1985), दि बीजिंग डिक्लेरेशन, प्लेटफार्म फॉर एक्शन (1995) और 21वीं सदी में लैंगिक समानता और विकास व शांति पर यूएनजीए सत्र में अपनाया गया आउटकम डॉक्यूमेंट बीजिंग उद्घोषणा को लागू करने के लिए आगे की कार्यवाही और पहल तथा कार्यवाही के लिए मंच, को भारत ने बिना किसी हिचक अपनाया है।

1.5 इस नीति में नौंवी पंचवर्षीय योजना और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बनी क्षेत्रीय नीतियों में जो वायदे किए गए हैं, उनको भी ध्यान में रखा गया है।

---

66 पंचायत राज का विहंगम दृश्य, कुरूक्षेत्र, पृ.सं.–15, नई दिल्ली

1.6 महिला आंदोलन और गैर–सरकारी संगठनों के विशाल तंत्र, जिसकी व्यापक मौजूदगी है और जो महिलाओं के मुद्दों को बेहतर ढंग से जानते हैं, ने महिला सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय पहल करने में योगदान दिया है।

1.7 तथापि, एक तरफ संविधान, विधान, नीतियों योजनाओं, कार्यक्रमों और संबंधित तंत्र में तय किए गए लक्ष्यों और दूसरी तरफ भारत में महिलाओं की वास्तविक स्थिति के बीच अभी भी बड़ी खाई बनी हुई है। भारत में महिलाओं की स्थिति पर बनी समिति की रिपोर्ट समानता की ओर, 1974 में इस पर बड़े विस्तार से चर्चा की गई और राष्ट्रीय महिला परिप्रेक्ष्य योजना, 1988–2000, श्रमशक्ति रिपोर्ट, 1988 और प्लेटफार्म फॉर एक्शन, पांच साल बाद एक आंकलन में भी उसे प्रमुखता से रखा गया है।

1.8 महिला और पुरूष के बीच की गैर–बराबरी कई रूपों में सामने आती है जिनमें सबसे प्रमुख पिछले कई दशकों में आबादी में महिलाओं की लगातार कम होती संख्या है। समाज का बंद दायरा और घरेलु व सामाजिक स्तर पर हिंसा इसके अन्य रूप हैं। कन्याओं, युवतियों और महिलाओं के प्रति होने वाला भेदभाव देश के हर कोने में मौजूद है।

1.9 महिला–पुरूष के बीच असमानता के पीछे सामाजिक और आर्थिक ढ़ाँचे से जुड़े कारण हैं और वह ढ़ांचा औपचारिक व अनौपचारिक मान्यताओं व रिवाजों पर खड़ा हैं।

1.10 इसका परिणाम यह हुआ हैं कि महिलाओं खास तौर से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्ग की महिलाओं जिनमें से अधिकांश ग्रामीण इलाकों में रहती हैं और अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र से जुड़ी हैं, की शिक्षा/स्वास्थ्य और उत्पादक संसाधनों में हिस्सेदारी कम है। लिहाजा वे हाशिए पर रहती हैं, गरीब हैं और सामाजिक रूप से उन्हें बाहर निकाले जाने जैसी स्थिति हैं।[67]

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 के लक्ष्य और उद्देश्यः–

इस नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति विकास और सशक्तिकरण करना है। इस नीति का व्यापक प्रसार किया जाएगा ताकि इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी प्रोत्साहित की जा सके। विशेष रूप से, इस नीति के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं –

67 पाण्डेय, आर.सी., श्याम नारायण प्रधान, रमेश पाण्डेय महिलाओं के अधिकार, सुधाली पब्लिशर्स नई दिल्ली, पृ.सं 6–7

1. सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए वातावरण बनाना ताकि वे अपनी पूरी क्षमता को साकार करने में समर्थ हो सकें।

2. राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सिविल सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ सभ्यता के आधार पर महिलाओं द्वारा सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की विधितः और वस्तुतः प्राप्ति।

3. राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भागीदारी करने और निर्णय लेने में महिलाओं की समान पहुँच।

4. स्वास्थ्य देखभाल, सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार बराबर पारिश्रमिक, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी कार्यालय आदि में महिलाओं की समान पहुँच।

5. महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति के लिए विधिक प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण।

6. महिलाओं और पुरूषों दोनों की सक्रिय भागीदारी और संलिप्तता के माध्यम से सामाजिक सोच और सामुदायिक प्रथाओं में परिवर्तन लाना।

7. विकास की प्रक्रिया में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना।

8. महिलाओं और बालिका के प्रति भेदभाव और सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करना।

9. सभ्य समाज, विशेष रूप से महिला संगठनों के साथ साझेदारी का निर्माण करना और उसे सुढ़ृढ़ करना।[68]

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति के अन्तर्गत महिलाओं के लिए कानूनी व्यवस्था का विश्लेषणः—

1. मौजूदा कानूनी ढ़ांचे की समीक्षा की जाएगी और इस नीति को लागू करने के लिए चिन्हित विभागों द्वारा अतिरिक्त कानूनी प्रावधान बनाए जाएंगे। इसमें महिलाओं के प्रति भेदभाव करने वाले सभी प्रावधानों को दूर करने के लिए कार्यकारी और प्रशासनिक विनियमों सहित व्यक्तिगत परम्परागत और जनजातिय कानूनों, गौण कानूनों, सम्बन्धित नियमों व अन्य सभी मौजूदा कानूनों की समीक्षा की जायेगी।

[68] इंटरनेट

2. कानून को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के लिए सिविल सोसाइटी और समुदाय को शामिल किया जाएगा। यदि जरूरी समझा गया तो कानून में समुचित बदलाव किए जाएंगे।

3. इनके अलावा, कानून को प्रभारी ढंग से लागू करने के लिए निम्नलिखित अन्य विशेष उपाय किए जाएंगे।

1. सभी सुसंगत कानूनी प्रावधानों को सख्ती से लागू करना और शिकायतों को जल्दी निपटाना सुनिश्चित किया जाएगा। जिनमें हिंसा और महिला होने के नाते उन पर होने वाले अत्याचारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

2. कार्य करने के स्थान पर यौन–शोषण रोकने और सजा दिलाने, संगठित/गैर–संगठित क्षेत्र में महिला कर्मचारियों का बचाव करने और समान पारिश्रमिक अधिनियम तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे कानूनों को सख्ती से लागू कराने के उपाय किये जाएँगे।

3. महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपराधों के होने, उनकी रोकथाम जाँच पहचान और अभियोजन की सभी अपराध समीक्षा मंचों पर और केन्द्र, राज्य व जिला स्तर की संगोष्ठियों में नियमित रूप से समीक्षा की जायेगी। मान्यता प्राप्त स्थानीय, स्वैच्छिक संगठनों को शिकायत दर्ज कराने और महिलाओं व लड़कियों के खिलाफ हिंसा व ज्यादतियों से सम्बन्धित पंजीकरण, जांच और कानूनी कार्यवाही में मदद करने का अधिकार दिया जाएगा।

4. महिलाओं के खिलाफ हिंसा और ज्यादतियों को खत्म करने के लिए पुलिस थानों में महिला प्रकोष्ठ (वूमन सेल), महिला पुलिस थाना, परिवार अदालत, महिला अदालत, परामर्श केन्द्र, कानूनी सहायता केन्द्र और न्याय पंचायतों को मजबूत बनाया जाएगा और उनका विस्तार किया जाएगा।

5. विशेष रूप से तैयार किए गए कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों और अधिकार सूचना कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के कानूनी अधिकार, मानव अधिकार और अन्य हकों से जुड़े सभी पहुलओं पर सूचनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।[69]

---

[69] पाण्डेय, आर.सी., नारायण श्याम, पाण्डेय रमेश, महिलाओं के अधिकार, सुधाली पब्लिथर्स, नई दिल्ली, पृ.सं. 19

पंचायतीराज संस्थान

राजनीतिक सत्ता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उसमें शामिल होने के समान अवसर देने की दिशा में भारतीय संविधान में किए गए 73वें और 74वें संशोधन (1993) मील का पत्थर साबित हुए हैं। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रिया में ये पंचायती राज संस्थान प्रमुख भूमिका निभांएगे। जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति लागू करने में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय स्वशासन की सक्रिय साझीदारी होगी।[70]

भारतीय संविधान में उल्लेखित अधिकार :–

भारतीय संविधान में व्यक्ति, परिवार, समाज एवं देश से सम्बन्धित जितनी भी व्यवस्थाएं दी गई हैं, उनका अंतिम लक्ष्य यही है कि देश एक रहे और देशवासियों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता मिल सके, सभी को न्याय मिल सके, अवसरों की समानता हो और महिलाओं व पुरूषों को समान अधिकार मिलें ताकि वे बिना किसी रूकावट या भेदभाव के अपना विकास कर सकें। संविधान के अलग–अलग अनुच्छेदों में महिलाओं की बेहतरी व उनके सशक्तिकरण के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं।[71]

भारतीय संविधान के कई प्रावधान विशेषकर महिलाओं के लिए बनाए गए हैं।

संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता, अनुच्छेद 15 (3) में जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करना, अनुच्छेद 16 (1) में लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता–[72]

नौकरी के मामले में यदि महिलाओं के साथ कोई भेदभाव किया जाता है, और ऐसा भेदभाव संविधान में दिए गए समान अधिकारों के अनुच्छेद 19(1) (छ), 14 व 15 के खिलाफ हैं और ऐसी खिलाफत का कोई उचित कारण नहीं हैं तो वह संविधान की दृष्टि से अमान्य है।

"महिलाओं को नौकरी पाने के अधिकार से मना करने वाली पंजाब आबकारी अधिनियम की धारा 30 को सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध ठहराया और दिल्ली हाई कोर्ट के इस विचार से सहमति जताई कि धारा 30 के तहत पुरूषों द्वारा जिन स्थानों पर शराब या मादक पदार्थों का सेवन किया जाता हैं, वहाँ महिलाऐं भी कार्य कर सकती हैं।"

---

70 उपर्युक्त–1,

71 पाण्डेय, आर.सी., नारायण श्याम, पाण्डेय रमेश महिलाओं के अधिकार,सुधाली पब्लिशर्स, नई दिल्ली पृ.स. 22

72 इन्टरनेट

अनुज गर्ग एवं अन्य बनाम भारतीय होटल संघ एवं अन्य (ए.आई.आर. 2008 एससी 663) मामले में कोर्ट ने कहा कि महिला यदि अवयस्क नहीं है, शर्तों को पूरा करती है, योग्य एवं अनुभवी है तो बिना किसी न्यायपूर्ण कारण के उन्हें मना नहीं किया जा सकता हैं।

इसी प्रकार विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब युनिवर्सिटी (2003 (8) एससीसी 440) मामले को न तो कोई मामला माना और न ही समानता के अधिकार के खिलाफ माना।

सुश्री सी. बी. मुथम्मा बनाम भारत संघ (ए.आई.आर. 1979 एससी 1868) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक भेदभाव के आधार पर की गई अनदेखी को गलत माना।

अनुच्छेछ 19 द्वारा नागरिकों के भाषण देने इत्यादि संबंधी अधिकारों की रक्षा की गई हैं। इसके तहत् महिलाएँ भी समान रूप से शामिल हैं। महिलाओं को भी 'भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' वैसी ही हैं जैसी पुरूषों को है। कहीं भी बिना हथियार शांतिपूर्ण एकत्रित होने का अधिकार उन्हें भी वैसे ही मिला हुआ है जैसा पुरूषों को।

जीवन की स्वतंत्रता :– अनुच्छेद 21 में हर व्यक्ति को संविधान ने व्यापक मौलिक अधिकार प्रदान किया हैं। इसके तहत् व्यक्ति के जीवन के लगभग सभी क्रियाकलाप आ जाते हैं। यह अनुच्छेद कहता है कि किसी निर्धारित कानून की प्रक्रिया अपनाए बिना किसी व्यक्ति को उसके जीवन एवं स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ही कड़ा रूख अपनाया है – एपरल एक्पोर्ट प्रमोशन कांउसिल बनाम ए.के.चोपड़ा (1999) मामले में वरिष्ट अधिकारी ने अधीनस्थ महिला सहकर्मी की मर्यादा का ध्यान न रखते हुए उसे यौन–उत्पीड़न का शिकार बनाया एवं छेड़खानी की। इस मामले में विभागीय जाँच–पड़ताल के बाद अधिकारियों ने दोषी अधिकारी को बर्खास्त कर दिया।

एक अन्य मामले में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997,6 एससीसी 24) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक महिला सामाजिक कार्यकर्त्ता के साथ राजस्थान के गाँव में कई लोगों द्वारा बलात्कार किया जाना बड़ी ही चिंता व दुख का विषय है। एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 19(1) (छ) और 21 में शालीनता के साथ कार्य करने के महिलाओं के अधिकार के खिलाफ है।

पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह (एस आई आर 1999 एससी 2378) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी महिला की तलाशी केवल महिला ही ले सकती है।

अतः स्पष्ट है कि उक्त कुछ उदाहरणों से महिला अधिकारिता में बराबरी का अधिकार सुनिश्चित हो जाता है।[73]

अनुच्छेद 39

पुरूष और स्त्री नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।

पुरूषों व स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो।

अनु. 41

पुरूष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरूपयोग न हो।

अनु.42

के अंतर्गत महिलाओं हेतु प्रसुति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था।

अनु.43

यह मजदूरों के लिए वेतन तथा अच्छा जीवन जीने की व्यवस्था करता है।

अनु.44

राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान दीवानी संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

अनु. 51

प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है।

संविधान के नीति–निर्देशक तत्वों में महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित किये गये।

अनु. 325, 326

निर्वाचक नामावली में महिला और पुरूष को समान रूप से मत देने और चुने जाने का अधिकार देता है।

---

73 पाण्डेय, आर.सी. नारायण श्याम प्रधान, पाण्डेय रमेश, महिलाओं के अधिकार, सुधाली पब्लिशर्स नई दिल्ली, पृ.सं 24, 25, 26, 27

भारत में महिला मानवाधिकारों को मूल अधिकारों के साथ जोड़ा गया है तथा महिलाओं के लिए विस्तृत अधिकारों की विवेचना की गई है तथा इस संदर्भ में संविधान में विभिन्न अधिनियमों को स्थान दिया गया है।

1. सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 इस अधिनियम के अन्तर्गत सती कर्म करने के लिए कारावास और जुर्माना दोनों की सजा का प्रावधान है।

2. दहेज निवारण अधिनियम 1961 (संशोधित 1986) इसके अन्तर्गत दहेज लेने और देने के लिए दण्ड की व्यवस्था की गई है तथा दहेज हत्या पर 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है।

3. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 (संशोधित 1986) इसके अन्तर्गत व्यवस्था है कि संदिग्ध या अपराधी महिला से पूछताछ तलाशी एवं गिरफ्तारी केवल महिला पुलिस या सामाजिक कार्यकर्त्ता द्वारा की जायेगी।

4. बाल–विवाह अवरोध अधिनियम 1929 (संशोधित 1976) इस अधिनियम में 1976 में संशोधन कर विवाह की आयु लड़के के लिए 21 वर्ष तथा लड़की के लिए 18 वर्ष की गई तथा अपराध को संज्ञेय बना दिया गया।

5. औषधियों द्वारा गर्भ गिराने से सम्बन्धित अधिनियम 1971–इसके अन्तर्गत प्रारम्भिक रूप से महिलायें विशेषज्ञ के माध्यम से गर्भ गिरा सकती है, सम्बन्धित कागजात गुप्त रखे जायेंगे।

6. स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986–इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी महिला को इस प्रकार चित्रित नहीं किया जायेगा जिससे उसकी सार्वजनिक नैतिकता को आघात पहुँचे। इस अधिनियम में फिल्म सेंसर बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है जो ऐसी फिल्मों पर रोक लगायेगा जिनमें महिलाओं की मर्यादा भंग होती हो।

7. विशेष विवाह अधिनियम 1954–इसमें महिलाओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्रदान किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1954 स्त्रियों को भरण पोषण और दाम्पत्तिक अधिकार प्रदान करता है।

8. प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994– इसमें गर्भावस्था में बालिका भ्रुण की पहचान कराने पर रोक लगाई गई है।

इसके अलावा केन्द्र सरकार स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने के लिए जल्द ही संविधान में आवश्यक संशोधन करने जा रही है। लोकसभा व विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण को मूर्त रूप देने की कोशिशें भी तेज की जाएंगी। दोनों विधेयकों पर सरकार की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों सचिवों के समूह से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों से बातचीत करके जल्द विधेयक पारित कराने को कहा है। शहरी विकास मंत्रालय व ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी तैयारियाँ पूरी होने का दावा किया है। इस समय करीब 14 राज्यों में शहरी निकायों में और करीब 16 राज्यों में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण हैं केन्द्रीय कानून के द्वारा सभी राज्यों के लिए 50 फीसदी आरक्षण बाध्यकारी बनाया जाएगा। केन्द्र की कवायद को राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है।[74]

9. समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 – इसके अन्तर्गत समान कार्य हेतु महिलाओं को भी पुरूषों के समान पारिश्रमिक देने का प्रावधान किया गया है।[75]

घरेलू हिंसा अधिनियम

घरेलू हिंसा अधिनियम–2005

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं से जुड़े मानव अधिकारों की रक्षा करना है। इसे 26 अक्टूबर 2006 से समस्त भारत में लागू कर दिया गया है।[76]

सत्ता का भागीदारी :–

इसके अलावा, महिलाओं को राजनीतिक रूप से सक्षम बनाने के लिए देश की राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी, सुनिश्चित की है। अनुच्छेद 243 (घ) के अनुसार महिलाओं को पंचायत चुनावों में आरक्षण का अधिकार दिया गया है।[77]

केन्द्र सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कार्यक्रमों एवं योजनाओं को भी चलाया गया है, जो निम्नलिखित है–

1. समेकित बाल विकास योजना 1975

---

74 पंचायतीराज अपडेट इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसेज 8, नेलसन मंडेला रोड, नई दिल्ली, फरवरी 2017, पृ.सं. 6

75 अग्रवाल, सरोज, महिला अधिकारिता और सुरक्षा, साहित्य प्रकाशन, जयपुर

76 स्रोत– घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

77 पाण्डेय, आई.सी, नारायण श्याम प्रधान, पाण्डेय रमेश महिलाओं के अधिकार, सुथाली पब्लिशर्स, नई दिल्ली पृ.सं. 28

2. स्वावलम्बन योजना 1982

3. महिला समाख्या योजना 1989

4. पुनर्उत्पादित एवं बाल स्वास्थ्य योजना–1997

5. बालिका समृद्धि योजना 1997

6. महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए विश्रामगृह योजना 1999

7. किशोरी शक्ति योजना 2000

8. श्री शक्ति पुरस्कार योजना 2000

9. स्वधार योजना 2001

10. सर्व शिक्षा अभियान योजना 2001

11. जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना 2003

12. कस्तूरबा गांधी विशेष बालिका विद्यालय योजना–2004

13. उज्ज्वला योजना–2005

14. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना–2005

15. बालिका प्रोत्साहन योजना 2006

16. जननी सुरक्षा योजना 2006

17. इंदिरा गाँधी इकलौती कन्या छात्रवृत्ति योजना 2006

18. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना 2007

19. प्रियदर्शनी परियोजना–2008

20. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008

21. समेकित बाल संरक्षण योजना 2009

22. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना –2010

23. सबला योजना 2012

24. कार्यरत महिला हॉस्टल योजना 2013

25. स्वयंसिद्धा योजना 2013[78]

वर्तमान में भी केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण की कई योजनाएं बनाई है। वर्तमान में केवल केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए देश भर में लगभग 147 योजनाएं चलाई जा रही है जो समाज में महिलाओं की विभिन्न जरूरतों को पूरा करती है। ये योजनाएं सभी सामाजिक और आर्थिक वर्गों से आने वाली सभी आयु समूहों की महिलाओं के लिए है।

---

78 कश्यप, जगन्नाथ, "समग्र प्रयास से ही सुधरेगी बेटियों की दशा" कुरूक्षेत्र, जनवरी 2016, नई दिल्ली, पृ.सं. 9

प्रमुख महिला सशक्तिकरण योजनाओं की सूची दी गई हैं– कुछ योजनाएँ निम्न है।

- One Stop Centre for women in distress
- महिला शक्ति केन्द्र
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- Women's Help line
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
- महिला समाख्या योजना
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)
- सुकन्या समृद्धि योजना
- महिला अधिकारिता योजना
- Scholarships for Girls in Rural Areas
- Grant –in–aid Scheme for the welfare of women labour
- Working Women's Hostel
- Free legal aid
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान

उक्त प्रमुख योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः स्पष्ट है कि उक्त केन्द्रीय संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से महिलाओं को पूर्ण रूप सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि व राजनैतिक व सामाजिक क्षेत्र में प्रभावी भूमिका निभा सके।[79]

विभिन्न समितियों के सुझाव –

भारतीय संविधान एक विस्तृत दस्तावेज है जो अपनी वैधानिक हैसियत के आधार पर उन सिद्धान्तों व नीतियों की बात करता है जिसके दायरे में सरकारों को अपना शासकीय क्षेत्र तैयार करना है। सुचारू रूप से सरकार चलाने के लिए जितने व जो भी अंग जरूरी है, वे किन सिद्धान्तों व नीतियों पर काम करेंगे, उनका वर्णन इसमें किया गया है 1950 में गणतंत्र बनने के साथ ही जनता को सर्वोपरि माना गया। संविधान की प्रस्तावना इसकी पुष्टि करती है जिसकी शुरूआत में ही कहा गया है, हम भारत के लोग खुद को यह संविधान प्रदान करते है।[80]

केन्द्रीयकरण –

आजादी के पश्चात् भारत में जो लोकतांत्रिक पद्धति अस्तित्व में आयी उसके प्रारम्भिक चरणों में केन्द्रीयकरण पर बल दिया गया। जिसमें पंचायतीराज की व्यवस्था को मूर्तरूप देना संभव ना हो सका। राजनैतिक इच्छा शक्ति और नौकरशाही दोनों ही एक हद तक इसके लिए जिम्मेदार रहे हैं। केन्द्रीयकरण से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में नया मोड़ पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस कथन से आया जिसमें उन्होने ग्रामीणों को अधिकार देने और अपने विकास के मार्ग को स्वयं तय करने के संबंध में कहा गया था कि, "गाँवों के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए, उनको काम करने दो चाहे वे हजारों गलतियाँ करें। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं हैं। पंचायतों को अधिकार दें।" इस कथन ने भारत की ग्रामीण जनता को ऐसा अस्त्र प्रदान करने का कार्य किया जिससे वे अपनी भूख, गरीबी और अशिक्षा जैसी सदियों पुरानी सामाजिक बुराइयों को दूर करने में जागरूक हो सके। इसी क्रम में प्रथम पंचवर्षीय योजना (1952–57) के दौरान 2 अक्टूबर 1952 को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र और क्रांतिकारी उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.) की शुरूआत हुई। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता, सिंचाई, ग्रामोद्योग, सड़क परिवहन, पशुपालन को समर्पित यह कार्यक्रम विश्व में अपनी किस्म का एक अनूठा ग्राम विकास कार्यक्रम था। किंतु यह निष्कर्ष निकला कि जागरूकता कार्यक्रमों के अभाव में सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ग्रामीणों ने रूचि

---

[79] इंटरनेट

[80] पाण्डेय, आर.सी., प्रधान श्याम नारायण, पाण्डेय रमेश, महिलाओं के अधिकार, सुधाली पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृ.सं. 22

नहीं दिखाई जिससे यह कार्यक्रम असफल हो गया। इस कार्यक्रम की विफलता ने नीति निर्माताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया।[81]

सामुदायिक विकास के प्रयोग के समय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु पंचायतों के माध्यम से जन–सहभागिता प्राप्त करना आवश्यक माना गया। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु ग्राम प्रखण्ड और जिले स्तर पर तीन स्तरीय निर्वाचित पंचायतीराज संस्थाओं की स्थापना की संस्तृति प्रस्तुत की थी।[82]

स्वतंत्र पंचायतीराज व्यवस्था के पुनः निर्माण का प्रयास किया गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था को आधार देने के सम्बन्ध में समय–समय पर अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये गए जिनका विवरण निम्न है :–[83]

सारणी 3.1 : आधुनिक भारत में पंचायतीराज व्यवस्था का विकास में निम्न समितियों का योगदान है।

क्र.स.	वर्ष	कार्यक्रम आयोग का नाम
1	मई, 1954	कांग्रेस कार्य समिति की बैठक
2	जून, 1954	स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्रियों का सम्मेलन
3	सितम्बर, 1954	आचार्य विनोभा भावे का पांच सूत्री कार्यक्रम
4	1957	बलवंत राय मेहता समिति का गठन
5	2 अक्टूबर 1959	पंचायतीराज का शुभारम्भ
6	1966	ग्रामीण नगरीय समिति का गठन
7	1977	अशोक मेहता समिति का गठन
8	1985	डॉ. जी.वी.के. राव समिति
9	1986	पंचायतीराज संस्थाओं की समीक्षा व अनुशंसा हेतु एल.एम. सिंघवी समिति का गठन
10	1988	न्यायमूर्ति आर.आर. सरकारिया की अध्यक्षता में आयोग का गठन
11	1989	पी. के. थुंगन समिति
12	1989	64वां संविधान संशोधन
13	25 अप्रैल 1993	73वां संविधान संशोधन
14	1997	मुख्यमंत्रियों की बैठक

---

81 सिंह, तीर्थ प्रकाश, कुमार संतोष, "पंचायतीराज यथार्थ के आइने में", कुरूक्षेत्र, 2007 पृ. सं. 10

82 दत्त, विजय रंजन, "पंचायतीराज संकल्पना और वर्तमान स्वरूप" सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, पृ.सं. 100

83 सिंह, तीर्थ प्रकाश व कुमार, संतोष, पंचायतीराज यथार्थ के आइने में, कुरूक्षेत्र, 2007, पृ.सं.10

'भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में स्पष्ट किया गया हैं कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें इस प्रकार की शक्ति देगा कि वे स्थानीय स्वायत्त शासन इकाईयों के रूप में अच्छी तरह कार्य कर सके।'[84]

पंचायतीराज की स्थापना के पीछे मूल लक्ष्य ग्रामीण विकास की विविध योजनाओं को सफल बनाना था। स्वतंत्र भारत में सामुदायिक विकास योजनाओं का आरंभ पंचायतीराज की स्थापना की दिशा में एक कदम था।[85]

बलवंतराय मेहता समिति (1957)

पंचायती राज व्यवस्था की नींव सर्वप्रथम बलवंतराय मेहता समिति द्वारा रखी गई। जिसने अपनी रिपोर्ट 24 नवम्बर 1957 को सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की जिसका विवरण निम्न है –

पंचायतीराज का ढाँचा त्रिस्तरीय होगा–

यह ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत

ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति

जिला स्तर पर जिला परिषद

पंचायतें पूर्ण रूप से निर्वाचित इकाईयों होनी चाहिए।[86]

'बलवंत राय मेहता' कमेटी ने महिलाओं के ग्रामीण राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व पर विशेष बल दिया। अतः उसने सिफारिशों कि पंचायत समिति के 20 सदस्यों के अलावा 12 महिलाओं को जो महिलाओं तथा बच्चों के काम में रूचि रखती हों सहयोजित सदस्यों के रूप में लिया जाये।[87]

पंचायतों में महिलाओं के 2 और अनुसूचित जाति और जनजाति के 1–1 सदस्यों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान होना चाहिए।

---

84 जोशी, ओ.पी., रूपा मंगलानी, पंचायतीराज के नवीन आयाम, युनिवर्सिटी बुक हाउस, प्रा.लि., जयपुर, 1998, पृ.सं. 5

85 सेठ, शमता, पंचायतीराज, "हिमांशु पब्लिकेशन्स उदयपुर", नई दिल्ली, 2002, पृ.सं. 21

86 सिंह, तीर्थ प्रकाश व कुमार, संतोष, "पंचायती राज यथार्थ के आइने में", कुरूक्षेत्र अगस्त 2007 पृ.सं. 10

87 चौहान, भीमसिंह, राजस्थान के पंचायती राज में महिलाओं का योगदान, अरिहन्त प्रकाशन, जोधपुर, 2011, पृ.सं. 61

– पंचायत का अपने क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाले सभी विकास कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। सरकार का कार्य केवल नियोजन, निरीक्षण और निर्देशन तक समिति होना चाहिए।

– केन्द्र या राज्य सरकार के निर्देशन और नियंत्रण ब्लॉक स्तर पर होने चाहिए। समस्त आर्थिक सहायता पंचायत समिति के माध्यम से व्यय की जानी चाहिए।

– सफाई, जल आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, सड़कों का रख–रखाव तथा भूमि प्रबन्धन ग्राम पंचायतों का अनिवार्य कर्तव्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

– बलवंतराय मेहता समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की स्पष्ट छाप दिखाई देती हैं।[88]

अशोक मेहता समिति (1977)

1977 में केन्द्र में स्थापित जनता की सरकार में पंचायतीराज व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने पंचायतीराज व्यवस्था की समीक्षा के साथ–साथ इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपने सुझाव दिए।[89]

– पंचायतीराज का ढांचा त्रिस्तरीय न होकर द्विस्तरीय होना चाहिए। पहला जिला स्तर पर तथा दूसरा मण्डल स्तर पर। जिला स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर मण्डल पंचायत।

– जिला परिषदों का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होना चाहिए।

– जिला परिषद को जिलाधिकारी के अधीन किया जाना चाहिए।

– जिला परिषद का अध्यक्ष गैर–सरकारी व्यक्ति होना चाहिए।

– जिला परिषद के बाद मण्डल पंचायतों को विकास कार्यक्रम का आधारभूत संगठन बनाया जाए। मण्डल पंचायते 15000 से 20000 की जनंसख्या पर गठित की जाएगी।

– पंचायतों को केवल जनता के विचार जानने की सभा न बनाकर, उन्हें उपलब्ध संसाधनों से स्वयं अपने लिए योजना तैयार करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए।

---

88 उपर्युक्त, कुरूक्षेत्र, पृ.सं. 11

89 राठौड गधु, "पंचायतीराज और महिला विकास" पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर , 2002 पृ.सं. 6,7

- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए।
- पंचायती चुनाव में राजनीतिक दलों को भाग लेने की सुविधा होनी चाहिए।
- पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए। मंडल और जिला स्तर पर दो ऐसी महिलाओं को भी, जिन्होंने जिला परिषद के चुनावों मे अधिकतम मत प्राप्त किए हो, परिषद का सदस्य बनाया जाएगा।[90]

जी.वी.के. राव समिति –1985

1985 में जी.वी. के राव समिति ने स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी पर जोर दिया। उनका कहना था कि इससे स्थानीय संस्थाओं की स्वायत्तता, प्रशासनिक दक्षता, तथा योजना के सूक्ष्म पहलुओं को समझने की क्षमता में वृद्धि होगी। इन समितियों का यह स्पष्ट अभिमत था कि योजना के घोषित लक्ष्यों और रणनीति की दृष्टि से इन संस्थानों को सक्रिय रूप से भागीदार बनाया जाना चाहिए। क्योंकि स्थानीय स्तर पर इन निकायों का अन्य कोई विकल्प नहीं है।[91]

इस समिति के अनुसार पंचायत समिति या ग्राम व मण्डल पंचायत स्तर पर बच्चों, महिलाओं व प्रोढ़ों के कल्याण के लिए उपसमिति का गठन का प्रावधान था।

जो विभिन्न समाजसेवी संस्थाऐं ग्रामों में कार्य कर रही हैं, पंचायतों को विभिन्न समितियों से उनकी सेवाऐं लेनी चाहिए।[92]

एल. एम. सिंघवी समिति – 1986

एल. एम. सिंघवी की अध्यक्षा में 16 जून 1986 को पंचायतीराज संबंधी प्रपत्र जारी करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति बनाई जिसने 27 नवम्बर 1986 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने पंचायत का अवलोकन व मूल्यांकन करने के बाद पंचायतीराज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न सिफारिशें की। इनमें प्रमुख सिफारिशें पंचायतीराज प्रणाली के कुछ पहलुओं को संवैधानिक दर्जा दिये जाने वाले कुछ पहलुओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए था ताकि इन्हें राजनीतिज्ञों और नौकरशाही हस्तक्षेपों से दूर रखा जाए। समिति ने पहली बार पंचायतों से सम्बन्धित संविधान संशोधन विधेयक का मसौदा भी तैयार किया। इस

---

90 उपर्युक्त पृ.सं. 11

91 सेठ, शमता, "पंचायतीराज" हिमांशु पब्लिकेशन्स, उदयपुर नई दिल्ली, 2002, पृ.सं.28

92 सिंह, तीर्थ प्रकाश व कुमार, संतोष, "पंचायती राज यथार्थ के आइने में", कुरूक्षेत्र अगस्त 2007 पृ.सं. 12

समिति ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण पर विशेष बल दिया ताकि जनता अधिक पंचायत के कार्यों में सहभागी बन सके।[93]

निर्देशः—

– इन संस्थाओं के कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाये।

– ग्रामीण योजना के प्रारम्भिक निर्णयों को लागू करने के स्तर पर पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

– ग्राम सभा को इन संस्थाओं की आधारभूत इकाई बनाना चाहिए।[94]

64 वां संवैधानिक संशोधन विधेयक (1989)

15 मई 1989 को संसद में 64वां सवैधानिक संशोधन विधेयक लाया गया। इस विधेयक के मुख्य प्रावधान निम्न थेः—

- पंचायतीराज संस्थाओं का ढांचा त्रिस्तरीय होगा— ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर।
- छोटे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वे द्विस्तरीय ढांचा भी अपना सकते है।
- पंचायतों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा।
- महिलाओं का यह आरक्षण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्राप्त आरक्षण के अलावा होगा।
- पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। यदि किसी पंचायत का निर्धारित अवधि से पूर्व विघटन हो जाता है तो अधिकतम 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होगा।
- पंचायतीराज संस्थाओं को अपने क्षेत्र के भीतर विकास की योजना का निर्माण करने का अधिकार होगा।

---

93 सिंह, तीर्थ प्रकाश व कुमार, संतोष, "पंचायती राज यथार्थ के आइने में", कुरूक्षेत्र अगस्त 2007 पृ.सं. 12

94 शर्मा, श्री गिरिराज, पंचायतीराज और कमजोर वर्ग, आलेख पब्लिशर्स, जयपुर, 2008 पृ. सं 43,44

- 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक (1989) लोकसभा में पारित हो गया लेकिन राज्य–सभा में पारित न हो सका, फिर भी पंचायतीराज व्यवस्था को मजबूत बनाने में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया।[95]

"इस विधेयक में यह भी प्रावधान था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पंचायतों के लेखों की लेखा परीक्षा कराने की प्रणाली निर्धारित करेगा। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किया जायेगा। जो इस राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करवायेगा तथा यह भी प्रावधान है कि पंचायतों के चुनाव, चुनाव आयोग द्वारा कराये जायेंगे। विधेयक में 11 वीं अनुसूची द्वारा पंचायतों को शक्ति प्रदान की गई। विधेयक में ग्रामसभा को कोई स्थान प्रदान नहीं किया गया।"[96]

72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991, 16 सितम्बर 1991 को पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 72वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत यह विधेयक वस्तुतः 64वें विधेयक की ही संशोधित प्रति थी। इसमें वे सभी बिन्दु शामिल किये गये जो 64वें विधेयक में थे।

मुख्य अंतर ढाँचे के बारे में था। 64वें विधेयक में तीनों स्तरों पर पंचायती राज संस्थानों का गठन आवश्यक रखा गया था, जबकि 72वें संशोधन विधेयक में केवल ग्राम सभा की ही बाध्यता थी। मध्य स्तर एवं जिला स्तर पर पंचायतीराज संस्थाओं के गठन के बिन्दु को राज्य सरकारों की इच्छा पर छोड़ दिया गया। 64वें संशोधन के रूप में जोड़े जाने के लिए प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे। इस विधेयक में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होगी जैसे कि राज्य सरकार विधानसभा के प्रति होती है। ग्राम के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होंगे तथा यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की समस्त पंचायतों के एक तिहाई अध्यक्ष पदों पर भी महिलाएँ ही आसीन होगी।[97]

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 :–

– स्वतंत्रता पश्चात् देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे नीति–निर्माताओं द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया। इस संविधान में नियमों के अनुरूप व एक नियत प्रक्रिया के अधीन जब भी कुछ परिवर्तन किया जाता हैं या उसमें कुछ नया जोड़ा जाता है, हटाया जाता है तो यह संविधान संशोधन अधिनियम कहलाता है। भारत में

---

95 राय, स्नेह, "कुरूक्षेत्र", ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, अगस्त 2006, पृ.सं. 15

96 शर्मा, श्रीमती पारूल, "पंचायतीराज प्रशासन" रितु पब्लिकेशन्स जयपुर, 2007, पृ.सं 85, 86

97 मिश्र निरंजन, "भारत में पंचायतीराज" परिबोध पब्लिशर्स जयपुर, 2006 पृ.सं. 48

सदियों से चली आ रही पंचायत व्यवस्था जो कई कारणों से काफी समय से मृतप्रायः हो रही थी, को पुर्नजीवित करने के लिये संविधान में संशोधन किये गये। ये संशोधन 73वाँ व 74वाँ संशोधन अधिनियम कहलाये। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के नगरीय क्षेत्रों में नगरीय स्वशासन की स्थापना की गई। इन अधिनियमों के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में नयी पंचायती राज व्यवस्था को आवश्यक रूप से लागू करने के नियम बनाये गये। इस नये पंचायती राज अधिनियम से त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने एवं स्थानीय स्तर पर उसे मजबूत बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस अधिनियम में जहाँ स्थानीय स्वशासन को प्रमुखता दी गई हैं वहीं दूसरी ओर सरकारों को विकेन्द्रीकरण हेतु बाध्य करने के साथ–साथ वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वित्त आयोग का भी प्रावधान किया गया है।

73वां संविधान संशोधन अर्थात "नया पंचायतीराज अधिनियम" प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को जनता तक पहुँचाने का एक उपकरण है गांधी जी के स्वराज के स्वप्न को साकार करने की पहल है। पंजायतीराज स्थानीय जनता का जनता के लिये, जनता के द्वारा शासन है।

73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है जिसमें पंचायतों से संबंधित व्यवस्था का पूर्ण विधान किया गया है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं है–

1. संविधान में ग्राम–सभा को पंचायतीराज की आधारभूत इकाई के रूप में स्थान मिला है।

2. पंचायतों की त्रि–स्तरीय व्यवस्था की गयी है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर (ब्लॉक स्तर) क्षेत्र पंचायत व जिला स्तर पर जिला पंचायत की व्यवस्था की गयी है।

3. प्रत्येक स्तर पर पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किये जाने की व्यवस्था है। लेकिन क्षेत्र व जिला स्तर पर अध्यक्षों के चुनाव चुने हुए सदस्यों में से, सदस्यों द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।

4. 73वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए उस क्षेत्र की कुल जनंसख्या में उसके प्रतिशत के अनुपात से सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक तिहाई भाग प्रत्येक स्तर पर आरक्षित किया गया है।

अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में

ही आरक्षण की व्यवस्था है। प्रत्येक स्तर पर अध्यक्षों के लिए कुल पदों का एक तिहाई भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।

5. अधिनियम में पंचायतों का कार्यकाल (पाँच वर्ष) निश्चित किया गया है। यदि कार्यकाल से पहले ही पंचायत भंग हो जाये तो 6 माह के भीतर चुनाव कराने की व्यवस्था है।

6. अधिनियम के द्वारा पंचायतों से संबंधित सभी चुनावों के संचालन के लिए राज्य चुनाव आयोग को उत्तरदायी बनाया गया है।

7. अधिनियम के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया हैं, ताकि पंचायतों के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध हो जिससे विभिन्न विकास कार्य किये जा सके।

73वें संविधान संशोधन की मुख्य बातें–

लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये नई पंचायतराज व्यवस्था एक प्रशंसनीय पहल हैं। गांधी जी का कहना था कि "देश में सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित होगा जब भारत के लाखों गांवों को अपनी व्यवस्था स्वयं चलाने का अधिकार प्राप्त होगा। गांव के लिये नियोजन, प्राथमिकता का चयन लोग स्वयं करेंगे। ग्रामीण अपने गांव विकास सम्बंधी सभी निर्णय स्वयं लेंगे। ग्राम–विकास कार्यक्रम पूर्णतयाः लोगों के लिये और सरकार उनमें अपनी भागीदारी देगी।" गांधी जी के इस कथन को महत्व देते हुये तथा उनके ग्राम–स्वराज के स्वप्न को साकार करने के लिये भारतीय सरकार ने पंचायतों को बहुत से अधिकार दिये हैं। 73वें संविधान अधिनियम में निम्न बातों को शामिल किया गया है–

- 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायतों को पहली बार संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है अर्थात पंचायतीराज संस्थाऐं अब संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाऐं हैं।

- नये पंचायतीराज अधिनियम के अनुसार ग्राम को संवैधानिक स्तर पर मान्यता मिली है। साथ ही इसे पंचायत व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया गया है।

- यह तीनों स्तरों ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत पर चलने वाली व्यवस्था है।

- एक से ज्यादा गांवों के समूहों से बनी ग्राम पंचायत का नाम सबसे अधिक आबादी वाले गांव के नाम पर होगा।

- इस अधिनियम के अनुसार महिलाओं के लिये त्रिस्तरीय पंचायतों में एक तिहाई, सीटों पर आरक्षण दिया गया है।

  अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। आरक्षित वर्ग के अलावा सामान्य सीट से भी ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं।

- पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष तय किया गया हैं तथा कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराया जाना अनिवार्य किया गया है।

- पंचायत 6 माह से अधिक समय के लिये भंग नहीं रहेगी तथा कोई भी पद 6 माह से अधिक खाली नहीं रहेगा।

- इस संशोधन के अन्तर्गत पंचायते अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की योजनायें स्वयं बनायेंगी और उन्हें लागू करेंगी। सरकारी कार्यों की निगरानी अथवा सत्यापन करने का भी अधिकार उन्हें दिया गया है।

- 73वें संशोधन के अन्तर्गत पंचायतों को ग्राम–सभा के सहयोग से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थी के चयन का भी अधिकार दिया गया है।

- हर राज्य में वित्त आयोग का गठन होता है यह आयोग हर पाँच साल बाद पंचायत के लिये सुनिश्चित आर्थिक सिद्धान्तों के आधार पर वित्त का निर्धारण करेगा।

- उक्त संशोधन के अन्तर्गत ग्राम प्रधानों का चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्षों का चयन निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाना तय है।

- पंचायत में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये छः समीतियों–

  नियोजन एवं विकास समिति
  शिक्षा समिति तथा निर्माण कार्य समिति
  स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति
  प्रशासनिक समिति
  जल–प्रबन्धन समिति

की स्थापना की गयी है। इन्हीं समितियों के माध्यम से कार्यक्रम नियोजन एवं क्रियान्वयन किया जायेगा।

हर राज्य में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। यह आयोग निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन कार्य, उसका निरीक्षण तथा उस पर नियंत्रण भी रखेगा।

कुल मिलाकर संविधान के 73वें सशोधन ने नवीन पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत न सिर्फ पंचायतों को केन्द्र एवं राज्य सरकार के समान एक संवैधानिक दर्जा दिया है, अपितु समाज के कमजोर, दलित वर्ग तथा सदा से शोषित होती आई महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का भी अवसर दिया है।[98]

संविधान (74वां संशोधन) विधेयक 1990–

इस विधेयक में प्रत्येक गांव में ग्राम सभा की स्थापना गांव तथा अन्य स्तर पर पंचायत संविधान, स्थानीय सत्ताओं को शक्ति एवं सत्ता प्रदान करना, वित्त आयोग का अलग से संविधान, स्थानीय सत्ताओं का कार्यकाल 5 वर्ष तथा उनके भंग होने पर 6 महीने में पुनः चुनाव करवाने पर जोर दिया गया था। यह विधेयक 1990 में प्रस्तावित किया गया तथा लोकसभा बीच में ही भंग हो जाने के कारण यह विधेयक बीच में ही समाप्त हो गया था।[99]

अतः स्पष्ट हैं कि पंचायतराज को मजबूती प्रदान करने के लिए समय–समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया और महिलाओं को सक्रिय योगदान हेतु आरक्षण प्रदान करने के साथ उक्त विभिन्न सुझावों से उनकी राजनैतिक सक्रियता को बढ़ाने का पूर्ण प्रयास किया गया।

राजस्थान सरकार के विभिन्न आदेश व अध्यादेश –

प्राचीनकाल, मध्यकाल व ब्रिटिशकाल में राजस्थान में पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता के सम्बन्ध में कोई प्रमाण उपलब्ध नही है। स्वतंत्रता के पश्चात् पहली बार पंचायतीराज व्यवस्था में महिला सहभागिता के सम्बंध में बलवंतराय मेहता समिति ने सहवरण के माध्यम से दो महिलाओं को पंचायतीराज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर लेने की सिफारिश

---

98 इन्टरनेट

99 चौहान, भीमसिंह, "राजस्थान के पंचायतीराज में महिलाओं का योगदान, अरिहन्त प्रकाशन, जोधपुर 2011" पृ.सं. 23

की।[100]

जनसंख्या में करीब 50 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली महिलाओं के लिए सहवरण व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। अतः 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायती व्यवस्था में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया। यह संशोधन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम था।[101]

राजस्थान पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने के पश्चात् पहली बार तीनों स्तरों पर प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। 1995 के चुनाव से पूर्व राजस्थान में एक भी महिला चुनकर पंचायत में नहीं आई। यह आरक्षण का ही परिणाम था कि पहली बार पंचायती राज–व्यवस्था में महिलाओं ने अपनी सहभागिता दर्शायी।[102]

राजस्थान में पंचायतीराज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए समय–समय पर विभिन्न आयोग व समितियों का गठन किया गया और इनमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान देते हुए उनके लिए आरक्षण और उनके हित से जुड़ी विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालन किया जा रहा हैं जिनका संक्षेप में विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः राजस्थान सरकार के द्वारा अपने विभिन्न आदेशों व अध्यादेशों के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में पूर्ण योगदान दिया है।

सारणी 3.2 : राजस्थान में पंचायतीराज व्यवस्था का विकास

क्र.स.	वर्ष	आयोग / समिति का नाम
1	1948	पंचायतीराज अध्यादेश लागू
2	1954	राजस्थान पंचायतीरात अधिनियम को स्वरूप प्रदान किया गया।
3	2 अक्टूबर 1959	बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों को लागू किया गया।
4	1964	सादिक अली समिति
5	1973	गिरधारी लाल व्यास समिति
6	1990	हरलाल सिंह खर्रा समिति
7	9 अप्रैल 1994	नवीन पंचायती राज विधेयक
8	2000	राजस्थान पंचायतीराज अध्यादेश, 2000
9	2015	राजस्थान पंचायतीराज (द्वितिय संशोधन) विधेयक, 2015

100 पटनी, चन्द्रा, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, विश्वभारती पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2006 पृ.सं. 176

101 ग्रामीण विकास न्यूजलैटर, जून 1993, खण्ड 6 अंक 6

102 सुराणा, राजकुमारी, भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और नव पंचायतीराज पृ.सं. 125

संविधान में पंचायतीराज व्यवस्था :–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य 'ग्राम पंचायत' का संगठन करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगा तथा उसको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। भारतीय संविधान के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य को त्रिस्तरीय पंचायतीराज की व्यवस्था अपनाए जाने का सामान्य निर्देश दिया गया है। ग्रामीण विकास के उद्देश्य के तहत् भारत के अधिकांश राज्यों में पंचायतराज संस्थाओं के गठन के लिए अधिनियम पारित किए गए। इन्हीं प्रावधानों में 20 लाख से कम की जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायतराज की मध्यवर्ती इकाई के गठन से छूट प्रदान की गई है।

बलवन्तराय मेहता समिति– (1957)

पंचायतीराज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में "बलवन्तराय मेहता समिति" का गठन 1956 में किया गया। बलवन्त राय मेहता समिति ने 24 नवम्बर 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पंचायतराज व्यवस्था को मेहता समिति ने 'लोकतांत्रिक–विकेन्द्रीकरण' का नाम देते हुए ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, जो इस प्रकार था–

1. ग्राम स्तर पर–ग्राम पंचायत
2. खंड स्तर पर –पंचायत समिति
3. जिला स्तर पर–जिला परिषद

इस समिति की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय शासन की इस त्रिस्तरीय योजना में पंचायत समिति सबसे महत्वपूर्ण संस्था हैं।

मुख्य विकास कार्य पंचायत समिति को ही सौंपे गए हैं और जिला परिषद का कार्य तो पंचायत समितियों के कार्य संचालन एवं उनमें तालमेल स्थापित करना है।

बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप दिनांक 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायतराज व्यवस्था का शुभारम्भ तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से किया।

अशोक मेहता समिति–1977

बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित पंचायतीराज व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करने की सिफारिश करने हेतु 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति में 13 सदस्य थे। समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी, जिससे 132 सिफारिशें की गयी थी, किन्तु इन्हें सही नहीं मानते हुए इसे अस्वीकार कर दिया गया।

भारत में पंचायतीराज संस्थाओं का संगठन एवं कार्यों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है।

ग्राम–सभा

पंचायतीराज व्यवस्था में ग्राम–सभाओं का विशेष महत्व माना गया है। यद्यपि बलवन्त राय मेहता समिति पंचायतीराज के ढाँचे में ग्राम–सभा को कोई स्थान नहीं दिया था, फिर भी पंचायतीराज अपनाने वाले राज्यों ने ग्राम–सभा की रचना का महत्व स्वीकार किया और इसे पंचायतीराज व्यवस्था के आधार के रूप में विकसित किया है। यह माना गया हैं कि ग्राम स्तर पर पंचायत ग्राम–सभा से ही अपने अधिकार ग्रहण करें और ग्राम सभा के प्रति निरन्तर उत्तरदायी रहें। क्योंकि ग्राम–सभा में शांत से सभी वयस्क नागरिक सम्मिलित होते हैं।

वस्तुत किसी भी पंचायत क्षेत्र के समस्त वयस्क नागरिकों के सम्मिलित स्वरूप या समूह को 'ग्राम–सभा' कहते हैं।

ग्राम–सभा का गठनः–

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक ग्राम–सभा के गठन का प्रावधान किया गया है। जिसमें पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट गांव या गांवों के समूह से सम्बन्धित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्ति होंगे। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति या लिंग का हो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है।

1. **ग्राम पंचायत–** ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर एक ऐसी निर्वाचित इकाई है जो ग्राम–सभा की कार्यकारी इकाई होती है। पंचायतीराज व्यवस्था में यह निम्नस्तरीय इकाई है। भारत में ग्राम–पंचायती को भिन्न–भिन्न नामों से जाना जाता है। राजस्थान में इसे 'ग्राम–पंचायत' के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में औसतन लगभग 2

हजार की जनसंख्या पर एक पंचायत गठित की जाती है। विभिन्न राज्यों में ग्राम–पंचायतों के सदस्यों की संख्या सामान्यतः 5 से लेकर 31 के बीच होती हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में किए गए 73वें संशोधन के पश्चात् देश में लगभग सभी राज्यों में पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया है। पंचायत के सदस्य पंच कहलाते हैं और उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता हैं।

2. **पंचायत समिति –** पंचायत समिति पंचायतीराज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर हैं। इस स्तर को राजस्थान, बिहार, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र व उड़ीसा में पंचायत समिति कहते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार वर्तमान में पंचायत समितियों का कार्यकाल 5 वर्ष का है। राजस्थान ही नहीं, वरन् अन्य प्रान्तों में भी पंचायतीराज व्यवस्था में पंचायत समिति को महत्वपूर्ण इकाई माना गया है। यह विकास के कार्यक्रम बनाती है और उन्हें क्रियान्वित करती है। इस अधिनियम द्वारा मौलिक, प्रशासनिक और वित्तीय कार्य व शक्तियाँ सौंपी गई हैं।

3. **जिला परिषद् –** पंचायतीराज व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद होती है। राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्यप्रदेश तथा प.बंगाल में इसे जिला–परिषद ही कहते हैं। गुजरात सरकार द्वारा पंचायत–अधिनियम 1986 तक जो संशोधित प्रारूप प्रकाशित किया गया है उसके अनुसार जिला स्तरीय इकाई को 'जिला–पंचायत' का नाम दिया गया है। 73वें संशोधन संविधान संशोधन के पश्चात् प्रायः सभी राज्यों में इसे जिला–परिषद् या जिला पंचायत कहा गया है।[103]

73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 :–

पंचायतीराज संस्थाओं को स्वशासित संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार ने 24 अप्रैल 1993 को संविधान के 73वें संविधान संशोधन विधेयक को लागू कर पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक अहमियत प्रदान की। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई।

---

[103] इंटरनेट

राजस्थान के संदर्भ में इसके निम्नलिखत प्रावधान थे –

1. पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर –

73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान करने के लिए लाया गया है। इस अधिनियम द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और चुनावों से संबंधित प्रत्याभूति प्रदान की गई है।

फलतः अब इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई है।

2. ग्राम–सभा का प्रावधान :–

73वां संविधान संशोधन अधिनियम यह उपबन्ध करता है कि ग्राम स्तर पर ग्राम–सभा होगी जो ऐसी शक्तियों का उपयोग और कर्त्तव्यों का निर्वाह कर सकेगी जो राज्य विधानमण्डल अधिनियम द्वारा विनिश्चत करें। राजस्थान में एक वर्ष में कम से कम चार बार ग्रामसभा के आयोजन का प्रावधान किया गया है।

3. पंचायतीराज संस्थाओं का गठन :–

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ख यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायतीराज संस्थाओं का गठन किया जाएगा, किन्तु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है।

4. पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव :–

पंचायतीराज की मध्यवर्ती व जिला स्तरीय इकाईयों के सभापति/अध्यक्ष के चुनाव के लिए इस संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि संबंधित इकाईयों के निर्वाचित सदस्य अपने में ही से एक को सभापति/अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर सकेंगे।

5. पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में आरक्षण –

पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में आरक्षण के संबंध में 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से निम्न प्रावधान किए गए है –

(1) अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण :–

प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए निर्वाचन हेतु स्थानों/सीटों का आरक्षण किया जाएगा। इन वर्गों के लिए उपर्युक्त रीति से आरक्षित की गई

कुल सीटों में कम से कम एक–तिहाई स्थान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

(2) महिलाओं के लिए आरक्षण :–

73वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रत्येक पंचायतीराज संस्था के चुनावों में महिलाओं हेतु स्थानों का आरक्षण भी किया गया है। एक तिहाई स्थानों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा और इस प्रकार आरक्षित किए गए स्थानों का आवर्तन बारी–बारी से किया जाता रहेगा।

(3) सभापति/अध्यक्ष के लिए आरक्षण :–

संविधान अधिनिम में यह भी प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायत व पंचायतीराज की अन्य इकाईयों के अध्यक्ष/सभापति के पद भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं के लिए राज्य विधानमण्डल अधिनियम बनाकर प्रक्रिया निर्धारित करते हुए आरक्षित किए जा सकेंगे।

(4) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण :–

संविधान संशोधन अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य विधान मण्डल, समस्त पंचायतीराज संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण प्रावधान अधिनियम बनाकर कर सकेंगे।

6. कार्यकाल–

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रत्येक पंचायतीराज इकाई का कार्यकाल यदि यह राज्य में उस समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन पहले भंग नहीं कर दी जाती हैं तो 5 वर्ष का होगा और इससे अधिक नहीं। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि इन संस्थाओं के चुनाव उनके निर्धारित कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व कराए जांएगे और यदि से संस्थाएँ समय से पूर्व भंग कर दी जाती हैं तो भंग किए जाने की विधि से 6 माह की अवधि में नये चुनाव कराए जाने होंगे।

7. अर्हताओं के सम्बंध में प्रावधान :–

73वें संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि सम्बन्धित राज्य में चुनाव की योग्यताओं या अयोग्यताओं से सम्बन्धित प्रवर्तित किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने

पर व्यक्ति इन संस्थाओं के चुनावों में भाग नहीं ले सकेगा। जिसकी वजह से अयोग्य उम्मीदवार चुनकर नहीं आ पायेंगे।

8. पंचायतीराज संस्थाओं की शक्तियों और दायित्व –

संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्य विधानमण्डल कानून बनाकर इन संस्थाओं को स्वायत्त शासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए, आवश्यक शक्तियां एवं सत्ता दे सकेंगे।

73वां संविधान संशोधन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें समाज के कमजोर वर्गों एव महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाने की योजना है। राजस्थान में तो अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया हैं।

दूसरी विशेषता यह हैं कि पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल सुनिश्चित किया गया है। बीच में एक समय ऐसा आया जब पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव उपेक्षित हो गए। वर्षों तक इन संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए जिससे जनसाधारण की इस व्यवस्था के प्रति आस्था डगमगाने लगी। इसी आस्था को पुनः 73वें संविधान संशोधन ने पुनः कायम किया है।

तीसरी विशेषता–पंचायतीराज संस्थाओं को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतीराज संस्थाओं के अधिकार एवं शक्तियां सुनिश्चित की गई है।

पंचायतीराज व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दृष्टि से राजस्थान सरकार द्वारा गठित सादिक अली समिति ने 1963–64 एवं गिरधारी लाल व्यास समिति ने 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिनके सुझावों पर आंशिक कार्यवाही ही सम्पन्न हो पाई। 1965 से लेकर 1978 तक के वर्ष, पंचायतीराज में महत्वहीनता का समय था। जब न केवल इनकी शक्तियाँ और कार्य घटा दिये गये, वरन् चुनाव भी इस अवधि में स्थगित रहे।[104]

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 –

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के क्रम में पूर्व से चले आ रहे राजस्थान के दोनों अधिनियमों को मिला कर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 बनाया गया। नये अधिनियम में उन सभी प्रावधानों का समावेश किया गया जिनकी अपेक्षा 73वें अधिनियम में की गयी है। इस नये अधिनियम में मूलतः ग्राम पंचायतों के सरपंचों की पंचायत समिति तथा पंचायत समिति

---

104 मिश्र, निरंजन, भारत में पंचायतीराज, परिबोध प्रकाशक, वर्ष 2006, पृ.सं. 232

के प्रधानों की जिला परिषद में पदेन सदस्यता का किसी प्रकार का प्रावधान नहीं था। इस प्रकार पंचायतीराज व्यवस्था के इन तीनों स्तरों में परस्पर सहभागिता एवं सहयोग का अभाव था। इस कमी को पूरा करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया। जनवरी 2000 से लागू इस संशोधन से अब ग्राम पंचायत के सरपंचों को पंचायत समिति तथा पंचायत समिति के प्रधानों को जिला परिषद का पदेन सदस्य बनाया गया है। 1944 के अधिनियम में ग्राम सभा को भी प्रभावी बनाया गया है।[105]

राजस्थान पंचायतीराज (संशोधन) अध्यादेश –2000

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 में 7 जनवरी 2000 को एक अध्यादेश जारी कर अनेक संशोधन किए गए हैं। इस अध्यादेश के माध्यम से पंचायत समितियों को और अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

राजस्थान पंचायतीराज (संशोधन) अध्यादेश –2000 के प्रमुख प्रावधान –

1. ग्राम–सभा के साथ–साथ वार्ड–सभा की भी व्यवस्था की गई है। इस दृष्टि से राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है। अब वार्ड सभा के माध्यम से ही उस वार्ड में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।

2. वार्ड–सभा ही वार्ड विकास की योजनाएँ बनाने एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य करवायेगी। इस सभा की वर्ष में कम से कम दो बैठकें अवश्य होगी।

3. वार्डसभा की सभी बैठकों में ऐसा कोई भी विषय जिसे पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, राज्य सरकार या इसके लिए अधिकृत कोई भी अधिकारी रखे जाने की अपेक्षा करे, रखा जा सकता है।

4. वार्ड–सभा सरकार की विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पात्रता सत्यापित करेगी।

5. ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए एक ग्रामसभा होगी, जिसमें पंचायत क्षेत्रों के सभी गांव से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्ति सदस्य होगें।

6. ग्रामसभा की एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक अवश्य होगी।

---

105 उपरोक्त पृ.सं. 232

7. ग्रामसभा का कार्य सामाजिक तथा आर्थिक विकास की योजनाओं एवं कार्यक्रमों तथा वार्डसभा द्वारा अनुमोदित योजनाओं तथा कार्यक्रमों को पंचायत द्वारा लागू करने के लिए हाथ में लेने से पूर्व अनुमोदन करना है।

8. जिस वर्ग के वार्ड सरपंच (जैसे अनुसूचित जाति को हटाया जाएगा, उसके स्थान पर उसी वर्ग केवल अनुसूचित जाति) का वार्ड उप–सरपंच कार्यभार ग्रहण कर सकता है।

9. निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वहां गठित स्थायी समिति के अध्यक्ष के साथ मिलकर संस्था का कार्य चलाया जाएगा।

10. दो से अधिक बच्चे होने पर व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा।

11. पंचायत स्तर पर स्थायी समिति एवं सर्तकता समिति के गठन का प्रावधान है।

12. पंचायत की ऋण राशि नहीं चुकाने वाले व्यक्ति को चुनाव के अयोग्य घोषित किया गया है।

13. पंचायत चुनावों के लिए खर्च की सीमा निर्धारित की गई हैं। यह खर्च पोस्टर, बैनर, पर्चे आदि पर सरपंच पद के लिए पांच हजार रूपये, पंचायत समिति सदस्य के लिए दस हजार रू तथा जिला परिषद सदस्य पद के लिए बीस हजार रूपये अधिकतम निर्धारित किया गया है।

राजस्थान पंचायत समिति के कार्य व शक्तियाँ

(1) सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करवाना एवं प्राकृतिक आपदाओं में सहायता उपलब्ध करवाना।

(2) कृषि विकास को प्रोत्साहित करते हुए कृषि साख का विस्तार करना।

(3) भूमि सुधार एवं मुद्रा संरक्षण कार्यक्रमों का विस्तार।

(4) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का आयोजन एवं क्रियान्वयन करना।

(5) मछली पालन को प्रोत्साहित करना।

(6) पशुपालन सेवाओं का निरीक्षण एवं क्रियान्वयन तथा नई नस्ल का सुधार।

(7) खादी एवं ग्रामीण व कुटीर उद्योग के विकास के लिए हर संभव प्रयास करना।

(8) ग्रामीण आवासन स्कीमों का क्रियान्वयन एवं उधार किश्तों की वसूली।

(9) जन प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण तथा स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना।

(10) शिक्षा के विकास को बढ़ावा देना तथा भवनों एवं अध्यापकों की समुचित व्यवस्था करना।

(11) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के बारे में लोगों को बताना तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।

(12) महिला एवं बाल–विकास से संबधित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

(13) सहकारिता आन्दोलन द्वारा लोगों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करना।

(14) सामुदायिक सम्पत्तियों का रख–रखाव एवं नियंत्रण।

पंचायतीराज संस्थाओं का सशक्तिकरण –

जनवरी 2000 को अधिसूचना जारी कर पंचायतीराज संस्थाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई है कुछ मुख्य अधिकार इस प्रकार हैं–

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपकेन्द्र पंचायतीराज के अधीन कर दिए गए हैं। इन संस्थाओं पर तकनीकी नियंत्रण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का रहेगा लेकिन प्रशासनिक नियन्त्रण जिला परिषद का रहेगा।
2. जनस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के सभी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने का उत्तरदायित्व पंचायतराज संस्थाओं को सौंप दिया गया है।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 'ब' श्रेणी के आयुर्वेदिक औषाधालयों का नियंत्रण पंचायतीराज संस्थाओं को सौंप दिया गया है, लेकिन इन पर तकनीकी नियंत्रण आयुर्वेदिक विभाग का ही रहेगा।
4. एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के तहत् गैर–परम्परागत ऊर्जा गतिविधियाँ जैसे स्ट्रीट लाईट, घरेलू बिजली आदि का क्रियान्वयन इन्हीं संस्थाओं के द्वारा होगा ।
5. हैण्डपम्प सुधारने का सम्पूर्ण कार्य, स्टाफ और बजट के साथ पंचायतीराज संस्थाओं को धीरे–धीरे सौंपा जायेगा।

6. पशु–उपचिकित्सा केन्द्र भी इन संस्थाओं को हस्तान्तरित किए गए हैं।

7. ग्राम वन सुरक्षा समिति।

8. मछलीपालन तालाबों का संधारण एवं आवंटन का कार्य भी इन्हें सौंपा गया है।

9. एकीकृत ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत जलग्रहण विकास के कार्यों में पंचायतीराज।

10. कृषि विस्तार कार्यकत्ताओं को पंचायतीराज संस्थाओं के अधीन कर दिया गया है।

11. राशन की दुकान का आवंटन, वितरित की गई सामग्री का पूर्ण लेखा–जोखा, नए राशन कार्ड संस्थाओं की पूर्ण सहभागिता रखी गई है। राशन कार्ड बनाने का अनुमोदन, राशन की दुकान की समयाविधि बढ़ाने और निरस्त करने बाबत् निर्णय ग्राम पंचायत में चर्चा कर किए जाएंगे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पर्यवेक्षण के लिए गठित सर्तकता समिति में इन संस्थाओं को जोड़ा गया है।

12. सिंचाई विभाग के अधीन तालाबों का नियंत्रण एवं रखरखाव।

13. आंगनबाड़ी को भी पंचायत के अधीन कर दिया गया है।

14. खादी का प्रशासनिक नियंत्रण भी इन्हें दे दिया गया है।

पंचायतीराज सशक्तिकरण :–

ग्राम विकास को नये आयाम देने तथा गांवों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की दिशा में पंचायतीराज संस्थाओं का महत्व सर्वविदित है। इस दिशा में प्रयासरत सरकार ने गाँधी जयन्ती के अवसर पर राज्य सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं को प्रारम्भिक शिक्षा, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक न्यास एवं अधिकारिता विभाग की जिला स्तरीय गतिविधियों का हस्तातरण पंचायतीराज संस्थाओं को कर दिया है।

पंचायतीराज संस्थाएं अब सशक्त होकर उभरें इस दिशा में सरपंच से लेकर जिला प्रमुख तक सभी को पहले के मुकाबले अधिक सजग होकर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन भली प्रकार से करना होगा। इन विभागों का सुचारू रूप से हस्तान्तरण सुनिश्चित करवाने में इन सभी की महत्ती भूमिका होगी। जो अधिकार पंचायतीराज संस्थाओं को सौंपे गए हैं उनकी जानकारी देने के लिए एक लघु पुस्तिका का प्रकाशन करवाया गया है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में इस कार्य को अमली जामा पहनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है तथा राज्य स्तर पर इस दिशा में आने वाली कठिनाइयों एवं समस्याओं के निराकरण के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है।

राज्य सरकार की यह मंशा है कि भविष्य में और विभाग भी पंचायतीराज संस्थाओं को सौंपे जाएंगे। सफलतापूर्वक सुपुर्द किए गए 5 विभागों के द्वारा जिला स्तरीय गतिविधियों का संचालन पंचायतीराज संस्थाओं को सौंपा गया हैं। उनकी जानकारी देने के लिए एक लघु पुस्तिका का प्रकाशन करवाया गया है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में इस कार्य को अमली जामा पहनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है तथा राज्य स्तर पर इस दिशा में आने वाली कठिनाईयों एवं समस्याओं के निराकरण के लिए समिति का गठन भी किया गया है।

राज्य सरकार की यह मंशा है कि भविष्य से और विभाग भी पंचायतीराज संस्थाओं को सौंपे जाएंगे। सफलतापूर्वक सुपुर्द किए गए 5 विभागों की जिला स्तरीय गतिविधियों का संचालन पंचायतीराज संस्थाओं को ही करना होगा। यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जिसके निर्वहन की दिशा में संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेही के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।

राजस्थान पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2014

राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने दिसम्बर, 2014 में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 19 में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दी।

तद्नुसार राजस्थान सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं के निर्धारण संबंधी राजस्थान राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2014 लागू किया। इसके अनुसार निम्नांकित प्रावधान किए गए हैं।

1. जिला परिषद या पंचायत समिति के सदस्य के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या उसके समकक्ष किसी बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति ही चुनाव लड़ने का पात्र होगा।

2. किसी अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के सरपंच के मामले में किसी विद्यालय से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण और किसी अनुसूचित क्षेत्र की पंचायत से भिन्न किसी पंचायत के सरपंच के मामले में किसी विद्यालय से 8वीं उत्तीर्ण व्यक्ति ही चुनाव लड़ पाएगा।

3. अध्यादेश के अनुसार राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 19 में संशोधन कर यह प्रावधान जोड़ा गया है कि जो व्यक्ति घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता हो, वही पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव लड़ने का पात्र होगा।

अध्यादेश में स्वच्छ शौचालय से आशय तीन दीवारें एक दरवाजा और छत से ढके हुए जलबद्ध (वाटर सील्ड) शौचालय से है।

परिवार से संबंधित व्यक्ति उसके पति या पत्नि, बच्चे और ऐसे व्यक्ति के साथ निवास कर रहे उसके माता–पिता को सम्मिलित किया गया है।

पंचायतीराज संस्थाएं ग्रामीण विकास की धुरी बनकर आमजन को सुशासन देते हुए ग्रामीणों की जन–समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें ताकि उन्हें यह अहसास हो कि गांव की समस्या का निराकरण अब गांव में ही संभव हैं। ग्राम–पंचायत के कार्यालय नियमित रूप से खुले, निर्धारित विधियों पर बैठकों का आयोजन हो तथा ग्रामीण विकास की योजनाओं के साथ ही राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार गांवों में हो, जिससे आम आदमी को विकास का लाभ मिल सके। आशा की जाती है कि पंचायतीराज संस्थाएं एक नए रूप में जन आकांक्षाओं का केन्द्र बनकर ग्राम स्वराज की परिकल्पना का सपना साकार करेंगी।

इन आदेशों व अध्यादेशों के अतिरिक्त भी महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएँ संचालित हैं जिसमें पंचायतीराज संस्थाएँ भी बहुत सहभागी हैं–

1. महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना
2. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
3. सामूहिक विवाह अनुदान योजना
4. स्वावलम्बन योजना
5. कलेवा योजना
6. प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना
7. अमृता हाट सोसाइटी योजना

73वें संविधान संशोधन के उपरान्त महिलाओं की भूमिकाः–

'संविधान में 73वें संशोधन अधिनियम के लागू होने से पूर्व ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता काफी कम थी। उनमें चुनाव में खड़े होने तथा किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधी में भाग लेने की इच्छा का अभाव था।'[106]

[106] कुण्डू राजेश, "हरियाणा पंचायत चुनाव 2016 में महिला प्रतिनिधित्व एक विश्लेषण", पंचायतीराज अपडेट, इस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसेज, 2017, पृ.सं 1

73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत् अनुच्छेद 243 (डी) और 243 (टी) जोड़े गए, जिसमें क्रमशः पंचायतीराज एवं नगरीय निकायों में प्रत्येक स्तर पर कुल सीटों का कम से कम एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस प्रकार महिलाओं के लिए भागीदारी का एक मंच तैयार हुआ। यह निःसंदेह महिला सशक्तिकरण की दिशा में किया गया एक ईमानदार प्रयास है। इसके संदर्भ में कहा गया कि यह प्रावधान घूँघट में छिपी आधी आबादी की पूरी दुनिया ही बदल देगा।[107]

मार्गरट कजिन्स ने ठीक ही कहा है कि, "किसी देश की प्रगति का पैमाना यही हो सकता है कि उस देश में महिलाओं की स्थिति क्या है।"

इसके समक्ष चुनौतियां हैं, क्योंकि इस पहल ने महिलाओं को कलम तो थमा दी लेकिन लिखना नहीं आता है। भारतीय समाज पितृसत्तात्मकता में विश्वास रखता है, जो निर्धारणवाद पर आधारित है। जैविक निर्धारणवाद के अनुसार उच्चतर–निम्नतर का निर्धारण प्राकृतिक रूप से हो जाता है और कुछ समूह जन्म से ही दूसरों की अपेक्षा उच्चतर व बेहतर होते हैं। यह विचारधारा ''श्रम के लिंग'' आधारित विभाजन के लिए उत्तरदायी है। श्रम का लिंग आधारित विभाजन सार्वजानिक और निजि कार्यों में अंतर करता है। साथ ही सार्वजनिक कार्यों के लिए पुरूषों को एवं निजी कार्यों के लिये महिलाओं को उत्तरदायी बनाता है। इसके अतिरिक्त भारत की ऐतिहासिक सामंतवादी मानसिकता भी 'उपाश्रित–वर्गों' की सहभागिता में बाधक हैं।[108]

प्रस्तुत शोध का केन्द्र बिन्दु आरक्षित व अनारक्षित वर्ग की महिलाओं में 73वें संविधान संशोधन के बाद विभिन्न सुधारों से महिलाओं की भूमिका में कितना परिवर्तन आया है उसका विवेचन करना है।

इस संविधान संशोधन से भारत में 14 लाख महिलाएं पंचायत चुनाव में निर्वाचित हुई। उन्हें लोकतंत्र के आधारभूत स्तर पर राजनीतिक निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ है।[109]

पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के 5–6 वर्षों में अलग–अलग तथ्य सामने आए हैं। महिलाएं जो कि समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं उनकी कुछ समस्याएं ही उनके महिला होने के साथ ही दलित परिवार की महिला को

---

107 देशबंधु

108 देशबंधु

109 शर्मा संगीता, शर्मा राजेश कुमार, महिला विकास एवं राजकीय योजनाएं, रितु पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2005, पृ.सं. 244

जाति के कारण ही इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है।[110]

शुरूआती दौर में पंचायत की बैठकों में महिलाएं आती थी और चुपचाप एक तरफ बैठी रहती थी। अधिकांश महिलाओं के पति या पुत्र अथवा ससुर साथ आते थे, जो कि पुरूषों के साथ बैठकर महिलाओं के पद के दायित्व का निर्वहन करते थे। यहां तक कि बहुत से तो अपने आपको ही प्रधान पति या सरपंच पति के नाम से परिचय कराते है। महिलाएं तो नाम मात्र की औपचारिकतावश बस अंगूठा लगा देती है। पंचायतों में महिलाएं घूँघट में जाती हैं, वे अपनी इस पर्दाप्रथा को बड़ों के सम्मान की वजह से लादे हुए नजर आती हैं। उनके पर्दा हटाने का तात्पर्य है कि वो स्वयं भी बेइज्जत हैं व बड़ों को भी बेइज्जत कर रही हैं। अंधिकाश महिलाएं निरक्षर हैं, इसलिए राजनीति में सक्रिय नहीं हो पाती। अपने घूँघट के कारण खुले रूप से तर्क–वितर्क नहीं कर सकती। राजनीति में वे ही महिलाएं सहभागी बन रही हैं, जिनके पति या परिवारजन सहयोग कर रहे हैं। उन पर ग्रामीण लोग कटाक्ष करते हैं, जैसे कि घूंघट की ओट में छिपी महिला जनप्रतिधि को सुनना पड़ता है कि 'महिलाओं का राज आ गया। अब तो महिलाएँ भी पगड़ी पहनकर पंचायत में बैठेंगी, ये तो पैर की जूतियां है, उन्हें सिर पर मत बिठाओ, अन्यथा सीधी सिर पर ही मार पड़ेगी' आदि ऐसे नकारात्मक व्यंग सुनने व देखने को मिलते है तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय है।

जहाँ पर पंचायत में सरपंच का पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है। वहां लोगों ने मिलकर उस वर्ग की एक महिला को चुना और उसको चुनाव में विजयी बनाया। चुनाव जीतने के बाद वह महिला उनके सामने सिर झुकाएं खड़ी रहती है। उनके सामने सरपंच वाली कुर्सी पर भी नहीं बैठती वह नीचे जमीन पर ही बैठती है और उसे जैसा पुरूषों द्वारा कहा जाता है, वह महिलाएँ वैसा ही करती है। यहाँ तक कि सरपंच के नाम पर आए सभी सरकारी दस्तावेजों या पत्रों को भी पुरूष अपने पास ही रखते हैं और अपनी इच्छानुसार उन पत्रों का उपयोग भी करते हैं। जहाँ कही महिलाएं थोड़ा सक्रिय नजर आती है, वे या तो उच्चतर परिवार से संबंध रखती हैं या परिवार को राजनीति में प्रवेश दिलाने का माध्यम बन गई हैं। राजनीति की प्रथम सीढ़ी पंचायतीराज के द्वारा महिलाओं की इस दयनीय स्थिति को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्न शब्दों में कहा है –

''हे भगवान! आपने महिलाओं को अपने भाग्य पर विजय प्राप्त करने का अधिकार क्यों नहीं दिया, क्यों उसे सड़क किनारे सिर झुकाएं इन्तजार करना पड़ता है, जो कि एक धैर्य के साथ इन्तजार करती है, दुखों में एक आशा की किरण इन्तजार करती है।''[111]

---

[110] शर्मा संगीता, शर्मा राजेश कुमार, महिला विकास एवं राजकीय योजनाएं रितु पब्लिकेशन्स जयपुर, 2005, पृ.सं. 250

अतः स्पष्ट है कि राजनीति के अन्तर्गत महिलाओं की सुनिश्चित भागीदारी का मात्र ढिंढोरा पीटा जा रहा है। राजनीतिक दल महिलाओं को मात्र मुद्दा बनाकर अपने वोट प्राप्त करने का काम रहे हैं।[112]

अतः स्पष्ट हैं जो आरक्षित वर्ग है उसमें जागरूकता व शिक्षा व सक्रियता का अभाव है और जो अनारक्षित शिक्षित वर्ग हैं वे जागरूक है और आगे आ रही हैं और अपने अन्तर्निहित क्षमता के बल पर पुरूष प्रधान समाज में अपने अस्तित्व की महत्ता प्रमाणित कर रही हैं।

'के.एम. पणिक्कर के शब्दों में, "सायंकालीन भारतीय समाज में स्त्रियों की भूमिका एवं परिस्थितियों से संबंधित परम्परागत मूल्य व प्रतिमान धीरे–धीरे परिवर्तित हो रहे हैं।"[113]

आरक्षित व अनारक्षित वर्ग की महिलाओं की पंचायत में भूमिका बढ़ाने के लिए निम्न सुझाव–

– पंचायतीराज में महिलाओं की भागीदारी सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार को उनके द्वारा अधिक से अधिक विकास कार्य करवाए जाने पर, उपहार योजना के माध्यम से उपहार दिए जाने चाहिए। उपहार में नकद रकम भी दी जा सकती है, जिससे महिलाओं की राजनीति के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

– पंचायतीराज में आरक्षण के साथ ही महिलाओं के लिए एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए ताकि महिलाएं अधिक से अधिक पंचायतीराज की राजनीति में जा सके।

– महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी पर अवश्य ही बल दिया जाना चाहिए। ताकि स्थानीय स्वशासन में उनकी भूमिका और नेतृत्व को बढ़ाया जा सकें।

– पंचायतीराज संस्थाओं के सशक्तिकरण संबंधित हस्तक्षेप के तहत् महिलाओं के नेतृत्व विकास व सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

---

111 चन्देल, धर्मवीर व चन्देल, नरेन्द्र, पंचायतीराज और महिला सहभागिता, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2016, पृ.सं. 102–103

112 चन्देल, धर्मवीर व चन्देल, नरेन्द्र, पंचायतीराज और महिला सहभागिता, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2016, पृ.सं. 104

113 शर्मा, संगीता, शर्मा राजेश कुमार, 'महिला विकास एवं राजकीय योजनाएं', रितु पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2005, पृ.सं. 50

– एकीकृत शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए अर्थात पुरूष व महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया चाहिए।

– महिला प्रतिनिधियों को भी पंचायतीराज संस्थाओं के प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से राजनीतिक कार्यकलापों के संचालन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

– पंचायतीराज के विकास की योजना के निर्माण में उनके विचारों एवं भागीदारी को भी महत्व दिया जाना चाहिए।

– पंचायतीराज की बैठकों में महिलाओं की बिना उपस्थिति के किसी भी प्रकार की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

– पंचायतों के सशक्तिकरण एवं राजनीतिक समाजीकरण को प्राप्त करने के लिए समय–समय पर महिलाओं को मेलों एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए।

– महिला प्रतिनिधियों के साथ काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। इससे भविष्य में पंचायत की कार्यशैली पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

– नवनिर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण में रहकर सरकार और नागरिक समाज के बीच सहयोग से नागरिक समाज को क्षमता निर्माण में व्यापक सहायता मिलेगी।[114]

अतः स्पष्ट है उक्त अध्याय के अन्तर्गत पंचायतराज संस्थाओं के कार्य व नीतियों के बारे में बताया गया है। केन्द्रीय व संवैधानिक प्रावधानों का विवरण दिया गया है। स्थानीय स्वशासन के पंचायतीराज के विकास के सोपानों के बारे में बताया है। ब्रिटिशकाल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति व 73वें संविधान संशोधन के बारे में बताते हुए राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 के लक्ष्य व उद्देश्यों के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए उल्लेखित अधिकारों के बारे में बताया गया है। पंचायतीराज के विकास के लिए राजस्थान सरकार के विभिन्न आदेश व अध्यादेशों के बारे में बताया है। राजस्थान पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2014 के बारे में विस्तार से बताया है। अतः स्पष्ट है कि पंचायतीराज व महिला सशक्तिकरण में सरकार की क्या भूमिका रही, इसके बारे में पूर्ण विश्लेषण किया गया है।

---

[114] चन्देल, धर्मवीर, चन्देल डॉ. नरेन्द्र, पंचायतीराज और महिला सहभागिता आविष्कार पब्लिशर्स, 2016 पृ.सं. 106

चतुर्थ अध्याय

गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों में आरक्षित वर्ग की महिलाओं का नेतृत्व, बैठकों में उपस्थिति, बैठकों के प्रमुख मुद्दे, क्रिया–प्रतिक्रिया, शीर्ष महिला नेतृत्व की भूमिका

चतुर्थ अध्याय

भारत में पंचायतीराज प्रणाली दुनिया में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का अनोखा और एकदम नायाब उदाहरण है। इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण होता है और यह ग्रामीण समाज को अपनी जरूरतों और विकास संबंधी प्राथमिकताओं का स्वयं निर्धारण करने का अवसर प्रदान करती है।

हमारी ग्रामीण आबादी का करीब आधा हिस्सा महिलाओं का है। जो कि पंचायतीराज संस्थाओं के महत्वपूर्ण घटक हैं।[115]

महिलाओं के नेतृत्व का स्तर उनकी सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक पृष्टभूमि तथा राजनीति के प्रति रूचि पर निर्भर करता है। राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं को जो आरक्षण प्रदान किया गया है, उसमें आरक्षित वर्ग की महिला प्रतिनिधियों की नेतृत्व क्षमता में क्या परिवर्तन आये हैं तथा उनकी नेतृत्व क्षमता का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। संभव है कि कुछ महिला प्रतिनिधियों को अपनी राजनीतिक प्रणाली एवं प्रशासनिक तंत्र का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो और कुछ महिला प्रतिनिधियों को केवल प्रत्यक्ष रूप से उनके जीवन से संबंधित तथ्यों का ही ज्ञान हों इसी प्रकार कुछ महिला प्रतिनिधियों को प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान बिल्कुल ही नहीं हो। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पंचायतीराज व्यवस्था के तहत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की प्रशासनिक एवं राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है। इसी स्थिति पर उनकी राजनीतिक भागीदारी का स्तर निर्भर करता है।

महिला की उन्नति व विकास के लिए आवश्यक है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र विशेषकर राजनीति में उनका सशक्तिकरण हो, ऐसा होने पर ही लैंगिक आधार पर एक समानतापूर्ण समाज की स्थापना होगी। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु तीन आधारभूत सिद्धान्तों को अनिवार्य माना जाता है।

1. स्त्री–पुरूष के मध्य समानता।
2. स्वयं की क्षमताओं के पूर्ण विकास का महिलाओं का अधिकार
3. स्वयं के प्रतिनिधित्व व स्वयं के संदर्भ में निर्णय लेने का महिलाओं का अधिकार।[116]

---

115 "महिलायें और पंचायतें" कुरूक्षेत्र, जनवरी, 2018, नई दिल्ली, पृ.सं. 36

116 श्रीवास्तव, मयंक, "महिला सशक्तिकरण सामाजिक बदलाव के लिए आवश्यक", कुरूक्षेत्र अगस्त 2013, पृ.सं. 18

अतः स्पष्ट है कि महिला नेतृत्व की उचित राजनीतिक सहभागिता से समाज में स्थिरता आती है, समानता उत्पन्न होती है तथा समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहती है। प्रत्येक समाज में महिलाओं की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में सहभागिता होना अत्यन्त आवश्यक है।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू होने पर राजस्थान सरकार ने भी संविधान संशोधन अधिनियम की अनुपालना में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पारित किया जिसके फलस्वरूप दलित महिलाओं को भी राज्य पंचायतीराज संस्थाओं में चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया, और दलित महिलाओं ने भी पंचायती राज की संस्थाओं में भाग लेना शुरू किया।[117]

प्रस्तुत अध्याय में स्थानीय स्तर पर आरक्षित वर्ग की महिला प्रतिनिधि के नेतृत्व क्षमता के बारे में बताया गया है। बूंदी जिले की केशवरायपाटन तहसील की दो ग्राम पंचायतें गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायत इन दोनों पंचायतों में वर्ष 2005 से 2015 के दौरान जो आरक्षित वर्ग की महिला प्रतिनिधि कार्यरत हैं, उनकी नेतृत्व कुशलता, योग्यताएँ, विभिन्न बैठकों में उपस्थिति तथा उनके द्वारा विभिन्न मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया दी है, आदि का पूर्ण विश्लेषण किया है। साथ ही उनके द्वारा ग्राम पंचायत में जो कार्य किये गये उनके बारे में आम जनता की प्रतिक्रिया व आरक्षित वर्ग की शीर्ष महिला की भूमिका का भी विश्लेषण किया गया है।

बूंदी जिले की दो ग्राम पंचायतों गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों में 2005 से 2015 में निर्वाचित आरक्षित वर्ग की प्रमुख महिला प्रतिनिधियों का नेतृत्व –

1. **चाहन्या बाई मीणा –** गेण्डोली खुर्द में आरक्षित वर्ग की महिला प्रतिनिधि चाहन्या बाई ने बताया कि वे वार्ड 5 से पंच के पद पर निर्वाचित हुई हैं। इन्हें पंचायत के कार्यों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, अतः इनके पति ही इनके सम्पूर्ण कार्यों को देखते हैं। यह तो केवल हस्ताक्षर करती थी। सरकार की योजनाओं के बारे में इनको पूर्ण जागरूकता नहीं है।

2. **प्रेमबाई –** गेण्डोली खुर्द गाँव में 2005 में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि प्रेमबाई आरक्षित वर्ग से हैं। शैक्षणिक योग्यता के नाम पर यह निरक्षर हैं। आमतौर पर राजस्थान में औरतें घूँघट में ढकी छिपी रहकर घरेलू कार्य करते हुए ही जिंदगी गुजार देती है। आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए पंच या सरपंच बनना एक कल्पना से अधिक कुछ

[117] आर्य, विमला, "पंचायती राज और दलित महिलाएँ", अरिहन्त प्रकाशन, जोधपुर, 2016, पृ.सं. 25

भी नहीं कहा जा सकता। फिर भी वार्ड पंच के रूप में इन्होंने निष्ठा से कार्य किया, पेयजल, बिजली व सड़क का नहीं होना प्रमुख समस्या बताया।

3. **मंजू मीणा –** गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत में 2010 में कार्यरत वार्ड पंच मंजू मीणा 8वीं तक पढ़ी हुई हैं। यह आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित हैं। इन्होंने बताया कि इनके वार्ड में सबसे प्रमुख समस्या पेयजल की रही है। सिंचाई के साधन नहीं होने से पूर्ण रूप से सरकारी योजनाओं पर ही निर्भर हैं। आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित होने के कारण उन्हें कुछ सामाजिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। उनके वार्ड से संबंधित कार्यों को पहले प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। वार्ड पंच के रूप में कार्य करते हुए उन्हें अपनी पंचायत की जो भी समस्याएँ हैं उनके प्रति जागरूकता आई है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। क्योंकि वे अपने स्तर पर अपने वार्ड की समस्याओं से सबको अवगत कराती थी और इस प्रकार जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए पहले से खुद को अधिक सशक्त महसूस करने लगी हैं।

4. **मोहनी बाई –** मोहनी बाई 2010 में वार्ड पंच के रूप में कार्यरत रही हैं। यह 10वीं तक पढ़ी हैं, अतः साक्षर थी और एक जागरूक कार्यकर्ता के रूप में इनको पंचायत के कार्यों की पूर्ण समझ थी और इन्होंने पूर्ण सहभागिता के साथ अपना कार्य किया।

5. **ललिता मीणा –** गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत में 2015 में कार्यरत रही। यह 8वीं तक पढ़ी–लिखी एक साक्षर और जागरूक कार्यकर्ता रही हैं। इनके क्षेत्र में पेयजल की समस्या का जिक्र किया। पंचायत में एक जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए इन्होंने अपने आप में बहुत परिवर्तन अनुभव किया। इनकी निर्णय शक्ति का विकास हुआ। अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति जागरूक हुई। सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं की भी इनको पूर्ण जानकारी है, विशेषकर महिलाओं के लिए जो योजनायें संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं जैसे – उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना आदि के द्वारा इनकी वर्तमान स्थिति में भी बहुत परिवर्तन आया। यह पहले से अधिक आत्मनिर्भर हैं और इन योजनाओं का लाभ इन्हें मिल रहा है।

6. **शकुन्तला मीणा –** फौलाई ग्राम पंचायत 2005 में वार्ड पंच रही शकुन्तला ने बताया कि पंचायत में भागीदारी से उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में जानने का मौका मिला।

इन्होंने कहा कि, "सरकार की नरेगा योजना से म्हांकी रोजी–रोटी चाल्ये है।"

इनके गाँव में पेयजल व सिंचाई के साधनों का अभाव होने के कारण सरकार द्वारा संचालित नरेगा योजना से ग्रामीण महिला–पुरूषों को रोजगार के अवसर सुलभ होते हैं।

7. **मनभर बाई –** फौलाई ग्राम पंचायत की वार्ड पंच मनभर बाई 2010 में वार्ड पंच के रूप में कार्यरत रही हैं और यह पंचायत की बैठकों में नियमित जाती थी। इनके परिवार का भी पूर्ण सहयोग मिला। हालांकि इनके कार्यकाल में भी पेयजल व सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं होने से इनकी पंचायत में पानी की समस्या हमेशा बनी ही रहती है और अब 5 वर्ष तक पंचायत के क्षेत्र में कार्य करने से अपने क्षेत्र की समस्याओं को अधिक प्रभावी तरीके से रख पाती हैं।

उक्त साक्षात्कार व परिचय आरक्षित वर्ग की महिला प्रतिनिधियों के हैं, जो गेण्डोली खुर्द व फौलाई में 2005 से 2015 तक कार्यरत रही हैं। इनके अनुभव के आधार पर यह जानने का प्रयास किया है कि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति कितनी मजबूत हुई है या फिर कहाँ सुधार की आवश्यकता है, और सुधार किस प्रकार किया जा सकता है ताकि महिलाएँ अपना सक्रिय योगदान दे सकें। दोनों ग्राम पंचायतों में जो आरक्षित वर्ग की महिला प्रतिनिधि हैं, उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में रूचि व प्रतिबद्धता तो दर्शायी परन्तु इनकी ग्राम पंचायतों में पेयजल की समस्या व सिंचाई के साधनों का अभाव होने से अधिकांश समय तो पानी की व्यवस्था करने में ही निकल जाता है और सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं होने से आर्थिक ढाँचा भी कमजोर हो गया है। ऐसे में सरकारी कार्यों के प्रति यह पूर्ण सक्रिय नहीं रह पाती हैं व सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ भी पूर्ण रूप से कारगर नहीं हो पाती हैं। परन्तु महिलाओं को कुछ राज्यों की पंचायतों में 33 से 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने से पंचायतों में महिलायें पहले की अपेक्षा अधिक सक्रिय हुई हैं। हालांकि राजस्थान में यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। परन्तु आरक्षण से महिलाओं के राजनीतिक स्तर में सुधार आया है। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं। विभिन्न योजनाओं के बारे में जानने व समझने लगी हैं। पुरूष सहकर्मियों या प्रतिनिधियों से कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने लगी हैं। स्थानीय स्वशासन में अपना सक्रिय योगदान दे रही हैं।

हालांकि स्थानीय स्तर पर कुछ ग्रामीणों द्वारा महिलाओं की पंचायतीराज में जो स्थिति है, यह उनके शब्दों में बतायी गई है।

जैसे रामप्रसाद साहु, जो गेण्डोली खुर्द से हैं। इनका मानना है कि पंचायत में महिलाओं को आरक्षण देने मात्र से ही वे पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती हैं। उन्हें अपनी नेतृत्व शक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए पूर्ण मजबूती व आत्मविश्वास से आगे आना होगा।

इसी प्रकार एक अन्य ग्रामीण भूपेन्द्र मीणा के अनुसार सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए अनेक प्रकार की योजनाएँ संचालित कर रखी हैं परन्तु आज भी समाज में ऐसी सामाजिक बुराईयाँ विद्यमान हैं, जिससे वे पूर्ण सक्रिय योगदान नहीं दे पाती हैं।

रामप्रसाद मीणा ने बताया कि अधिकांश कार्य तो इसलिए हम पूर्ण नहीं करवा पाते कि प्रतिनिधि महिला है, जिसके सामने अपने बात नहीं रख पाते हैं। पर्दा–प्रथा व महिला आक्षेप से अधिकांश लोग कार्यों के होने – न होने पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं।

परमाल बंजारा के अनुसार वर्तमान में महिला–पुरूष प्रतिनिधियों की कार्यशैली में अन्तर तो हैं पर महिला आरक्षण से महिला नेतृत्व क्षमता में भी बहुत परिवर्तन आया है, वे बहुत ही जागरूक हो गई हैं। हालांकि इन्होंने अपने गाँव के पिछड़े होने का प्रमुख कारण पेयजल व सिंचाई की व्यवस्था नहीं होना बताया है। सरकार के द्वारा संचालित योजनाएँ संजीवनी का कार्य कर रही हैं, जिनके माध्यम से गाँवों का कायापलट होने लगा है।

उपर्युक्त ग्रामीणों के साक्षात्कार से पता चलता है कि सरकार द्वारा भले ही महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर पंचायतीराज प्रणाली में उनकी सहभागिता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, परन्तु पुरूष प्रधान मानसिकता के चलते आज भी महिलाओं को नेतृत्व के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। आज भी कई स्थानों पर महिलाओं के पति द्वारा ही उनके कार्य किये जाते हैं। जहाँ पर किसी प्रकार का विवाद हो वहाँ महिलाएँ उस कार्य को पूर्ण प्रभावशाली तरीके से नहीं करवा पाती हैं।

गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों में आज भी घूँघट प्रथा विद्यमान है, विशेषकर आरक्षित वर्ग की महिलाएँ आज भी पर्दा करती हैं। उच्च जाति के लोग इनसे अपना कार्य करवाने में प्रतिष्ठा की कमी महसूस करते हैं। हालांकि सामान्य वर्ग में महिलाएँ आंशिक रूप से पढ़ी–लिखी होती हैं, परन्तु यह समाज में प्रतिष्ठा की वजह से खुलकर बोल नहीं पाती, अतः दोनों वर्ग की महिलाओं की अपनी–अपनी विवशता है, जो समाज से प्रेरित हैं। परन्तु उक्त साक्षात्कार के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि महिला आरक्षण व पंचायतीराज में महिला नेतृत्व के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता तो आई है, वे पहले की अपेक्षा पंचायत के बारे में अधिक जानकारी रखने लगी हैं। उन्हें अपने अधिकार व कर्त्तव्यों का ज्ञान होने लगा है।

(II) योग्यताएँ (शैक्षिक) –

गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत में आरक्षित वर्ग की 2005 से 2015 तक कार्यरत महिला जनप्रतिनिधियों की शैक्षिक योग्यताएँ निम्न सारणी में दर्शायी गई हैं –

सारणी 4.1 : गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत में महिला जनप्रतिनिधियों की शैक्षिक योग्यताएँ

क्रम	नाम	शैक्षिक योग्यता	स्तर	वर्ग
1	पद्मावती मीणा	10वीं	साक्षर	ST
2	चाहन्या बाई मीणा	8वीं	साक्षर	ST
3	प्रेम बाई	8वीं	साक्षर	SC
4	मंजू मीणा	8वीं	साक्षर	ST
5	मोत्यां बाई	8वीं	साक्षर	SC
6	ललिता मीणा	8वीं	साक्षर	ST

फौलाई ग्राम पंचायत में आरक्षित वर्ग की 2005 से 2015 तक कार्यरत महिला जनप्रतिनिधियों की शैक्षिक योग्यताएँ निम्न सारणी में दर्शायी गई हैं –

सारणी 4.2 : फौलाई ग्राम पंचायत में महिला जनप्रतिनिधियों की शैक्षिक योग्यताएँ

क्रम	नाम	शैक्षिक योग्यता	स्तर	वर्ग
1	शकुन्तला	8वीं	साक्षर	SC
2	किसकंधा	8वीं	साक्षर	ST
3	मनभर बाई	8वीं	साक्षर	ST
4	सुरजा बाई	8वीं	साक्षर	SC
5	अनिता मेघवाल	8वीं	साक्षर	SC
6	रानीबाई मीणा	8वीं	साक्षर	ST

स्रोत – "ग्राम गेण्डोली खुर्द व फौलाई के ग्रामीण विकास अधिकारी से प्राप्त जानकारी के आधार पर"

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि दोनों ग्राम पंचायतों, क्रमशः गेण्डोली खुर्द व फौलाई में दोनों ST व SC वर्ग की महिला प्रतिनिधि साक्षर हैं।

अतः स्पष्ट है कि उक्त सारणीयों में ग्राम पंचायतों में 2005 से 2015 के अन्तर्गत कार्यरत महिला प्रतिनिधियों की शैक्षिक योग्यता के बारे में अध्ययन किया गया है। वर्तमान में सरकार के द्वारा पंचायती राज के चुनाव प्रणाली का हिस्सा बनने के लिए शैक्षिक योग्यता का निर्धारण किया जा चुका है, क्योंकि पंचायती राज चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण से एक ओर जहाँ स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी को बल मिला, परन्तु अलग–अलग राज्यों में सरपंच व पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए प्रस्तावित व पारित नियमों से स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी भी निश्चित तौर पर प्रभावित हुई है। वैसे सरपंच पद के लिए शैक्षिक योग्यता का नियम चुनाव में रूचि रखने वाली महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा बाधा बन रहा है। क्योंकि राजस्थान में चुनावों की घोषणा से चार दिन पहले राज्य सरकार एक अध्यादेश ले आई। 20 दिसंबर 2014 को शिक्षा की योग्यता को लागू कर दिया गया, जिसमें जिला

परिषद सदस्यों के लिए दसवीं, सरपंचों के लिए आठवीं और आदिवासियों के लिए पाँचवीं तक पढ़ा होना जरूरी कर दिया गया। इसका दुष्प्रभाव यह सामने आया कि अनेक उम्मीदवारों ने नामांकन के समय अपनी शैक्षणिक योग्यता के फर्जी प्रमाण पत्र जमा किए थे। यह खुलासा होने से इन चुनावों की वैधता पर सवालिया निशान लग गए हैं। क्योंकि शैक्षिक योग्यता संबंधी जाली कागजात जमा करके पंचायत और जिला परिषद के चुनाव जीतने वालों की तादाद कई गुना अधिक हो सकती है। फिर हारे हुए उम्मीदवारों का अनुमान करें तो फर्जीवाड़े का दायरा हैरत में डाल देगा। चोरी–छिपे जाली स्थानान्तरण पत्र जारी करने वाले स्कूलों पर पुलिस कार्यवाही शुरू हुई है, लेकिन जो लोग इस तरह के कागजात जमा करके सरपंच बन गए हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही क्या होगी और उन उम्मीदवारों के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएँगे? जो चुनाव तो हार गए, मगर जिन्होंने फर्जी प्रमाणपत्रों के सहारे उम्मीदवारी का परचा दाखिल किया था। फिर अगर इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारी में धांधली हुई तो क्या चुनाव को वैध माना जाएगा। बहुत से लोग उम्मीदवार नहीं हो सके, क्योंकि वे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त पूरी नहीं करते थे। इस घपले को उनके साथ हुए अन्याय के रूप में देखा जाना चाहिए।

लोकतांत्रिक और संवैधानिक नजरिए से यह कसौटी निहायत बेतुकी है और इसलिए कई न्यायविदों समेत बहुत से बुद्धिजीवियों, राजनीतिज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पर सख्त एतराज जताया था, जब लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की शर्त नहीं रखी गई है तो राजस्थान के पंचायत चुनाव में यह क्यों? गाँवों की अगर बात करें तो बहुत से ग्रामीण निरक्षर हैं, आठवीं और दसवीं तक पढ़ाई कर चुके लोगों की तादात ग्रामीण राजस्थान में और भी कम है। फिर महिलाओं और अनुसूचित जाति–जनजाति में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का अनुपात और भी कम मिलेगा, ऐसे में अध्यादेश में किया गया प्रावधान बहुत से लोगों, खासकर कमजोर तबकों को पंचायत राज में प्रतिनिधित्व करने में रोकने का हथियार है।[118]

दूसरी तरफ शैक्षिक योग्यता के निर्धारण का सकारात्मक पक्ष देखा जाए तो इससे योग्य प्रतिनिधियों का ही चुनाव किया जा सकता है, ताकि वे सही निर्णय लेते हुए सही नेतृत्व प्रदान कर सकें, जिन प्रतिनिधियों को हस्ताक्षर भी नहीं करने आते या फिर निरक्षर हैं, वे कैसे सरकार की योजनाओं, जनता की समस्याओं को समझ पायेंगे, ऐसे में सरकार के द्वारा यह एक सकारात्मक पहल थी।

उक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द व फौलाई में जो महिला प्रतिनिधि हैं, वे सभी साक्षर मात्र हैं, जो सरकार की योजनाओं के बारे में पूर्ण जागरूक हैं।

---

[118] www.jansatta.com/editorial/rajasthanpatchwork-of-candidacy/18366

(III) बैठकों में उपस्थिति –

गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत में आरक्षित वर्ग की महिला प्रतिनिधियों का 2005–2015 तक बैठकों का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है –

सारणी 4.3 : बैठकों में उपस्थिति

क्रम	महिला प्रतिनिधि	कुल बैठकें	उपस्थिति	प्रतिशत उपस्थिति	वर्ग
1	पद्मावती मीणा	120	90	75%	ST
2	चाहन्या बाई मीणा	120	88	73%	ST
3	प्रेम बाई	120	87	72%	SC
4	मंजू मीणा	124	99	80%	ST
5	मोत्यां बाई	124	105	85%	SC
6	ललिता मीणा	124	105	85%	ST

स्रोत – "ग्राम पंचायत गेण्डोली खुर्द के उपस्थिति रजिस्टर से प्राप्त जानकारी के आधार पर"

गेण्डोली खुर्द में 2005 में सरपंच पद्मावती मीणा, चाहन्या बाई मीणा, प्रेमबाई क्रमशः 90, 88, 87 बैठकों में उपस्थित रही, अतः 75, 73, 72 प्रतिशत इनकी उपस्थिति रही। 2010 में मंजू मीणा 99 दिन बैठकों में उपस्थित रही, अतः इनकी 80 प्रतिशत उपस्थिति रही। 2015 में मोत्याबाई व ललिता मीणा 105, 105 दिन बैठकों में उपस्थित रही, अतः 85 प्रतिशत इनकी उपस्थिति रही।

फौलाई ग्राम पंचायत में आरक्षित वर्ग की महिला प्रतिनिधियों की बैठकों में उपस्थिति 2005 से 2015 तक इस प्रकार है –

सारणी 4.4 : महिला प्रतिनिधि की बैठकों में उपस्थिति

क्रम	महिला प्रतिनिधि	कुल बैठकें	उपस्थिति	प्रतिशत उपस्थिति	वर्ग
1	शकुन्तला	120	90	75%	SC
2	किसकंधा	120	90	75%	ST
3	मनभर बाई	124	99	80%	ST
4	सुरजा बाई	124	99	80%	SC
5	अनिता मेघवाल	124	105	85%	SC
6	रानीबाई मीणा	124	105	85%	ST

स्रोत– "फौलाई ग्राम पंचायत की उपस्थिति रजिस्टर से प्राप्त जानकारी के आधार पर"

फौलाई ग्राम पंचायत में 2005 से 2015 तक कुल 6 महिला प्रतिनिधि रही थी। 2005 में शकुंतला व किसकंधा क्रमशः 90, 90 बैठकों में उपस्थित रही, अतः दोनों की उपस्थिति 75 प्रतिशत रही। मनभर बाई व सुरजा बाई 99, 99 उपस्थित रहे अतः दोनों की उपस्थिति 80

प्रतिशत रही व अनिता मेघवाल व रानीबाई मीणा क्रमशः 105, 105 बैठकों में उपस्थित रही अतः इनकी उपस्थिति 85 प्रतिशत रही है।

उक्त सारणीयों में गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायत में पंचायत की बैठकों व ग्रामसभा की बैठकों का विवरण दिया है, हालांकि महिला प्रतिनिधियों की यह उपस्थिति 73 से 85 प्रतिशत के बीच है, लेकिन आज अनेक समस्याएँ हैं, जिनके कारण वे समय पर उपस्थित नहीं हो पाती, अतः उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए समस्याओं के साथ उनके निराकरण के प्रयासों के बारे में बताया गया है।

पंचायत में महिलाओं की बैठकों में उपस्थिति को लेकर आने वाली समस्याएँ निम्न हैं –

1. समय का अभाव
2. पति द्वारा बैठकों मे जाना
3. सूचना नहीं दिया जाना
4. पंचायत से दूरी होना
5. गृहस्थी के कार्यों की वजह से उदासीनता
6. खानापूर्ती कर दिया जाना
7. परिवहन के साधनों का अभाव

अतः पंचायत की बैठकों में महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाने हेतु ग्रामसभा के कार्यों के प्रति उनकी विचारधारा को व्यापक रूप से एक नई दिशा देने की आवश्यकता है, ताकि सभी महिला सदस्यों की ग्रामसभा व पंचायत की बैठकों के प्रति जागरूकता तथा रूचि बढ़े। बैठक में पूर्ण भागीदारी के लिए सदस्यों को अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक होना होगा।

पंचायत की बैठकों में भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रयास –

1. ग्राम–सभा व पंचायत की बैठकों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए गाँव के सार्वजनिक स्थलों, पशु चिकित्सा केन्द्रों, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों, आँगनबाड़ी केन्द्रो, ग्रामीण सूचना केन्द्र, पंचायत चौक, विद्यालय, मोबाइल आदि में बैठकों की सूचना दें।

2. गाँव के सम्पूर्ण विकास के लिए महिला की भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि पुरूष की। अतः महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु घर के पुरूषों का संवेदनीकरण करना जरूरी है। बैठक का समय भी ऐसा रखना चाहिए कि उनकी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

3. बैठकों का आयोजन ऐसे स्थान पर हो जहाँ आने में सुविधा हो और गाँव के सभी लोग व महिलाएँ आ सके।

4. बैठकों के महत्त्व के प्रति जागरूकता हेतु पदयात्रा अथवा अभियान चलाना व निरन्तर सूचना का प्रसार करना चाहिए। इस अभियान में गाँव के सेवामुक्त शिक्षक, सरकारी कर्मचारियों को भी जोड़ना एक महत्त्वपूर्ण कार्य हो सकता है।

5. बैठकों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए गणपूर्ति में उनकी उपस्थिति को न्यूनतम तय किया जाना चाहिए। महिलाओं, कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों को ग्रामसभा की बैठक में जाने और अपने व्यक्तिगत ही नहीं, गाँव से जुड़े सामूहिक हित संबंधी मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने हेतु प्रेरित एवं प्रशिक्षित करना चाहिए।

6. गाँव के आर्थिक व सामाजिक विकास में महिलाओं की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि पुरूषों की। उनकी भागीदारी को प्रायः घर के पुरूषों के द्वारा अनदेखा किया जाता है, ग्रामसभा की बैठक में उनकी भागीदारी के महत्त्व के प्रति जागरूकता लाने के लिए घर के पुरूषों का संवेदनीकरण किया जाना जरूरी है।

7. पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाएँ कृषि एवं घर के कार्यों के साथ–साथ ईंधन एवं चाय लाने के लिए प्रायः घर से बाहर रहती है। अतः बैठक का समय उनकी सुविधानुसार अवश्य ही रखा जाना चाहिए ताकि महिलाएँ अधिक से अधिक भाग ले सकें।

8. ग्राम पंचायत में बैठकों से पूर्व वार्ड स्तर पर महिलाओं की अलग से बैठक का आयोजन कर उन्हें ग्राम–सभा की बैठक में उठाये जाने वाले मुद्दों पर प्रशिक्षित करना चाहिए। इस हेतु गाँव के जागरूक व्यक्तियों एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का संवेदनीकरण करना चाहिए। ताकि वे स्वयं गाँव की महिलाओं व उपेक्षित वर्ग को ग्राम–सभा के लिए तैयार व प्रेरित कर सकें।

9. महिलाओं पर अक्सर कार्य का बोझ अधिक रहता है, अतः महिलाओं को बैठक के महत्त्व पर जागरूक करते हुए यह सलाह देना कि वे कार्य को बैठक होने के पहले दिन ही पूरा कर लें ताकि बैठक के लिए समय निकाल सके।

10. निर्बल वर्ग व महिलाओं के संकोच, भय व झिझक को कम करना तथा विचारों को आदान–प्रदान के कौशल को बढ़ाने के प्रयत्न करना चाहिए, ताकि वे अपनी बात को निःसंकोच बैठक में कह सकें।

11. गाँव की किसी एक जागरूक महिला को महिला प्रेरक के रूप में विकसित कर आवश्यक प्रशिक्षण द्वारा उसका ज्ञानवर्धन करना चाहिए ताकि वह गाँव की अन्य महिलाओं को भी बैठकों में भागीदारी व उसमें लिये जाने वाले निर्णयों के प्रति जागरूक कर सके। ग्रामसभा की बैठक में महिला प्रेरक की उपस्थिति में गाँव की महिलाएँ अपने विचार रखने में संकोच नहीं करतीं।

अतः सामाजिक विकास का संतुलन बनाये रखने के लिए ग्राम पंचायत की बैठकों में महिलाओं को अपने अधिकारों तथा दायित्वों के प्रति जागरूकता होना नितान्त आवश्यक है। ग्राम विकास की योजनाएँ बनाते समय या अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते समय या उनसे संबंधित निर्णय लेते समय महिलाओं की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है, जितनी कि गाँव के पुरूषों की। लेकिन यह तभी संभव है जब महिलाओं को आगे आने के अवसर मिलेंगे और महिलाएँ बैठकों में अपनी भागीदारी की अनिवार्यता के प्रति जागरूक होगी। हमारी जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाएँ है। परिवार, गाँव, समाज व देश के सामाजिक व आर्थिक विकास में महिलाओं के योगदान को अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। अतः गाँव व जनसमुदाय के विकास से जुड़े मुद्दे चाहे वह जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक, संसाधनों के संरक्षण, संवर्द्धन व उपयोग संबंधी हो गया गाँव में किसी भी निर्माण कार्य के लिए योजना बनाने का सवाल हो या फिर आर्थिक विकास के लिए आयसर्जक गतिविधियों जैसे कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प या अन्य गतिविधियों संबंधी विषयों पर चर्चा व निर्णय लेने की बात हो, इन सभी प्रक्रियाओं में महिलाओं को शामिल करना किसी भी विकास प्रक्रिया की सफलता के लिए पहली शर्त है। पंचायत संस्थाओं में 73वें संविधान अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओं को आरक्षण देकर पंचायत प्रतिनिधि के रूप में उन्हें निर्णय प्रक्रिया से जोड़ा गया है। लेकिन ग्रामसभाओं में भी मतदाता होने के नाते महिलाओं की अर्थपूर्ण उपस्थिति अति आवश्यक है। अतः ग्राम पंचायत हो या ग्रामसभा की बैठकों में महिला–पुरूष दोनों की ही भागीदारी करना अति आवश्यक है। बैठकों के माध्यम से महिलाएँ अपनी समस्याएँ, चाहे वह चारे की समस्या हो अथवा कृषि कार्य को सरल बनाने के लिए तकनीकी माँग हो गया फिर सामाजिक न्याय, उत्पीड़न व अत्याचार जैसे मुद्दे को भी पंचायत के समक्ष रख सकती हैं। वह एकजुट होकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपने हित में निर्णय करा सकती हैं।

अतः स्पष्ट है पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भले ही आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया हो, मगर हकीकत में अभी भी महिला जनप्रतिनिधि घर के कामकाज तक ही सिमटी हुई हैं। ग्राम–पंचायत की बैठकों की उपस्थिति नगण्य रहती हैं। कुछ जनप्रतिनिधियों को छोड़कर उनके पति, ससुर, पुत्र ही उनके दायित्व निभा रहे हैं।

गेण्डोली खुर्द के ग्रामीण महावीर जी बताते हैं कि "महिलाएँ बैठकों में आती तो हैं, परन्तु अधिकांश बैठकों में उनके पति हिस्सा लेते हैं।"

एक अन्य ग्रामीण मदनलाल ने बताया कि "अगर बैठकें गाँव में ही होती हैं तो महिला प्रतिनिधि उपस्थित हो जाती हैं, परन्तु अगर पंचायत से बाहर होती हैं तो महिलायें काम–काज की व्यस्तता के कारण नहीं जा पाती हैं।"

रामप्रसाद मीणा के अनुसार "गेण्डोली खुर्द व फौलाई दोनों ही गाँव पर्वतीय क्षेत्रों में बसे हैं, सीधे शहरी क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं, अतः परिवहन के साधनों व जागरूकता का भी अभाव है। इसके साथ ही बताया कि महिलायें पानी की व्यवस्था करने में अपना अधिकांश समय गँवा देती हैं, ऐसे में समय–समय पर पंचायत की बैठकों में उपस्थित होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।"

अतः स्पष्ट है ग्रामीण महिलाओं के पंचायत की बैठकों में उपस्थित नहीं होने के कई कारण हैं, दोनों गाँवों में महिलाओं की बैठकों में उपस्थिति अच्छी रही है। 2005–2015 के बीच में, फिर भी महिलाओं की उक्त समस्याओं का निराकरण किया जाए, क्योंकि आजादी के 71 वर्षों के बाद भी हालात नहीं बदले हैं। कुछ महिलाओं ने अपने दम पर मुकाम हासिल कर लिया हो परन्तु अधिकांश जगह आज भी हालात वही बने हुए हैं। दूसरा महिलाओं को केवल पंचायत में भागीदारी देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी समस्याओं का भी निराकरण किया जाना चाहिए।[119]

बैठकों के प्रमुख मुद्दे क्रिया–प्रतिक्रिया –

भारत की पंचायती राज प्रणाली में गाँव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है, जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। सरपंच, ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। यहाँ पर ग्राम गेण्डोली खुर्द व फौलाई में जो आरक्षित वर्ग की महिला प्रतिनिधि हैं, जो 2005–2015 तक कार्यरत रही हैं, उनके अनुसार जब भी पंचायत

119 https://www.scotbuzz.org

की बैठकें आयोजित होती थी, उन बैठकों में ग्राम पंचायत के कार्यों से संबंधित मुद्दों के बारे में बताया है।

और उनके बारे में जानने से पहले हमें पंचायत के कार्यों के बारे में जानना होगा।

पंचायत के प्रमुख कार्य –

1. संसाधनों के प्रबंधन एवं उत्पादन संबंधी कार्य
2. ग्रामीण व्यवस्था एवं निर्माण संबंधी कार्य
3. मानवीय क्षमता वृद्धि संबंधी कार्य
4. कृषि एवं कृषि विस्तार
5. सामाजिक एवं फार्म, वनोद्योग, लघु वन उत्पाद, ईंधन, चारा
6. पशुपालन, दुग्ध उद्योग एवं मुर्गी पालन
7. मछली पालन को बढ़ावा देना
8. खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना
9. ग्रामीण स्वच्छता तथा पर्यावरण
10. ग्रामीण गृह निर्माण करना
11. पेयजल व्यवस्था करना
12. सड़क, भवन, पुल, पुलिया एवं जलमार्ग
13. विद्युतीकरण तथा वितरण
14. गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत उपाय एवं संरक्षण
15. जन वितरण प्रणाली
16. सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल
17. बाजार एवं मेले
18. ग्रामीण पुस्तकालय एवं वाचनालय
19. खटालों, कांजी हाउस तथा ठेला स्टैण्ड का निर्माण एवं रख–रखाव
20. कसाईखानों का निर्माण एवं रख–रखाव
21. सार्वजनिक पार्क, खेलकूद का मैदान आदि का रख–रखाव
22. सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ादान की व्यवस्था
23. झोंपड़ियों एवं शेडों का निर्माण एवं नियंत्रण
24. पंचायत के लिए बजट
25. अतिक्रमण हटाना तथा बाढ़–सुखाड़ आदि प्राकृतिक आपदा
26. आपदाओं में सहायता करना

27. धर्मशालाओं, छात्रावासों एवं अन्य वैसे ही संस्थानों का निर्माण तथा उसका रख–रखाव करना

28. शिक्षा, प्राथमिक व माध्यमिक स्तर तक वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा

29. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

30. महिला व बाल विकास

31. गरीबी उन्मूलन

32. सहायता

33. सामाजिक, सांस्कृतिक तथा खेलकूद को बढ़ावा देना

34. विकलांग की मदद

35. शिक्षा प्रचार करना

उक्त सभी कार्य पंचायतों के रहे हैं।[120]

सामान्य रूप से देखा जाए तो एक सरपंच रूप में निम्न कार्य हैं जो किसी भी पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा करवाये जाते हैं –

1. जैसे घरेलू उपयोग के लिए पानी का इंतजाम करना। वैसे भी उक्त दोनों ग्राम पंचायतों में पेयजल का अभाव है, अतः पानी का इंतजाम करना बहुत बड़ी आवश्यकता है।

2. गाँव में पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था करना व पोखड़ यानी जोहड़ का रख–रखाव करना।

3. पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, दुग्ध बिक्री केन्द्र और डेयरी की व्यवस्था करना। साथ में दुधारू पशुओं के लिए उनके अच्छे खाद्य पदार्थों का इंतजाम करना व पशुओं को बीमारी से बचाव के उपाय करना व फैलने वाली बीमारी से बचाना।

4. गाँव के रोड़ को पक्का करना, उनका रख–रखाव करना व पानी के ड्रेनेज की व्यवस्था करना।

5. सिंचाई के साधन की व्यवस्था करने में ग्रामीणों की मदद करना।

6. गाँव में स्वच्छता बनाये रखना व ग्रामीणों की सेहत और स्वास्थ्य के जरूरी इंतजाम करना।

---

120 http://www.kulhaiya.com/sarkari

7. गाँव में पब्लिक बिल्डिंग, घास वाली जमीन, जंगल, पंचायती जमीन, गाँव के कुओं, गाँव के टैंक और पथवेज को बनाना, उनको रिपेयर करना और उनका रख–रखाव करना।

8. गाँव के सार्वजनिक स्थलों जैसे ग्राम–चौपाल, गली व सामाजिक स्थानों पर विद्युत का इंतजाम करना।

9. गाँव में मेले, दंगल, कबड्डी, बाजार और पब्लिक मार्केट में व्यवस्था बनाये रखना और जहाँ जरूरी हो पार्किंग और स्टैण्ड की व्यवस्था करना।

10. दाह संस्कार व कब्रिस्तान का रख–रखाव करना।

11. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में हिस्सा लेना व ग्रामीणों को कृषि से सम्बन्धित डेवलपमेंट्स के बारे में बताना और कृषि को बढ़ावा देने वाले प्रयोगों का इस्तेमाल करने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहन।

12. गाँव में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना व देशी–विदेशी का फर्क बताकर ग्रामीणों को देसी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।

13. स्वच्छता अभियान में आगे बढ़ना, गाँव में पब्लिक टॉयलेट और लेट्रिन बनाना व उनका रख–रखाव करना। साथ में घरेलु लेट्रिन के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना।

14. ग्रामीण रोड्स व सार्वजनिक स्थलों पर पेड़ लगाना व उनका रख–रखाव करना। ग्रामीणों में वृक्षारोपण की भावना को बढ़ावा देना।

15. गाँव के टैक्सेज जैसे कि चूल्हे टैक्स वगैरा का कलेक्शन करना।

16. गर्ल्स चिल्ड्रन को बचाने व बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ स्कीम को आगे बढ़ाना।

17. ग्रामीणों को बुरी आदतों जैसे शराब की बुरी लत, ड्रग्स का इस्तेमाल करने आदि से दूर रहने की सलाह देना और जरूरी हो तो इन सब बातों को बढ़ावा देने वाले लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करना।

18. गाँव में फोरेस्ट स्कीम इन्ट्रोड्यूस करना व गाँव में आमदनी वाले पेड़–पौधे लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना।

19. जवान बच्चों के लिए हायर एजुकेशन व जॉब ओरिएन्टेड प्रोग्राम की व्यवस्था उनको अपडेट करना।

20. गाँव में भाईचारे का माहौल बनाना, झगड़ों को सुलझाना व दोस्ताना माहौल पैदा करना।

21. गाँव की भलाई के लिए सरकार से ग्रांट और गरीबों की मदद के रास्ते तलाशना।

22. गाँव में किसी भी अनहोनी की सूरत में मिल–बैठकर सबके दुःख को बाँटना और समस्या का समाधान करना।

23. आँगनबाड़ी केन्द्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करना।

24. गरीबों के लिए प्लॉट काटना व ग्राम पंचायत की जमीन को पट्टे देना।

अतः स्पष्ट है कि पंचायतों के कार्यों के बाद सरपंचों की जिम्मेदारी होती है कि वे अपनी पंचायत के सम्पूर्ण विकास हेतु उक्त कार्यों का पालन करें।[121]

यहाँ पर आरक्षित वर्ग की सरपंचों के के पंचायतों के प्रमुख मुद्दों व कार्यों का विवरण दिया जा रहा है, जो निम्न है –

गेण्डोली खुर्द – सरपंच पद्मावती मीणा 2005 से 2010 तक गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत में सरपंच के पद पर रही। इन्होंने 2005 से 2010 तक इनके पंचायत क्षेत्र में जो भी प्रमुख मुद्दे रहे और कार्य हुए उनके बारे में वर्षवार बताया है। यह पंचायत की बैठकों में नियमित जाती थी और प्रशासन के पूर्ण सहयोग से पंचायत के कार्य सम्पन्न करवाये तथा गाँव के आपसी विवादों को सुलझाने के लिए पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लेती थी। इन्होंने शांतिपूर्ण कार्य करवाये। साथ ही आरक्षित वर्ग की प्रतिनिधि होने के बाद भी एक जागरूक कार्यकर्ता के रूप में इनकी बैठकों के प्रमुख मुद्दों पर केन्द्रित किया जो निम्न है –

1. इनके कार्यकाल के दौरान गेण्डोली खुर्द में सिंचाई के साधन नहीं थे, जिससे खेती नहीं होती थी और आजीविका के कोई अन्य साधन भी उपलब्ध नहीं थे।

2. पेयजल की भी हमेशा समस्या बनी रहती थी।

3. डेयरी व पशुपालन का भी पर्याप्त विकास नहीं हुआ था क्योंकि पानी का अभाव था।

4. इनके गेण्डोली खुर्द में तो परिवहन सुविधा थी परन्तु अन्य गाँव मुख्य सड़क मार्ग से कटे होने के कारण सड़कों व यातायात विकास का प्रमुख मुद्दा रहा।

5. पशुधन व पटवार मण्डल की बिल्डिंग भी जीर्ण–शीर्ण थी।

---

121 http://tradecall.in

6. श्रमिक वर्ग श्रम के अभाव में पलायन करने लगे थे।

7. जंगली जानवरों की वजह से खेती करने में भी बहुत परेशानी आती थी।

8. सड़कों व नालियों को लेकर भी बहुत विवाद सुलझाये।

9. वाटरशेड मेड़बंदी के कार्य से सम्बन्धित मुद्दे भी रहे।

10. समस्त योजनाओं की सुनिश्चित कार्यवाही भी एक प्रमुख मुद्दा रहा।

प्रमुख कार्य –

सी.सी. रोड़ का निर्माण, नालियों का निर्माण करवाया। समय–समय पर आम रास्ते पर मिट्टी डलवायी, झोंपड़ियाँ, गाँव में आम रास्ते पर नाले का निर्माण, वाटरशेट के कामों के अन्तर्गत खेतों पर मेड़बन्दी का कार्य, पौधारोपण व बरसात के दिनों में सी.सी. रोड़ व मिट्टी डलवाकर, समय–समय पर सड़क निर्माण, किसानों को कृषि कार्य में गुणवत्ता में पूर्ण सुधार के लिए 7–7 दिनों के वर्कशॉप करवाये। जिसमें महाराष्ट्र व दिल्ली की वर्कशॉप प्रमुख थी। 2007 में जॉब–कार्ड बनवाये। आधार–कार्ड बनवाये, चयनित की लिस्ट में नाम जुड़वाने का कार्य, एनीकट का भी निर्माणाधीन है। समस्त पेंशन योजना जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन को लागू किया। गरीबों को अनाज वितरित किया। इंदिरा आवास योजना को सुचारू रूप से लागू किया। नीलकण्ठ महादेव मंदिर के निकट तालाब में पानी की उचित व्यवस्था हेतु पाल–बन्दी करवायी। नीलकण्ठ महादेव से झगड़ू बावड़ी तक ग्रेवल बिछवाई। गेण्डोली खुर्द में पानी की दो टंकियाँ बनाकर नल से पानी की सप्लाई की। श्मशान घाट में टीनशेड बनवाया व नल लगवाया। विद्यालयों में किचन सेट बनवाये। गुंथा मोड़ से झाड़ोल तक डामर रोड़ बनवाया।

इस प्रकार सरपंच ने अपने कार्यों के बारे में बताया।

फौलाई – फौलाई ग्राम पंचायत में सरपंच अनिता मेघवाल कार्यरत हैं। इन्होंने इनके क्षेत्र में 2015 से वर्तमान तक जो प्रमुख मुद्दे थे, उनके बारे में बताया है।

2015 में ग्राम पंचायत फौलाई के प्रमुख मुद्दे निम्न रहे हैं –

1. फौलाई में सिंचाई के साधनों का अभाव

2. पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है।

3. नहरों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ।

4. पेयजल के लिए 67 गाँवों के लिए झालीजी के बराना में एनीकट प्रस्तावित है।

5. लिफ्ट परियोजना जो लोहली गाँव में हैं इसे पॉइंट बनाकर दोनों गाँवों की ग्राम पंचायतों को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

6. जंगली जानवरों की वजह से खेती करने में बहुत परेशानी होती है।

7. नालियों, सी.सी. रोड़ का निर्माण का मुद्दा।

8. पेंशन योजनाओं का संचालन व सभी को सही समय पर लागू करने का मुद्दा।

9. प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं को लागू करवाने से सम्बन्धित कार्य व मुद्दे।

प्रमुख कार्य –

खुरंजा निर्माण, रोड़ सही करवाना, डामरीकरण करवाना, नालियाँ निर्माण, समय–समय पर आने वाली योजनाओं की क्रियान्विति, ग्रेवल बिछवाना, वाटरशेड व मेड़बंदी के कार्य करवाना, ग्राम पंचायत की बैठकों की व्यवस्था करना, पेयजल हेतु टैंकरों की व्यवस्था करना आदि प्रमुख कार्य करवाये।

प्रतिक्रिया –

वर्तमान में देखा जाए तो गाँवों का कायाकल्प करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार हर साल एक ग्राम पंचायत को लाखों रूपये देते हैं और इनकी पूर्ण जानकारी ग्रामीणों को होनी चाहिए।

सरपंच पद्मावती मीणा के अनुसार अपने कार्यकाल में जो कार्य हुए उनसे सन्तुष्ट नजर आई, कहा कि उसके द्वारा करवाये गये कार्यों से जनता खुश है और प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा। साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत की बैठकों में 11 वार्ड पंचों के द्वारा जो समस्याएँ बताई जाती थी, उसकी भी पूर्ण चर्चा की और समस्त मुद्दों व समस्याओं का पूर्ण निराकरण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आगे भी दल के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती रहेगी।

उपर्युक्त दोनों सरपंचों के वक्तव्य व पंचायत के मुद्दों व कार्यों को देखते हुए यह तो स्पष्ट है कि राजनीतिक सहभागिता से महिलाओं में अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति जागरूकता आई है, वे और भी अधिक जागरूक व मजबूत हुई है। पुरूषों पर उनकी निर्भरता कम हुई है, एक नया आत्मविश्वास इन महिलाओं में जाग्रत हुआ है। अतः सरकार की

प्रत्येक योजना की जानकारी व बजट आदि से जुड़ी प्रत्येक सूचना का ज्ञान इनको होना चाहिए ताकि यह पूर्ण सजग और सक्रिय होकर कार्य कर सके। क्योंकि ऐसी बहुत सी योजनाएँ हैं, जिनके बारे में न तो सरपंच ग्रामीणों को बताते हैं और ना ही लोगों को इनके बारे में पता चलता है।

वर्तमान में देखा जाए तो पूरे भारत में इस समय स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, जिसके तहत ग्रामीणों को न सिर्फ सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है बल्कि उन्हें उनके अधिकार भी बताए जाते हैं। जानकारी के आधार पर आर.टी.आई. के जरिए सरकार से भी सवाल कर सकते हैं और महिला प्रतिनिधियों को भी पूर्ण जानकारी होना चाहिए।

ग्राम गेण्डोली खुर्द के ग्रामीण धन्नालाल गुर्जर से जब महिलाओं की कार्यप्रणाली व नेतृत्व को लेकर बात हुई तो वे कहते हैं कि "महिलाएँ सरपंच तो बन जाती हैं परन्तु उनको सम्पूर्ण कार्यों का ज्ञान नहीं होता। कई बार तो महिला होने की वजह से उनमें कार्य करवाने में झिझक अनुभव होती है।"

अन्य ग्रामीण भूपेन्द्र मीणा के अनुसार महिला सरपंच को गाँव के कार्य करवाने के लिए पुरूषों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। वाद—विवाद के समय वे असहाय महसूस करती हैं। पूर्व सरपंचों के कार्यों से सन्तुष्ट है परन्तु महिला की अपेक्षा पुरूष सरपंच प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं।

फौलाई के ग्रामीण सत्यनारायण गौत्तम जी बताते हैं कि सरकार के सहयोग से महिला प्रतिनिधि भी अपने कार्यों को और अधिक प्रभावशाली तरीके से कर रही हैं।

चित्र 4.1 : (शोधार्थी ग्राम पंचायत फौलाई में सत्यनारायण गौतम व अन्य ग्रामीणों से चर्चा करते हुए)

गेण्डोली खुर्द की जमना बाई कहती हैं कि महिला प्रतिनिधि सरपंच या पंच के रूप में कार्य तो करती हैं परन्तु घर–गृहस्थी के कार्यों की वजह से वे पूरा समय पंचायतों को नहीं दे पाती हैं। इसलिए पुरूषों के समान कार्य नहीं कर पाती है।

अतः महिला प्रतिनिधियों व ग्रामीणों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि आज भी अनेक समस्याएँ हैं, जो महिलाओं को आगे बढ़ने में रूकावट हैं। जैसे –

1. विभिन्न सामाजिक–आर्थिक रूकावटों के कारण महिलाओं को अपनी सांख्यिकीय शक्ति के बावजूद समाज में बहुत छोटा दर्जा प्राप्त है। महिलाओं द्वारा अनौपचारिक, राजनैतिक क्रियाओं में तीव्र वृद्धि के बावजूद राजनैतिक संरचना में इनकी भूमिका वास्तव में अपरिवर्तित रही है।

2. कई महिला प्रतिनिधियों को खासकर कमजोर वर्ग की महिलाओं को, वित्तीय समस्या से अपने परिवार का पालन–पोषण करने के लिए कृषि कार्य अथवा मजदूरी पर जाना पड़ता है, उनका मानना है कि यदि वे पंचायत की बैठकों में जायेंगी तो उनके परिवार का पालन–पोषण कौन करेगा।

3. यह देखने को मिलता है कि जिन महिला प्रतिनिधियों के परिवार में 13–16 सदस्य हैं, वे परिवार की देखभाल करने और घर का काम करने के कारण पंचायत की बैठकों में कम ही भाग ले पाती हैं। जिन महिला प्रतिनिधियों का परिवार खेती पर निर्भर है, कृषि कार्य की वजह से समय न मिलने के कारण वे पंचायत की बैठकों में भाग नहीं ले पाती हैं।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की हैं। यदि कोई महिला आगे बढ़कर कोई कार्य करना भी चाहती है तो उसे समाज स्वीकार नहीं करता। समाज में पर्दा–प्रथा, पुराने रीति–रिवाज तथा रूढ़िवादिता आज भी विद्यमान है, जिससे महिलाएँ विकास प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी नहीं कर पा रही हैं।

5. कई गाँवों में जातिवाद आज भी विद्यमान है। कुछ गाँवों में जहाँ महिला सरपंच अनुसूचित जाति की हैं, वहाँ अन्य महिला प्रतिनिधि जो सामान्य तथा पिछड़े वर्ग की पंच महिला हैं, पंचायत की बैठकों में नहीं जाती क्योंकि उनका मानना है कि महिला सरपंच नीची जाति की हैं और नीची जाति की महिलाओं के साथ बैठने से उनका अपमान होगा।

6. अशिक्षित, महिला प्रतिनिधि भी महसूस करती हैं कि उन्हें भी पढ़ा–लिखा होना चाहिए। ताकि वे सभी पंचायत राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को सफल बना सकें और उन्हें कार्यान्वित कर सकें। महिला प्रतिनिधियों को पंचायत का प्रतिनिधि बनने से पहले या बाद में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जिन गाँवों में पंचायत भवन की व्यवस्था नहीं है वहाँ महिला प्रतिनिधि पंचायतों की बैठक में नहीं जा पाती।

7. पंचायती चुनावों में कई क्षेत्रों में यह देखा गया है कि समाज के प्रभावशाली व्यक्ति अपनी ही पत्नी, बहन, माँ अथवा किसी अन्य संबंधी महिला को चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर देते हैं, जो बाद में उन्हीं के इशारे पर काम करने को विवश होती है। इस प्रकार महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में से भी एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होने के प्रावधान की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। गाँवों में दलबंदी होने के कारण छोटे–छोटे झगड़े होते हैं और जनकल्याण की योजनाओं के प्रति वे सही निर्णय नहीं ले पाती।[122]

अतः स्पष्ट है कि राजनैतिक माहौल में सहभागी महिला प्रतिनिधियों के प्रति पुरूष समाज की रूढ़िवादी सोच बदलनी होगी। महिलाएँ, पहली बार राजनीतिक माहौल में आ रही हैं। इसलिए उनमें भय, संकोच एवं घबराहट होती है। ऐसी महिलाओं में साहस उत्पन्न करना होगा तथा महिलाओं को उनकी आंतरिक क्षमता एवं शक्ति पर भरोसा कराना होगा। महिलाओं को भी पुरूषों जैसा ही मान–सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा देनी होगी तभी राजनीति में महिलाओं का सकारात्मक सहयोग प्राप्त हो सकेगा। राजनैतिक माहौल में अपराधीकरण, आतंकवाद, काला धन, चरित्र लांछन जैसे दुर्गुण हैं। इसमें महिलाएँ सार्वजनिक रूप से अलग रहती हैं। उन्हें सामाजिक अप्रतिष्ठा का भय बना रहता है, इसलिए राजनेताओं और राजनैतिक दलों द्वारा इस दूषित वातावरण में परिवर्तन लाना जरूरी है, ताकि महिलाएँ राजनीति में अपना सक्रिय योगदान दे सकें।

समानता पर आधारित सामाजिक संरचना का गठन करना आवश्यक है। ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहाँ मानव द्वारा मानव का शोषण नहीं, स्त्री एवं पुरूष एक–दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखें। स्त्री और पुरूष दोनों ही पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, अंधभावना से ऊपर उठ कर परस्पर सहयोग, परिश्रम एवं संगठन शक्ति का प्रयोग कर गाँव के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे।

---

[122] https://groups.google.com/forum/ml#1topic/india.news/gxuldrcoeuo

अधिकतर महिला प्रतिनिधि अनपढ़ हैं, जिससे उनको पंचायत के लेखापत्र, नियम पढ़ने में या लिखने में दिक्कत आती है। अतः महिला पंचायत प्रतिनिधियों को शिक्षा देना जरूरी है। प्रौढ़ शिक्षा का लाभ उठाकर एक शिक्षित व्यक्ति एक अनपढ़ व्यक्ति को पढ़ाने का संकल्प करे तो निरक्षरता का कलंक शीघ्र ही दूर हो सकता है और इसमें पंचायतें सक्षम बनेंगी।

जन–जागृति तथा देश के आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर जोर देना होगा। ऐसा वातावरण उत्पन्न करना होगा, जिससे इन मूल्यों को उपयुक्त महत्त्व प्रदान किया जाए, तभी महिलाएँ ऊपर उठ सकेंगी और वे पंचायती राज संस्थाओं में हिस्सा ले सकेंगी।

महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए चुने गए प्रतिनिधियों और विकास अधिकारियों के बीच संपर्क के जरिए सक्रिय प्रयत्नों की जरूरत है। निरन्तर सभाओं और विचार–विमर्श के द्वारा कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए। महिला विकास कार्यक्रम में पंचायत व स्थानीय अधिकारियों का अनिवार्य रूप से सम्बन्ध हो जिससे कि विकास में महिलाओं की ज्यादा प्रभावपूर्ण भागीदारी संभव हो सके।[123]

वर्ष 2005 से 2015 तक शीर्ष महिला नेतृत्व (आरक्षित वर्ग) की भूमिका :–

गेण्डोली खुर्द में शीर्ष महिला नेतृत्व (सरपंच) पद्मावती मीणा की भूमिका का विवरण नीचे दिया जा रहा है –

चित्र 4.2 : (शोधार्थी द्वारा महिला सरपंच पद्मावती मीणा का साक्षात्कार, वर्ष 2005 से 2010 तक कार्यरत)

123 https://groups.google.com

बूंदी जिले के केशवरायपाटन कस्बे की गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत की महिला सरपंच पद्मावती मीणा वर्ष 2005 से 2010 तक कार्यरत रही, वह 28 वर्ष की उम्र में सरपंच पद पर निर्वाचित हुई। इन्होंने मैंट्रिक तक पढ़ाई की है। इनके समय अनुसूचित जाति की महिला सीट आने व गाँव वालों के प्रोत्साहन के साथ इनकी अपनी व्यक्तिगत रूचि होने की वजह से इन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा और जीत गई। सरपंच पद के अपने अनुभव के बारे में इन्होंने बताया कि अपनी व्यक्तिगत रूचि व अपने पद के प्रति निष्ठा होने की वजह से वह नियमित रूप से ग्राम–सभा व अन्य पंचायत से सम्बन्धित सभाओं में उपस्थित रही। इन्होंने सभाओं के दौरान प्रत्येक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। समस्त समस्याओं के निराकरण में पूर्ण सक्रिय रही। इनके साथ पर्दा प्रथा की समस्या नहीं रही। इनके परिवार ने भी उनका इस भूमिका को निभाने में सक्रिय सहयोग किया। शिक्षित होने की वजह से उन्हें यह कार्य अधिक रूचिकर लगने लगा। हालांकि कुछ समस्याओं का सामना इनको करना पड़ा जैसे अनुसूचित जनजाति की वजह से दूसरे उच्च समाज या सवर्ण जातियों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया। इसके अलावा यह दिल्ली व महाराष्ट्र भी गई। किसानों की समस्याओं का भी समाधान किया। कोटा में स्थित (काला–खेत) भी कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु गई, जिससे किसानों को नवीन तरीकों से परिचित करा सके। वर्तमान सरपंच के कार्यों से पूर्ण संतुष्ट नहीं है। वाटरशेड व मेड़बंदी में इन्होंने बहुत उल्लेखनीय कार्य किये। परन्तु वर्तमान में बच्चों की जिम्मेदारियों की वजह से राजनीति में नहीं आना चाहती। अतः सरपंच पद पर रहते हुए इन्होंने पूर्ण सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया।

ग्राम फौलाई में आरक्षित वर्ग की महिला अनिता मेघवाल 2015 में सरपंच पद पर कार्यरत है। इनकी शीर्ष भूमिका के परिचयात्मक विवरण दिया गया है।

चित्र 4.3 : (शोधार्थी द्वारा महिला सरपंच अनिता मेघवाल का साक्षात्कार 2015 से कार्यरत)

बूंदी जिले के केशवरायपाटन तहसील में फौलाई ग्राम में कार्यरत अनुसूचित जाति की महिला सरपंच अनिता मेघवाल है जो 2015 से ही सरपंच पद पर कार्यरत है। 2005 से 2015 की अवधि में शीर्ष नेतृत्व पर पहली महिला सरपंच होने की वजह से पंचायत में इनकी भूमिका का पूर्ण विश्लेषण किया गया है।

यह 25 वर्ष की उम्र में सरपंच पद पर निर्वाचित हुई तथा 8वीं तक पढ़ी–लिखी हैं। हालांकि यह बताती हैं कि इस पद पर चुनाव लड़ने की उनकी व्यक्तिगत रूचि नहीं थी परन्तु परिवार के प्रोत्साहन से उन्होंने इस चुनाव को लड़ना स्वीकार किया।

प्रारंभ में घूँघट की वजह से कुछ परेशानी आई परन्तु धीरे–धीरे अब हर मुद्दे पर अपनी राय रखने लगी हैं। यह ग्राम पंचायत की बैठकों में नियमित जाती हैं। परन्तु इनके सामने कुछ समस्याएँ हैं, जिनका इन्होंने जिक्र किया है कि इनका शैक्षिक स्तर उच्च नहीं है और आजकल पंचायतों के सम्पूर्ण कार्य इंटरनेट के माध्यम से होता है और इंटरनेट की पूर्ण जानकारी नहीं होने की वजह से उनको तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है और इसी कारण यह अपना सक्रिय योगदान नहीं दे पाती हैं।

अतः इनका मानना है कि समय–समय पर तकनीकी प्रशिक्षण शिविर लगायें व तकनीकी सहायकों की संख्या बढ़ाकर पंचायत में नियुक्त किये जायें।

दूसरी प्रमुख समस्या का जिक्र इन्होंने यह किया कि विद्यार्थी मित्र जो सरकार ने नियुक्त किये हैं, उनकी नियुक्ति तो विद्यालयों में होती है और वेतन का भुगतान पंचायतों से होता है जिससे इनको अपने काम–काज में बाधा उपस्थित होती है। दूसरा प्रशासनिक अधिकारी पूर्ण सहयोग नहीं करते हैं। अतः इस प्रकार की कुछ प्रशासनिक समस्याओं का जिक्र किया।

इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान से कुछ स्तर तक भ्रष्टाचार में कमी आने की बात कही। एक समस्या इन्होंने बताई कि जाति–प्रमाण पत्र हर छः माह में बनते हैं, अतः उनपर हस्ताक्षर करने से समय बहुत खर्च होता है, इसलिए सरकार को सुनियोजित हल निकालना चाहिए।

सामाजिक समस्या यह रही कि महिला सरपंच होने व अनुसूचित जाति वर्ग से होने की वजह से प्रारंभ में पुरूष प्रधान व जातिवादी मानसिकता की वजह से प्रारंभ में इन्हें दो माह तक सरपंच की कुर्सी पर नहीं बैठने दिया परन्तु अब वह सहज महसूस करने लगी है।

अतः स्पष्ट है कि उक्त दोनों महिला सरपंचों से साक्षात्कार के माध्यम से उन्होंने अपने अनुभव व समस्याओं व कार्यों के बारे में बताया।

जिससे महिलाओं की भूमिका के बारे में यह स्पष्ट हो जाता है कि जीविकोपार्जन और संतानोत्पत्ति की दोहरी भूमिकाओं के बीच खड़ी महिलाओं की माँ, बहन, बेटी और पत्नी के रूप में पारिवारिक भूमिकाएँ अच्छी तरह परिभाषित है, जिन्हें वे अनन्तकाल से सफलतापूर्वक निभा रही हैं। इसके अतिरिक्त आज भी दुनिया में प्रायः हर क्षेत्र में हर स्तर पर उन्होंने अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन का लोहा मनवाया है। फिर भी बड़ी चुनौती यह है कि अपनी पारिवारिक दायित्वों को निभाने के साथ–साथ अब महिलाओं को एक वर्ग के रूप में अपनी सूझ–बूझ एवं निर्णय लेने की क्षमता दिखानी होगी। साथ ही सामुदायिक कल्याण के लिए अपनी कल्पनाशक्ति और प्रतिबद्धता भी सिद्ध करनी होगी। इतनी बड़ी सामाजिक भूमिका निभाने में बहुत सी महिला प्रतिनिधियों का साक्षर न होना थोड़ी मुश्किल तो पैदा करता है पर रूकावट नहीं। क्योंकि जिस समझदारी एवं सूझ–बूझ की आवश्यकता इस नई भूमिका को निभाने में है, उसमें शिक्षित होना एक सहूलियत तो है पर उसका अभाव अड़चन नहीं पैदा कर सकता।

महिलाएँ पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण में महिला प्रतिनिधिगण वर्ग के रूप में संगठित होकर अपने प्रयासों द्वारा ग्राम पंचायतों की स्थिति बदल सकती है, जैसे –

ग्राम सभा स्तर पर –

स्वयं सहायता समूहों को ग्राम सभा की बैठक में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने को प्रेरित एवं उत्साहित कर सकती है। ग्राम सभा द्वारा गठित निगरानी समितियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। ग्राम सभा में कुछ मूलभूत प्रश्न उठाकर, जैसे गरीब रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों का क्रमवार चयन, सड़क निर्माण योजना में स्थान का निर्धारण रोजगार योजना से जोड़कर स्थानीय स्तर पर निर्माण कार्य की परियोजना आदि में महिलाओं को प्राथमिकता दिलवा सकती है।

गाम पंचायत में महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी पहल आदि पर चर्चा चला सकती हैं और निर्णायक भूमिका अदा कर सकती हैं।

ग्राम पंचायत स्तर पर –

निम्न कार्य महिलाएँ कर सकती हैं, जैसे –

स्थानीय विकास की कार्य योजनाओं का निर्माण करने तथा उनमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपाय कर सकती हैं।

महिला शौचालय के निर्माण एवं सामान्य स्वच्छता सम्बन्धी प्रयासों में तेजी लाई जा सकती है।

सभी बच्चों को स्कूल भेजने का प्रयास सफलीभूत हो सकता है।

सामाजिक – सामुदायिक कार्यों में स्त्री–पुरूष समानता के मूल्यों को स्थापित करने में मदद मिल सकती है। अधिक से अधिक मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करवाने में मदद कर सकती हैं। महिलाओं की सखी–सहेली टोली बनाकर सामुदायिक सौहार्द बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। महिलाओं की निगरानी समिति बनाकर विकास कार्यों के अवरोधों को पहचान कर उन्हें दूर करने की पहल कर सकती हैं।[124]

निष्कर्ष –

उपर्युक्त अध्याय में पंचायत में कार्यरत आरक्षित वर्ग की प्रमुख महिला प्रतिनिधियों से साक्षात्कार के आधार पर पंचायत में उनकी नेतृत्व व भूमिका का मूल्यांकन करते हुए उनके अनुभवों के बारे में बताया है। साथ ही प्रमुख ग्रामीणों ने महिला प्रतिनिधियों के कार्यों को लेकर

---

124 hi.vikaspedia>social.welfare

अपनी प्रतिक्रिया भी दी है व 2005–2015 में कार्यरत प्रमुख महिला प्रतिनिधियों की शैक्षिक योग्यता को सारणी से दर्शाया गया है। इसमें शिक्षा की योग्यता के नकारात्मक व सकारात्मक प्रभावों की चर्चा की गई है।

इसके अलावा महिलाओं की बैठकों में उपस्थिति को सारणी से दर्शाया है और बैठकों में आने वाली समस्याओं के बारे में बताया है, साथ ही पंचायत की बैठक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों की चर्चा की गई है, उसका मूल्यांकन किया है। इसके बाद में पंचायत के कार्यों के बारे में जानकारी ली गई है और सरपंचों के कार्यों या सरपंच के पद की जिम्मेदारी के बारे में बताया है। फिर गेण्डोली खुर्द व फौलाई के ग्राम पंचायतों के गाँव के प्रमुख मुद्दों व कार्यों को बताया है। इनके कार्यों के बारे में इनकी स्वयं व ग्रामीणों की प्रतिक्रियाएँ ली गई हैं। और इनसे प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर महिलाओं के पंचायत में अपने प्रतिनिधित्व को लेकर आने वाली समस्याओं के निराकरण के सुझाव दिये हैं। अन्त में 2005 से 2015 तक आरक्षित वर्ग के शीर्ष पद पर कार्यरत सरपंच महिला पद्मावती मीणा व अनिता मेघवाल की भूमिका का परिचयात्मक विश्लेषण किया है व महिलाओं की सहभागिता को प्रभावशाली बनाने के लिए ग्राम सभा स्तर पर व ग्राम पंचायत स्तर पर उनके द्वारा कार्य करने की प्रक्रिया का सुझाव आदि के बारे में बताया है।

पंचम अध्याय

गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों में अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिलाओं का नेतृत्व, बैठकों में उपस्थिति, बैठकों के प्रमुख मुद्दे, क्रिया–प्रतिक्रिया, शीर्ष महिला नेतृत्व की भूमिका

पंचम् अध्याय

73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित होंगे।[125]

अतः आरक्षित व सामान्य वर्ग की महिलाओं को इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया। पूर्व अध्याय में आरक्षित वर्ग की महिलाओं के बारे में उनकी शैक्षिक योग्यता, बैठकों में उपस्थिति, मुद्दे व कार्यों का विश्लेषण किया गया है।

प्रस्तुत अध्याय में सामान्य वर्ग की महिला प्रतिनिधि की नेतृत्व क्षमता के बारे में बताया गया है। बूंदी जिले की केशवरायपाटन तहसील की दो ग्राम पंचायतें गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायत, उक्त दोनों ही ग्राम पंचायतों में वर्ष 2005 से 2015 के दौरान जो अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिला प्रतिनिधि कार्यरत हैं, उनकी नेतृत्व कुशलता, योग्यताएँ, विभिन्न बैठकों में उपस्थिति तथा उनके द्वारा विभिन्न मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया दी हैं, आदि का पूर्ण विश्लेषण किया है। साथ ही उनके द्वारा ग्राम पंचायत में जो कार्य किये गये हैं, उनके बारे में आम जनता की प्रतिक्रिया व सामान्य वर्ग की शीर्ष महिला की भूमिका का भी विश्लेषण किया गया है। अन्त में आरक्षित व सामान्य वर्ग की महिलाओं की कार्यशैली में अन्तर व सुधार के बारे में बताया गया है।

बूंदी जिले की दो ग्राम पंचायतों गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों में 2005 से 2015 तक निर्वाचित अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की प्रमुख महिला प्रतिनिधियों का नेतृत्व।

मोडीबाई – मोडीबाई गेण्डोली खुर्द में वार्ड पंच के रूप में कार्यरत रही थी। इन्होंने बताया कि पंचायत के सक्रिय प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। हालांकि इनके पति ही पंचायत की बैठकों में जाया करते थे। इनकी तरफ से जो भी इनके वार्ड की समस्याएँ होती थी, उसको इनके पति ही पंचायत की बैठकों में रखा करते थे।

इन्होंने बताया कि "म्हारा कार्यकाल में इंदिरा आवास व नरेगा योजना से लोगां ही रोजगार मिल्यो, नालियाँ व खुरंचा भी बन्या।"

रामजानकी – रामजानकी 2010 में गेण्डोली खुर्द में वार्ड पंच के रूप में कार्यरत रही। यह सरपंच निर्मला जैन के साथ पंचायत की बैठकों में नियमित जाती थी। इनके वार्ड में

125 http://www.sansarlochan.in

प्रमुख समस्या पेयजल की रही। इन्होंने अपने वार्ड में नालियाँ व सी.सी. रोड़ बनवाये। ताकि बच्चों को विद्यालय जाने में परेशानी न हो।

इन्होंने बताया कि "मैंने म्हारा वार्ड में नालियाँ व खुरंचा बनवाया, जिससे बच्चा भी स्कूल जाबा मं परेशानी न होव और पानी की कमी दूर करबा क लिए टेंकर मंगवाया, वार्ड मं हर प्रकार की समस्या को निराकरण म्हारी जिम्मेदारी छी।"

इस प्रकार रामजानकी एक जागरूक वार्ड पंच के रूप में अपनी वार्ड की समस्याओं के प्रति जागरूक रही।

चन्द्रकला – चन्द्रकला भी 2010 में गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत में वार्ड पंच के रूप में कार्यरत रही। पंचायत की बैठकों में नियमित जाती थी। इन्होंने बताया कि इनकी ग्राम पंचायत में प्रमुख समस्या पेयजल व सिंचाई के साधनों का अभाव रहा। इंदिरा आवास द्वारा गाँव में निर्माण कार्य भी हुए। सड़कें, सी.सी. रोड़ व खुरंचे बनवाये गये। ग्रामीणों को नरेगा के माध्यम से रोजगार मिला। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ भी मिलता रहा है।

उर्मिला – उर्मिला 2015 में गेण्डोली खुर्द में वार्ड पंच के रूप में कार्यरत रही। इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनके गाँव के 70 प्रतिशत लोगों को आवास निर्माण का लाभ मिला, वृद्ध, विकलांग व विधवा पेंशन भी नियमित मिल रही है। सरकार द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। वे पंचायत की बैठकों में नियमित जाती हैं तथा अपने वार्ड की समस्याओं से सरपंच को अवगत कराती हैं। हालांकि इन्होंने पेयजल व सिंचाई के साधनों का अभाव होने से पानी की समस्या बनी ही रहती है। वर्तमान की कार्यप्रणाली से पूर्ण संतुष्ट हैं।

ब्रजकँवर – 2005 फौलाई में सामान्य वर्ग की वार्ड पंच के रूप में कार्यरत रही। यह वार्ड पंच के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान कर रही थी। साक्षर ही होने की वजह से सरकारी योजनाओं की अधिक जानकारी नहीं थी। पंचायत के कार्यों को समझने व पूर्ण करने के लिए यह अपने पति पर निर्भर रहती थी। इनके समय बिजली, पानी की प्रमुख समस्या थी। इनके समय महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति इतनी जागरूक नहीं थी।

कल्याणी बाई – 2010 में फौलाई ग्राम पंचायत में वार्ड पंच के रूप में कार्यरत थी। यह ग्राम पंचायत की बैठकों में नियमित जाती थी। कभी–कभी इनके पति इनके साथ जाते थे और इन्होंने बताया कि सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ इनकी ग्राम पंचायत को मिला। पेयजल व सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण लोगों को रोजगार हेतु बाहर जाना

पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए कभी–कभी ग्रामीणों को जमीनें बेचनी पड़ती हैं। क्योंकि सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था न होने से फसलें नहीं होती हैं। अतः सरकार की नरेगा योजना, स्वयं सहायता समूह से प्राप्त रोजगार, पेंशन योजना के माध्यम से बहुत लाभ मिलता था। यह अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर हमेशा जागरूक रही।

मिथलेश शर्मा – 2015 में फौलाई ग्राम पंचायत में वार्ड पंच के रूप में कार्यरत रही। यह भी साक्षर हैं। इन्होंने बताया कि "म्हारी वार्ड में सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना से बहुत लाभ मिल्यो है। सभी प्रकार की विधवा, वृद्ध, विकलांग पेंशन मिल री छः। नरेगा योजना सूं सभी न लाभ मल र्यो छः।"

इन्होंने पेयजल व सिंचाई के साधनों के अभाव के बारे में बताया, परन्तु इस पर सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है।

उक्त साक्षात्कार व परिचय अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिला प्रतिनिधियों के हैं। गेण्डोली खुर्द व फौलाई में 2005 से 2015 तक कार्यरत रही। इन्होंने अपने कार्यकाल में पंचायतों में हुये कार्यों व अपनी भूमिका के बारे में बताया है। कार्यों के प्रति इनका नजरिया कैसा रहा है और आरक्षित वर्ग की महिलाओं की कार्यशैली व कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता की अपेक्षा इनका स्वयं का दृष्टिकोण किस प्रकार का है। हालांकि 2005–2015 की अवधि में जो महिलाएँ चुनी गई वे साक्षर तो थी, परन्तु उच्च शिक्षित नहीं थी, एक मिथलेश शर्मा को छोड़कर। अतः जीवनशैली व रहन–सहन को छोड़कर आरक्षित व सामान्य वर्ग की महिलाओं की कार्यशैली में बहुत कम अन्तर दिखा और दूसरा गाँव में सामान्य वर्ग के अधिकांश परिवार शहरों को पलायन कर गये। परन्तु सामान्य वर्ग की महिलाएँ भी राजनीति में आने से स्वयं को पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत पाती हैं और अपना सक्रिय योगदान दे रही हैं।

कुछ ग्रामीणों ने दोनों ग्राम पंचायतों की महिलाओं की कार्यशैली के बारे में बताया है –

गेण्डोली खुर्द के सियाराम ने बताया कि आरक्षित व सामान्य वर्ग की महिलाओं में आरक्षित वर्ग की जो महिला जागरूक हैं वह अपने पूरे समर्पण के साथ पंचायतों के कार्यों के प्रति समर्पित रही हैं और सामान्य वर्ग की महिलायें कार्य करती तो हैं परन्तु समाज की मान–मर्यादा की वजह से खुलकर कार्य नहीं करवा पाती हैं।

एक अन्य ग्रामीण जो गेण्डोली खुर्द से उन्होंने बताया कि आरक्षित व सामान्य वर्ग की महिलाएँ पुरूषों की तुलना में अच्छे से कार्य नहीं करवा पाती हैं।

फौलाई से सत्येन्द्र मेघवाल बताते हैं कि उनकी पत्नी आरक्षित वर्ग से है परन्तु हर

जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही है।

फौलाई के ग्रामीण नरेन्द्र जी बताते हैं कि दोनों ही ग्राम पंचायतों में आरक्षित व सामान्य वर्ग की महिलाएँ कार्य करती हैं। जो जागरूक हैं वे स्वयं बैठकों में जाती हैं और जो सामान्य वर्ग से हैं वे भी बैठकों में जाती हैं। कुछ महिलाएँ परिवारिक प्रतिष्ठा की वजह से खुलकर नहीं आ पाती परन्तु आरक्षण की वजह से दोनों वर्ग की महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं और सक्रिय भी हैं।

अतः स्पष्ट है कि महिलाओं को राजनीति में अधिकार मिलने से उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जाग्रति तो आई है। परन्तु दोनों वर्गों की महिलाओं के प्रति पुरूष वर्ग इनको नेतृत्व शक्ति के रूप में पूर्ण रूप से इसलिए नहीं स्वीकारना चाहते कि वे महिला हैं, जिनका काम गृहस्थी सम्भालना है न कि पंचायत। अतः वे महिलाओं को राजनीतिक कार्यों में सक्षम नहीं मानते हैं। कुछ भी हो परन्तु जो महिला प्रतिनिधि हैं, वे आरक्षण से राजनीति में आकर समय के साथ परिपक्व हो गई हैं। सरकारी योजनाओं से उनकी सोच में बहुत परिवर्तन आया है, चाहे वे आरक्षित हो या सामान्य वर्ग।

योग्यताएँ –

73वें संविधान संशोधन में पंचायत के उम्मीदवार के लिए निम्न योग्यताएँ निर्धारित की हैं –

1. नागरिक ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो
2. वह व्यक्ति प्रकृत विधि के अधीन राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो
3. वह सम्बन्धित राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के अधीन पंचायत की सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो

राजस्थान में 2014 में पंचायत में शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित कानून आ गया। गेण्डोली खुर्द में व फौलाई में सामान्य वर्ग की महिला प्रतिनिधियों की शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी जानकारी निम्नलिखित सारणीयों में दी जा रही है। शिक्षा के द्वारा उनकी नेतृत्व शक्ति का भी मूल्यांकन किया जा सकता है।

गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत की अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिलाओं की शैक्षिक योग्यता

सारणी 5.1 : गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत में अनारक्षित वर्ग की शैक्षिक योग्यताएँ

क्रम	नाम	शैक्षिक योग्यता	स्तर	वर्ग
1	मोडी बाई	8वीं	साक्षर	Gen.
2	राममूर्ति	5वीं	साक्षर	Gen.
3	निर्मला जैन	8वीं	साक्षर	Gen.
4	रामजानकी	5वीं	साक्षर	Gen.
5	मनभर बाई	5वीं	साक्षर	Gen.
6	चन्द्रकला	5वीं	साक्षर	Gen.
7	उर्मिला	5वीं	साक्षर	Gen.

फौलाई ग्राम पंचायत की अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिलाओं की शैक्षिक योग्यता

सारणी 5.2 : फौलाई ग्राम पंचायत में अनारक्षित वर्ग की शैक्षिक योग्यताएँ

क्रम	नाम	शैक्षिक योग्यता	स्तर	वर्ग
1	कन्या बाई	5वीं	साक्षर	Gen.
2	ब्रजकँवर	8वीं	साक्षर	Gen.
3	कंचन	5वीं	साक्षर	Gen.
4	कल्याणी बाई	8वीं	साक्षर	Gen.
5	मिथलेश	8वीं	साक्षर	Gen.

अतः स्पष्ट है कि अनारक्षित वर्ग की महिला प्रतिनिधियों की शैक्षिक योग्यता के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण पूर्व अध्याय में किया जा चुका है। यहाँ पर 2005 से 2015 में आरक्षित व अनारक्षित (सामान्य)वर्ग की महिला प्रतिनिधियों की शिक्षा के स्तर के आधार पर उनकी नेतृत्व कार्यशैली का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। परन्तु शिक्षा में लगभग सभी महिला प्रतिनिधि साक्षर हैं, चुनाव में ही ज्यादा प्रभावशाली हो सकती हैं जो अपनी व्यक्तिगत सूझबूझ के द्वारा कार्य करती हैं। हालांकि शिक्षा के द्वारा वे सही व गलत में अन्तर कर सकती हैं, परन्तु उक्त अवधि में कोई भी महिला उच्च शिक्षित नहीं थी, सिर्फ साक्षर थी।

जबकि महिलाएँ जो आरक्षित वर्ग से और जो सामान्य वर्ग से है, उनमें अन्तर के निम्न मानदण्ड होते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है, जैसे –

1. खानपान
2. रहन–सहन
3. जीवन शैली
4. शिक्षा के आधार पर
5. सामाजिक आधार पर विभाजित व्यवस्था
6. विचार व सोच में अन्तर
7. आर्थिक आधार पर

8. श्रम (मजदूरी) के आधार पर

(1) जैसे खानपान को लेकर देखा जाए तो आरक्षित वर्ग में अधिकांश परिवारों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है। अतः अधिकांश समय भेजन की व्यवस्था करने में ही निकल जाता है, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाएँ मजदूरी आदि पर बहुत ही कम जाती हैं तो वे पंचायत कार्यों हेतु समय निकाल सकती हैं।

(2) रहन–सहन के तौर पर भी सामान्य वर्ग की महिलाएँ साफ–सुथरी व आधुनिक तरीके से रहती हैं और आरक्षित वर्ग की महिलाएँ पर्दा प्रथा तथा कई अन्य कारण जैसे सामाजिक मान–मर्यादा आदि की वजह से आधुनिक तरीके से नहीं रह पाती हैं। अतः उनका आत्मविश्वास पूर्ण रूप से अपने कार्यों के प्रति नहीं दिखाई देता।

(3) जीवनशैली की अगर बात करें तो सामान्य वर्ग की महिलाओं का जीवन स्तर आरक्षित वर्ग की महिलाओं की अपेक्षा उच्च होता है।

(4) शिक्षा के आधार पर आरक्षित वर्ग की महिला प्रतिनिधि व सामान्य वर्ग की महिलाओं में अन्तर होता है। आरक्षित वर्ग की महिलाओं का शिक्षा का स्तर उच्च नहीं होता है व सामान्य वर्ग की महिलाएँ शिक्षित होती हैं। इस दृष्टि से बहुत अन्तर होता है।

(5) सामाजिक आधार पर विभाजित व्यवस्था में आरक्षित वर्ग को अछूत या पिछड़े रूप में देखा जाता है, जिससे उन्हें अपमानित होना पड़ता है। जातिसूचक शब्दों से नीचा दिखाया जाता है।

(6) कभी–कभी उच्च वर्ग की अपेक्षा निम्न वर्ग की महिलाओं के विचार व सोच में बहुत अन्तर होता है, जो उनकी प्रगति में बाधक है। क्योंकि जो महिला वैचारिक तौर पर मजबूत, प्रतिबद्ध व व्यावहारिक होगी वह उन्नतिशील होती हैं।

(7) आर्थिक आधार पर आरक्षित वर्ग सामान्य वर्ग से कमजोर होता है, जिससे अधिकांश समय तो उनका संसाधनों की व्यवस्था करने में ही निकल जाता है।

(8) श्रम व मजदूरी करने में भी आरक्षित वर्ग की महिलाएँ व्यस्त रहती हैं, अतः व्यक्तिगत उन्नति व राजनीतिक कार्यों में भाग नहीं ले पाती हैं।

अतः उक्त कारणों से आरक्षित व सामान्य वर्ग की महिलाओं की कार्यशैली पर भी प्रभाव पड़ता है, परन्तु गेण्डोली खुर्द व फौलाई दोनों ही ग्राम पंचायतों में शिक्षा के स्तर में तो महिलाओं इतना अन्तर नहीं है।

अगर देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण का सबसे व्यापक तत्व है, उन्हें प्रतिष्ठा, न्याय

व सामाजिक पद प्रदान करना।

महिला सशक्तिकरण की प्रमुख विशेषताएँ –

शिक्षा, सामाजिक असमानता, उत्तम स्वास्थ्य, आर्थिक व वित्तीय सुदृढ़ता और राजनीतिक सहभागिता। भारत में महिलाओं की 56 प्रतिशत आबादी निरक्षर है, जबकि पुरूषों मे ं24 प्रतिशत निरक्षर हैं, इससे दोनों की असमानता का पता चलता है। हमारे देश में आर्थिक, सामाजिक उन्नति के लिए ग्रामीण महिला का सशक्तिकरण आवश्यक है, इसी कारण देश की उन्नति के लिए ग्रामीण महिलाओं को मुख्यधारा में लाना प्रमुख सोच का विषय है। महिलाओं का सशक्तिकरण, जीवन के सभी क्षेत्रों में सतत् विकास, पारदर्शी तथा उत्तरदायी सरकार एवं प्रशासन के लिए आवश्यक है।[126]

ग्रामीण महिलाओं की सभी स्तरों पर नीति–निर्माण व निर्णय तथा क्रियान्वयन में सक्रिय सहभागिता के बिना समानता, सामाजिक न्याय एवं लोकतांत्रिक आदर्शों की प्राप्ति संभव नहीं है। महिला सशक्तिकरण तभी संभव हो सकता है जब ग्रामीण महिलाएँ भी शिक्षित हो। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी शिक्षा की कमी दिखाई पड़ती है। सरकार के द्वारा महिला शिक्षा के लिए कई सारी योजनाएँ चलाने के बावजूद भी गाँवों में महिलाओं की शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ पा रहा है। जबकि ग्रामीण महिलाओं के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता उतनी ही है, जितनी शहरी महिला के लिए, चाहे वे आरक्षित हो या सामान्य वर्ग।[127]

गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत में अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिला प्रतिनिधियों का 2005 से 2015 तक बैठकों का विवरण निम्न सारणी में किया गया है –

सारणी 5.3 : गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत में अनारक्षित महिला प्रतिनिधियों की बैठकों में उपस्थिति

क्रम	महिला प्रतिनिधि	कुल बैठकें	उपस्थिति	प्रतिशत उपस्थिति	वर्ग
1	मोडी बाई	110	85	77%	Gen.
2	राममूर्ति	110	85	77%	Gen.
3	निर्मला जैन	124	105	85%	Gen.
4	रामजानकी	124	105	85%	Gen.
5	मनभर बाई	124	89	72%	Gen.
6	चन्द्रकला	124	105	85%	Gen.
7	उर्मिला	120	90	75%	Gen.

126 नुपुर, इन्दिरा, "नहीं–नहीं मैं केवल नारी", पृ.सं. 13
127 योजना (स्त्री–सशक्तिकरण), जून, 2012

मोडीबाई व राममूर्ति 85–85 बैठकों में उपस्थित रही जो 77 प्रतिशत है। निर्मला जैन व रामजानकी 105–105 बैठकों में उपस्थित रही जो 85 प्रतिशत है। मनभर बाई व चन्द्रकला क्रमशः 89 व 105 बैठकों में उपस्थित रही जो क्रमशः 72 व 85 प्रतिशत है। उर्मिला 90 बैठकों में उपस्थित रही जो 75 प्रतिशत है।

स्रोत – "गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत के उपस्थिति रजिस्टर से प्राप्त जानकारी के आधार पर"

फौलाई ग्राम पंचायत में अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिला प्रतिनिधियों का 2005–2015 तक बैठकों का विवरण इस प्रकार है –

सारणी 5.4 : फौलाई में अनारक्षित वर्ग की महिला प्रतिनिधियों की बैठकों में उपस्थिति

क्रम	महिला प्रतिनिधि	कुल बैठकें	उपस्थिति	प्रतिशत उपस्थिति	वर्ग
1	कन्या बाई	120	90	75%	Gen.
2	ब्रजकँवर	120	90	75%	Gen.
3	कंचन	124	99	80%	Gen.
4	कल्याणी बाई	124	99	80%	Gen.
5	मिथलेश	124	99	80%	Gen.

ग्राम फौलाई में कन्या बाई 90 बैठकों में उपस्थित हुई जो 75 प्रतिशत है। ब्रजकँवर 90 बैठकों में उपस्थित हुई जो 75 प्रतिशत है। कंचन 99 बैठकों में उपस्थित हुई जो 80 प्रतिशत है। कल्याणी बाई व मिथलेश शर्मा 99 बैठकों में उपस्थित रही जो कि 80 प्रतिशत है।

स्रोत – "फौलाई ग्राम पंचायत के उपस्थिति रजिस्टर 2005, 2010, 2015 से प्राप्त जानकारी के आधार पर"

बैठकों में उपस्थिति को लेकर यहाँ पर सामान्य वर्ग की महिलाओं की उपस्थिति के बारे में बताया गया है और गेण्डोली खुर्द व फौलाई की सामान्य वर्ग की महिलाओं की पंचायत की बैठकों में उपस्थिति लगभग 71 से 85 प्रतिशत के बीच रही। दोनों पंचायतों की महिलाएँ अपनी उपस्थिति को लेकर पूर्ण प्रतिबद्ध रही। हालांकि पूर्व अध्याय में बैठकों में न जा पाने में आने वाली समस्याओं व उनके निराकरण के पूरे प्रयास व उपाय सुझाये गये हैं।

बैठकों के प्रमुख मुद्दे : क्रिया–प्रतिक्रिया –

ग्राम पंचायत गेण्डोली खुर्द व फौलाई में अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिला प्रतिनिधियों के द्वारा उनके ग्राम पंचायत में बैठकों के प्रमुख मुद्दे व कार्यों के बारे में बताया गया है। पूर्व अध्याय में पंचायत व सरपंच के कार्यों के बारे में भी बताया गया है।

यहाँ पर दोनों ग्राम पंचायतों के मुद्दों व कार्यों का उल्लेख किया गया है।

गेण्डोली खुर्द – सरपंच निर्मला जैन 2010 से 2015 तक गेण्डोली खुर्द में ग्राम पंचायत में सरपंच के पद पर रही। इन्होंने 2010 से 2015 तक इनके पंचायत क्षेत्र में जो भी प्रमुख मुद्दे रहे और कार्य हुए, उनके बारे में वर्षवार बताया है।

प्रमुख मुद्दे –

1. इनके कार्यकाल के दौरान कच्ची सड़क के निर्माण से सम्बन्धित मुद्दा रहा। लोगों को दूर–दराज से इलाज व बीमार होने, यहाँ तक कि हर कार्य में परेशानी होती थी। अतः सबसे प्रमुख मुद्दा सड़कों की मरम्मत व खुरंचा निर्माण का रहा।
2. पेयजल की समस्या भी प्रमुख समस्या थी।
3. सिंचाई के साधनों का भी अभाव था।
4. डामरीकरण, ग्रेवल बिछवाने से तलाई निर्माण के मुद्दे, इंदिरा आवास से संबंधित मुद्दे।
5. पेंशन योजनाओं के संचालन से संबंधित मुद्दे।
6. मनरेगा व वाटरशेड से सम्बन्धित व तलाई निर्माण व आपसी विवादों से सम्बन्धित प्रमुख मुद्दे इनके कार्यकाल के दौरान सामने आये।

प्रमुख कार्य –

इन्होंने अपने कार्यों का जिक्र इस प्रकार किया –

सी.सी. रोड़ के निर्माण से सम्बन्धित कार्य, नालियों का निर्माण से संबंधित कार्य, आम रास्तों पर मिट्टी डलवायी, नाले का निर्माण, खेतों पर मेड़बंदी का कार्य, बरसात के दिनों में पौधारोपण करवाना, किसानों को कृषि कार्य गुणवत्ता में पूर्ण सुधार करवाये। समस्त पेंशन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा। गरीबों को अनाज वितरित किया। इंदिरा आवास योजना के निर्माण कार्य करवाये।

स्रोत : निर्मला जैन से प्राप्त जानकारी के आधार पर

प्रतिक्रिया –

सरपंच निर्मला जैन अपने कार्यों से सन्तुष्ट हैं। वे अपने कार्यों के प्रति समर्पित रही और दुबारा चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं।

केन्द्र व राज्य सरकारों महिला प्रतिनिधियों की राजनीतिक सहभागिता में भरपूर सहयोग कर रही हैं।

कुछ ग्रामीणों की प्रतिक्रियाएँ इस प्रकार रही, जो गेण्डोली खुर्द के रामदेव बताते हैं कि आरक्षित हो या सामान्य वर्ग की महिला, कार्य तो सभी एक पद्धति से करती हैं; हाँ सामान्य वर्ग की महिला कुछ जागरूकता से कार्य करती हैं।

फौलाई के ग्रामीण नरेन्द्र जी बताते हैं कि घर–गृहस्थी के कार्यों से महिलाओं को पंचायत के कार्यों को करने में अधिक समय नहीं मिल पाता, चाहे वे किसी भी वर्ग की हो।

अतः दोनों ग्राम पंचायतों में महिलाओं ने कार्य तो करवाये परन्तु सभी वर्ग की महिलाओं की अपनी–अपनी समस्याएँ हैं, जिनको और अधिक मजबूत किया जा सकता है। इनके निराकरण के सुझाव पूर्ण अध्याय में दिये गये हैं। उनका पालन करने से सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण होगा।

वर्ष 2005 से 2015 तक शीर्ष महिला नेतृत्व अनारक्षित (सामान्य वर्ग की भूमिका) –

गेण्डोली खुर्द में शीर्ष महिला नेतृत्व (सरपंच) निर्मला जैन की भूमिका का परिचय दिया गया है, जो 2010 से 2015 तक कार्यरत रही हैं।

चित्र 5.1 : (शोधार्थी द्वारा महिला सरपंच निर्मला जैन का साक्षात्कार 2010 से 2015 तक कार्यरत)

बूँदी जिले की केशवरायपाटन तहसील की गेण्डोली खुर्द में 2010 से 2015 तक सरपंच रही। यह 35 वर्ष की उम्र में सरपंच पद पर निर्वाचित हुई। इन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की। इनकी सरपंच पद पर चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, फिर गाँव वालों के आग्रह से चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर अपनी पूर्ण इच्छाशक्ति से गाँव के विकास में अपना पूर्ण योगदान दिया।

उन्होंने सरपंच पद पर रहते हुए अनेक प्रकार की समस्याओं का जिक्र किया, जैसे घूँघट लेकर ग्राम सभाओं में जाना, परिवार की प्रतिष्ठा, मान–मर्यादा आदि की वजह से खुलकर पुरूष वर्ग, बुजुर्ग लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पाना। अधिकांश कार्यों के लिए पति पर निर्भर रहना पड़ा। शिक्षा का स्तर उच्च नहीं था। इस वजह से सरकारी योजनाओं को समझने व उनको प्रभावी रूप से लागू करने में अपनी मजबूत पकड़ नहीं बना पाई। दल विशेष से इनकी छवि का मूल्यांकन किया गया, जिससे अन्य दलों से सम्बन्धित लोगों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं रही और गाँव पंचायत के मुख्यालय पर ही नहीं समस्त गाँव जो गेण्डोली खुर्द पंचायत के अन्तर्गत आते हैं, सबके विकास का पूर्ण ध्यान दिया। आगे फिर चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं।

निष्कर्ष –

उपर्युक्त अध्याय में चतुर्थ अध्याय के समान ही अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के नेतृत्व का परिचय, योग्यताएँ, शिक्षा के द्वारा महिला सशक्तिकरण व बैठकों में उपस्थिति तथा बैठकों के प्रमुख मुद्दे, क्रिया–प्रतिक्रिया व शीर्ष महिला नेतृत्व की भूमिका के बारे में बताया है। अतः दोनों ही अध्यायों में आरक्षित व सामान्य वर्ग की महिलाओं के बारे में नेतृत्व, योग्यता व बैठकों में उपस्थिति उनके पंचायतों के मुद्दे, कार्य व ग्रामीणों की प्रतिक्रियाओं के द्वारा उनकी राजनीतिक नेतृत्व क्षमता को जाना गया है कि किस वर्ग की महिलायें अधिक सक्रिय हैं। आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा कौनसे वर्ग को मिला। राजनीति में उनकी सहभागिता बढ़ी या नहीं। समाज का पुरूष वर्ग उनको नेतृत्व के रूप में कहाँ तक स्वीकार करता है और महिला सशक्तिकरण हेतु कहाँ तक सहयोग करता है।

उक्त दोनों ही अध्यायों का पूर्ण विश्लेषण करने से यह निष्कर्ष निकला कि आरक्षण के द्वारा महिलाओं को राजनैतिक प्रतिनिधित्व मिला और वे अपनी प्रतिभा के अनुकूल कार्य भी कर रही हैं, परन्तु शोध के अन्तर्गत 2005 से 2015 की अवधि में जो भी महिला प्रतिनिधि कार्यरत थी, उनकी कार्यप्रणाली, शिक्षा के स्तर, बैठकों में उपस्थिति को लेकर और पंचायत के बैठकों व मुद्दों तथा प्रमुख महिलाओं के साक्षात्कार के आधार पर यही निष्कर्ष निकला कि आरक्षण के आधार पर वे निर्वाचित तो हुई, परन्तु दोनों वर्गों के शिक्षा के स्तर व कार्यप्रणाली में कोई विशेष अन्तर नहीं आया। कार्य करने का तरीका लगभग समान ही था। पुरूष वर्ग से

प्राप्त साक्षात्कार के आधार पर वे महिलाओं को नेतृत्व के रूप में स्वीकार करने लगे हैं, पहले की अपेक्षा उनकी मानसिकता बदली है, हालांकि उन्होंने कुछ कमियाँ व मजबूरियाँ बताई जिससे महिलायें क्यों पुरूषों के बराबर कार्य नहीं कर पाती, परन्तु वे अब महिला नेतृत्व को स्वीकारने लगे हैं। इसके अलावा प्राचीन समय व वर्तमान में सरकार की कार्यप्रणाली में बहुत अन्तर आ गया है। वर्तमान में सरकार द्वारा जो भी महिला–सशक्तिकरण हेतु योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, उससे सभी वर्गों को फायदा मिल रहा है, चाहे वे आरक्षित हो या सामान्य वर्ग।

उनके जीवन स्तर, रोजगार, रहन–सहन, सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, पहले जैसे आरक्षित वर्ग व सामान्य वर्ग के बारे में धारणा बनी हुई थी। वह अब बदल गई है क्योंकि निरन्तर सरकारी प्रयासों व महिला सशक्तिकरण योजनाओं से महिलाओं की स्थिति पहले की अपेक्षा बहुत बदल गई, वे पहले की अपेक्षा अधिक आत्मनिर्भर हो गई। ऐसे में जिन समस्याओं के कारण दोनों वर्गों में अन्तर किया जाता था, अब वे धीरे–धीरे कम होने लगे हैं। सभी वर्गों की महिलाएँ जागरूक होने लगी हैं। हालांकि यह बात अलग है कि शोध में जिन दोनों ग्राम पंचायतों गेण्डोली खुर्द व फौलाई की आरक्षित व अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिलाओं की कार्यशैली का सर्वेक्षण हुआ वहाँ पर पेयजल व सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है, ऐसे में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्णता नहीं आ पाती, अतः उस स्तर पर परिणाम नहीं निकल पाते, जिस स्तर और आशा से योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है और यही समस्या उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण को लेकर सामने आती है।

वर्तमान में भारत की राजनीति में चाहे वह किसी भी स्तर पर हो, बाहुबल का बोलबाला अधिक है। एक व्यक्ति को यहाँ अपनी अच्छी पहचान बनाने के लिए वास्तव में अच्छा कनेक्शन और बैकअप होना चाहिए। सरकार निश्चित रूप से एक भूमिका निभाती है, यद्यपि महिलाओं को उनके निष्पक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण दिया गया है। फिर भी ज्यादातर प्रभावशाली परिवारों की महिलाऐं प्राथमिक रूप से राजनीतिक परिवारों से उनकी पकड़ मजबूत करने में सफल हो जाती हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर तरह से जहाँ राजनीति में भी आरक्षण का वास्तविक उद्देश्य निरर्थक हो जाता है। इस तथ्य को मानते हुए कि महिलाओं को उच्च पदों में लेना आसान नहीं है, इसलिए नहीं कि कोई योग्य और सक्षम नहीं। बल्कि महिलाओं के मार्ग में अवरोध बहुत हैं। वर्तमान में नरेन्द्र मोदी सरकार ने कई राजनीतिक परिस्थितियों से सभी बाधाओं और राजनीतिक व्यवस्था में अन्तर्निहित इन कुरूतियों को खत्म करने के लिए बहुत कठोर लेकिन आवश्यक कदम उठाए हैं और इसी तरह महिलाओं की महिला सशक्तिकरण की नीतियों के प्रति मजबूत समर्थन की आवश्यकता है।

महिलाओं के लिए राजनीतिक सुधार, आर्थिक आत्मनिर्भरता, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और सुधार शिक्षा शामिल होना चाहिए। हमें एक स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है, जो कि वोट बैंक पैसा और बाहुबल के गंदे खेल नहीं बल्कि एक बड़े संयुक्त परिवार के रूप में राष्ट्र के समग्र विकास के लिए एक सकारात्मकता लाए। इसलिए वास्तव में निष्पक्ष राजनीतिक संस्कृति, चाहे वह स्थानीय प्रशासन में हो या राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को दशकों पल रही कुरीतियों से मुक्त किया जाए। केवल विशेषाधिकार प्राप्त परिवारों से महिलाएँ बैकअप और पितृसत्तात्मक समर्थन के साथ सत्ता में नहीं आती हैं, बल्कि प्रतिभाशाली समर्पित महिलाओं को भी भारत की राजनीतिक तस्वीर को बढ़ाने और चमकने का एक उचित मौका मिलना चाहिए।

षष्ठम् अध्याय

गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों में आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग की महिलाओं की भागीदारी व अन्य क्षेत्रों में उनका तुलनात्मक अध्ययन

षष्टम् अध्याय

महिला नेतृत्व की सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक पृष्ठभूमि का सही ढंग से विश्लेषण करना अति आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति पर वातावरण एवं परिस्थितियों का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है और व्यक्ति के नेतृत्व व्यवहार की व्याख्या इस वातावरण का गहन अध्ययन करके ही की जा सकती है।

पंचायती राज व्यवस्था में तीन स्तरीय ढाँचे के अनुरूप इसमें कार्यरत महिला नेतृत्व की सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक स्थिति के द्वारा ही हमें उनके व्यक्तित्व का तथा उनकी नेतृत्व क्षमता का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे वे किसी भी वर्ग से हो आरक्षित या अनारक्षित (सामान्य वर्ग) से। अपने—अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक स्थिति के अध्ययन से यह जाना जा सकता है कि वे मतदाताओं द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्वों को कितनी सक्षमता एवं कितनी सफलता से निभा रही हैं। महिलाओं के शैक्षणिक स्तर के माध्यम से हम उनके क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूकता, उनके अधिकारों व कर्त्तव्यों के प्रति उनकी जागरूकता का पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार प्रस्तुत अध्याय में महिलाओं से उनकी आयु, वर्ग, वैवाहिक व शैक्षणिक स्थिति, परिवार, व्यावसायिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक निर्णय, आय, निर्णय लेने की भूमिका, व्यक्तिगत व आर्थिक कार्यों के लिए प्रोत्साहन, मकान, जमीन आदि जैसे कारकों को सम्मिलित करके पंचायती राज व्यवस्था में तीनों स्तरों पर आरक्षित व सामान्य वर्ग से चयनित महिलाओं की सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया जा सकता है।

प्रस्तुत अध्याय में आरक्षित व अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिलाओं की भागीदारी व अन्य विभिन्न क्षेत्रों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रश्नावली के माध्यम से साक्षात्कार किया गया है। जिसमें गेण्डोली खुर्द व फौलाई की क्रमशः 100—100 महिलाओं से पंचायती राज में उनकी स्थिति से लेकर जीवन के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में जाना गया है तथा उनके बारे में संक्षिप्त तुलनात्मक व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है।

1.1 आयु के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.1.1 : आयु के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	आयु वर्ग	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	18–40 वर्ष	35	35	55	55	36	36	56	56
2	41–50 वर्ष	17	17	17	17	17	17	16	16
3	51–60 वर्ष	26	26	21	21	25	25	21	21
4	61 से अधिक	22	22	7	7	22	22	7	7
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

आयु संबंधी उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत गेण्डोली खुर्द में आरक्षित वर्ग में 18–40 वर्ष वाले आयु वर्ग में गेण्डोली खुर्द में महिलाओं की आवृत्ति 35 व 35 प्रतिशत है, वहीं सामान्य वर्ग महिलाओं की आवृत्ति 55 व 55 प्रतिशत है। 41–50 वर्ष के आयु वर्ग में आरक्षित वर्ग महिलाओं की आवृत्ति 17 व 17 प्रतिशत है। सामान्य वर्ग की आवृत्ति 17 व 17 प्रतिशत है। वहीं 51–60 वर्ष के आयु वर्ग में आरक्षित वर्ग की आवृत्ति 26 व प्रतिशत 26 है। सामान्य वर्ग में 21 प्रतिशत। 61 से अधिक आयु वर्ग में आरक्षित वर्ग की आवृत्ति 22 व 22 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग की आवृत्ति 7 व 7 प्रतिशत है। इसी प्रकार फौलाई ग्राम पंचायत में 18–40 वर्ष आयु वर्ग की आरक्षित वर्ग की आवृत्ति 36 व 36 प्रतिशत है व सामान्य वर्ग में 56 व 56 प्रतिशत है। 41–50 वर्ष आयु वर्ग में यह आवृत्ति 17 व 17 प्रतिशत है व सामान्य वर्ग में सामान्य वर्ग की आवृत्ति 16 व 16 प्रतिशत है। 51–60 वर्ष वाले आयु वर्ग में आरक्षित वर्ग की आवृत्ति 25 व 25 प्रतिशत है व सामान्य वर्ग में यह आवृत्ति 21 व 21 प्रतिशत है। 61 से अधिक आयु वर्ग में आरक्षित वर्ग की आवृत्ति 22 व 22 प्रतिशत है वहीं सामान्य वर्ग की आवृत्ति 7 व 7 प्रतिशत है।

अतः सबसे अधिक आवृत्ति व प्रतिशत 18–40 वर्ष के आयु वर्ग में जो पंचायत में अधिक सक्रिय है व सबसे कम आवृत्ति व प्रतिशत 61 से अधिक आयु वर्ग में है।

भारत के परिप्रेक्ष्य में अधिक आयु या उम्रदराज व्यक्तियों को कम आयु वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक अनुभवी एवं ज्ञानी माना जाता है। सामाजिकता के आधार पर भी निश्चित सामाजिक स्थिति और भूमिका उम्र के द्वारा ही निर्धारित होती है। परन्तु वयस्क मताधिकार के आधार पर भी गाँवों में युवा नेतृत्व जाग्रत हुआ है। गेण्डोली खुर्द व फौलाई में आरक्षित व सामान्य वर्ग की महिलाओं की आयु के निर्धारण के बाद यह निश्चित हो सकेगा कि जनता ने कौनसे वर्ग में किस आयु वर्ग को प्रतिनिधित्व सौंपा है। कौनसे वर्ग की महिला प्रतिनिधि अधिक सक्रिय है।

1.2 धर्म के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.1.2 : धर्म के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	आयु वर्ग	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	हिन्दू	90	90	95	95	92	92	99	99
2	मुस्लिम	5	5	0	0	3	3	0	0
3	जैन	5	5	5	5	2	2	0	0
4	अन्य	0	0	0	0	3	3	1	1
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है गेण्डोली खुर्द व फौलाई में क्रमशः आरक्षित वर्ग से 90 प्रतिशत महिलाएँ हैं जो हिन्दू हैं व सामान्य वर्ग की 95 प्रतिशत महिलाएँ हिन्दू हैं। फौलाई में आरक्षित वर्ग की 92 प्रतिशत महिलाएँ व सामान्य वर्ग की 99 प्रतिशत महिलाएँ हिन्दू हैं। वहीं गेण्डोली खुर्द में 5 प्रतिशत मुस्लिम व सामान्य वर्ग में 0 प्रतिशत हैं, वहीं फौलाई में आरक्षित वर्ग में 3 प्रतिशत मुस्लिम व सामान्य वर्ग में 0 प्रतिशत हैं। जैन धर्म में गेण्डोली में आरक्षित वर्ग में व सामान्य वर्ग में 5 प्रतिशत हैं। वहीं फौलाई में आरक्षित वर्ग में 2 व सामान्य वर्ग में 0 प्रतिशत है। उक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि शोध के अध्ययन क्षेत्र में हिन्दू धर्म को मानने वाले बहुत अधिक हैं। दोनों ही वर्गों में हिन्दू धर्म को मानने वालों की संख्या अधिक है। मुस्लिम वर्ग व जैन धर्म से सम्बन्धित दोनों ही वर्गों में प्रतिशत बहुत कम रहा।

1.3 वर्ग के आधार पर वर्गीकरण

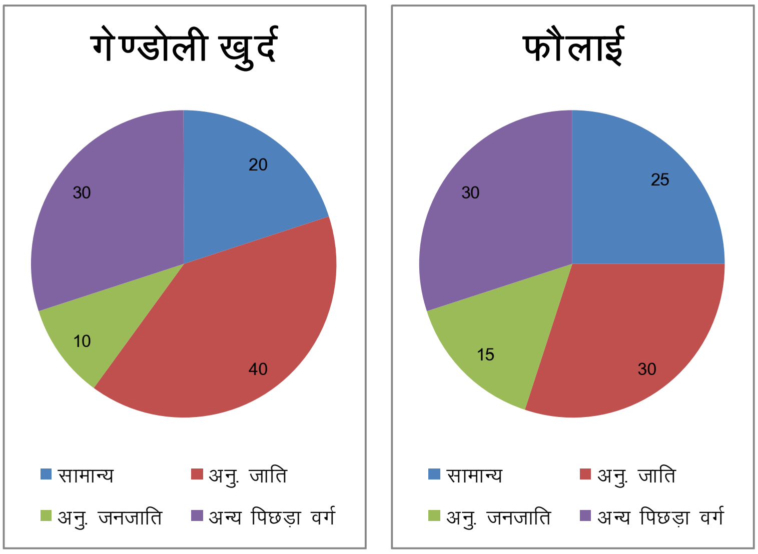

चित्र 6.1.1 : वर्ग के आधार पर वर्गीकरण

उपरोक्त सारणी में वर्ग पर आधारित वर्गीकरण से स्पष्ट होता है कि गैण्ड़ोली खुर्द में सामान्य वर्ग की आवृति व प्रतिशत 20 हैं तथा फौलाई में 25 हैं इसी प्रकार अनुसूचित जाति की आवृति 40 व प्रतिशत भी 40 हैं। जबकि फौलाई में 30 आवृति व प्रतिशत भी 30 हैं। गेण्डोली खुर्द में अनु. जनजाति 10 प्रतिशत व फौलाई में 15 प्रतिशत हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की आवृति गेण्डोली खुर्द में 30 प्रतिशत व फौलाई में 30 प्रतिशत हैं। दोनो ग्राम पंचायतों में आरक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व अधिक हैं। अधिकांश पंचायतों के चुनाव में प्रभुत्व प्राप्त वर्गो व आरक्षित वर्गो का प्रभुत्व अधिक होता हैं।

1.4 शैक्षणिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.1.3 : शैक्षणिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	शैक्षणिक स्थिति	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	निरक्षर	10	10	5	5	10	10	5	5
2	साक्षर	35	35	40	40	60	60	50	50
3	सैकण्डरी	25	25	10	10	10	10	10	10
4	सी. सैकण्डरी	10	10	10	10	10	10	15	15
5	स्नातक	15	15	20	20	5	5	10	10
6	स्नातकोत्तर	5	5	15	15	5	5	10	10
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द में आरक्षित वर्ग में निरक्षर महिलाओं का 10 प्रतिशत हैं, वही सामान्य वर्ग में 5 प्रतिशत हैं। फौलाई में आरक्षित वर्ग में निरक्षता का प्रतिशत 10 प्रतिशत हैं व सामान्य वर्ग में 5 प्रतिशत हैं। गेण्डोली खुर्द में साक्षरता की दृष्टि से आरक्षित वर्ग की 35 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर है व सामान्य वर्ग में 40 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं। फौलाई में आरक्षित वर्ग में 60 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर व सामान्य वर्ग में 50 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं। गेण्डोली खुर्द में आरक्षित वर्ग में सैकण्डरी स्तर पर 25 प्रतिशत महिलाएँ तथा सामान्य वर्ग में 10 प्रतिशत महिलाएँ पढ़ी लिखी हैं, वही फौलाई में यह प्रतिशत क्रमशः 10, 10 प्रतिशत रहा। गेण्डोली खुर्द में सी.सैकण्डरी स्तर पर दोनो वर्गो में पढ़ी लिखी महिलाएँ क्रमशः 10, 10 प्रतिशत व फौलाई में क्रमशः 10, 15 प्रतिशत हैं। गेण्डोली खुर्द में स्नातक स्तर पर दोनो वर्गो में पढ़ी लिखी महिलाएँ क्रमशः 15, 20 प्रतिशत तथा फौलाई में क्रमशः 5, 10 प्रतिशत है। इसी प्रकार स्नातकोत्तर स्तर पर दोनो वर्गो में पढ़ी लिखी महिलाएँ गैण्डोली खुर्द में क्रमशः 5, 15 प्रतिशत व फौलाई में क्रमशः 5, 10 प्रतिशत हैं।

इस प्रकार शैक्षिक पिछड़ापन महिलाओं के शोषण का मुख्य कारण रहा हैं। विशेषकर अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक अयोग्यता, सामाजिक विवशता व शोषण का मुख्य कारण अशिक्षा ही हैं। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में किसी भी नेतृत्व को प्रभावशाली बनाने में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा हैं। महिला नेतृत्व के आधार पर सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं एवं मुद्दो को पूर्ण रूप से हल करने की क्षमता शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती हैं।

1.5 वैवाहिक स्थिति से आधार पर वर्गीकरण–

सारणी 6.1.4 : वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	वैवाहिक स्थिति	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	विवाहित	91	91	85	85	89	89	78	78
2	अविवाहित	0	0	10	10	5	5	17	17
3	विधवा	6	6	3	3	4	4	2	2
4	तलाकशुदा	3	3	2	2	2	2	3	3
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

विवाहित स्थिति सम्बंधित उक्त सारणी में पहले गेण्डोली खुर्द में देखा जाएं तो आरक्षित वर्ग की 91 प्रतिशत व सामान्य वर्ग की 85 प्रतिशत महिलाएँ विवाहित हैं। अविवाहित वर्ग में आरक्षित वर्ग में 0 प्रतिशत व सामान्य वर्ग में 10 प्रतिशत हैं। गेण्डोली खुर्द आरक्षित वर्ग में विधवा महिलाएँ 6 प्रतिशत व सामान्य वर्ग में 3 प्रतिशत हैं। फौलाई में आरक्षित वर्ग में 4 प्रतिशत व सामान्य वर्ग में 2 प्रतिशत हैं। गेण्डोली खुर्द में तलाकशूदा महिलाएँ जो आरक्षित वर्ग से है वह 3 प्रतिशत व सामान्य वर्ग की 2 प्रतिशत हैं। फौलाई में आरक्षित वर्ग में 2 प्रतिशत व सामान्य वर्ग में 3 प्रतिशत हैं।

अतः दोनों ही ग्राम पंचायतो में आरक्षित व सामान्य वर्ग की महिलाओं की वैवाहिक स्थिति उनकी सामाजिक स्थिति के निर्धारण से उनके नेतृत्व के दृष्टिकोण का पता चलता हैं।

1.6 निवास के आधार पर वर्गीकरण –

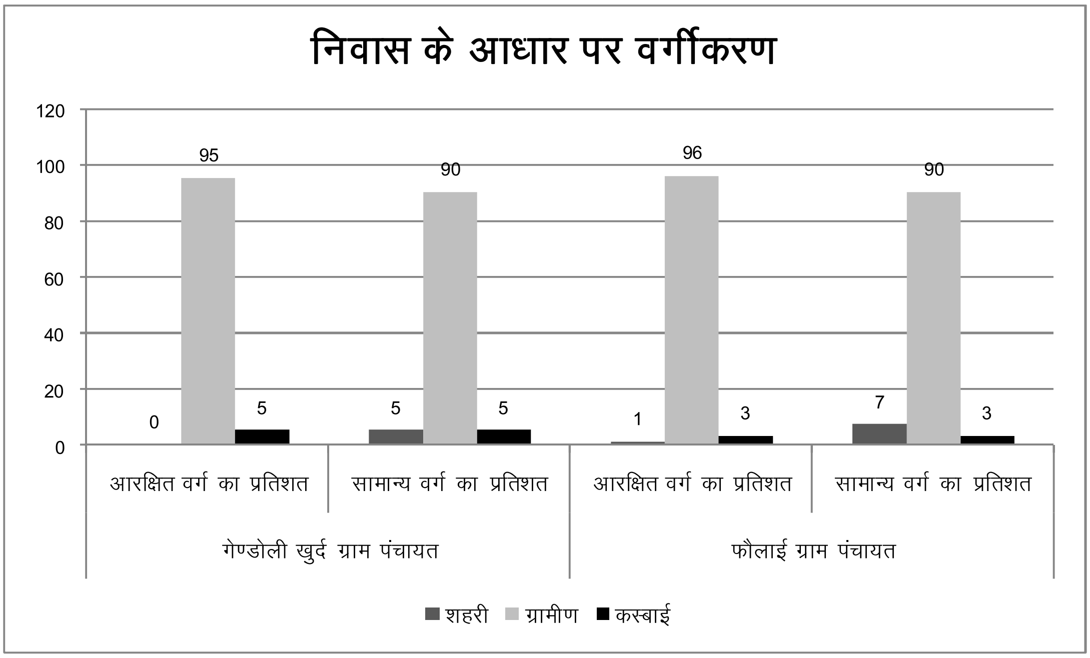

चित्र 6.1.2 : निवास के आधार पर वर्गीकरण

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द की आरक्षित वर्ग की महिला प्रतिनिधि शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में रहती है जबकि 5 प्रतिशत ही कस्बाई है जो आस पास के क्षेत्र में निवास करती हैं। सामान्य वर्ग की महिलाओं में 5 प्रतिशत शहरों में रहती हैं जबकि 90 प्रतिशत तो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है। जबकि फौलाई ग्राम पंचायत में आरक्षित वर्ग में 1 प्रतिशत शहरी है 96 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहते है व 3 प्रतिशत कस्बे में निवास करती हैं। सामान्य वर्ग में 7 प्रतिशत शहरी व 90 प्रतिशत गाँव में निवास करते हैं जबकि 3 प्रतिशत कस्बाई हैं।

आरक्षित व सामान्य वर्ग में जो उच्च शिक्षित व सम्पन्न है वे शहरों में चले गये तथा उक्त दोनों पंचायतो में ग्रामीण आबादी अधिक हैं जो गाँवों में ही रहते हैं। गांवो में निवास करते हुऐ वे राजनीति में आने के लिए अग्रसर हैं।

1.7 परिवार की संरचना के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.1.5 : परिवार की संरचना के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	परिवार की संरचना	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	एकल परिवार	38	38	55	55	40	40	52	52
2	संयुक्त परिवार	62	62	45	45	60	60	48	48
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द में आरक्षित वर्ग के 38 प्रतिशत एकल परिवार व 62 प्रतिशत संयुक्त परिवार हैं। जबकि सामान्य वर्ग के 55 प्रतिशत एकल परिवार व 45 प्रतिशत संयुक्त परिवार हैं। वहीं फौलाई ग्राम पंचायत में आरक्षित वर्ग के 40 प्रतिशत एकल परिवार व 60 प्रतिशत संयुक्त परिवार व सामान्य वर्ग के 52 प्रतिशत एकल व 48 प्रतिशत संयुक्त परिवार हैं। अतः स्पष्ट है कि आधुनिक काल में प्राचीन काल से जो संयुक्त परिवार की परम्परा बनी हुई थी उसमें नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, शिक्षा के प्रसार व आर्थिक व व्यावसायिक जीवन पद्धति के परिणाम स्वरूप बहुत परिवर्तन आ गया है। संयुक्त परिवार में महिलाओं की स्थिति अच्छी होती है तथा संयुक्त परिवार में महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर व स्वतंत्रता मिलती है।

1.8 परिवार की आर्थिक संरचना –

सारणी 6.1.6 : परिवार की आर्थिक संरचना

क्रम	परिवार की आर्थिक संरचना	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	उच्च	10	10	15	15	5	5	10	10
2	मध्यम	60	60	65	65	65	65	70	70
3	निम्न	30	30	20	20	30	30	20	20
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द में आरक्षित वर्ग में उच्च आय में 10 प्रतिशत व मध्यम में 60 तथा निम्न में 30 प्रतिशत परिवार हैं। वहीं सामान्य वर्ग में उच्च आय में 15 प्रतिशत मध्यम में 65 प्रतिशत व निम्न में 20 प्रतिशत ही हैं। फौलाई ग्राम पंचायत में आरक्षित वर्ग में उच्च आय वर्ग में 5 प्रतिशत व मध्यम में 65 प्रतिशत तथा निम्न में 30 प्रतिशत हैं। वहीं सामान्य वर्ग में उच्च आय वर्ग में 10 प्रतिशत व मध्यम में 70 प्रतिशत व निम्न में 20 प्रतिशत ही हैं।

उक्त सारणी में सभी वर्गों में मध्यम आय वाली महिलाओं का प्रतिशत वाले परिवार सबसे अधिक है और यह राजनीति में भी अधिक सक्रिय है, न तो उच्च वर्ग की महिलाएँ व ना ही निम्न वर्ग की महिलाएँ अधिक सक्रिय हैं। क्योंकि उच्च वर्ग की महिलाएँ प्रतिष्ठा के आधार पर राजनीति में नहीं आना चाहती व निम्न वर्ग की महिलाएँ आजीविका कमाने में अधिक सक्रिय हैं। अतः राजनीति से दूरी रखती हैं।

1.9 पति के व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.1.7 : पति के व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	पति का व्यवसाय	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	व्यापार	5	5	7	7	3	3	3	3
2	निजी नौकरी	20	20	30	30	20	20	30	30
3	सरकारी नौकरी	5	5	8	8	3	3	7	7
4	कृषि	50	50	30	30	60	60	40	40
5	राजनीति	2	2	1	1	5	5	10	10
6	अन्य	18	18	24	24	9	9	10	10
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द में जो आरक्षित वर्ग है, जिसमें से व्यापार में 5 प्रतिशत, निजी नौकरी में 20 प्रतिशत, सरकारी नौकरी में 5 प्रतिशत, कृषि में 50 प्रतिशत, राजनीति में 2 प्रतिशत, अन्य व्यवसाय में 18 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत हैं। इसी प्रकार सामान्य वर्ग में व्यापार में 7, निजी नौकरी में 30 प्रतिशत, सरकारी नौकरी में 8 प्रतिशत व कृषि में 30 प्रतिशत, राजनीति में 1 प्रतिशत व अन्य व्यवसाय में 24 प्रतिशत लोग कार्यरत हैं। ग्राम पंचायत फौलाई में जो आरक्षित वर्ग है, उनमें से व्यापार में 3 प्रतिशत, निजी नौकरी में 20 प्रतिशत, सरकारी नौकरी में 3 प्रतिशत, कृषि में 60 प्रतिशत, राजनीति में 5 प्रतिशत, अन्य व्यवसाय में 9 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत हैं। सामान्य वर्ग में व्यवसाय में 3 प्रतिशत, निजी नौकरी में 30 प्रतिशत, सरकारी नौकरी में 7 प्रतिशत, राजनीति में 10 प्रतिशत व अन्य व्यवसाय में 10 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत हैं। जिन महिलाओं के पति राजनीति में हैं अधिकांश वे ही महिलाएँ राजनीति में हैं।

1.10 मकान का निर्माण –

सारणी 6.1.8 : मकान का निर्माण

क्रम	मकान का निर्माण	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	कच्चा मकान	20	20	10	10	20	20	10	10

क्रम	मकान का निर्माण	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
2	पक्का मकान	70	70	60	60	60	60	70	70
3	सुविधापूर्ण मकान	5	5	20	20	10	10	10	10
4	आलीशान मकान	5	5	10	10	10	10	10	10
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द में आरक्षित वर्ग में कच्चे मकान 20 प्रतिशत, पक्का मकान 70 प्रतिशत, सुविधापूर्ण पक्का मकान 5 प्रतिशत, आलीशान मकान 5 प्रतिशत। इसी प्रकार सामान्य वर्ग में 10 प्रतिशत कच्चे मकान, 60 प्रतिशत पक्के मकान, 20 प्रतिशत सुविधापूर्ण पक्के मकान तथा 10 प्रतिशत आलीशान मकान हैं। फौलाई ग्राम पंचायत में आरक्षित वर्ग में कच्चे मकान 20 प्रतिशत, पक्के मकान 60 प्रतिशत, सुविधापूर्ण पक्का मकान 10 प्रतिशत व आलीशान मकान 10 प्रतिशत हैं। इसी प्रकार सामान्य वर्ग में 10 प्रतिशत ही कच्चे मकान व 70 प्रतिशत पक्के मकान, सुविधापूर्ण पक्के मकान में 10 प्रतिशत व आलीशान मकान में 10 प्रतिशत ही आते हैं।

आवास या निवास स्थान वैसे तो व्यक्ति के जीवन की उपलब्धियों, धन, सम्पदा व ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गाँवों की तस्वीर ही बदल गई है। अधिकांश गाँवों में पक्के मकानों का निर्माण हो गया है। अतः सर्वाधिक प्रतिशत महिलाएँ पक्के मकानों में रहती हैं।

खण्ड–2

2.1 महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए –

सारणी 6.2.1 : महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए

क्रम	महिलाओं की राय	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	99	99	100	100	98	98	99	99
2	नहीं	1	1	0	0	2	2	1	1
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि 99 प्रतिशत महिलाओं ने, महिलाओं को राजनीति में आने पर सहमति जताई है। दोनों ही ग्राम पंचायतों में 1 या 2 प्रतिशत महिलाओं ने इसका विरोध किया, अतः तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिलाओं में जागरूकता है और वे चाहती हैं कि अधिक से अधिक महिलाएँ राजनीति में आये।

2.2 महिलाओं का राजनीति में आने के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.2.2 : महिलाओं का राजनीति में आने के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	कारण	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि	42	42	52	52	32	32	23	23
2	नाम व पैसा कमाना	6	6	3	3	5	5	3	3
3	महिला आरक्षित सीट का होना	21	21	13	13	15	15	17	17
4	स्वयं को साबित करना	21	21	22	22	23	23	45	45
5	अन्य	10	10	10	10	25	25	12	12
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत में आरक्षित वर्ग 42 प्रतिशत महिलाएँ पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि को राजनीति में आने का कारण मानती हैं, केवल 6 प्रतिशत का ध्येय नाम–पैसा कमाना रहा व 21 प्रतिशत महिलाएँ आरक्षित सीट होने की वजह से राजनीति में आने का कारण मानती हैं। 21 प्रतिशत महिलाएँ स्वयं को साबित करना चाहती हैं तथा 10 प्रतिशत महिलाएँ अन्य कारण के आधार पर राजनीति में आई। इसी प्रकार सामान्य वर्ग की 52 प्रतिशत महिलाएँ पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण राजनीति में आना चाहती हैं। 3 प्रतिशत महिलाओं का ध्येय नाम व पैसा कमाना है। 13 प्रतिशत महिलाएँ आरक्षित सीट की वजह से राजनीति में आना चाहती हैं तथा 22 प्रतिशत महिलाओं को स्वयं को साबित करने के लिए राजनीति में आना चाहती हैं। फौलाई ग्राम पंचायत में आरक्षित वर्ग की 32 प्रतिशत महिलाएँ पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण राजनीति में आना चाहती हैं तथा 5 प्रतिशत नाम व पैसा कमाना चाहती हैं। 15 प्रतिशत महिला आरक्षित सीट होने की वजह से आना चाहती हैं तथा 23 प्रतिशत स्वयं को साबित करना चाहती हैं। 25 प्रतिशत अन्य कारणों से राजनीति में आई। इसी प्रकार सामान्य वर्ग में 23 प्रतिशत महिलाएँ पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण राजनीति में आना चाहती हैं। 3 प्रतिशत नाम व पैसा के लिए राजनीति में आने का कारण मानती हैं। 17 प्रतिशत महिला आरक्षित सीट के होने की वजह से राजनीति में आना चाहती है। 45 प्रतिशत स्वयं को साबित करना चाहती हैं व 12 प्रतिशत अन्य कारणों से राजनीति में आना चाहती हैं। अतः अधिकांश महिलाएँ स्वयं को साबित करने व राजनीतिक पृष्ठभूमि की वजह से राजनीति में आना चाहती हैं।

2.3 महिला उत्थान हेतु कार्यों का वर्गीकरण –

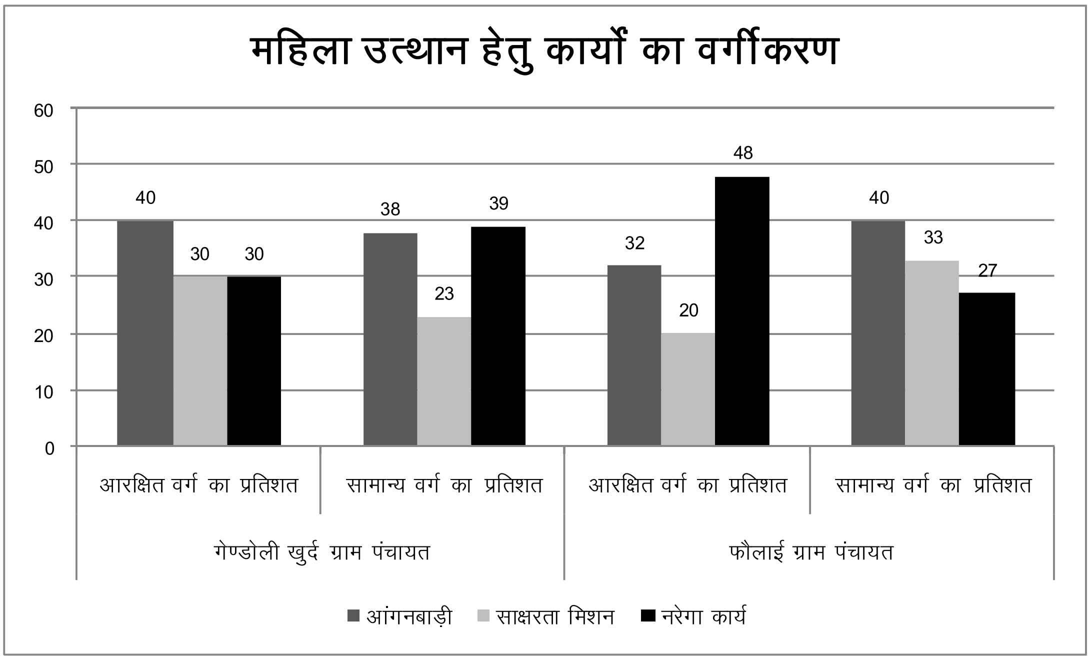

चित्र 6.2.1 : महिला उत्थान हेतु कार्यों का वर्गीकरण

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि गेण्डोली खुर्द में आरक्षित वर्ग में 40 प्रतिशत महिलाओं ने आँगनबाड़ी से संबंधित कार्यों के प्रति सहमति जाहिर की, 30 प्रतिशत स्वच्छता मिशन व 30 प्रतिशत नरेगा के कार्यों से सहमत दिखी इसी प्रकार सामान्य वर्ग में 38, 23, 39 प्रतिशत महिलायें इन कार्यों से संतुष्ट दिखी। फौलाई में भी आरक्षित वर्ग में 32, 20, 48 प्रतिशत महिलाएँ इन कार्यों से संतुष्ठ दिखीं व सामान्य वर्ग की 40, 33, 27 प्रतिशत महिलाएँ उक्त कार्यों से संतुष्ट हैं।

अतः स्पष्ट है कि आँगनबाड़ी, स्वच्छता मिशन और नरेगा जैसे कार्यों से दोनों ही वर्ग की महिलाओं में आत्मनिर्भरता व संतुष्टि दिखी, इससे उनमें आर्थिक सम्पन्नता भी बढ़ी है।

2.4 कार्य क्रियान्वयन के दौरान समस्याओं का वर्गीकरण –

सारणी 6.2.3 : कार्य क्रियान्वयन के दौरान समस्याओं का वर्गीकरण

क्रम	समस्याओं का वर्गीकरण	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	रात्रि में कार्य की समस्या	30	30	35	35	30	30	35	35
2	पुरूषों से खुले व्यवहार की समस्या	25	25	20	20	30	30	30	30

क्रम	समस्याओं का वर्गीकरण	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
3	पति की अवहेलना की समस्या	5	5	3	3	20	20	6	6
4	आवागमन की समस्या	20	20	35	35	10	10	15	15
5	पारिवारिक दूरी की समस्या	10	10	4	4	5	5	4	4
6	अन्य	10	10	3	3	5	5	10	10
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द में और फौलाई दोनों ग्राम पंचायतों में आरक्षित व सामान्य वर्ग की महिलाएँ रात्रि में कार्य की असमर्थता बताती हैं, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण पुरूषों से खुले व्यवहार में पर्दा–प्रथा आदि के कारण अपनी बात को पूर्णतया नहीं रख पाती हैं। परन्तु ग्रामों में आम महिला हो या महिला प्रतिनिधि, उक्त समस्याओं का सामना हर वर्ग की महिलाओं को करना पड़ता है।

2.5 राजनीति में महिलाओं की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.2.4 : राजनीति में महिलाओं की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	स्थिति का वर्गीकरण	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	दयनीय	0	0	0	0	1	1	0	0
2	कठपुतली की तरह	5	5	4	4	3	3	4	4
3	सशक्त	80	80	85	85	92	92	91	91
4	अन्य	15	15	11	11	4	4	5	5
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि गेण्डोली खुर्द व फौलाई दोनों में अधिक प्रतिशत सशक्त महिलाओं के रूप में आया है, अतः राजनीति के प्रति महिलाओं का सकारात्मक दृष्टिकोण है। 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने से आरक्षित व सामान्य वर्ग की महिलाओं को राजनीति में आने का अवसर मिला, जहाँ वे भी अपनी नेतृत्व शक्ति से समाज को एक नई दिशा दे रही हैं। हालांकि आज भी कुछ प्रतिशत अवरोध हैं, जिससे महिलाओं को गुजरना पड़ता है, जैसे पर्दाप्रथा, जातिवाद, सरपंच पति, पुरूषों का वर्चस्व आदि।

2.6 73वें संविधान संशोधन के बारे में जानकारी –

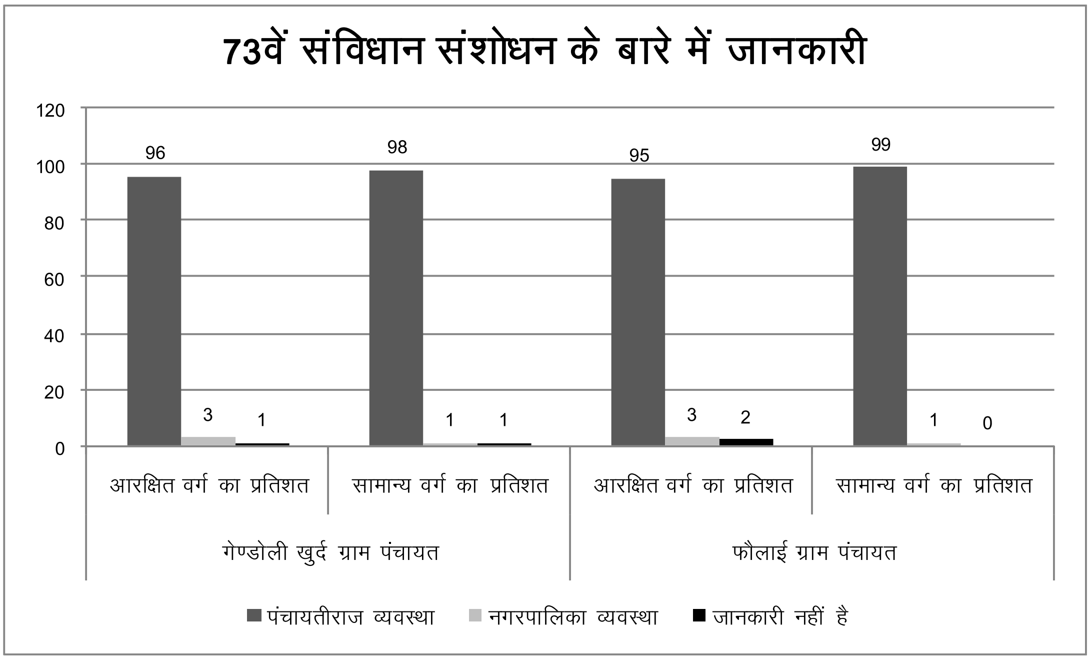

चित्र 6.2.2 : 73वें संविधान संशोधन के बारे में जानकारी

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि गेण्डोली खुर्द व फौलाई में आरक्षित वर्ग में 96 व 95 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग में 98 व 99 प्रतिशत महिलाओं को 73वें संविधान संशोधन के पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े होने के बारे में जानकारी है। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाएँ जाग्रत हैं। उन्हें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानकारी है।

2.7 73वें संविधान संशोधन से आए परिवर्तन के आधार पर –

सारणी 6.2.5 : 73वें संविधान संशोधन से आए परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	73वें संशोधन से आए परिवर्तन	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	राजनीति में रूझान बढ़ा	10	10	25	25	10	10	6	6
2	जागरूकता बढ़ी	25	25	10	10	15	15	20	20
3	महिला अधिकारों के बारे में सचेत	7	7	12	12	7	7	10	10
4	पंचायत में महिला योगदान बढ़ा	2	2	15	15	2	2	15	15
5	उपरोक्त सभी	56	56	38	38	66	66	49	49
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी गेण्डोली खुर्द में आरक्षित वर्ग की महिलाओं के अनुसार 73वें संविधान संशोधन से आने वाले परिवर्तनों में जैसे राजनीति में रूझान बढ़ा, जागरूकता बढ़ी, महिला अधिकारों के बारे में सचेत होना, पंचायत में महिला योगदान बढ़ना उपर्युक्त सभी कारणों से 56 प्रतिशत सहमत हैं, वहीं सामान्य वर्ग की 38 प्रतिशत तथा फौलाई में आरक्षित वर्ग में 66 प्रतिशत महिलाएँ व सामान्य वर्ग में 49 प्रतिशत महिलाएँ उक्त सभी परिवर्तनों को स्वीकारती हैं।

अतः स्पष्ट है कि 73वें संविधान संशोधन से चाहे वे आरक्षित वर्ग की महिला हो या सामान्य वर्ग की दोनों के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है व नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी हुई है।

2.8 निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका –

सारणी 6.2.6 : निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका

क्रम	निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	बैठकों में उपस्थित होना	73	73	65	65	62	62	61	61
2	कागज पर हस्ताक्षर करना	3	3	3	3	7	7	7	7
3	पंचायत के कार्य करना	15	15	10	10	5	5	3	3
4	समस्याओं को जानना	2	2	20	20	20	20	19	19
5	अन्य	7	7	2	2	6	6	10	10
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द में आरक्षित वर्ग में बैठकों में उपस्थित होने पर 73 प्रतिशत महिलाएँ सहमत हुई। हस्ताक्षर करने पर 3 प्रतिशत, पंचायत के कार्य करवाने पर 15 प्रतिशत व समस्याओं को जानने पर 2 प्रतिशत और अन्य पंचायती कार्यों पर 7 प्रतिशत महिलाएँ सहमत हुई। सामान्य वर्ग में यह प्रतिशत क्रमशः 65, 3, 10, 20, 2 प्रतिशत रहा। वहीं फौलाई में आरक्षित वर्ग में 62, 7, 5, 20, 6 प्रतिशत रहा। वहीं सामान्य वर्ग में यह 61, 7, 3, 19, 10 प्रतिशत रहा। इस प्रकार सभी वर्ग की महिलाएँ, निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यों से संतुष्ट हैं, जिसमें वे सबसे अधिक पंचायत की बैठकों में उपस्थिति को लेकर संतुष्ट है।

2.9 महिला आरक्षण की उपयोगिता –

सारणी 6.2.7 : महिला आरक्षण की उपयोगिता

क्रम	उपयोगिता	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	78	78	77	77	82	82	92	92
2	नहीं	12	12	11	11	8	8	7	7
3	जानकारी नहीं	10	10	12	12	10	10	1	1
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में महिला आरक्षण पर सर्वाधिक प्रतिशत "हाँ" के जवाब में आया है, इससे सिद्ध होता है कि महिलाओं को आरक्षण की उपयोगिता का पूर्ण ज्ञान है।

2.10 पंचायती राज में आरक्षण की प्रतिशतता के बारे में जानकारी –

सारणी 6.2.8 : पंचायती राज में आरक्षण की प्रतिशतता के बारे में जानकारी

क्रम	आरक्षण प्रतिशत	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	20 प्रतिशत	1	1	0	0	10	10	2	2
2	33 प्रतिशत	79	79	92	92	82	82	84	84
3	50 प्रतिशत	11	11	7	7	7	7	10	10
4	60 प्रतिशत	9	9	1	1	1	1	4	4
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द व फौलाई दोनों ग्राम पंचायतों में आरक्षित व सामान्य वर्ग में क्रमशः 79, 82, 92, 84 प्रतिशत महिलाएँ 33 प्रतिशत आरक्षण के बारे में जानती हैं तथा 11, 7, 7 व 10 प्रतिशत महिलाओं ने 50 प्रतिशत आरक्षण के बारे में बताया। इस प्रकार आरक्षण के बारे में अधिकांश महिला वर्ग जाग्रत है।

2.11 पंचायतीराज संस्थाओं के स्तर के बारे में जानकारी

सारणी 6.2.9 : पंचायतीराज संस्थाओं के स्तर के बारे में जानकारी

क्रम	पंचायत के स्तर	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	दो	10	10	5	5	20	20	10	10
2	चार	3	3	7	7	5	5	5	5
3	तीन	70	70	68	68	60	60	75	75
4	पाँच	17	17	20	20	15	15	10	10
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द में आरक्षित वर्ग में पंचायत के स्तरों में 10 प्रतिशत महिलाओं ने दो, 3 प्रतिशत ने चार स्तर, 70 प्रतिशत ने तीन व 17 प्रतिशत ने पाँच स्तर बताये। सामान्य वर्ग में 5 प्रतिशत ने दो, 7 प्रतिशत ने चार व 68 प्रतिशत ने तीन स्तर तथा 20 प्रतिशत ने पाँच स्तर बताये। इसी प्रकार फौलाई ग्राम पंचायत में आरक्षित वर्ग में 20 प्रतिशत महिलाओं ने दो स्तर बताये, 5 प्रतिशत ने चार स्तर बताये 60 प्रतिशत ने तीन स्तर बताये, 15 प्रतिशत महिलओं ने पाँच स्तर बताये। सामान्य वर्ग में 10 प्रतिशत महिलाओं ने दो स्तर बताये, 5 प्रतिशत ने चार, 75 प्रतिशत ने तीन स्तर बताये, 10 प्रतिशत ने पाँच स्तर बताये। अतः सबसे ज्यादा प्रतिशत महिलाएँ तीन स्तर वाले उत्तर पर ही सहमत हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें पंचायतीराज व्यवस्था की जानकारी है।

2.12 पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यकाल के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.2.10 : पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यकाल के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	कार्यकाल	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	2 वर्ष	5	5	2	2	2	2	3	3
2	5 वर्ष	78	78	85	85	85	85	82	82
3	4 वर्ष	2	2	3	3	10	10	10	10
4	8 वर्ष	15	15	10	10	3	3	5	5
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द व फौलाई में आरक्षित व सामान्य वर्ग में पंचायत के कार्यकाल की अवधि के लिए 5 वर्ष पर सर्वाधिक प्रतिशत महिलाओं ने सही उत्तर दिया है। जिससे स्पष्ट होता है कि पंचायत के बारे में आधारभूत जानकारी सभी वर्ग की महिलाओं को है।

2.13 नरेगा योजना की जानकारी के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.2.11 : नरेगा योजना की जानकारी के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	नरेगा की जानकारी	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	99	99	100	100	98	98	100	100
2	नहीं	1	1	0	0	1	1	0	0
3	कुछ–कुछ	0	0	0	0	1	1	0	0
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द व फौलाई दोनों ही ग्राम पंचायतों में आरक्षित व सामान्य वर्ग की सर्वाधिक 99 व 100 महिलाओं को नरेगा योजना की जानकारी है। क्योंकि वर्तमान में इन दोनों ग्राम पंचायतों में यह जीवन संजीवनी के रूप में कार्य कर रही है, जिससे महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता आई है।

2.14 नरेगा योजना से आत्मनिर्भरता में वृद्धि के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.2.12 : नरेगा योजना से आत्मनिर्भरता में वृद्धि के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	आत्मनिर्भरता का मूल्यांकन	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	100	100	100	100	100	100	100	100
2	नहीं	0	0	0	0	0	0	0	0
3	पता नहीं	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में दोनों ग्राम पंचायतों गेण्डोली खुर्द व फौलाई में नरेगा को महिलाओं ने अपनी आत्मनिर्भरता का मुख्य आधार माना है, क्योंकि पेयजल व सिंचाई के साधनों का अभाव होने के कारण महिलाओं की आत्मनिर्भरता का मुख्य आधार ही उक्त नरेगा योजना ही बनी हुई है। इस योजना में कार्यदिवसों की संख्या में वृद्धि की जाये, जिससे उन्हें अधिक समय तक रोजगार मिल सके।

2.16 उज्ज्वला योजना से ग्राम पंचायत महिलाओं के जीवन स्तर पर प्रभाव –

सारणी 6.2.13 : उज्ज्वला योजना से ग्राम पंचायत महिलाओं के जीवन स्तर पर प्रभाव

क्रम	उज्ज्वला योजना का प्रभाव	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	80	80	85	85	70	70	70	70
2	नहीं	10	10	5	5	10	10	5	5
3	कुछ–कुछ	10	10	10	10	20	20	25	25
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द व फौलाई दोनों ही ग्राम पंचायतों में 70 से 80 प्रतिशत से ऊपर महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है, अतः स्पष्ट है कि इस योजना से न केवल उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, बल्कि रसोई में लगने वाले समय की बचत हुई है, जिसे वे आर्थिक उत्पादक कार्यों में लगाकर अपनी आजीविका बेहतर कर रही हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत फरवरी 2019 तक लगभग 715 जिलों में 6.49 करोड़ एल.पी.जी. कनेक्शन दिये जा चुके हैं। व वर्तमान में राजस्थान में 5019792 कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

2.17 प्रधानमंत्री आवास योजना व स्वच्छ भारत मिशन योजना से गाँवों के स्वरूप में परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण

सारणी 6.2.14 : प्रधानमंत्री आवास योजना व स्वच्छ भारत मिशन योजना से गाँवों के स्वरूप में परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण

क्रम		गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	55	55	40	40	52	52	41	41
2	नहीं	0	0	0	0	0	0	0	0
3	आंशिक परिवर्तन आया है	10	10	5	5	2	2	9	9
4	पूर्ण परिवर्तन आया है	35	35	55	55	46	46	50	50
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी के आधार पर स्पष्ट होता है कि 40–55 प्रतिशत महिलाओं का उत्तर "हाँ" में आया है तथा 35–50 प्रतिशत महिलाओं ने माना है कि उक्त योजनाओं से गाँवों में पूर्ण परिवर्तन आया है। नकारात्मक उत्तर किसी भी महिला ने नहीं दिया, क्योंकि इन दोनों ही योजनाओं से गाँवों की तस्वीर बदल गई। एक तरीके से नवीन ग्रामीण संरचना की तरफ बहुत अच्छा प्रयास है।

2.18 महिला–सशक्तिकरण से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी –

सारणी 6.2.15 : महिला–सशक्तिकरण से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी

क्रम	योजनाएँ	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	विधवा पेंशन	7	7	3	3	2	2	4	4
2	उज्ज्वला योजना	12	12	2	2	1	1	1	1
3	इंदिरा आवास	9	9	7	7	3	3	5	5
4	प्रधानमंत्री आवास	20	20	8	8	12	12	6	6
5	नरेगा योजना	20	20	15	15	22	22	15	15
6	श्रम पंजीयन	3	3	13	13	2	2	10	10
7	वृद्धावस्था पेंशन/ विकलांग पेंशन	2	2	2	2	4	4	5	5
8	स्वच्छ भारत मिशन योजना	2	2	16	16	15	15	3	3
9	उपरोक्त सभी	25	25	34	34	39	39	51	51
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि गेण्डोली खुर्द व फौलाई दोनों में यह योजनाएँ सुचालित हैं और सभी महिलाओं को उनके वर्ग, निर्धारित मापदण्डों के आधार पर उनको इन योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल रहा है।

खण्ड – 3

3.1 महिलाओं के लिए पुरूषों के समान राजनैतिक अवसर के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.3.1 : महिलाओं के लिए पुरूषों के समान राजनैतिक अवसर के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	राजनैतिक अवसर	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	15	15	50	50	10	10	56	56
2	नहीं	35	35	25	25	40	40	4	4
3	पता नहीं	50	50	25	25	50	50	40	40
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में महिलाओं के लिए पुरूषों के समान राजनैतिक अवसर के आधार पर सभी महिलाओं की अलग–अलग राय सामने आई है। गेण्डोली खुर्द में आरक्षित वर्ग में 15 प्रतिशत महिलाएँ इससे सहमत हैं, 35 प्रतिशत सहमत नहीं हैं व 50 प्रतिशत महिलाओं ने अनभिज्ञता जाहिर की है। जबकि सामान्य वर्ग में 50 प्रतिशत महिलाएँ सहमत हैं, 25 प्रतिशत असहमत व 25 प्रतिशत महिलाएँ अनभिज्ञ हैं। फौलाई ग्राम पंचायत में आरक्षित वर्ग में 10 प्रतिशत महिलाएँ सहमत हैं, 40 प्रतिशत सहमत नहीं हैं व 50 प्रतिशत अनभिज्ञ हैं। 56 प्रतिशत महिलाएँ सामान्य वर्ग में सहमत हैं, 4 प्रतिशत असहमत व 40 प्रतिशत अनभिज्ञ हैं, इस प्रकार कुछ महिलाएँ स्वयं को पुरूष के समान ही आँकती हैं, अपनी नेतृत्व शक्ति पर पूरा भरोसा है तथा कुछ महिलाओं ने राजनैतिक अवसरों की कमी के कारण पुरूषों को अधिक सक्रिय माना है। जबकि अधिकांश ने अनभिज्ञता प्रकट की।

3.2 पंचायतीराज के केन्द्रीय संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानकारी –

सारणी 6.3.2 : पंचायतीराज के केन्द्रीय संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानकारी

क्रम	जानकारी	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	60	60	68	68	45	45	62	62
2	नहीं	25	25	2	2	3	3	3	3
3	कुछ–कुछ	15	15	30	30	52	52	35	35
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द में आरक्षित वर्ग में 60 प्रतिशत महिलाओं को पंचायत के लिए केन्द्रीय संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानकारी है। 25 प्रतिशत को जानकारी नहीं व 15 प्रतिशत को आंशिक रूप से पता है। इसी प्रकार 68 प्रतिशत महिलाओं, जो सामान्य वर्ग की है, उनको केन्द्रीय संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी है व 2 प्रतिशत को नहीं, 30 प्रतिशत को कुछ आंशिक जानकारी है। फौलाई में आरक्षित वर्ग में 45 प्रतिशत ने "हाँ" में, 3 प्रतिशत ने "नहीं" में उत्तर दिया व 52 प्रतिशत को आंशिक जानकारी है। सा. वर्ग में 62 प्रतिशत को जानकारी है, 3 प्रतिशत को नहीं व 35 प्रतिशत को आंशिक जानकारी है। अतः आरक्षित व सामान्य वर्ग में "हाँ" में उत्तर अधिक प्रतिशत में आया है व कुछ महिलाओं को आंशिक जानकारी है। इससे स्पष्ट होता है कि अब महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई है।

3.3 आरक्षित व सामान्य वर्ग की महिलाओं की कार्यशैली में अन्तर –

सारणी 6.3.3 : आरक्षित व सामान्य वर्ग की महिलाओं की कार्यशैली में अन्तर

क्रम	कार्यशैली में अन्तर के कारण	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	शिक्षा का	10	10	40	40	5	5	30	30
2	जीवन स्तर का	9	9	15	15	10	10	10	10
3	जागरूकता का	15	15	15	15	16	16	17	17
4	परिवार के सहयोग का	17	17	10	10	20	20	12	12
5	बिल्कुल नहीं	0	0	0	0	0	0	0	0
6	सामान्य	10	10	5	5	7	7	7	7
7	अन्य	39	39	15	15	42	42	24	24
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में आरक्षित व सामान्य वर्ग की कार्यशैली में अन्तर का विश्लेषण किया गया तो गेण्डोली खुर्द व फौलाई दोनो ग्राम पंचायतो में सर्वाधिक प्रतिशत महिलाएँ उक्त समस्त कारणो को उनकी कार्यशैली में अन्तर का आधार मानती है परन्तु परिवार के सहयोग व स्वंय के जागरूक होने पर अधिकांश महिलाएँ सहमत हैं। इसके अलावा दोनो ही ग्राम पंचायतों में सामान्य वर्ग की महिलाएँ शिक्षा को प्रमुख आधार मानती हैं।

अतः स्पष्ट है कि आरक्षित व सामान्य वर्ग में सबसे बड़ा अन्तर शिक्षा, जीवन स्तर, जागरूकता व परिवार के सहयोग का होता है। जहाँ आरक्षित वर्ग में शिक्षा का स्तर निम्न होता है व जागरूकता का अभाव होता है, वहीं पारिवारिक सहयोग व जातिगत बाहुल्य अधिक होता

है, परन्तु जागरूकता का अभाव होता है। सामान्य वर्ग में जातिगत बाहुल्य और पारिवारिक सहयोग का अभाव होता है। उक्त दोनों ग्राम पंचायतों की ऐसी ही स्थिति है।

3.4 क्षेत्र में मतदान के आधार पर अन्तर –

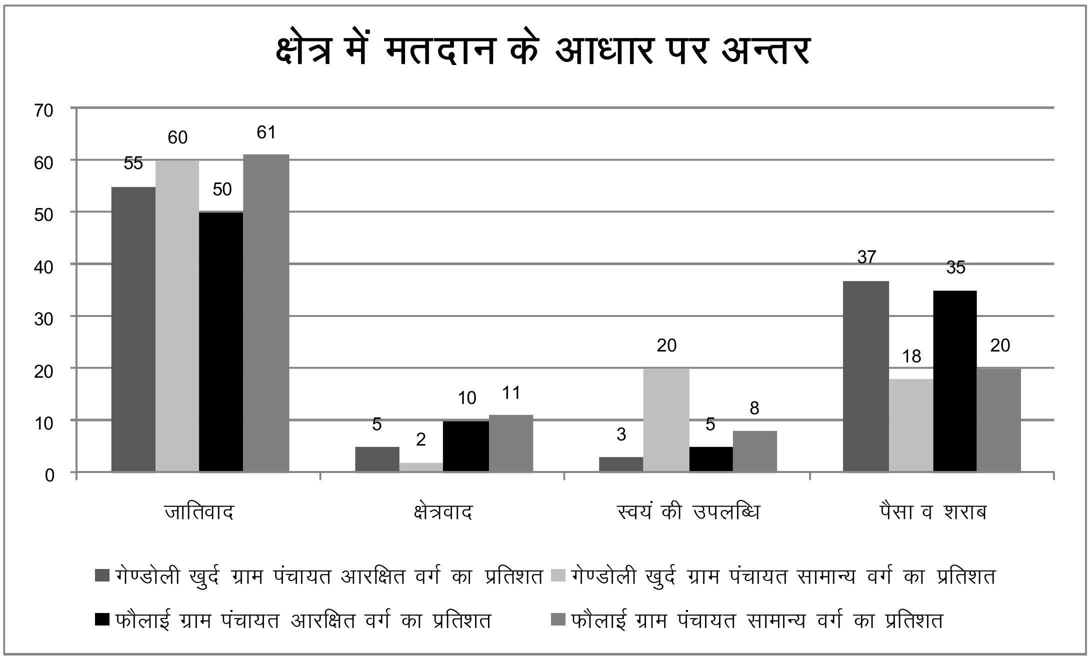

चित्र 6.3.1 : क्षेत्र में मतदान के आधार पर अन्तर

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द में मतदान में सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत जातिवाद के आधार पर आया है। उसके बाद पैसे, शराब के आधार पर। इसी प्रकार फौलाई में भी आरक्षित व सामान्य वर्ग में सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत जातिवाद व शराब व पैसे के आधार पर ही आया है। इस प्रकार उक्त दोनों कारण भी सबसे ज्यादा मतदान को प्रभावित करते हैं।

3.5 कार्यक्षेत्र में पारिवारिक पुरूषों के हस्तक्षेप के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.3.4 : कार्यक्षेत्र में पारिवारिक पुरूषों के हस्तक्षेप के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	कारण	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	हस्तक्षेप करते हैं	55	55	65	65	53	53	72	72
2	हस्तक्षेप नहीं करते हैं	5	5	7	7	7	7	9	9
3	कोई प्रत्युत्तर नहीं	40	40	28	28	40	40	19	19
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में किसी भी कार्यक्षेत्र में पुरूष महिला के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं या नहीं, इस आधार पर गेण्डोली खुर्द में आरक्षित व सामान्य वर्ग में सबसे अधिक प्रतिशत जैसे आरक्षित वर्ग में 55 प्रतिशत सामान्य वर्ग में 65 प्रतिशत। इसी प्रकार फौलाई में भी आरक्षित वर्ग में 53 प्रतिशत व सामान्य वर्ग में 72 प्रतिशत पुरूष महिलाओं के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं। जो हस्तक्षेप नहीं करने पर सहमत हैं उनमें से 5–9 प्रतिशत महिलाएँ हैं। 19 से लेकर 40 प्रतिशत महिलाओं ने कोई उत्तर नहीं दिया। आज भी अधिकांश महिलाएँ उनके कार्यों के लिए पुरूषों पर निर्भर है।

3.6 जनता का प्रतिनिधियों से सार्वजनिक कार्यों हेतु संपर्क के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.3.5 : जनता का प्रतिनिधियों से सार्वजनिक कार्यों हेतु संपर्क के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	कारण	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	घर पर मिलकर	33	33	15	15	10	10	5	5
2	पंचायत की बैठकों में	57	57	78	78	80	80	85	85
3	पति के माध्यम से	10	10	7	7	10	10	10	10
4	कोई सम्पर्क नहीं	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि गेण्डोली खुर्द व फौलाई दोनों में जनता का प्रतिनिधियों से सार्वजनिक कार्यों हेतु सम्पर्क करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम पंचायत की बैठकों के द्वारा ही है। घर पर तो 5–33 प्रतिशत व्यक्ति ही कार्य करवा पाते हैं। 7–10 प्रतिशत व्यक्ति महिला प्रतिनिधियों के पतियों के माध्यम से भी सम्पर्क कर काम करवा लेते हैं।

3.7 पंचायत में उठाये जाने वाले मुद्दों के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.3.6 : पंचायत में उठाये जाने वाले मुद्दों के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	मुद्दे	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	वार्ड संबंधी मुद्दे	29	29	35	35	30	30	42	42
2	ग्राम विकास संबंधी मुद्दे	15	15	12	12	10	10	20	20
3	महिला संबंधी मुद्दे	56	56	53	53	60	60	38	38
4	कोई मुद्दा नहीं	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायत में आरक्षित व सामान्य वर्ग में 29–42 प्रतिशत महिलाएँ वार्ड संबंधी मुद्दे उठाती है। 10–20 प्रतिशत महिलाएँ ग्राम विकास संबंधी मुद्दों में रूचि रखती हैं। 38–60 प्रतिशत महिलाएँ महिला संबंधी मुद्दे उठाने पर रूचि रखती हैं। अतः महिलाएँ अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हैं।

3.8 पंचायत की बैठकों के बारे में जानकारी के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.3.7 : पंचायत की बैठकों के बारे में जानकारी के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	कारण	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	68	68	72	72	61	61	70	70
2	नहीं	32	32	28	28	39	39	30	30
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द में आरक्षित वर्ग में 68 प्रतिशत महिलाएँ हैं जो पंचायत की बैठकों के बारे में जानती हैं व 72 प्रतिशत सामान्य वर्ग से हैं जिन्होने "हाँ" में उत्तर देती हैं। 32 व 28 प्रतिशत महिलाओं को जो आरक्षित व सामान्य वर्ग से हैं, उनको इनकी जानकारी नहीं हैं। फौलाई ग्राम पंचायत में 61 प्रतिशत महिलाओं को जो आरक्षित वर्ग से हैं, पूर्ण जानकारी है व 70 प्रतिशत जो सामान्य वर्ग से, को पंचायत की बैठकों की जानकारी है तथा 39 प्रतिशत आरक्षित वर्ग व 30 प्रतिशत सामान्य वर्ग को इन बैठकों के बारे में जानकारी नहीं है।

3.9 पंचायत की बैठकों के बारे में जानकारी प्राप्ति के माध्यम से वर्गीकरण –

सारणी 6.3.8 : पंचायत की बैठकों के बारे में जानकारी प्राप्ति के माध्यम से वर्गीकरण

क्रम	माध्यम	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	मुनादी, ढोल द्वारा	10	10	7	7	5	5	6	6
2	घर पर नोटिस	5	5	5	5	7	7	7	7
3	पूर्व बैठकों के द्वारा	10	10	15	15	12	12	4	4
4	पति के माध्यम से	5	5	7	7	8	8	9	9
5	मोबाइल फोन से	60	60	50	50	57	57	67	67
6	अन्य प्रकार से	10	10	16	16	11	11	7	7
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द में पंचायत के कार्यों का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम हैं, जैसे – मुनादी, ढोल द्वारा, घर पर नोटिस व पूर्व बैठकों द्वारा, पति के माध्यम से या मोबाइल से। वर्तमान में सूचना प्राप्ति का सबसे सुलभ माध्यम मोबाइल फोन है। उक्त सारणी में भी मोबाइल फोन को सूचना प्राप्ति का सबसे सुलभ माध्यम बताने में महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक है। अतः स्पष्ट है वर्तमान में सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना का सरल प्रवाह हो रहा है, अतः यह सूचना प्राप्ति का सबसे अच्छा माध्यम है।

3.10 महिलाओं के पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रहने के कारण –

सारणी 6.3.9 : महिलाओं के पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रहने के कारण

क्रम	कारण	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	घर–गृहस्थी के कार्य	41	41	38	38	39	39	40	40
2	लम्बी अवधि	2	2	3	3	4	4	3	3
3	समय पूर्व सूचना नहीं	5	5	2	2	4	4	3	3
4	आवश्यकता महसूस नहीं की	1	1	1	1	5	5	4	4
5	पति से अनुमति न मिलना	3	3	5	5	6	6	7	7
6	परिवार की वजह	25	25	20	20	15	15	17	17
7	अन्य	23	23	31	31	27	27	26	26
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में महिलाओं के पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रहने के कारण बताये, जिनमें गेण्डोली खुर्द में आरक्षित वर्ग की महिलाओं में 41 प्रतिशत महिलाओं ने घर–गृहस्थी के कार्यों को अनुपस्थित रहने का कारण बताया। 2 प्रतिशत लम्बी अवधि तो 5 प्रतिशत समय से पूर्व सूचना नहीं मिलना कारण बताती हैं। 1 प्रतिशत जागरूक नहीं थी। 3 प्रतिशत ने पति से अनुमति न मिलना बताया। 25 प्रतिशत ने परिवार को न जाने का कारण बताया व 23 प्रतिशत अन्य कारणों से नहीं जा पाती। इसी प्रकार सामान्य वर्ग 38 प्रतिशत घर गृहस्थी के कार्य की वजह से व्यस्त रहती थी। 3 प्रतिशत लम्बी अवधि के कारण। 2 प्रतिशत को समय पूर्व सूचना नहीं होने की वजह से 1 प्रतिशत जागरूक नहीं है। 5 प्रतिशत ने पति से अनुमति न मिलना बताया। 20 प्रतिशत ने पारिवारिक कारणों से अनुपस्थित रहना बताया। फौलाई ग्राम पंचायत में 39 प्रतिशत महिलाएँ घर–गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रहने व 4 प्रतिशत लम्बी अवधि, 4 प्रतिशत समय पूर्व सूचना नहीं, 5 प्रतिशत जागरूक नहीं होना, 6 प्रतिशत को पति से अनुमति न मिलना, 15 प्रतिशत ने परिवार को वजह बताया। 27 प्रतिशत अन्य कारणों की वजह से अनुपस्थित रही व सामान्य वर्ग में 40 प्रतिशत घर–गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रहती हैं। 3 प्रतिशत लम्बी अवधि की वजह से अनुपस्थित रहती हैं। 4 प्रतिशत जागरूक नहीं है। 7 प्रतिशत को पति से अनुमति न मिलना। 17 प्रतिशत परिवार की वजह से अनुपस्थित रही व 26 प्रतिशत अन्य कारणों से नहीं जा पाती हैं।

अतः स्पष्ट है कि आम महिलाएँ पारिवारिक व घर–गृहस्थी के कार्यों से पंचायत की बैठकों में नहीं जा पाती हैं।

खण्ड–4

4.1 महिलाओं की स्थिति सुधारने के पहलुओं के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.4.1 : महिलाओं की स्थिति सुधारने के पहलुओं के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	पहलु	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	शिक्षा	5	5	4	4	7	7	5	5
2	स्वरूचि व जागरूकता	3	3	3	3	3	3	2	2
3	विचार–विमर्श	4	4	3	3	3	3	3	3
4	सरकारी नौकरी	2	2	5	5	6	6	4	4
5	राजनीतिक सहभागिता	5	5	5	5	3	3	5	5
6	उपरोक्त सभी	81	81	80	80	78	78	81	81
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि गेण्डोली खुर्द में आरक्षित वर्ग में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए शिक्षा, स्वरूचि व जागरूकता, विचार– विमर्श, सरकारी नौकरी, राजनीतिक सहभागिता के साथ 81 प्रतिशत महिलाएँ उपरोक्त सभी पहलुओं से सहमत हैं। सामान्य वर्ग की 80 महिलाएँ उक्त सभी पहलुओं से सहमत हैं। इसी प्रकार फौलाई में आरक्षित वर्ग में 78 प्रतिशत महिलाएँ उक्त पहलुओं से सहमत हैं। व सामान्य वर्ग में 81 प्रतिशत महिलाएँ उक्त पहलु या कारणों को महिलाओं की स्थिति सुधारने में सहायक मानती हैं।

4.2 महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ाव –

सारणी 6.4.2 : महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ाव

क्रम	हाँ / नहीं	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	95	95	92	92	79	79	80	80
2	नहीं	5	5	8	8	21	21	20	20
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में स्वयं सहायता समूह से जुड़ाव के आधार पर गेण्डोली खुर्द में 95 प्रतिशत लोगों ने "हाँ" में उत्तर दिया है तथा 5 प्रतिशत ने "नहीं" में उत्तर दिया है। सामान्य वर्ग में 92 प्रतिशत महिलाएँ "हाँ" में उत्तर देती हैं व 8 प्रतिशत ने कोई जवाब नहीं दिया। फौलाई में 79 प्रतिशत आरक्षित वर्ग की महिलाओं ने "हाँ" में उत्तर दिया व 21 प्रतिशत ने "नहीं" में उत्तर दिया। सामान्य वर्ग में 80 प्रतिशत महिलाओं ने "हाँ" में उत्तर दिया व 20 ने "नहीं" में उत्तर दिया है।

अतः स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा प्रतिशत स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना ही बताता है। इनके माध्यम से महिलाओं को अपनी आजीविका मिल रही है। साथ ही यह महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ाने का आधार भी है।

4.3 आपके पंचायती क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.4.3 : पंचायती क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	जवाब	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	45	45	32	32	43	43	35	35
2	नहीं	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कभी–कभी	55	55	68	68	57	57	65	65
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द व फौलाई दोनों ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के प्रश्न पर 32–45 प्रतिशत महिलाओं की स्वीकृति मिली है। व 55–68 प्रतिशत महिलाएँ कभी–कभी निरीक्षण पर सहमत हुई हैं। अतः स्पष्ट है कि ग्रामीण महिलाएँ इस बात से सहमत हैं कि समय–समय पर आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण होता रहता है।

4.4 उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से बात करनी की कठिनाई के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.4.4 : उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से बात करनी की कठिनाई के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	कारण	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	कठिनाई आती है	77	77	74	74	82	82	68	68
2	कठिनाई नहीं आती	23	23	26	26	18	18	32	32
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द व फौलाई दोनों ग्राम पंचायतों में सबसे अधिक प्रतिशत उन महिलाओं का है जो यह मानती हैं कि उन्हें उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने में कठिनाई आती है तथा 18–32 प्रतिशत महिलाओं को कठिनाई नहीं आती है।

4.5 पंचायत व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाने में महिलाओं को सामान्य रूप से आने वाली कठिनाइयों के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.4.5 : पंचायत व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाने में महिलाओं को सामान्य रूप से आने वाली कठिनाइयों के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	कठिनाइयाँ	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	अशिक्षा	27	27	22	22	41	41	28	28
2	राजनीतिक गुटबंदी	45	45	21	21	23	23	35	35
3	पुरूष प्रधानता	25	25	43	43	28	28	27	27
4	अन्य	3	3	14	14	8	8	10	10
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत में सक्रिय भूमिका निभाने में जो कठिनाईयाँ आती हैं, उनमें आरक्षित वर्ग में 27 प्रतिशत ने अशिक्षा, 45 प्रतिशत ने राजनीतिक गुटबंदी, 25 प्रतिशत ने पुरूष प्रधानता, 3 प्रतिशत ने अन्य कठिनाईयाँ बताई। वहीं सामान्य वर्ग में 22 प्रतिशत ने अशिक्षा, 21 प्रतिशत ने राजनीतिक गुटबंदी, 43 प्रतिशत ने पुरूष प्रधानता व 14 प्रतिशत ने अन्य कारण बताये। इसी प्रकार फौलाई में 41 प्रतिशत ने अशिक्षा, 23 प्रतिशत ने राजनीतिक गुटबंदी व 28 प्रतिशत ने पुरूष प्रधानता व 8 ने अन्य कारण बताये। सामान्य वर्ग में 28 प्रतिशत ने अशिक्षा, 35 प्रतिशत ने राजनीतिक गुटबंदी, 27 प्रतिशत ने पुरूष प्रधानता, 10 प्रतिशत ने अन्य कारण बताये।

अतः अधिक्षा, राजनीतिक गुटबंदी व पुरूष प्रधानता तीनों ही कारणों से महिलाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने में कठिनाई आती है।

4.6 पंचायत में प्रशासनिक कार्यों को करने में महिलाओं की सक्षमता के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.4.6 : पंचायत में प्रशासनिक कार्यों को करने में महिलाओं की सक्षमता के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	कारण	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	स्वयं के आधार पर	25	25	22	22	28	28	29	29
2	पुरूष प्रतिनिधि पर	20	20	15	15	13	13	15	15
3	महिला प्रतिनिधि पर	15	15	18	18	17	17	20	20
4	परिवार के सदस्य पर	40	40	45	45	42	42	36	36
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द व फौलाई दोनों ग्राम पंचायतों में महिलाओं ने प्रशासनिक कार्यों हेतु स्वयं से लेकर, पुरूष, महिला व परिवार सभी पर अपनी निर्भरता दर्शायी है। वह इन सबके सहयोग पर निर्भर होकर अपने कार्यों को करने में सक्षम हो पाती हैं।

4.7 चुनाव में धन–बल व जातिवाद द्वारा भूमिका पर प्रभाव –

सारणी 6.4.7 : चुनाव में धन–बल व जातिवाद द्वारा भूमिका पर प्रभाव

क्रम	प्रभाव	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	प्रभावित हुई	37	37	45	45	42	42	33	33
2	प्रभावित नहीं हुई	25	25	26	26	23	23	42	42
3	आंशिक प्रभावित हुई	38	38	29	29	35	35	25	25
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द आरक्षित वर्ग में धनबल व जातिवाद से 37 प्रतिशत प्रभावित हुई व 25 प्रतिशत ने कहा प्रभावित नहीं हुई है। 38 प्रतिशत आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं। सामान्य वर्ग में 45 प्रतिशत प्रभावित हुई हैं। 26 प्रतिशत प्रभावित नहीं हुई। 29 प्रतिशत आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं। इसी प्रकार फौलाई में आरक्षित वर्ग में 42 प्रतिशत प्रभावित हुई हैं। 23 प्रतिशत नहीं हुई तथा 35 प्रतिशत आंशिक प्रभावित हुई हैं। सामान्य वर्ग में 33 प्रतिशत प्रभावित हुई हैं। 42 प्रतिशत प्रभावित नहीं हुई 25 प्रतिशत आंशिक प्रभावित हुई हैं। अतः स्पष्ट है चुनावों में धनबल व जातिवाद के माध्यम से चुनाव ही प्रभावित नहीं होते बल्कि चुनाव परिणाम ही बदल जाते हैं।

4.8 2005–2015 में ग्राम पंचायत गेण्डोली खुर्द व फौलाई में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता घटने–बढ़ने के आधार पर वर्गीकरण –

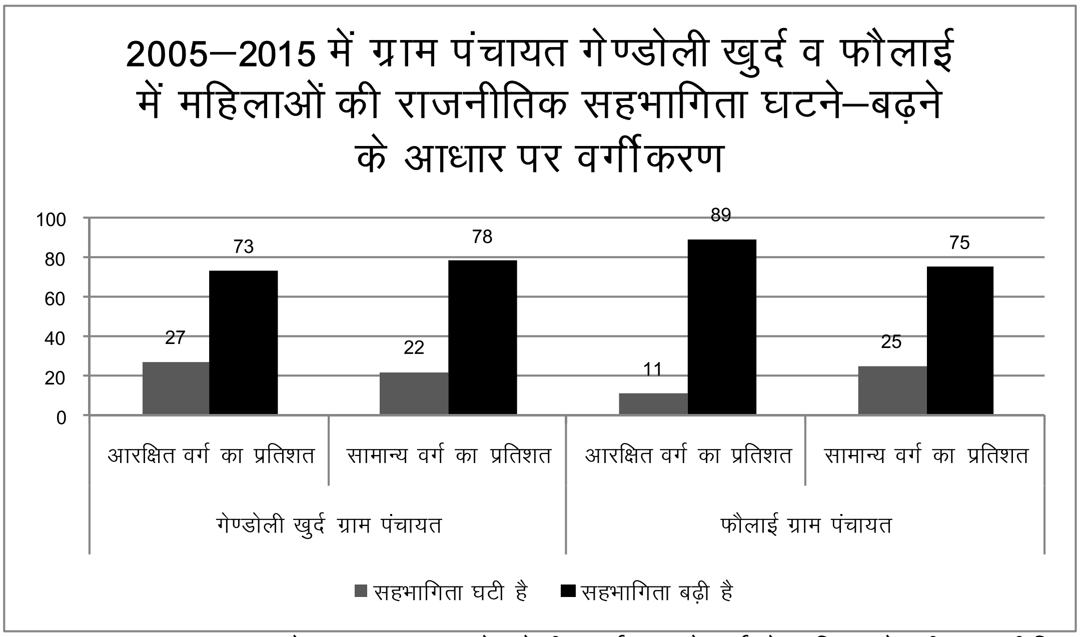

चित्र 6.4.1 : 2005–2015 में ग्राम पंचायत गेण्डोली खुर्द व फौलाई में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता घटने–बढ़ने के आधार पर वर्गीकरण

उपरोक्त सारणी में 2005–2015 के बीच ग्राम पंचायत गेण्डोली खुर्द व फौलाई में राजनीति में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है, क्योंकि सबसे अधिक प्रतिशत आरक्षित व सामान्य वर्ग में महिलाओं की सहभागिता के बढ़ने का ही आया है।

4.9 ऐतिहासिक स्थलों व राजनैतिक प्रशासनिक कार्यालयों के निर्माण, रख–रखाव पंचायत के द्वारा होते हैं या नहीं, इस आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.4.8 : ऐतिहासिक स्थलों व राजनैतिक प्रशासनिक कार्यालयों के निर्माण, रख–रखाव पंचायत के द्वारा होते हैं या नहीं, इस आधार पर वर्गीकरण

क्रम	कारण	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	68	68	62	62	82	82	71	71
2	नहीं	17	17	13	13	7	7	5	5
3	पता नहीं	15	15	25	25	11	11	24	24
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द व फौलाई में ऐतिहासिक स्थलों के रखरखाव व प्रशासनिक कार्यालयों के निर्माण व रख–रखाव का कार्य पंचायत द्वारा ही होते हैं, इस पर सर्वाधिक 62–82 प्रतिशत उत्तर "हाँ" में आया है। 11–25 प्रतिशत को पता नहीं है। अतः स्पष्ट है पंचायत के द्वारा रखरखाव पर ही सर्वाधिक महिलाएँ सहमत हैं।

4.10 ग्राम पंचायत की समस्या के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.4.9 : ग्राम पंचायत की समस्या के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	समस्या	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	पेयजल की समस्या	25	25	21	21	24	24	26	26
2	सिंचाई के साधनों का अभाव	20	20	23	23	29	29	21	21
3	जंगली जानवरों का आतंक	26	26	19	19	23	23	15	15
4	रोजगार के साधनों का अभाव	24	24	30	30	16	16	28	28
5	अन्य	5	5	7	7	8	8	10	10
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में ग्राम पंचायत गेण्डोली खुर्द व फौलाई में पेयजल की समस्या, सिंचाई के साधनों का अभाव, जंगली जानवरों का आतंक व रोजगार के साधनों का अभाव है। इन समस्याओं से महिलाएँ बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। उनका अधिकांश समय पानी की व्यवस्था व रोजगार की चिन्ता में ही चला जाता है। सिंचाई के साधन न होने से खेती भी नहीं होती है व पहाड़ी क्षेत्र होने से जंगली जानवरों से जान–माल का नुकसान होता है।

4.11 ग्राम पंचायत की ऐतिहासिक समृद्धि के कारणों के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.4.10 : ग्राम पंचायत की ऐतिहासिक समृद्धि के कारणों के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	कारण	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	ऐतिहासिक स्थलों से समृद्ध	35	35	41	41	38	38	40	40
2	मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध	15	15	18	18	12	12	10	10
3	समृद्ध इतिहास	10	10	12	12	17	17	12	12
4	वर्तमान में अवशेष की उपस्थिति	20	20	15	15	16	16	8	8
5	जानकारी नहीं	20	20	14	14	17	17	30	30
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपर्युक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायत की ऐतिहासिक समृद्धि के बारे में वहाँ की ऐतिहासिक स्थलों से समृद्ध मूर्तिकला व समृद्ध इतिहास व वर्तमान अवशेष के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है। सारणी से यह पता चलता है कि दोनों ग्राम पंचायतें ऐतिहासिक रूप से प्राचीनकाल से समृद्ध रही हैं। जिसके अवशेष आज भी विद्यमान हैं।

खण्ड–5

5.1 पंचायत क्षेत्र में शीर्ष महिला नेतृत्व से कार्यों के आधार पर वर्गीकरण से संतुष्टि –

सारणी 6.5.1 : पंचायत क्षेत्र में शीर्ष महिला नेतृत्व से कार्यों के आधार पर वर्गीकरण से संतुष्टि

क्रम	कार्य	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	55	55	65	65	72	72	63	63
2	कुछ सीमा तक	25	25	15	15	15	15	12	12
3	नहीं	20	20	20	20	13	13	25	25
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द व फौलाई में शीर्ष महिला नेतृत्व के कार्यों से संतुष्टि के आधार पर 55 से 72 प्रतिशत महिलाएँ उनके कार्यों से संतुष्ट हैं। 12 से 25 प्रतिशत महिलाएँ कुछ सीमा तक संतुष्ट हैं। 13 से 25 प्रतिशत महिलाएँ संतुष्ट नहीं हैं।

अतः शीर्ष महिला नेतृत्व की कार्यप्रणाली से 55 से 72 प्रतिशत महिलाएँ संतुष्ट तो हैं, परन्तु आज भी कुछ कमियाँ हैं, जैसे तकनीकी प्रशिक्षण की कमी, जागरूकता, शिक्षा का अभाव हैं, इनको दूर करने की आवश्यकता है।

5.2 आपकी ग्राम पंचायत कौनसे जिले के अन्तर्गत आती है? –

सारणी 6.5.2 : आपकी ग्राम पंचायत कौनसे जिले के अन्तर्गत आती है?

क्रम	जिले	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	बूंदी	94	94	97	97	95	95	96	96
2	कोटा	3	3	1	1	2	2	1	1
3	बाराँ	1	1	1	1	1	1	2	2
4	झालावाड़	2	2	1	1	2	2	1	1
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द व फौलाई दोनों ग्राम पंचायतें बूंदी जिले के अन्तर्गत आती हैं। 94–97 प्रतिशत महिलाओं को इसकी पूर्ण जानकारी है।

5.3 ग्राम पंचायत गेण्डोली खुर्द व फौलाई के क्रियान्वयन के वैधानिक स्रोत के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.5.3 : ग्राम पंचायत गेण्डोली खुर्द व फौलाई के क्रियान्वयन के वैधानिक स्रोत के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	वैधानिक स्रोत	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	पंचायत राज अधिनियम	5	5	2	2	5	5	2	2
2	राजस्थान सरकार के अध्यादेश	2	2	3	3	3	3	7	7
3	विभिन्न समितियों के सुझाव	7	7	5	5	8	8	8	8
4	73वाँ संविधान संशोधन	15	15	3	3	13	13	9	9
5	उपरोक्त सभी	71	71	87	87	71	71	74	74
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द व फौलाई दोनों की निर्माण व संचालन राजनीतिक प्रणाली के जो स्रोत हैं, उनके बारे में दोनों ग्राम पंचायतों में आरक्षित व सामान्य वर्ग की 71–87 प्रतिशत महिलाओं को जानकारी है।

5.4 आरक्षित वर्ग व सामान्य वर्ग की कार्यप्रणाली में अन्तर के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.5.4 : आरक्षित वर्ग व सामान्य वर्ग की कार्यप्रणाली में अन्तर के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	कारण	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	सामाजिक	45	45	38	38	42	42	32	32
2	शैक्षिक	10	10	35	35	9	9	30	30
3	आर्थिक	5	5	7	7	4	4	5	5
4	राजनैतिक	25	25	5	5	23	23	20	20
5	प्रशासनिक	2	2	10	10	3	3	4	4
6	अन्य	13	13	5	5	19	19	9	9
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द में व फौलाई में आरक्षित व सामान्य वर्ग की महिलाओं की कार्यप्रणाली में सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक व प्रशासनिक व अन्य कारणों से अन्तर बताया गया है। सबसे अधिक अन्तर सामाजिक व राजनैतिक रूप से देखने को मिला। आरक्षित वर्ग की महिलाएँ जहाँ सामाजिक व राजनीतिक रूप से सशक्त हैं, वहीं सामान्य वर्ग की महिलाएँ शैक्षिक, आर्थिक व प्रशासनिक रूप से मजबूत हैं।

5.5 ग्राम पंचायत में महिला सशक्तिकरण के मूल्यांकन के आधारभूत कारण के आधार पर वर्गीकरण –

सारणी 6.5.5 : ग्राम पंचायत में महिला सशक्तिकरण के मूल्यांकन के आधारभूत कारण के आधार पर वर्गीकरण

क्रम	कारण	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	अधिकारों के प्रति जागरूक	3	3	15	15	5	5	7	7
2	शिक्षा का स्तर बढ़ा है	2	2	13	13	3	3	3	3
3	नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी	5	5	7	7	4	4	2	2
4	सक्रियता	7	7	8	8	5	5	1	1
5	क्षेत्र समस्याओं के प्रति जागरूक	8	8	5	5	7	7	4	4
6	उपरोक्त सभी	75	75	52	52	76	76	83	83
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द व फौलाई में लगभग सभी कारण जैसे अधिकारों के प्रति जागरूकता, शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी, सक्रियता, क्षेत्र की समस्याओं के प्रति जागरूक, उपरोक्त सभी कारण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उत्तरदायी हैं। यहाँ उपरोक्त सभी में ही दोनों वर्ग की महिलाओं की सहमति दर्शायी गई है। अतः वे इन सभी कारणों को महिला सशक्तिकरण हेतु आवश्यक मानती हैं।

5.6 पंचायतीराज में महिलाओं की सहभागिता से महिला शोषण कम होने के आधार पर वर्गीकरण –

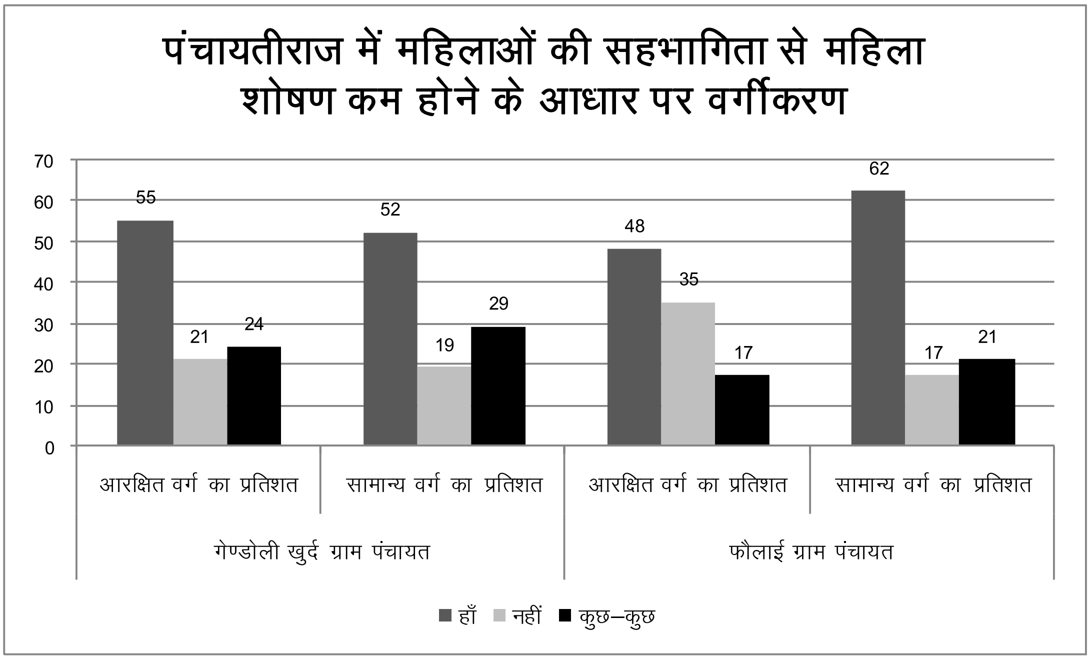

चित्र 6.5.1 : पंचायतीराज में महिलाओं की सहभागिता से महिला शोषण कम होने के आधार पर वर्गीकरण

उपरोक्त सारणी में गेण्डोली खुर्द में आरक्षित वर्ग की 55 प्रतिशत महिलाओं ने पंचायतीराज में महिलाओं की सहभागिता पर “हाँ” में उत्तर दिया है व 21 ने “नहीं” में व 24 प्रतिशत कुछ सीमा तक सहमत हैं। सामान्य वर्ग में 52 प्रतिशत “हाँ” व 19 प्रतिशत “नहीं” व 29 प्रतिशत कुछ सीमा तक सहमत हैं। फौलाई में आरक्षित वर्ग में 48 प्रतिशत “हाँ” व 35 प्रतिशत “नहीं” व 17 प्रतिशत कुछ सीमा तक सहमत हैं। सामान्य वर्ग में 62 प्रतिशत “हाँ” व 17 प्रतिशत “नहीं” व 21 प्रतिशत कुछ सीमा तक सहमत हैं।

अतः स्पष्ट है, सर्वाधिक प्रतिशत महिलाओं का यह मानना है कि पंचायतीराज में महिलाओं के सहभागी बनने से जागरूकता आई है और महिला शोषण कम हुआ है।

5.7 महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सुझावों का वर्गीकरण –

सारणी 6.5.6 : महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सुझावों का वर्गीकरण

क्रम	सुझाव	गेण्डोली खुर्द ग्राम पंचायत				फौलाई ग्राम पंचायत			
		आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	आरक्षित वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत	सामान्य वर्ग की आवृत्ति	प्रतिशत
1	शिक्षा का विस्तार	5	5	6	6	3	3	9	9
2	प्रशिक्षण शिविर लगाना	3	3	3	3	2	2	5	5
3	परिवार का सकारात्मक प्रोत्साहन	7	7	4	4	7	7	5	5
4	सामाजिक व्यवहार में बदलाव	5	5	2	2	8	8	6	6
5	स्वप्रेरणा व रूचि	3	3	7	7	3	3	8	8
6	वित्तीय संसाधनों का निर्माण	8	8	3	3	5	5	3	3
7	सरकारों के नियंत्रण से मुक्ति	5	5	1	1	7	7	2	2
8	उपरोक्त सभी	64	64	74	74	65	65	62	62
	कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

उपरोक्त सारणी में महिलाओं के सशक्तिकरण के सुझावों के अन्तर्गत जितने भी सुझाव हैं, उनमें से सभी सुझावों के प्रति आरक्षित व सामान्य वर्ग की महिलाएँ सहमत हैं।

निष्कर्ष –

महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक स्थिति के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आयु, शैक्षणिक वैवाहिक स्थिति, वर्ग–विभाजन, व्यवसाय, परिवार की स्थिति, वार्षिक आय, व्यक्तिगत, आर्थिक कार्यों हेतु प्रोत्साहन, आवास, जमीन की स्थिति तथा अन्य आयामों की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान के बूंदी जिले की गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों में आरक्षित व सामान्य वर्ग की महिलाओं की स्थिति बहुत अधिक भिन्न नहीं है। क्योंकि सरकारी प्रोत्साहन व योजनाओं से उनके जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। महिलाओं को और अधिक सहयोग प्रदान कर उनके मानसिकता में बदलाव लाना होगा ताकि वे अधिक प्रभावशाली होकर अपनी नेतृत्व क्षमता को बढ़ा सकें। क्योंकि उनकी सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक स्थिति ही पंचायतीराज संस्थाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी व भूमिका तय करती है।

सप्तम् अध्याय

पंचायतराज संस्थाओं में दोनों ग्राम पंचायतों में महिला सशक्तिकरण का विश्लेषण किया गया है व सशक्तिकरण के सम्मुख आने वाली समस्याओं के बारे में बताते हुए उनके निराकरण के सुझाव दिये गये हैं।

सप्तम अध्याय (उपसंहार)

स्वामी विवेकानन्द ने कहा था,"समाज रूपी गरूड़ के स्त्री और पुरूष दो पंख होते है। यदि एक पंख सबल तथा दूसरा पंख दुर्बल हो तो उसमें गगन को छूने की शक्ति कैसे निर्मित होगी" इसमें कोई संदेह नहीं कि स्त्री–पुरूष एक ही गाड़ी के दो पहिये हैं। यदि एक भी पहिया कमजोर होगा तो गाडी आगे बढ़ेगी कैसे?

अतः महिला नेतृत्व को प्रभावशाली व योग्य बनाने के लिए उन्हें जागरूक करना, शिक्षित बनाना, निर्णय–प्रक्रिया में सहभागिता देना, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, राजनीतिक संस्थाओं में हिस्सेदारी देना, राज्य के कामकाज एवं सरकारी मशीनरी पर नियंत्रण का अवसर प्रदान करना तथा सांस्कृतिक, सामाजिक ,राजनीतिक व आर्थिक समानता का अधिकार देना अत्यंत आवश्यक हैं। यह कार्य शासन में महिला नेतृत्व की सक्रिय सहभागिता द्वारा ही सही ढ़ंग से सम्पन्न किया जा सकता हैं।

महिला सशक्तिकरण के विषय पर जब भी हम विचाार करते हैं तो एक बात स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं कि भारतीय समाज में सदैव ऐसी ताकतें सक्रिय और सशक्त रही हैं। जो महिला सशक्तिकरण का पुरजोर विरोध करती ही है। ये एक तथ्यात्मक सत्य हैं और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। हजारों वर्षो से चली आ रही इस लिंगानुभेद आधारित विविधता को रातोंरात ठीक तो नही किया जा सकता हैं परन्तु उस पर विचार तो करना होगा? आज की महिला योग्यता के मापदण्ड पर तो विकास कर रही हैं परन्तु पुरूष प्रधान समाज में अभी भी सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव पर जोर देना होगा। महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रहीं हमारा समाज महिला को कब तक भावात्मक अत्याचार के पाश में बांध कर उसकी आंतरिक स्वतः जन्य योग्यताओं और सशक्त प्रतिनिधित्व की उसकी क्षमता को दबाता रहेगा।[128]

वैसे भी प्रजातांत्रिक राजनीति के ढाँचे के अन्दर हमारे कानूनों, विकास नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का विकास करना हैं। भारत सरकार की पाँचवी योजना (1974–1978) से लेकर आगे तक महिलाओं के मुद्दो के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से विकास की ओर परिवर्तन हो रहा हैं। महिलाओं के अधिकारों व कानूनी हकों की सुरक्षा हेतु वर्ष 1990 में संसद में एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। स्थानीय स्तर पर निर्णय में महिलाओं की भागीदारी के लिए मजबूत नींव डालते हुए महिलाओं हेतु पंचायतीराज तथा नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में भारत के संविधान में 73वें ,74वें संशोधन (1993) द्वारा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण

---

128 तिवारी, कणिका, "महिला सशक्तिकरण का आत्मावलोकन", कुरूक्षेत्र, अगस्त 2013, पृ. सं. 2

प्रदान किया गया हैं, जिसके तहत कुछ राज्यों में पंचायती चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटों को आरक्षित कर दिया गया हैं। जो कि कालांतर में महिलाओं के सम्पूर्ण सशक्तिकरण हेतु मील का पत्थर साबित हुआ हैं।[129]

प्रस्तुत शोध में बूंदी जिले के गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायत अध्ययन का केन्द्र–बिन्दु रहें। इस अध्याय को सात भागों में विभक्त किया गया हैं। जिससे शोध के सवरूप महत्व, उद्देश्य से लेकर बूंदी जिले व दोनो ग्राम–पंचायतों का ऐतासाहिक, राजनैतिक व प्रशासनिक परिचय दिया है। पंचायतो में महिला–सशक्तिकरण के केन्द्रीय संवैधानिक प्रावधानों के साथ आरक्षित व अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिलाओं की नेतृत्व, योग्यता, उपस्थिति का तुलनात्मक अध्ययन व सर्वेक्षण किया है और प्रस्तुत किया हैं।

कोई भी शोध कार्य तब ही पूर्व माना जाता हैं तब उसके द्वारा किन्हीं निष्कर्षो पर पहुँचा जाए। एक श्रेष्ठ शोध कार्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह होती है कि उसके निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक विधियों द्वारा संग्रहित प्रदत्तों पर धारणाओं एवं अनुमानों का किंचित मात्र प्रभाव भी नहीं रहें।

प्रस्तुत अध्याय में निर्धारित आंकड़ो से प्राप्त निष्कर्षो का विवरण क्रमशः उल्लेखित किया गया हैं। संकलित किये गये प्रदत्तों का सावधानीपूर्वक सम्पादन विचारमय वर्गीकरण एवं सारणी द्वारा व्यवस्थित करने एवं उचित सांख्यिकीय विश्लेषण के बाद यह अतिआवश्यक हैं कि जो भी परिणाम प्राप्त हुये हैं उन्हें उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिससे कि शोध–कार्य पूर्ण होने की ओर अग्रसर हो। साथ ही शोध–कार्य के संदर्भ में उन सीमाओं का भी उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता हैं जिसके माध्यम से शोध के उद्देश्यों की उपलब्धि उच्च–स्तरीय रूप से संभव नहीं हो सकी हैं।

संकलित किये गये प्रदत्तों का पूर्ण सावधानी पूर्वक सम्पादन, वर्गीकरण व निर्वचन के पश्चात् शोधार्थी को जो विभिन्न उपलब्धियाँ प्राप्त हुई है उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किये गए हैं। प्रस्तुत अध्याय में इन्ही उपलब्धियों एवं निष्कर्षो का विवरण प्रस्तुत किया गया हैं। साथ ही अधिक प्रभावी शोध–कार्य सम्पन्न करने हेतु सुझाव भी प्रस्तुत किये गये हैं।

वर्तमान में देखा जाए तो गाँव के विकास के बिना देश के विकास की कल्पना अधूरी है। हमारे देश के गाँवों के सर्वांगीण विकास में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज

---

129 चौधरी, कृष्णचन्द्र,"ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण" कुरूक्षेत्र, अगस्त 2013, पृ.सं. 11

कह प्रतिध्वनि बनना हैं तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले, जनता के लिए उतना ही लाभदायक हैं।

अतः पंचायतीराज संस्थाएं ग्रामीण विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन के रूप में मानी जाती हैं। इनकी पूर्ण कुशलता नेतृत्व की प्रकृति पर निर्भर करती हैं विभिन्न विकास परियोजनाओं में जन–सहभागिता को समाहित करने के लिए इन संस्थाओं की प्राचीन काल से अलग–अलग रूपों में स्थापना की। पंचायतें भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था का प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं।

प्राचीन समय में पंचायतों को स्वायत–स्वशासन की इकाइयाँ माना जाता है। इनका निर्माण समाज में उच्च प्रतिष्ठित वृद्ध सदस्यों द्वारा किया जाता था। हालांकि महिलाओं के इनके सदस्य होने के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। इन पंचायती संस्थाओं में पुरूषों को सदस्यता, मनोनयन परम्पराओं द्वारा स्वतः ही प्राप्त होता था। इन संस्थाओं को न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकार भी मिले हुये थे लेकिन पंचायतों के इस स्वरूप में निरन्तर परिवर्तन आता रहा हैं।

मुगलकाल ब्रिटिश काल में इनकी भूमिका न्यायिक न रह कर प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली हो गयी। प्रबन्धात्मक पक्ष का विशेष महत्व नहीं रहा। मुगल बादशाहों द्वारा इसे भू–प्रबंध की संख्या के रूप में देखा और अंग्रेजों के द्वारा प्रशसन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे पुनर्जिवित करने का प्रयास किया परन्तु दोनों ही कालों में इसका स्वरूप प्रजातांत्रिक नहीं रहा।

स्वतंत्र भारत में बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण हेतु त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था की निम्नलिखित प्रमुख अनुशंसा थी कि पंचायतों का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हो तथा इससे अनुसूचित जातियों व महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा ने सितम्बर 1959 में पंचायतीराज अधिनियम पारित कर लिया। इस अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलें में दीप प्रज्ज्वलित कर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्‌घाटन किया।

इससे आधुनिक पांयतीराज व्यवस्था का शुभारम्भ किया गया। अब पंचायतों का स्वरूप पूर्णतः प्रजातंत्रिक हो गया, परन्तु अब भी उच्च वर्ग के पुरूषों का प्रभुत्व था। इनका मुख्य ध्येय पंचायतों के द्वारा प्रजातंत्र में विकेन्द्रीकरण का राजनीतिक करना अर्थात् ग्रामीण जनों में राजनीतिक जाग्रति लाना तथा द्वितीय आर्थिक विकास में जनता की सहभागिता को प्राप्त करना

था। इसके अलावा प्रजातंत्र में आम–आदमी की भूमिका व पूर्ण सहभागिता के लिए संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन लाया गया।

अब ये एक संविधानिक दर्जा प्राप्त राजनीतिक संस्थाएं बन गयी। 73वाँ संशोधन विधेयक दिसम्बर 1992 को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामेश्वर ठाकुर द्वारा संसद में पेश किया गया, जिसे संसद के दोनों सदनो ने पारित कर दिया। इस पारित विधेयक को 20 अप्रेल 1998 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान कर दी और 24 अप्रेल 1993 से यह विधेयक लागू हो गया इसे 73वाँ संशोधन विधेयक 1992 के नाम से जाना जाता हैं। इस अधिनियम ने पंचायती राज व्यवस्था के नेतृत्व को आमूल–चूल रूप से बदल दिया हैं।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि पंचायतीराज संस्थाओं के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थानों का आरक्षण किया गया हैं। अधिनियम में प्रावधान किया गया हैं कि प्रत्येक पंचायतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ऐसे स्थानों का आवंटन पंचायतों में चक्रानुक्रम से होगा।

प्राचीन पंचायती व्यवस्था का समकालीन पंचायती राज व्यवस्था से कोई मेल नहीं हैं वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था प्रकृति, संगठन, नेतृत्व एवं उद्देश्य के आधार पर पंचायतों से अलग हैं।

जहाँ प्राचीन ऐतिहासिक पंचायतों की प्रकृति सामाजिक थी। तत्कालीन समाजों द्वारा निर्धारित थी। इनका कार्यक्षेत्र भी बहुत सीमित होता था और नेतृत्व शक्ति भी उच्च वर्ग के कुछ गिने–चुने व्यक्तियों के हाथों में थी। जिनका प्राथमिक मुख्य–उद्देश्य पंच–परमेश्वर के सिद्धान्त पर आधारित न्याय प्रदान करना था। समकालीन पंचायत राज व्यवस्था एक संविधानिक राजनीतिक संस्था हैं। जिसे त्रि–स्तरीय व्यवस्था के रूप में लागू किया गया हैं। वर्तमान में नेतृत्व शक्ति प्रजातांत्रिक रूप से चुने गये नेतृत्व के हाथों में हैं। अभी नवीन पंचायतीराज व्यवस्था के आरक्षण की वजह से महिलाओं को व्यापक प्रतिनिधित्व हैं। जिससे उनके नेतृत्व शक्ति व कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो गयी हैं। जिसके कारण वे भी पंचायतों के संचालन, योजना निर्माण व व्यवस्थामूलक कार्य भी देखती हैं।

पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता का आरम्भ पंचायती रा संस्थाओं में इनकी राजनीतिक भागीदारी किये जाने से हुआ। जो प्रभावी भूमिका नहीं निभा सकी। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिनिधित्व पूर्ण सफल नहीं रहा अपने वांछित उद्देश्य से बहुत दूर हैं।

शोध के दौरान यह पाया गया कि दोनों ग्राम–पंचायतों गेण्डोली खुर्द व फौलाई में महिला जनप्रतिनिधियों के कार्यक्षेत्र में पुरूष हस्तक्षेप करते हैं। ये पुरूष महिलाओं के पति, पुत्र या अन्य रिश्तेदार होते हैं तथा उनके दायित्व को संभालते हैं। और इस प्रक्रिया के द्वारा ही आजकल नये संशोधनों जैसे पी.पी. (पंच पति), एस.पी. (सरपंच पति) के रूप में निकलता हैं। पुरूष सतात्मक समाज में महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर तक सीमित माना जाता रहा हैं। इस दृष्टि से महिलाओं के राजनीति में प्रवेश को समाज उचित नहीं मानता रहा हैं। अतः महिलाएँ राजनीति में खुलकर सहभागी नहीं बन पाती हैं।

शोध के दौरान दूसरा निष्कर्ष यह निकला की दोनों ग्राम पंचायतों गेण्डोली खुर्द व फौलाई में महिला–जनप्रतिनिधियों व आम–महिलाओं में शिक्षा का स्तर पूर्ण उन्नत नही हुआ हैं 2005–2015 की अवधि में सभी महिलाएँ साक्षर तो हैं परन्तु उच्च शिक्षित नहीं हैं। अतः सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं ले पाती हैं या फिर सरकारी अधिकारियों पर निर्भर रहती हैं, जिसका फायदा वे खुद उठा लेते हैं।

आधुनिक राज्य लोक कल्याणकारी राज्य हैं। प्रशासन का समस्त कार्य केन्द्र एवं राज्य सरकारों से संभव नहीं होने के कारण स्थानीय संस्थाओं को व्यापक जिम्मेदारी सौंप दी जाती हैं। राजस्थान में भी 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जयंती के अवसर पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंड़ित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पंचायतीराज की नींव रखी। देश में पंचायतीराज शुभारम्भ करते हुए नेहरू ने कहा था कि “गाँवों का रक्त शहरो के ढ़ाँचे को मजबूत करने वाला सीमेंट बनाता हैं। मैं चाहता हूँ कि यह रक्त जो शहरों की धमनियों का फुला रहा हैं। पुनः गाँवों की धमनियों में बहने लगे।”

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का मूल उद्देश्य स्थानीय स्वशासन की ईकाई के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाना हैं। इसके लिये नियम–अधिनियम का निर्माण किया गया। परन्तु व्यवहारिक तौर पर पंचायती राज संस्थाओं की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अधिकारों के संदर्भ में समस्त शक्तियां पूर्णतः पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित होनी चाहिए। शक्ति का केन्द्र समाज के प्रभूत्व सम्पन्न लोगों की अपेक्षा आम–जनता में केन्द्रित होना चाहिए। सरकारी अनुदानों की राहत पर चलने वाली पंचायतों से न तो लोक शक्ति निकल सकती हैं और न लोक अभिक्रम।

पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देने के पीछे यह धारणा थी कि महिलायें पंचायतों के माध्यम से जनसंख्या स्थिरीकरण, लैंगिक असंतुलन सुधारने तथा महिलाओं के हितों को प्रोत्साहित करने में वे सबसे प्रभावशाली होगी। आर्थिक विकास की अनेकानेक–योजनाओं और कार्यक्रमों से वह अन्य महिलाओं में नेतृत्व क्षमता उत्पन्न कर सकती हैं। आरक्षण के

माध्यम से महिलाएँ विकास कार्यक्रम की मुख्य धारा में सम्मिलित होगी तथा निर्णय प्रक्रिया में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकेगी। महिलाओं को महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत देखने से पुरूषों के महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में अन्तर आयेगा। इसके अलावा जब महिलाएँ स्त्रियोचित्त गुणों के साथ राजनीति में प्रवेश करेंगी तो समाज में तेजी से बढ़ रहे अपराध, समाज की जड़ता, धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़ियों भ्रष्टाचार, कुशासन व असफलता को रोकने के लिए अहम् भूमिका निभा सकेंगी। साथ ही महिला आरक्षण द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक संस्थाओं तथा शासन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता हैं। सत्ता में महिला भागीदारी से महिलाओं से जुड़ी संवेदनशील समस्याओं का निराकरण करने में नई पहल प्रारम्भ हुई हैं। पंचायतो में महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण विकास जैसे चिन्तन का विकास हुआ और एक नई चेतना का सूत्रपात हुआ।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और प्रशंसनीय कदम 8 मार्च 2008 को महिला दिवस के अवसर पर तत्कालीन राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा की थी परन्तु मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं, फिर भी महिला उत्थान की दिशा में सकारात्मक कदम है।

साथ ही महिलाओं की भूमिका को ओर मजबूत करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया था हालांकि इस नीति को डेढ़ दशक बीत चुका हैं। इस नीति का लक्ष्य था कि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हो और उनके लिए सामाजिक–आर्थिक वातावरण तैयार हो ताकि वे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें, संसाधनों पर उनका नियंत्रण हो तथा लैंगिक समानता तथा न्याय के सिद्धान्तों को स्थापित किया जा सकें। इस नीति में ऐसे समाज की अभिकल्पना की गई थी जहाँ महिलाएँ अपनी क्षमता का भरपूर इस्तेमाल कर सकें और जीवन के हर पक्ष में बराबरी कर सकें। इस नीति का लक्ष्य था कि महिलाओं के लिए एक ऐसा सकारात्मक सामजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक माहौल तैयार हो जिससे महिलाएँ अपने मूल अधिकारों को प्राप्त सकें। 2001 की पिछली नीति के बाद अब तक चीजों में बहुत बदलाव आ गया हैं, विशेषकर महिलाओं की अपने प्रति जागरूकता और जीवन से उनकी आकांक्षाएँ उसमें शामिल हो गई हैं। इसे ध्यान में रखकर राष्ट्रीय महिला नीति 2016 को मसौदा तैयार किया हैं।

जिसका लक्ष्य महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हो और उनके लिए सामाजिक–आर्थिक वातावरण तैयार हो, जिसमें वे अपने मूल अधिकारों को प्राप्त कर सकें।

1. खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सहित स्वास्थ्य – इसके तहत महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर फोकस किया गया है और परिवार नियोजन योजनाओं के दायरे में पुरूषों को भी

रखा गया हैं। इसके तहत किशोरावस्था के दौरान पोषण–स्वच्छता, स्वास्थय बीमा योजना, इत्यादि शामिल हैं।

2. शिक्षा – इसके अन्तर्गत किशोरावस्था वाली लड़कियों को प्राथमिक–पूर्व शिक्षा पर ध्यान दिया गया हैं।

3. आर्थिक उपाय – इसके तहत महिलाओं के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए व्यवस्था की जाएगी।

4. शासन एवं निर्णय करने में महिलाओं के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए व्यवस्था की जाएगी।

5. महिलाओं के खिलाफ हिंसा – इसके तहत नियमों और कानूनों के जरिए महिलाओं के खिलाफ हर प्रकार की हिंसा रोकना, बाल लिंग अनुपात सुधारना तथा मानव तस्करी को रोकना इत्यादि शामिल हैं।

6. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन – इसके तहत ग्रामीण घरों में महिलाओं के लिए पर्यावरण अनुकूल, नवीकरणीय, गैर पारम्परिक ऊर्जा, हरित ऊर्जा संसाधनों को प्रोत्साहन देना शामिल हैं। इस नीति के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस बनाना, संविधान के प्रावधानों के तहत व्यक्तिगत और पारम्परिक नियमों की समीक्षा भी करने का प्रावधान हैं।

वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में रखने की भी समीक्षा की जा रही हैं ताकि महिलाओं के मानवाधिकारों की सुरक्षा हो सके। इसके साथ ही इस नीति के तहत महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की उद्यमशीलता के संवर्धन के लिए ईको–प्रणाली बनाना।

इस नीति के तहत कार्यस्थलों को महिलाओं के अनुकूल बनाने, कार्य अवधि को लचीला बनाने, मातृत्व अवकाश बढ़ाने, कार्यस्थलों में बच्चों के लिए क्रेच का प्रावधान करने के जरिए महिलाओं को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

अतः उक्त नीति महिला–सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम हैं। अतः स्पष्ट हैं कि सशक्तिकरण को नैतिकता के पैमाने के साथ महिलाओं की शारीरिक क्षमता, बौद्धिक विकास और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाना भी आवश्यक हैं। सशक्तिकरण को किसी व्यक्ति विशेष की दृष्टि से नहीं अपितु उसकी विभिन्न भूमिकाओं के रूप में देखने की आवश्यकता हैं चाहे व समाज का कोई सा हिस्सा हो।

और पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से एक और तथ्य सामने आया कि यदि इस प्रयास को आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के साथ जोड़ दिया जाये तो और आधिक रचनात्मक परिणााम सामने आते हैं। राजनीतिक सशक्तिकरण के माध्यम में कई महिलाएँ राजनीतिक शक्ति की प्रथम बार उपयोगकर्ता बनी हैं। जिनकी सामाजिक स्थितियाँ, शैक्षिक स्तर और आर्थिक पिछड़ापन किसी भी तरह उनके पक्ष में नही है किन्तु राजनैतिक साझेदारी ने उनकी स्थितियों को मजबूत किया हैं।

प्रस्तुत शोध में महिला सशक्तिकरण के सैद्धान्तिक पक्ष के अध्ययन के साथ उसके व्यवहारिक पक्ष का आंकलन करने के लिए महिलाओं और पुरूषों के साक्षात्कार के माध्यम से विभिन्न दृष्टिकोणों तथा मान्यताओं का भी गहन अवलोकन किया गया हैं। शोध में बूँदी जिले की गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतो की प्रतिनिधि की कार्यशैली में क्या परिवर्तन आया हैं निश्चित रूप से अब उनकी सहभागिता निरन्तर बढ़ रही हैं। सोशल मीड़िया के द्वारा भी महिलाओं में पहले की अपेक्षा अधिक जागरूकता आई हैं। प्रत्येक कार्य की सूचना उनको तुरन्त व सही समय पर मिल जाने से प्रत्येक कार्य शीघ्र सम्पन्न होने लगा हैं।

वर्तमान में ग्रामीण गरीब महिलाओं को सशक्त सबल एवं विकास की मुख्यधारा में समाहित करने हेतु सरकार ने स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम का सूत्रपात किया। स्वंयसहायता समूह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा हैं। इस कार्यक्रम की वजह से महिलाओं की स्थिति व दशा में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोण से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। "स्वंयसहायता समूह" के जरिए लघु वित्त प्राप्त करके महिलाएँ गरीबी, बेरोजगारी व निरक्षरता के चक्रव्यूह से निकलकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं।[130]

अतः महिलाओं के राजनीतिक सहभागिता का मुख्य श्रेय 73वें संविधान संशोधन को जाता है जिसमें महिलाएँ अपने क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को जानने लगी और उनके निराकरण के लिए पर्यत्नशील हैं। प्रस्तुत शोध में महिलाओं से साक्षात्कार के दौरान जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर उन्होंने बड़े ही सहज भाव से दिए। उनका यह कहना था कि वे शुरूआत में चुनाव में खड़े होने चुनाव लड़ने व वोट मांगने से लेकर राजनीतिक कार्यो में कम ही हिस्सा लेती थी और घरवालों के कहने पर चुनाव लड़ती थी। परन्तु अब समय के साथ बहुत बदलाव आया हैं।

---

[130] मोदी, के.एम., ग्रामीण महिलाओं के विकास में स्वंयसहायता समूहों का योगदान, जुलाई 2013, पृ.सं. 13

ग्राम पंचायत गेण्डोली खुर्द व फौलाई में चयनित महिला प्रतिनिधियों से साक्षात्कार के दौरान जो निम्न तथ्य उभर कर सामने आये हैं, वे निम्न हैं –

सारणी 1.1 में आयु वर्ग के आधार प्रतिनिधित्व दिये जाने की अपेक्षा अनुभवी व उम्रदराज व्यक्तियों को चुनाव में खड़ा करने की प्राथमिकता रहती हैं। परन्तु वर्तमान में बदलते योग्यता के मापदण्ड़ों के आधार पर सभी वर्ग के आयु वाले प्रतिनिधियों को अवसर मिलने लगा हैं। अतः प्रतिनिधियों को उनके काम करने के आधार पर प्रतिनिधित्व मिले न कि उम्र के आधार पर

सारणी 1.2 में दोनों ही ग्राम पंचायतों में हिन्दू वर्ग का प्रतिनिधित्व अधिक है। जिसमें गुर्जर व मीणा वर्ग का बाहुल्य है। अन्य धर्मों व जातियों के लोग बहुत कम है।

सारणी 1.3 में बताया हैं कि गुर्जर व मीणा जातियाँ संख्या में अधिक हैं अतः आरक्षित वर्ग का प्रभुत्व अधिक है।

सारणी 1.4 में बताया गया है कि शैक्षिक पिछड़ापन अधिक हैं जो महिलाओं के शोषण का मुख्य कारण है।

सारणी 1.5 में दोनो ही ग्राम पंचायतों की आरक्षित व सामान्य वर्ग की महिलाओं की वैवाहिक स्थिति के निर्धारण से उनकी सामाजिक स्थिति के निर्धारण व नेतृत्व के दृष्टिकोण का पता चलता है।

सारणी 1.6 में बताया हैं कि आरक्षित व सामान्य वर्ग में जो उच्च शिक्षित व सम्पन्न परिवार है वे शहरों में चले गये अतः बचे हुए लोग गाँव में रहते हैं और साधनों के अभाव में शिक्षा का स्तर भी निम्न है।

सारणी 1.8 में बताया हैं कि सभी वर्गों में मध्यम आय वाली महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक हैं और वे राजनीति में भी अधिक सक्रिय हैं। न तो उच्च वर्ग की महिलाएँ व न ही निम्न वर्ग की महिलाएँ राजनीति में अधिक सक्रिय है।

सारणी 1.10 में बताया हैं कि आवास या निवास स्थान वैसे तो व्यक्ति के जीवन की उपलब्धियों, धन, सम्पदा व ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति का माध्यम होता हैं, जिसको बनाने में व्यक्ति की उम्र हो जाती है, परन्तु वर्तमान में इस योजना के द्वारा निर्मित मकानों की वजह से अधिकांश आबादी को रहने योग्य पक्के मकान मिल गये हैं, जिससे गाँवों की तस्वीर बदल गयी है।

सारणी 2.2 में राजनीति में आने के आधार के मुख्य कारणों में प्रथम तो अधिकांश महिलाएँ स्वयं को साबित करना चाहती हैं व दूसरा राजनीतिक पृष्टभूमि के कारण राजनीति में आना चाहती है। वे राजनीतिक नेतृत्व का हिस्सा बनना चाहती है।

सारणी 2.3 में बताया हैं कि आंगनबाड़ी, स्वच्छता मिशन और नरेगा जैसे कार्यों से दोनों ही वर्ग की महिलाओं में आत्मनिर्भरता व संतुष्टि दिखी है। इससे उनमें आर्थिक सम्पन्नता भी बढ़ी और उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई है।

सारणी 2.4 में महिलाओं के द्वारा अपने दायित्व निर्वहन में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वे इस प्रकार हैं, जैसे – रात्रि में कार्य की समस्या, पुरूषों के साथ व्यवहार की समस्या, जाति, आवागमन के साधनों का अभाव तथा पारिवारिक दूरी की समस्या प्रमुख है।

सारणी 2.7 में बताया गया हैं कि 73 वे संविधान संशोधन से आरक्षित व सामान्य वर्ग दोनों ही महिलाओं के आत्मविश्वास व नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हुई है। उनकी राजनीति के प्रति रूझान बढ़ा है।

सारणी 2.13 में बताया हैं कि नरेगा योजना उनके किए जीवन संजीवनी का कार्य कर रही हैं इससे उनमें आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है।

सारणी 2.16 में बताया हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से ग्रामीण महिलाओं को लाभ मिला लगभग 70 से 80 प्रतिशत महिलायें अब तक इस योजना से लाभान्वित हो चुकी है।

सारणी 2.17 में बताया गया हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना व स्वच्छ भारत मिशन योजना से गाँवों के स्वरूप में बहुत परिवर्तन आ गया हैं यह नवीन ग्रामीण संरचना के निर्माण में सरकार का सरानीय कदम है।

सारणी 3.2 में बताया हैं कि महिलाओं को सरकार के केन्द्रीय व संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानकारी है। इससे स्पष्ट होता हैं कि महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई है।

सारणी 3.4 में बताया गया हैं कि गेण्डोली खुर्द व फौलाई में सर्वाधिक मतदान का प्रतिशत जातिवाद के आधार पर हुआ हैं एवं दोनों ही ग्राम पंचायतों में जाति की भूमिका अधिक प्रभावी है।

सारणी 3.10 में दर्शाया गया है कि महिलाएँ पंचायत की बैठकों में समय–समय पर उपस्थित नहीं हो पाती जिसका प्रमुख कारण घर–गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रहना बताया है।

साथ ही समय पर सूचित न किया जाना व पति से अनुमति नहीं मिलने से भी वह बैठकों में उपस्थित नहीं हो पाती है।

सारणी 4.2 में बताया हैं कि दोनों ही ग्राम पंचायतों में महिलायें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है। जिससे उनकी आत्मनिर्भरता में भी वृद्धि हुई है।

सारणी 4.4 में दोनों ग्राम पंचायतों गेण्डोली खुर्द व फौलाई की महिलाओं में जानकारी के अभाव व शिक्षा का स्तर निम्न होने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने में कठिनाई अनुभव करती है।

सारणी 4.7 में बताया हैं कि धनबल व जातिवाद के आधार पर चुनाव ही प्रभावित नहीं होते बल्कि चुनाव परिणामों पर भी प्रभाव पड़ता है। अतः दोनों ही कारकों को चुनाव व्यवस्था के लिए उचित नहीं माना है। उक्त दोनों ग्राम पंचायतों में भी इनका प्रभाव रहा है। अतः चुनाव जाति के आधार पर नहीं बल्कि पारदर्शिता के आधार पर व निष्पक्ष होने चाहिए।

सारणी 4.8 में बताया हैं कि वर्ष 2005 से वर्ष 2015 में दोनों ग्राम पंचायतों गेण्डोली खुर्द व फौलाई में महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता बढी है।

सारणी 4.10 में बताया हैं कि ग्राम पंचायत गेण्डोली खुर्द व फौलाई में पेयजल व सिंचाई के साधनों का अभाव, जंगली जानवरों का आंतक व रोजगार के साधनों का अभाव होने के कारण ग्रामीण महिलाओं का अधिकांश समय पानी की व्यवस्था, रोजगार की चिन्ता व संसाधन जुटाने में खर्च हो जाता हैं ऐसी स्थिति में राजनीतिक सहभागिता की बात करना बेमानी होगी।

सारणी 4.11 में दोनों ग्राम पंचायतों गेण्डोली खुर्द व फौलाई में ऐतिहासिक समृद्ध इतिहास का उल्लेख किया हैं सरकार को इन ऐतिहासिक इमारतों के जीर्णोद्वार हेतु भी कार्य करना चाहिए।

सारणी 5.1 में बताया हैं कि ग्रामीण महिलाएँ शीर्ष महिला के कार्यों से संतुष्ट तो हैं कि लेकिन तकनीकी प्रशिक्षण के प्रति जागरूकता व शिक्षा का विस्तार किया जाना आवश्यक मानती है।

सारणी 5.5 में बताया गया हैं कि महिला सशक्तिकरण हेतु दोनों ही ग्राम पंचायतों में अधिकारों के प्रति जागरूक, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि, सक्रिय क्षेत्र की समस्याओं के प्रति जागरूकता आदि के आधार पर सभी वर्ग की महिलाये सहमत है।

सारणी 5.7 में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु दिये गये सुझाव में आरक्षित व सामान्य वर्ग दोनों ही वर्ग की महिलाये सहमत हैं व महिला सशक्तिकरण हेतु इनको आवश्यक मानती है।

इसके साथ ही पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यकारण के संबंध में अनुभवमूलक अध्ययन के माध्यम से तथा शोधार्थी द्वारा इन ग्राम पंचायतों के प्रत्यक्ष अवलोकन से इन संस्थाओं में कतिपय समस्या क्षेत्रों का अभिज्ञान हुआ हैं। इनमें मुख्य समस्याओं का उल्लेख किया जा रहा हैं।

1. जैसे घर के बाहर कार्य करने की स्थिति में घर–परिवार व कार्यक्षेत्र के दोहरे दायित्व का निर्वाह करने की बाध्यता, महिलाओं की राजनीतिक जीवन में उनकी संलग्नता उस प्रकार की नहीं हो पाती जैसी की पुरूषों की होती हैं।

2. दूसरा प्रजनन कार्य व शिशु पालन पोषण का भी एकांगी दायित्व होता हैं।

3. अशिक्षा व तुलनात्मक रूप से निम्न शैक्षिक स्तर भी उनके लिए प्रमुख समस्या हैं।

4. पारम्परिक श्रम विभाजन के अनुरूप निर्धारित प्रदत भूमिकाओं के निर्वाह में अधिक समय व श्रम का व्यय होगा।

5. अत्यधिक धन व शारीरिक बल पर आधारित निर्वाचन प्रणाली का वर्तमान स्वरूप महिलाओं के लिए राजनीतिक सहभागिता को कठिन बना देता हैं।

6 राजनीतिक दलों की संरचना व एजेंड़ा पुरूष परिपेक्ष्य में ही निर्धारित होता हैं।

7. सशक्त सम्प्रेषण सफल राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण उपकरण हैं। अपर्याप्त प्रशिक्षण व बाह्य–जीवन में पर्याप्त अन्तः क्रिया के अभाव में महिलाओं की सम्प्रेषण क्षमता प्रायः पुरूषों के समान सशक्त नहीं होती हैं। यह कभी भी उनकी राजनीतिक सफलता में बाधक तत्व बनती हैं।

8. पंचायती संस्थाओं की कार्यप्रणाली में भ्रष्टाचार भी ग्रामीण कार्यो पर विपरीत प्रभाव ड़ालते है।

9. राजस्थान के परम्परागत व सामंतवादी समाज मं महिलाओं की सामाजिक स्थिति दोयम दर्जे की बनी हुई है। सामाजिक कुप्रथाओं जैसे बालविवाह, दहेज–प्रथा, पर्दाप्रथा आदि ने महिलाओं के सशक्तिकरण व पंचायतो में भागीदारी में रूकावट उत्पन्न की हैं।

10. महिला प्रतिनिधियों को अपने राजनीति में कदम रखने या निर्वाचित होने का उद्देश्य का ज्ञान नहीं होगा जो उनके राजनीति संबंधी सभी क्रियाकलापों को प्रभावित करता हैं।

11. महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को हिंसा, अपराधिकरण, माफियाकरण ने भी प्रभावित किया जिससे वह राजनीति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करती हैं। उनके परिवार वाले भी उनके राजनीति में प्रवेश को उचित नहीं मानते।

12. महिलाओं के निरक्षर एवं अल्प शिक्षित होने के कारण उन्हें पंचायतीराज व्यवस्था के प्रावधानों एवं राजनीतिक अधिकारों का ज्ञान नही होता हैं जिसका लाभ गाँव के प्रभावशाली व्यक्ति उठाते हैं और वह मूक–दर्शक बन कर रह जाती हैं।

13. महिलाओं के लिए उचित प्रशिक्षण व्यवस्था का अभाव भी उनकी पंचायतों में सहभागिता को सीमित करती हैं।

उक्त समस्याओं के निराकरण व राजनीतिक रूप से महिलाओं को सशक्त व सक्षम बनाने, राजनीतिक जीवन में उनके प्रवेश को प्रोत्साहित करने तथा उनकी राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि के संदर्भ में निम्न प्रयास महत्वपूर्ण हो सकता हैं।

I. राज्य का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने समस्त नागरिकों, जिसमें महिलाएँ भी शामिल हो को राजनीतिक प्रक्रिया में लोकतांत्रिक उपस्थिति दर्ज कराएँ।

II. महिलाओं में शिक्षा का प्रसार, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था, चेतना का विकास, आर्थिक स्वावलम्बन प्रदान करना, कानून और व्यवस्था की स्थिति को बेहत्तर करना, पुरूष सहकर्मियों व अधिकारियों में संवेदनशीलता उत्पन्न करना।

III. प्रणाली के निर्वाचन स्वरूप के कारण भी लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं का काम संख्यात्मक प्रतिनिधित्व देखा जाता हैं। अतः निर्वाचन प्रणाली के वर्तमान स्वरूप पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता हैं। ऐसी चुनाव प्रणाली अपनायी जाये जिससे उनका प्रतिनिधित्व पंचायतो में बढ़े।

IV. सार्वजनिक जीवन से सम्बंधित नीतियों के निर्माण में उनके सार्थक योगदान हेतु स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव प्रक्रिया में अधिकाधिक नामांकन हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी के द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु दोनों ग्राम पंचायतों क्रमशः गेण्डोली खुर्द व फौलाई में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर निम्न सुझाव दिये हैं –

1. शोर्धार्थी के अनुसार गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायत बूंदी जिले के केशवरायपाटन तहसील के अन्तर्गत आते हैं बूंदी जिले की तरह ही उक्त दोनों ग्राम पंचायते ऐतिहासिक रूप से समृद्ध हैं अतः पंचायत के द्वारा ऐतिहासिक स्थलों का भी जीर्णोद्वार करवाया जाए जिससे पंचायत की ऐतिहासिक समृद्धि में वृद्धि हो सके।

2. ग्राम पंचायतों में चुनी हुई महिला जनप्रतिनिधियों की पंचायत की बैठकों में उपस्थिति लगभग 75 प्रतिशत निर्धारित की जाये ताकि वे शासकीय प्रशासकीय प्रक्रियाओं को जानकर कार्य को सफलतापूर्वक संचालित करवा सके।

3. महिलाओं को चुनाव खानापूर्ति के लिए नहीं लड़ाकर उनको उचित प्रतिनिधित्व देने की भावना से लड़ाया जाये ताकि उनका वास्तविक रूप से सशक्तिकरण हो सके।

4. गेण्डोली खुर्द व फौलाई की बसावट पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण महिलाएँ पेयजल की व्यवस्था में लगी रहती है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से सिंचाई के भी पर्याप्त साधन नहीं हैं जिससे खेती भी नहीं हो पाती हैं और बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है। अतः उक्त दोनों ही ग्राम पंचायतों में पेयजल व सिंचाई के साधनों की व्यवस्था की जाये जिससे महिलायें अधिक से अधिक समय पंचायत को दे सके।

5. "भूखे पेट भजन न हो गोपाला" यहाँ की महिलायें इस कहावत को चरितार्थ करती हैं क्योंकि महिलायें रोटी के लिए खेत पर व जंगलों में भटकती रहती हैं उनके लिए राजनैतिक सहभागिता जगह आर्थिक आजीविका की व्यवस्था करना ज्यादा महत्वपूर्ण है।

6. स्वयं सहायता समूह व पंचायत स्तर पर छोटी–छोटी बैंक खोली जाए जिससे महिलाएँ अपनी मूल राशि को संभाल कर रख सके जरूरत पड़ने पर उसे खर्च कर सके।

7. साक्षरता मिशन को और अधिक प्रभावी बनाया जाये क्योंकि गेण्डोली खुर्द व फौलाई में प्रतिनिधि 2005–2015 की अवधि में कार्यरत महिला प्रतिनिधि उच्च शिक्षित नहीं हैं जिससे उनको सरकारी योजनाओं को समझने में समस्या आती है। और वे प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर जाती है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद भी पूर्णकुशल रूप से नहीं कर पाती है। अतः उनके शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।

8. मनरेगा योजना जो सरकारी योजना हैं इसमें कार्यदिवसों की संख्या सीमित हैं अतः एक निश्चित अवधि तक ही रोजगार मिल पाता हैं चुकी उक्त दोनों ही ग्राम पंचायतों में

सिंचाई के साधन नहीं होने से खेती नहीं हो पाती हैं और बेरोजगारी बनी रहती हैं ऐसे में यह योजना संजीवनी का कार्य कर रहीं हैं परन्तु निश्चित अवधि तक समित होने के कारण पुनः रोजगार का संकट पैदा हो जाता हैं इसलिए इस योजना को वर्षभर चालु रखा जाये और इसके द्वारा होने वाले कार्यों को गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाये।

9. सड़कों व परिवहन के साधनों के अभाव में यह गाँव शहरी जीवन की मुख्य धारा से कटे हुये हैं अतः परिवहन पर ध्यान दिया जाये ताकि महिलाओं को बैठकों व पंचायत से सम्बन्धित कार्यों में भाग लेने में सुविधा रहे।

10. महिलाओं को महावारी व संतानोंत्पति के समय विशेष सुविधायें प्रदान की जाये।

11. महिलाओं को लघु गृह–उद्योगों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार प्रदान किये जाये ताकि उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हो और वे अधिक सशक्त होकर पंचायत में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सके।

12. महिलाओं को कम पानी में होने वाली फसलों के बारे में सरकार द्वारा समय–समय पर पूर्ण जानकारी दी जाये ताकि उनका आर्थिक स्तर मजबूत हो सकें।

13. पशुधन के पालन पोषण के प्रति भी जागरूकता पैदा की जाये। ताकि उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हो सके और वे राजनीति संवेदनशील व सजग होकर कार्य करे।

14. पुरूष प्रतिनिधियों का महिला प्रतिनिधियों के प्रति सकारात्मक नजरियाँ अपनाया जाये उन्हें भी आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

15. दोनो ग्राम पंचायतों गेण्डोली खुर्द व फौलाई के अन्तर्गत आने वाले गाँवों को पंचायत मुख्यालय से जोड़ने हेतु व आपसी संपर्क को सुदृढ़ बनाने हेतु परिवहन की व्यवस्था इन गाँवों में की जाये ताकि महिलाये भी सरलता से पंचायत मुख्यालय पर आ सके व उपर्युक्त जानकारी या रोजगार प्राप्त कर सकें।

16. गेण्डोली खुर्द व फौलाई में विद्यालय में विज्ञान संकाय खोला जाये ताकि बालिकाओं को गाँव से बाहर न जाना पड़े वे वहीं अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके।

अतः महिला सशक्तिकरण व उनके राजनीतिक सुदृढ़ता व सहभागिता हेतु उक्त सुझावों पर अमल किया जाये तो महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व शक्ति को प्रभावी बनाया जा सकता हैं पंचायतीराज संस्थाओं को भी प्रभावी तरीके से इन सुझावों पर विचार करने की आवश्यकता है जिससे शोध का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त किया जा सके।

इस प्रकार पंचायतीराज व्यवस्था को सशक्त करने एवं महिलाओं के रचनात्मक सकारात्मक सहयोग एवं भागीदारी को प्राप्त करने तथा उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु दिये गये इन सुझावों के माध्यम से पंचायतीराज की मौलिक सोच व विकेन्द्रीकरण की वस्तुस्थिति को यथार्थ में प्राप्त किया जा सकता हैं। यदि महिलाएँ राजनीतिक क्षेत्र में सशक्त होती हैं तो अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त भागीदारी प्रदान करने के लिए महिला आरक्षण की बहुत प्रभावी भूमिका होगी। इससे आरक्षित व सामान्य वर्ग दोनों वर्गो की महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई हैं।

इस शोध में जिन समस्याओं को बताया हैं उनका निराकरण करते हुए महिला सशक्तिकरण हेतु जो सुझाव दिये हैं उन पर पूर्ण अमल किया जाये तो महिलाओं के प्रति राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक परिणाम आयेंगे।

संक्षेपिका

संक्षेपिका

भारतीय समाज की व्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण व्यवस्था पर आधारित हैं क्योंकि भारत मुख्यतः गाँवों पर आधारित है। इस देश की सम्पन्नता गाँवों की सम्पन्नता पर निर्भर करती है। गाँवों की उन्नति पर ही सम्पूर्ण राष्ट्र की उन्नति निर्भर करती है। स्थानीय स्वशासन की ग्राम पंचायत व्यवस्था ग्रामीण समुदाय का ही सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन है। ग्राम पंचायतों की सुदृढ़ता किसी भी राष्ट्र की सुदृढ़ता का द्योतक है। यह राष्ट्र की सम्पूर्ण अखण्डता सुव्यवस्था का परिचायक है।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सत्ता का व्यापक विकेन्द्रीकरण रहता है। ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सत्ता की बागडोर जनता द्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के हाथों में सुरक्षित रहती है। भारत में सत्ता की बागडोर जहाँ शीर्ष पर संसद के हाथों में है वहीं ग्राम स्तर पर पंचायतों में निहित है।

पंचायत संघ सरकार का एक अंग है। यह राज्य का एक अभिकरण है। इसे लोकहित में सरकार को उपलब्ध सम्प्रभु अधिकारों के कारण अनेक महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। आज पंचायतीराज का स्वरूप अत्यंत सुदृढ़ है।

वैदिककाल से ही गाँव हमारे स्थानीय स्वशासन की प्राथमिक इकाई रहे है। गाँव के मुखिया और ग्राम सभायें प्रशासनिक ढाँचे के प्रमुख अंग रहे है। वाल्मिक द्वारा जनपद के उल्लेख से स्पष्ट होता हैं कि ग्रामीण व्यवस्था की परम्परा प्राचीन समय से ही विद्यमान रही है।

वैदिककाल के बाद रामायणकाल युग में सभा एवं समितियों का वर्णन देखने को मिलता है। बौद्धकाल में भारतीय सभ्यता–संस्कृति का आधार गाँव ही था। आबादी का अधिकांश भाग गाँवों में ही रहता था तथा गाँवों की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों पर ही था।

मौर्यकाल (मध्ययुगीन) भारत में दिल्ली सल्तनत काल में राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। 'ग्राम' का प्रबन्धन लम्बदारों, पदवारियों व चौकीदारों द्वारा किया जाता था। गाँवों को अपने प्रबन्धन के मामले में पर्याप्त स्वायत्ता प्राप्त थी। मुगलकालीन भारत में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम के शासन का प्रबन्धन पंचायत के द्वारा ही किया जाता था।

स्पष्ट हैं कि प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की मौलिक भावना शासन तंत्र में विद्यमान थी।

अंग्रेजों के समय स्थानीय संस्थाओं के स्वरूप में मौलिक अन्तर आया क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल में पंचायतीराज संस्थाओं को उत्तरदायी प्रतिनिधिक संस्थाओं का दर्जा दिया गया

था। 1687 में मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई और इस समय स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई 1726 में बम्बई व कलकत्ता में नगर–पालिका निकायों की स्थापना की गई। 1935 से 1949 की अवधि में केन्द्र में द्वैध शासन प्रणाली की ओर ध्यान केन्द्रित हुआ।

इस समय में नगरपालिकाओं व पंचायतों के कार्य क्षेत्र में वृद्वि हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रान्तीय व स्थानीय स्तरों पर स्वशासन को नगरीय व ग्रामीण दो भागों में विभाजित किया गया। नगरीय शासन में नगर–निगम, नगर क्षेत्र समितियाँ, नगर–सुधार न्यास, आदि तथा ग्रामीण में पंचायते, पंचायत समिति शासन व जिला परिषदों को शामिल किया गया।

हालांकि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायतीराज व्यवस्था का पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा विधिवत् उद्घोष किया गया। इस समय पंचायतों का स्वरूप पूर्णतः प्रजातांत्रिक हो गया, परन्तु इन पर उच्च जाति, उच्च वर्ण एवं पुरूष वर्ग का प्रभुत्व रहा। इसका प्रधान उद्देश्य ग्रामीणों में राजनीतिक जाग्रति लाना व प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण था। ऐसे में महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में उचित भागीदारी देने के लिए भारतीय संविधान के 73वें–74वें संविधान संशोधनों द्वारा देश भर की पंचायतों व जिला परिषदों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया जो भारतीय स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की ओर एक सराहनीय कदम है। इसमें महिलाओं में राजनीतिक जाग्रति उत्पन्न होगी और वह निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में व क्रियान्वयन में प्रभावी भूमिका निभायेगी और सामाजिक विकास में तथा एक सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना करने में अर्थपूर्ण कार्य करेगा। इतना ही नही भारत और विश्व में 1974 महिला–वर्ष के रूप में और 1975–1985 से महिला दशक के रूप में मनाया और भारत में 2001 का वर्ष “महिला–सशक्तिकरण” वर्ष के रूप में मनाया गया था। और 2016 में महिला सशक्तिकरण हेतु नवीन उद्देश्य निर्धारित किये।

महिला सशक्तिकरण के लिए यह अत्यंत आवश्यक हैं कि पुरूषों की महिलाओं के प्रति मानसिकता में बदलाव लाना होगा तथा सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था को ऐसी सकारात्मक दिशा प्रदान की जाये जो महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति एंव प्रभावी भूमिका हेतु वातावरण तैयार कर सके। सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण ही नही अपितु उनकी शारीरिक क्षमता, बौद्धिक विकास व मनौवैज्ञानिक दृष्टि से भी महिलाओं का विकास किया जा सकता है।

पंचायतीराज संस्थओं के माध्यम से सशक्तिकरण को आर्थिक प्रभावशाली बनाने के लिए आर्थिक सशक्तिकरण को भी इसमें शामिल किया जाये तो और अधिक रचनात्मक परिणाम सामने आयेंगे क्योंकि आर्थिक सशक्तिकरण राजनीतिक सुदृढ़ता प्रदान कर राजनीति के क्षेत्र में

उनको और अधिक सशक्त बनायेंगा। क्योंकि महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक स्थितियां, शैक्षिक पिछड़ापन व आर्थिक पिछड़ापन भी उनकी कमजोर राजनीतिक भूमिका का जिम्मेदार होता हैं अतः आर्थिक सशक्तता कुछ हद तक राजनैतिक साझेदारी के लिए उत्तरदायी है। चाहे वे किसी भी वर्ग की महिला हो। या तो सामान्य वर्ग या आरक्षित वर्ग।

प्रस्तुत अध्ययन इस दिशा में एक विनम्र प्रयास हैं इस अध्ययन में बूंदी जिले के विशिष्ट संदर्भ में आरक्षित व सामान्य वर्ग की महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के अध्ययन की दृष्टि से विभिन्न सामाजिक विविधताओं को समाहित किये हुए बूंदी जिला एक विशिष्ट इकाई हैं जिसे शोध के क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है। इस अध्ययन में बूंदी जिले में आरक्षित व सामान्य वर्ग की महिलाओं के आरक्षण के प्रावधान के प्रवर्तित होने के पश्चात् इन संस्थाओं के कार्यकरण तथा राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है।

अध्ययन क्षेत्रः–

प्रस्तुत शोध अध्ययन का विषय क्षेत्र राजस्थान का बूंदी जिला है। अध्ययन के लिए ऐसे जिले का चयन किया है जो अरावली पहाड़ी की तलहटी में बसा हैं व ऐतिहासिक रूप से समृद्ध है। प्रस्तुत शोध में महिलाओं के स्तर की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु बूंदी जिले की (गेण्डोली खुर्द व फौलाई) की महिला प्रतिनिधियों व सामान्य महिलाओं के साथ साक्षात्कार करके महिलाओं की पंचायतीराज संस्थाओं में वास्तविक स्थिति की जानकारी हेतु प्रयास किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्यः–

1. पंचायतीराज संस्थाओं में आरक्षित व अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिला प्रतिनिधियों की कार्यशैली का तुलनात्मक अध्ययन शोध का प्रमुख उद्देश्य है।
2. अध्ययन क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित करना तथा उठाये जाने वाले कदमों के बारे में सुझाव और अनुशंसाये करना।
3. महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के वास्तविक स्तर का मूल्यांकन करना।
4. महिला प्रतिनिधियों के ज्ञानात्मक पक्ष, जागरूक विचारधारा व अभिवृत्तियों व रूचियों को जानना।
5. पंचायतीराज की संरचना व संगठन के बारे में जानना।

6. महिला नेतृत्व के सकारात्मक, नकारात्मक कारक व समस्याओं के बारे में जानना।

7. दोनों ग्राम पंचायतों के सम्पूर्ण परिचय के साथ पंचायतों के विकास में महिला नेतृत्व का योगदान जानना।

शोध–पद्धतिः–

प्रस्तुत शोध पंचायतीराज संस्थाएँ और महिला सशक्तिकरण (गेण्डोली खुर्द व फौलाई) ग्राम पंचायतों के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन 2005–2015 में बूंदी जिले की उक्त दोनों ग्राम पंचायतों में आरक्षित व अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिलाओं की नेतृत्व क्षमता व उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजनीतिक पृष्टभूमि निर्वाचन, प्रशिक्षण, मनोबल, कार्यसंतुष्टि हेतु सर्वेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया हैं तथा ऐतिहासिक विवरण दिया गया है।

इसके अलावा प्रस्तुत शोध में दोनों ग्राम पंचायत संस्थाओं में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के सामान्य आंकलन के लिए विभिन्न प्रतिवेदनों तथा अन्य स्रोतों से उपलब्ध तथ्यों के विश्लेषण को आधार बनाया गया है। स्थानीय ग्रामीण संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के पश्चात् उनकी सहभागिता के विभिन्न संदर्भों में आने वाले परिवर्तनों तथा राजनीतिक प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों में सहभागिता के आंकलन के लिए तुलनात्मक पद्धति को अपनाया गया है। प्रस्तुत शोध में गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों की क्रमशः 100 आरक्षित व 100 अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिला प्रतिनिधियों को अध्ययन में शामिल किया है। अतः कुल 400 महिलाओं से साक्षात्कार किया है।

द्वितीयक संमकों को एकत्रित करने के लिए व्यक्तिगत प्रलेख, सांख्यिकी, पत्र–पत्रिकाओं की रिपोर्ट, साहित्यक प्रतिवेदन चुनाव सामग्री, पंचायतीराज से सम्बंधित पुस्तकें, केन्द्र व राज्य सरकार की रिपोर्ट, 73 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, पंचायतीराज अधिनियम, ग्राम पंचायत दस्तावेज, बूंदी के इतिहास से संबंधित पुस्तकें व प्रशासनिक दस्तावेज का प्रयोग किया गया है।

सम्पूर्ण शोध प्रस्ताव को प्रमुखतयाः 6 अध्यायों में विभक्त किया गया है–

प्रथम अध्याय में शोध की रूपरेखा व शोध के सामान्य परिचय के बारे में बताया है। शोध के क्या उद्देश्य हैं उनका विश्लेषण किया है शोध की साहित्य समीक्षा की गई है। अध्ययन पद्धति व शोध का महत्व बताया है साथ ही इस अध्याय में पंचायतीराज का वैचारिक दर्शन प्रस्तुत किया गया है।

द्वितीय अध्याय में बूंदी जिले को केन्द्र में रखकर बूंदी के ऐतिहासिक, राजनैतिक व प्रशासनिक परिचय के साथ ही गेण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायत का भी ऐतिहासिक,

राजनैतिक व प्रशासनिक परिचय दिया गया हैं क्योंकि शोध का केन्द्रबिन्दु उक्त दोनों ग्राम पंचायतें है।

तृतीय अध्याय में महिलाओं के उत्थान के लिए पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत जो भी नीतियाँ नियम बने उनका उल्लेख किया है, साथ ही केन्द्रीय संवैधानिक प्रावधान का भी वर्णन किया है। विभिन्न समितियों ने पंचायतीराज से संबंधित जो सुझाव दिये हैं, उनका उल्लेख किया गया है। राजस्थान में महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व को सशक्त बनाने हेतु जो विभिन्न आदेश व अध्यादेश आये हैं उनका वर्णन किया है, तत्पश्चात् 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का वर्णन है।

चतुर्थ अध्याय में आरक्षित वर्ग की महिलाओं के शीर्ष नेतृत्व का परिचय, उनकी योग्यताएँ, बैठकों मे उपस्थिति तथा पंचायत से संबंधित किया प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया गया है।

पंचम अध्याय में अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिलाओं के नेतृत्व का परिचय, उनकी योग्याताएँ बैठकों में उपस्थिति तथा पंचायत से संबंधित क्रिया–प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया गया है।

षष्ट्म अध्याय इस अध्याय में आरक्षित व अनारक्षित (सामान्य वर्ग) वर्ग की महिला प्रतिनिधियों व दोनों ग्राम पंचायतों के महिला व पुरूषों के द्वारा महिला प्रंतिनिधि सदस्यों की राजनीतिक अभिव्यक्ति जागरूकता एवं सहभागिता का विश्लेषण एवं व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इस अध्याय में जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुई महिला नेतृत्व के राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक स्तर को जानने का प्रयास किया गया है।

साथ ही प्रस्तुत अध्याय में महिला नेतृत्व की राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति को जानने के लिए चुनाव, आरक्षण संबंधी जानकारी एवं पंचायती कार्यों के बारे में प्रशिक्षण, पंचायत की बैठकों की जानकारी बैठकों में भागीदारी, बैठकों के प्रमुख मुद्दे, निर्णय–प्रक्रिया में योगदान, सरकारी अधिकारियों से मुलाकात, महिला सशक्तिकरण हेतु कार्य योजनाओं, पंचायतीराज अधिनियसम 1973 एवं नियमों की जानकारी आदि कई प्रश्नों के आधार पर एकत्रित तथ्यों को सारणीयों के रूप में वर्गीकृत करके बिन्दुवार विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में इन सभी बातों को जानने के लिए गेण्डोली खुर्द व फौलाई के पंचायतीराज के तीनों स्तरों पर 2005 से 2015 के चुनावों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों व ग्रामीण महिलाओं का साक्षात्कार किया गया हैं एवं सारणीयों में वर्गीकृत करके उनका विश्लेषण किया गया है।

इस विश्लेषण में सारणी 6.3 में शैक्षणिक स्थिति का उल्लेख किया हैं क्योंकि शैक्षिक पिछड़ापन महिलाओं के शोषण का मुख्य कारण रहा हैं विशेषकर अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक अयोग्यता, सामाजिक विवशता व शोषण का मुख्य कारण अशिक्षा ही है।

सारणी 6.9 में महिलाओं के राजनीति में आने के आधार पर यह स्पष्ट हुआ हैं कि अधिकांश महिलाओं में जागरूकता आई है और वे चाहती हैं कि अधिक से अधिक महिलाएँ राजनीति में आये।

चित्र आकृति 6.3 में दर्शाया गया हैं कि सरकारी कार्यक्रमों आँगनबाड़ी, स्वच्छता मिशन और नरेगा जैसे कार्यों से दोनों की वर्ग की महिलाओं में आत्मनिर्भरता व संतुष्टि दिखी, इससे उनमें आर्थिक सम्पन्ना बढ़ी है।

चित्र आवृति 6.6 में बताया हैं कि आरक्षित व सामान्य वर्ग में राजनीतिक सहभागिता बढ़ी है।

पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यकारण के संबंध में अनुभवमूलक अध्ययन के माध्यम से तथा अध्ययनकर्ता द्वारा इस संस्थाओं के कार्य–कारण के प्रत्यक्ष अवलोकन से इन संस्थओं के कतिपय समस्या क्षेत्रों का अभिज्ञान हुआ हैं इनमें से मुख्य समस्याओं का निम्नलिखित रूप से उल्लेख किया गया है।

समस्याएँः–

1. पंचायती संस्थाओं की कार्यप्रणाली में भ्रष्टाचार भी ग्रामीण कार्यों पर विपरित प्रभाव डालता है।

2. सशक्त सम्प्रेषण सफल राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण उपकरण है। अपर्याप्त प्रशिक्षण व बाह्य जीवन में पर्याप्त अन्तःक्रिया के अभाव में महिलाओं की सम्प्रेषण क्षमता प्रायः पुरूषों के समान सशक्त नहीं होती है, जो उनकी राजनीतिक सफलता में बाधक बनती है।

3. महिला प्रतिनिधियों को अपने राजनीति में कदम रखने या निर्वाचित होने का उद्देश्य का ज्ञान नहीं होना भी उनके राजनीति संबंधी सभी क्रियाकलापों को प्रभावित करता है।

4. महिलाओं के लिए उचित प्रशिक्षण व्यवस्था का अभाव भी उनकी पंचायतों में सहभागिता को सीमित करती है।

उक्त समस्याओं के निराकरण व राजनीतिक रूप से महिलाओं को सशक्त व सक्षम बनाने, राजनीतिक जीवन में उनके प्रवेश को प्रोत्साहित करने तथा उनकी राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि के संदर्भ में निम्न प्रयास महत्वपूर्ण हो सकता है।

सुझावः—

1. राज्य का यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह अपने समस्त नागरिकों, जिसमें महिलाएँ भी शामिल हों उनकी राजनीतिक प्रक्रिया में लोकतांत्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जानी चाहिए।

2. महिलाओं में शिक्षा का प्रसार, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था, चेतना का विकास, आर्थिक स्वालम्बन प्रदान करना, कानून और व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करना, पुरूष सहकर्मियों व अधिकारियों में संवेदनशीलता उत्पन्न करना।

3. सार्वजनिक जीवन में संबंधित नीतियों के निर्माण में उनके सार्थक योगदान हेतु स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव प्रक्रिया में अधिकाधिक नामांकन हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अतः प्रस्तावित शोध के माध्यम से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सक्रिय बनाने के लिए जो सुझाव दिये गये हैं यदि उनका निश्चित दिशा में समुचित रूप से पालन किया जाये तो विश्वास हैं कि महिलाओं की राजनीतिक एवं सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आयेंगे।

सन्दर्भ
ग्रन्थ सूची

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

पुस्तकें एवं ग्रन्थ :—

1 चौहान, भीमसिंह, "राजस्थान के पंचायती राज में महिलाओं का योगदान", अरिहन्त प्रकाशन, जोधपुर, 2011

2 शर्मा, आदर्श, "पंचायती राज में महिला—आरक्षण औचित्य एवं सम्भावनायें" राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर

3 मंगलानी, रूपा, 'पंचायतीराज की विकास यात्रा' राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर 2010

4 चन्देल, धर्मवीर, चन्देल, डॉ. नरेन्द्र कुमार, "पंचायतीराज और महिला सहभागिता" अविष्कार पब्लिशर्स, 2016

5 शर्मा, रेखा, "ग्रामीण महिलायें एवं पंचायतीराज" रावत प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012

6 जोशी, आर.पी. रूपा मंगलानी, "पंचायती राज के नवीन आयाम" युनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा.लि. जयपुर 1998

7 गोयल, प्रीति प्रभा, "भारतीय नारी विकास की ओर", राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, 2009

8 शर्मा, कविता, "स्त्री सशक्तिकरण के आयाम", रजत प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012

9 श्रीवास्तव, जी.पी., "रिसर्च मेथडोलोजी", युनिक ट्रेडर्स, जयपुर, 2014

10 शर्मा, वीरेन्द्र प्रकाश, "रिसर्च मेथडोलोजी", पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2015

11 माथुर, जी.पी., "रिसर्च मेथेडोलाजी", युनिक ट्रेडर्स, 2014

12 माथुर, दुर्गाप्रसाद, "बून्दी का शासकीय, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विकास", चित्रगुप्त प्रकाशन, बून्दी

13 मजूमदार, आ.सी., "द वैदिक एज बम्बई"

14 कुमार, अरविन्द, "बून्दी राज्य का इतिहास", लोक चेतना प्रकाशन, जयपुर, 2014

15 गहलोत, जगदीश सिंह, "राजपूताने का इतिहास", हिन्दी साहित्य मन्दिर, जोधपुर, 1994

16 स्रोतः— "ग्राम पंचायत गेण्डोली खुर्द के उपस्थिति रजिस्टर से प्राप्त विवरण के आधार पर"

17 स्रोतः— "फौलाई ग्राम पंचायत के उपस्थिति रजिस्टर से प्राप्त विवरण के आधार पर"

18 पटनी, चन्द्रा, "ग्रामीण प्रशासन", विश्वभारती पब्लिकेशन, जयपुर, 2006

19 भनोत, बेला, "पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता", राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2010

20 बाबेल, बसंतीलाल, "पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएं", राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2014

21 शर्मा, श्री कृष्णदत्त एवं दाधीच, श्रीमती सुनीता, "राजस्थान पंचायती कानून पंचायतीराज", जन चेतना संस्थान, जयपुर, 1997

22 मिश्रा, श्वेता, "पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता", ग्रामीण विकास न्यूज लेटर, 1997

23 सेठ, शमता, "पंचायतीराज", हिमांशु पब्लिकेशन, उदयपुर, 2002

24 महीपाल, "पंचायतीराज चुनौतियां एवं संभावनाएँ", नेशनल बुक इंडिया, नई दिल्ली, 2005

25 शर्मा, श्रीमती पारूल, "पंचायतीराज प्रशासन", रितु पब्लिकेशन, जयपुर

26 शर्मा अशोक, 'भारत में स्थानीय प्रशासन', आर.बी.एस.ई. पब्लिशर्स, जयपुर, 2011

27 अग्रवाल, सरोज, "महिला अधिकारिता और सुरक्षा", साहित्य प्रकाशन, जयपुर

28 दत्त, विजय रंजन, "पंचायतीराज संकल्पना और वर्तमान स्वरूप" सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी

29 राठौड़, मधु, "पंचायतीराज और महिला विकास" पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2002

30 शर्मा, श्री गिरिराज, "पंचायतीराज और कमजोर वर्ग", आलेख पब्लिशर्स, जयपुर, 2008

31 सुराणा, राजकुमारी, "भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और नव पंचायतीराज"

32 कुण्डू, राजेश, "हरियाणा पंचायत चुनाव 2016 में महिला प्रतिनिधित्व एक विश्लेषण", पंचायतीराज अपडेट, इस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसेज, 2017

33 शर्मा, संगीता व शर्मा, राजेश कुमार, महिला विकास एवं राजकीय योजनाएं, रितु पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2005

34 आर्य, विमला, "पंचायती राज और दलित महिलाएँ", अरिहन्त प्रकाशन, जोधपुर, 2016

35 मोदी, के.एम., "ग्रामीण महिलाओं के विकास में स्वंयसहायता समूहों का योगदान", जुलाई 2013

पत्रिकाएँ व समाचार पत्र :–

1. कुरूक्षेत्र पत्रिका
2. योजना
3. देशबन्धु समाचार पत्र
4. दैनिक नवजागरण
5. राजस्थान पत्रिका

जर्नल :–

1. राजस्थान जिला गजेटियर, बून्दी, 1999
2. कॉमनेज ऑफ राजस्थान

वेबसाइट्स :–

1 https://hindi.mapsafindia.com इंटरनेट

2 bharatdiscovery.org/india इंटरनेट

3 www.samanyanedu.in

4 www.bundi.rajsathan.in

5 www.elections.in

6 www.jansatta.com/editorial/rajasthanpatchwork-of-candidacy/18366

7 https://www.scotbuzz.org

8 http://www.kulhaiya.com/sarkari

9 http://tradecall.in

10 https://groups.google.com/forum/ml#1topic/india.news/gxuldrcoeuo

11 https://groups.google.com

12 hi.vikaspedia>social.welfare

13 http://www.sansarlochan.in

परिशिष्ट

साक्षात्कार प्रश्नावली

उत्तरदाता का नाम ....
पंचायतीराज संस्थान का नाम ....
पद का नाम ....

खण्ड–1

1.1 आपकी आयु क्या है?
(1) 18–40 वर्ष (2) 41–50 वर्ष
(3) 51–60 वर्ष (4) 61 से अधिक

1.2 आपका धर्म क्या है?
(1) हिन्दू (2) मुस्लिम
(3) जैन (4) अन्य

1.3 आप किस वर्ग से सम्बन्ध रखती है?
(1) सामान्य (2) अनु.जाति
(3) अनु.जनजाति (4) अन्य पिछड़ा वर्ग

1.4 आप कहाँ तक पढ़ी हुई हैं?
(1) निरक्षर (2) साक्षर (3) सैकण्डरी
(4) सीनियर सैकण्डरी (5) स्नातक (6) स्नातकोत्तर

1.5 आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है?
(1) विवाहित (2) अविवाहित
(3) विधवा (4) तलाकशुदा

1.6 आप कहाँ पर रहती हैं?
(1) शहरी (2) ग्रामीण (3) कस्बाई

1.7 आपके परिवार की संरचना किस प्रकार की है?
(1) एकल परिवार (2) संयुक्त परिवार

1.8 आपके परिवार की स्थिति किस प्रकार की है?
(1) उच्च (2) मध्यम (3) निम्न

1.9 क्या आपके पति नौकरी करते हैं?
(1) व्यापार (2) निजी नौकरी (3) सरकारी नौकरी
(4) कृषि (5) राजनीति में (6) अन्य

1.10 आपके मकान का निर्माण किस तरह का है?
(1) कच्चा मकान (2) पक्का मकान
(3) सुविधापूर्ण पका मकान (4) आलीशान मकान

खण्ड–2

2.1 क्या महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए?
(1) हाँ (2) नहीं (3) पता नहीं

2.2 राजनीति में आने का क्या कारण रहा?
(1) पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूति (2) नाम व पैसा कमाना
(3) महिला आरक्षित सीट का होना (4) स्वयं को साबित करना
(5) अन्य

2.3 आपने महिला उत्थान के लिए क्या–क्या कार्य किये?
(1) आंगनबाड़ी (2) प्रौढ़ शिक्षा
(3) नरेगा कार्य (4) उपरोक्त सभी

2.4 महिला होने के कारण आपको कार्य के क्रियान्वयन में कौन–कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा?
(1) रात्रि में कार्य की समस्या

(2) पुरूष से खुले व्यवहार की समस्या
(3) पति की अवहेलना की समस्या
(4) आवागमन की समस्या
(5) पारिवारिक दूरी की समस्या
(6) अन्य

2.5 राजनीति में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की है?
(1) दयनीय (2) कठपुतली की तरह
(3) सशक्त (4) अन्य

2.6 73वें संविधान संशोधन किससे सम्बन्धित है
(1) पंचायतीराज व्यवस्था (2) नगरपालिका व्यवस्था
(3) जानकारी नहीं है

2.7 73वें संविधान संशोधन से महिलाओं में क्या–क्या परिवर्तन आये?
(1) राजनीति में रूझान बढ़ा
(2) जागरूकता बढ़ी
(3) महिला अधिकारों के बारे में सचेत हुई
(4) पंचायत में महिला योगदान बढ़ा
(5) अन्य

2.8 पंचायतीराज संस्था में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में आप क्या जानती हैं?
(1) बैठकों में उपस्थित होना
(2) कागज पर हस्ताक्षर करना
(3) पंचायत के कार्य करना
(4) समस्याओं को जानना
(5) अन्य

2.9 आप पंचायतीराज व्यवस्था में महिला आरक्षण को उपयोगी मानती हैं?
(1) हाँ (2) नहीं (3) जानकारी नहीं

2.10 पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है?
(1) 20 प्रतिशत (2) 33 प्रतिशत
(3) 50 प्रतिशत (4) 60 प्रतिशत

2.11 आपके राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं में कितने स्तर है?
(1) दो (2) चार
(3) तीन (4) पाँच

2.12 पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है?
(1) 2 वर्ष (2) 5 वर्ष
(3) 4 वर्ष (4) 8 वर्ष

2.13 क्या आपकों महात्मा गांधी नरेगा योजना की जानकारी है?
(1) हाँ (2) नही (3) कुछ कुछ

2.14 क्या महात्मा गांधी नरेगा योजना से महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ी है?
(1) हाँ (2) नही (3) पता नही

2.15 उज्ज्वला योजना से आपकी ग्राम पंचायत में महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आया है या नही?
(1) हाँ (2) नही (3) कुछ कुछ

2.16 क्या प्रधानमंत्री आवास योजना व स्वच्छ भारत मिशन योजना से गांवों का स्वरूप बदला है?
(1) हाँ (2) नही
(3) आंशिक परिवर्तन आया है।
(4) पूर्ण परिवर्तन आया है।

2.17 आपकी ग्राम पंचायत में कौन–कौनसी योजनाएँ संचालित हैं जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला?
(1) विधवा पेंशन (2) उज्जवला योजना
(3) इन्दिरा आवास व प्रधानमंत्री आवास योजना
(4) महात्मा गाँधी नरेगा योजना
(5) श्रम पंजीयन (6) वृद्धावस्था पेंशन / विकलांग पेंशन
(7) स्वच्छ भारत मिशन योजना
(8) उपरोक्त सभी

खण्ड–3

3.1 क्या आप महिलाओं के लिए पुरूषों के समान राजनैतिक अवसर देखती है?
(1) हाँ (2) नही (3) पता नहीं

3.2 आप पंचायतीराज व्यवस्था के केन्द्रिय संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानती हैं?
(1) हाँ (2) नहीं

3.3 आरक्षित व अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की महिलाओं की कार्यशैली में क्या अन्तर है?
(1) शिक्षा का (2) जीवन स्तर का
(3) जागरूकता का (4) परिवार के सहयोग का
(5) बिल्कुल नहीं (6) सामान्य
(6) अन्य

3.4 आपने किस आधार पर मत प्राप्त किये?
(1) जातिवाद के आधार पर (2) क्षेत्रवाद के आधार पर
(3) स्वयं की उपलब्धियों के आधार पर (4) पैसे व शराब के आधार पर

3.5 आपके कार्यक्षेत्र में परिवार के पुरूष हस्तक्षेप करते हैं क्या?
(1) हस्तक्षेप करते हैं (2) हस्तक्षेप नहीं करते हैं (3) कोई प्रत्युत्तर नहीं

3.6 जनता आपसे सार्वजनिक कार्यों हेतु कैसे सम्पर्क करती है?
(1)घर पर मिलकर (2) पंचायत की बैठकों में
(3) पति के माध्यम से (4) कोई सम्पर्क नही

3.7 आप पंचायत में कौन–कौनसे मुद्दों को उठाती है?
(1) वार्ड सम्बन्धी मुद्दे
(2) ग्राम विकास सम्बन्धी मुद्दे
(3) महिला सम्बन्धी मुद्दे
(4) कोई मुद्दा नही

3.8 क्या आपको पंचायत की बैठकों के बारे में जानकारी दी जाती है?
(1) हाँ (2) नही

3.9 पंचायत की बैठकों के बारे में जानकारी प्राप्ति का माध्यम क्या है?
(1) मुनादी, ढोल द्वारा (2) घर पर नोटिस
(3) पूर्व बैठकों के द्वारा (4) पति के माध्यम से
(5) मोबाइल फोन से (6) अन्य प्रकार से

3.10 पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रहने के क्या कारण रहे?
(1) घर–गृहस्थी के कार्य (2) लम्बी अवधि
(3) समय–पूर्व सूचना नहीं (4) आवश्यकता महसूस नहीं की
(5) पति से अनुमति न मिलना (6) परिवार की वजह
(7) अन्य

3.11 जब आप पंचायत की बैठकों में जाने में असमर्थ होती हैं तो आपके स्थान पर कौन बैठकों में उपस्थित होता है?
(1) पति (2) ससुर
(3) भाई (4) परिवार का कोई भी सदस्य

खण्ड–4

4.1 महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए जरूरी है?
(1) शिक्षा (2) स्वरूचि व जागरूकता
(3) विचार विमर्श (4) सरकारी नौकरी
(5) राजनीतिक सहभागिता (6) उपरोक्त सभी

4.2 क्या आप महिला स्वयं सहायता समूह से जुडी हुई है?
(1) हाँ (2)नही

4.3 क्या आप आँगनबाड़ी केन्द्रों का निरिक्षण करती है?
(1) हाँ (2)नही (3) कभी–कभी

4.4 आपको उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने में कठिनाई आती है क्या?
(1) कठिनाई आती है (2) कठिनाई नहीं आती

4.5 पंचायती व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाने में आपको कौन–कौन सी कठिनाइयाँ आई?
(1) अशिक्षा (2) राजनीतिक गुटबंदी
(3) पुरूष प्रधानता (4) अन्य

4.6 आप ग्राम पंचायत में प्रशासनिक कार्यों को करने में सक्षम हैं या किसी की सहायता की अपेक्षा करती हैं?
(1) स्वयं के आधार पर (2) पुरूष प्रतिनिधि पर
(3) महिला प्रतिनिधि पर (4) परिवार के सदस्य पर

4.7 चुनावों में धनबल व जातिवाद द्वारा आपकी भूमिका प्रभावित हुई है क्या?
(1) प्रभावित हुई (2) प्रभावित नहीं हुई
(3) आंशिक प्रभावित हुई है

4.8 2005–2015 में आपकी ग्राम पंचायत (गेण्डोली खुर्द व फौलाई) दोनों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता घटी या बढ़ी?
(1) सहभागिता घटी है (2) सहभागिता बढ़ी है

4.9 ऐतिहासिक स्थलों एवं राजनैतिक प्रशासनिक कार्यालयों के निर्माण व रख–रखाव के कार्य पंचायतों के द्वारा होते हैं या नहीं?
(1) हाँ (2) नहीं (3) पता नहीं

4.10 आपकी ग्राम पंचायत की सबसे प्रमुख समस्या कौन–सी है?
(1) पेयजल की समस्या (2) सिंचाई के साधनों का अभाव
(3) जंगली जानवरों का आतंक (4) रोजगार के साधनों का अभाव
(5) अन्य

4.11 आपकी ग्राम पंचायत को ऐतिहासिक रूप से समृद्ध क्यों माना जाता है?
(1) ऐतिहासिक स्थलों से समृद्ध (2) मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध
(3) समृद्ध इतिहास (4) वर्तमान में अवशेष की उपस्थिति
(5) जानकारी नहीं

खण्ड–5

5.1 क्या आप आपके पंचायती क्षेत्र में शीर्ष महिला नेतृत्व के कार्यों से संतुष्ट हैं?
(1) हाँ (2) कुछ सीमा तक (3) नहीं

5.2 आपकी ग्राम पंचायत कौन–से जिले के अन्तर्गत आती है?
(1) बूँदी (2) कोटा (3) बाराँ (4) झालावाड़

5.3 आपकी ग्राम पंचायत (गेण्डोली खुर्द व फौलाई) के क्रियान्वयन के स्रोत क्या–क्या हैं?
(1) पंचायत राज अधिनियम (2) राजस्थान सरकार के अध्यादेश
(3) विभिन्न समितियों के सुझाव (4) 73वाँ संविधान संशोधन
(5) उपरोक्त सभी

5.4 आप आरक्षित वर्ग व अनारक्षित (सामान्य वर्ग) की कार्यप्रणाली में किन–किन कारणों के आधार पर अन्तर महसूस करती हैं?
(1) सामाजिक (2) शैक्षिक (3) आर्थिक

(4) राजनैतिक (5) प्रशासनिक (6) अन्य

5.5 आपकी ग्राम पंचायत में महिला सशक्तिकरण के मूल्यांकन के आधारभूत कारण कौन–कौन से हैं?

(1) अधिकारों के प्रति जागरूक (2) शिक्षा का स्तर बढ़ा है
(3) नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी (4) सक्रियता
(5) क्षेत्र समस्याओं के प्रति जागरूक (6) उपरोक्त सभी

5.6 क्या पंचायतीराज में महिलाओं की सहभागिता से महिला शोषण कम हुआ है?

(1) हाँ (2) नही (3) कुछ कुछ

5.7 आपकी ग्राम पंचायत में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए क्या–क्या सुझाव देना चाहेंगी?

(1) शिक्षा का विस्तार (2) प्रशिक्षण शिविर लगाना
(3) परिवार का सकारात्मक प्रोत्साहन (4) सामाजिक व्यवहार में बदलाव
(5) स्वप्रेरणा व रूचि (6) वित्तीय संसाधनों का निर्माण
(7) सरकारों के नियंत्रण से मुक्ति (8) उपरोक्त सभी

शोध पत्र

NATIONAL SEMINAR ON

Indian Democracy Challanges & Possibilities

20-21 October 2018

Gurukul PG College	**Govind Guru Tribal University**
Dungarpur (Raj.)	Banswara (Raj.)

Certificate

This is to certify that Prof./Dr. / Mrs. / Mr./ Miss MEENA SHRINGI

of Ph.D. SCHOLAR, KOTA UNIVERSITY.

has participated / presented a paper / delivered a lecture

entitled भारतीय लोकतंत्र : पंचायतीराज में महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ एवम् सम्भावनाये

at the National Seminar.

Sharad M. Joshi	Dr. Alka Rastogi	Dr. D.K. Bhabhor
M.D.	DEAN	Convener Seminar
Gurukul PG College	Social Science	
Dungarpur	GGTU, Banswara	

शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर (राजस्थान)

तमसो मा ज्योतिर्गमय

(राजनीति विज्ञान एवं इतिहास विभाग)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
UGC
University Grants Commission

राष्ट्रीय संगोष्ठी

मानवाधिकार : वर्तमान परिदृश्य एवं चुनौतियाँ

दिनांक :- 30-31 जनवरी 2018

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/डॉ. मीना श्रृंगी

संस्था कोटा विश्वविद्यालय, कोटा ने "मानवाधिकार: वर्तमान परिदृश्य एवं चुनौतियाँ" विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में पत्रवाचक/सहभागी के रुप में भाग लिया। इनके शोध पत्र का शीर्षक मानवाधिकार एवं नारी विमर्श है। इनकी सहभागिता सराहनीय रही।

डॉ. हरलाल सिंह मीना	डॉ. सुनीता मीना	डॉ. हनुमान प्रसाद मीना	डॉ. मधुमुकुल चतुर्वेदी
प्राचार्य एवं संरक्षक संगोष्ठी	सह संयोजक एवं विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग	सह संयोजक	संयोजक संगोष्ठी एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग

ISSN (P) : 2321-290X (E) 2349-980X

Peer Reviewed

VOL-5* ISSUE-8* April- 2018

RNI No. : UPBIL/2013/55327

Srinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

Indexed with Google scholar

Impact Factor

SJIF = 5.689

GIF = 0.543

IIJIF = 6.038

Shrinkhala UGC approved listed

The Research Series

द्विभाषीय - मासिक

Shrinkhala

शृंखला

A Multi-Disciplinary International Journal

Multi-disciplinary International Journal

Certificate of Paper Publication

Shrinkhala

E-ISSN 2349-980X
P-ISSN 2321-290X

SJIF- 4.106
GIF-0.543
IIJIF-6.038

RNI UPBIL/2013/55327
Indexed Google Scholar

Shrinkhala Ek Sodhparak Vaicharik Patrika

This is to certify that the paper titled..........राजस्थान के पंचायती राज में 73वें संशोधन के बाद महिलाओं की स्थिति (सहभागिता समस्याएँ, निराकरण)....................................

Author : **Meena Shringi**

Designation : Research Scholar

Dept. : Political Science

College : Kota University, Kota

has been published in our UGC approved International Peer Reviwed journal
vol. 05 issue 08 month April year 2018

The mentioned paper is measured upto the required.

Dr Rajeev Misra
(Editor/Secretary)

Dr. Asha Tripathi
(Vice-President)

Social Research Foundation

Non Governmental Organisation

128/170, H-Block, Kidwai Nagar, Kanpur - 208011

(Con) 0512-2600745, 9335332333, 9839074762 (E-mail) socialresearchfoundation@gmail.com (Web) : www.socialresearchfoundation.com

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-8* April- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

राजस्थान के पंचायती राज में 73वें संशोधन के बाद महिलाओं की स्थिति (सहभागिता समस्याएँ, निराकरण)

मीना श्रृंगी
शोधार्थी,
राजनीति शास्त्र विभाग,
कोटा विश्वविद्यालय,
कोटा

सारांश

हमारे देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाएँ हैं। अतः देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बगैर नहीं हो सकता। भारत में अनादिकाल से जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं ने पुरूषों के साथ मिलकर काम किया है।

परन्तु विकास के विभिन्न चरणों में महिलाओं को उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय संविधान ने महिला सशक्तिकरण के लिए सुनिश्चितता के लिए पूर्ण प्रयास किया, परन्तु यह सतही स्तर पर है। प्रस्तुत शोध पत्र में 73वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान में महिलाओं की भूमिका को विश्लेषित करना है। क्योंकि 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया। यह संशोधन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम था।

मुख्य शब्द : भारतीय संविधान, आरक्षण, पंचायती राज, महिलाएं।

प्रस्तावना

भारत के संविधान में महिलाओं को और पुरूषों को दोनों को समानता का अधिकार दिया है। लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ही भारतीय समाज में सदैव ऐसी ताकतें सक्रिय और सशक्त रही हैं जो महिला–अधिकारों का पुरजोर विरोध करती हैं। हजारों वर्षो से चली आ रही इस लिंगानुभेद आधारित विविधता को रातोंरात ठीक नहीं किया जा सकता है। महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रही हमारा समाज महिला को कब तक भावानात्मक अत्याचार के पाश में बांध कर उसकी आंतरिक स्वतः जन्म योग्यताओं और सशक्त प्रतिनिधित्व की उसकी क्षमता को दबाता रहेगा।

महिलाओं ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमिका का कुशलतापूर्वक निर्वाह किया। राजनीति के क्षेत्र में महिला को सशक्तता प्रदान करने में 73वाँ संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण कदम था और किसी भी राष्ट्र के निर्माण व उन्नति के लिए आवश्यक है महिलाएँ जीवन के सभी क्षेत्रों एवं निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करें।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र में राजस्थान राज्य में पंचायती राज में 73वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं की स्थिति के अन्तर्गत उनकी सहभागिता, समस्याएँ व समाधान का विश्लेषण किया गया है।

क्योंकि महिला की उन्नति व विकास के लिए आवश्यक है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र; विशेषकर राजनीति में उनका सशक्तिकरण हो, उनकी सहभागिता का स्तर उच्च हो। ऐसा होने पर ही लैंगिक आधार पर एक समानतपूर्ण समाज की स्थापना होगी। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तता हेतु तीन आधारभूत सिद्धान्तों को अनिवार्य माना जाता है।

1. स्त्री–पुरूष के मध्य समानता।
2. स्वयं की क्षमताओं के पूर्ण विकास का महिलाओं का अधिकार।
3. स्वयं के प्रतिनिधित्व व स्वयं के संदर्भ में निर्णय लेने का महिलाओं का अधिकार।

प्राचीनकाल से ही पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की रही। महिलाओं को पुरूषों की दासी एवं दासता, अत्याचार, शोषण, गुलामी इत्यादि को सहने वाली नारी के रूप में चित्रित किया जाता रहा है। पुरूष और नारी के बीच यह भेद प्रदेश–देश की ही नहीं बल्कि दुनियाँ की एक सच्चाई है। हालांकि प्रकृति से प्राप्त मातृत्व और प्राणीशास्त्र के इस नियतिवाद

ने स्त्री की जो परिभाषा दी वह पुरूष समाज से पूर्णतयाः भिन्न थी। क्योंकि शक्ति, प्रभुत्व, सत्ता उसके विरोधी थे।

भारतीय संविधान के द्वारा महिलाओं को भी पुरूषों के समान ही राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये। क्योंकि भारतीय सामाजिक ढांचा समाज में पुरूष और महिलाओं की अलग–अलग भूमिकाएं निर्धारित करता है। विश्व के लगभग सभी समाजों में महिलाओं का स्तर पुरूषों के समान नहीं है। वर्तमान सामाजिक ढांचे में पुरूषों को अधिक अधिकार, संसाधन और निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है। महिलाओं को परम्परागत भूमिकाएं सौंपी गई हैं – वे हैं माता, पत्नी, बनाम गृहिणी, रसोइया और बच्चों की देखभाल।

सबसे ज्यादा जरूरी है कि महिलाओं को स्थानीय स्तर पर सशक्तिकरण प्रदान किया जाए। भारत के गाँवों में बसने वाली अधिकांश महिलाओं की स्थिति दयनीय है। महिलाओं को प्रथम : पंचायती स्तर पर सशक्तिकरण प्रदान किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण में पंचायत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी शुरूआत वर्षों पहले हो गई थी। गाँधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी की वकालत की तो यह अनायास ही नहीं थी। वह जानते थे कि जब तक महिलाओं को बराबरी नहीं मिलेगी। तब तक उन्हें उनके मूल अधिकार नहीं मिल सकते हैं। इसके विकास के पहले पायदान यानी पंचायत में उनकी भूमिका होनी चाहिए। अगर हम इतिहास पर गौर करें तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव पारित किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में पहली बार महिलाओं के विकास पर अलग से सोचा गया।

देश के इतिहास में 73वाँ संविधान संशोधन ऐतिहासिक कदम रहा। इसके बाद जब 74वाँ संविधान संशोधन हुआ तो पंचायतीराज एवं स्थानीय निकाय में महिलाओं की भागीदारी करीब 10 लाख हुई।

इन सुधारों के बाद भी संविधान द्वारा प्रदत्त समानता, स्वतंत्रता व अधिकारों का प्रयोग जितना पुरूषों ने किया है महिलाओं ने नहीं। आजादी के 71 वर्षों के बाद भी महिलाओं को नेतृत्व व प्रतिनिधित्व में पूर्ण सक्रिय भूमिका नहीं मिली, परन्तु निरन्तर सरकारी प्रयासों से उसकी भूमिका में परिवर्तन आया है, जिसका विश्लेषण किया गया है।

इसके अलावा एक विशेष वर्ग को छोड़कर भारत में साधारण महिलाओं को राजनीतिक के क्षेत्र में पुरूष के सहयोग की आवश्यकता होती है, निर्णय क्षमता का अभाव, घूंघट प्रथा, पर्दाप्रथा व रूढ़िवादिता आज भी विद्यमान है। जिसके कारण उनकी स्वतंत्र व निष्पक्ष भागीदारी संभव हो पाना कठिन है। अतः उनकी इन समस्याओं व इनका निराकरण का इस शोध पत्र में विश्लेषण किया गया है। यही इस शोध पत्र का उद्देश्य है कि महिलाओं की सहभागिता का क्या स्तर रहा है और उनके सामने अभी भी पंचायतीराज में जो समस्यायें विद्यमान हैं उनका निराकरण किस प्रकार किया जा सकता है।

साहित्यावलोकन

शर्मा, निशिथ राकेश, ''पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भूमिका, 2005 में उल्लेखित है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को आने वाली समस्याओं व सुझावों का विश्लेषण करते हुए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का विश्लेषण किया है।''

शक्तावत डॉ. गायत्री, ''महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता व पंचायतीराज व्यवस्था, 2011 में 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा महिलाओं को पंचायतीराज व्यवस्था में 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हुआ व महिलाओं के राजनीति में प्रवेश का विश्लेषण किया है व पंचायतराज में महिलाओं की भूमिका का जिले विशेष के संदर्भ में विवेचन किया है।''

चन्देल डॉ. धर्मवीर, चन्देल डॉ. नरेन्द्र कुमार, ''पंचायतीराज और महिला सहभागिता, 2016 में 73वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं की स्थिति में कितना परिवर्तन आया है। क्या वे आज प्रतिनिधि के रूप में स्वतंत्र निर्णय ले पाती हैं, इसके भी जवाब तलाशने के प्रयास किए हैं।''

गौतम, डॉ. नीरज कुमार, ''पंचायतीराज और सूचना प्रौद्योगिकी, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली में पंचायती राज में महिलाओं के योगदान व तकनीकी प्रशिक्षण व सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में बताया है।''

राजस्थान के पंचायतीराज में 73वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं की सहभागिता

मार्गरट कजिन्स ने ठीक ही कहा है कि ''किसी देश की प्रगति का पैमाना यही हो सकता है कि उस देश में महिलाओं की स्थिति क्या है।''

प्राचीनकाल, मध्यकाल व ब्रिटिश काल में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता के संबंध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। स्वतंत्रता के पश्चात् पहली बार पंचायतीराज व्यवस्था में महिला सहभागिता के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति ने सहवरण के माध्यम से दो महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर लेने की सिफारिश की।

जनसंख्या के करीब 50 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली महिलाओं के लिए सहवरण व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी अतः 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायती राजव्यवस्था में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया। यह संशोधन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम था।

73वें संशोधन के जरिये पंचायतीराज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर प्रधान, प्रमुख सरपंच तथा सदस्यों के स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

इस प्रकार पहली बार महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों के एक तिहाई स्थानों पर भागीदारी करने का अवसर प्राप्त हुआ।

73वें संविधान संशोधन के बाद निश्चित रूप से समाज में गतिशीलता आई है। इस संविधान संशोधन के लागू होने के पश्चात् महिलाओं की सोच में परिवर्तन आया है। वे अब राजनीति में सक्रिय होने लगी है, महिलाओं को जागरूक बनाने तथा उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन में महिलाओं के लिए आरक्षण एक

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-8* April- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

ठोस कदम है। स्थानीय स्तर की सभी प्रमुख रीतियों, जैसे निःशुल्क भूमि आवंटन, आवास निर्माण सहायता, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन आदि में महिलाओं का योगदान राजनीतिक स्तर पर मिल रहा है। स्थानीय निकायों में महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की घोषणा 'एक मील के पत्थर' के समान है। स्थानीय निकायों में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गई है। परन्तु विधान मात्र से बदलाव नहीं लाया जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा वर्ष 1953 में सर्वप्रथम ग्राम–सभा के महत्व को वैधानिक तौर पर स्वीकार किया गया और हर गाँव में ग्राम सभा की स्थापना को अनिवार्य बनाया गया। ग्राम सभा वह प्रथम आधुनिक राजनीतिक संस्था है, जिसके माध्यम से जनता के हाथ में प्रत्यक्ष राजनीतिक सत्ता सौंपी गई।

73वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान में 1995 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिशत इस प्रकार हैं–

1995 के चुनाव में महिला सहभागिता प्रतिशत

नाम पद	कुल पद	पुरूष				महिला	
		सामान्य	अनु– सूचित जाति	अनु– सूचित जन जाति	पिछड़ा वर्ग		
जिला प्रमुख	31	8	4	4	5	10	32.25%
जिला परिषद सदस्य	997	216	177	154	119	331	33.19%
प्रधान पंचायत समिति	237	45	41	36	35	80	33.75%
पंचायत समिति सदस्य	5257	2145	943	804	625	1740	33.09%
सरपंच	9185	1941	1643	1477	1060	3064	33.35%

अतः राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने के पश्चात् पहली बार तीनों स्तरों पर प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। 1995 के चुनाव से पूर्व राजस्थान में एक भी महिला चुनकर पंचायत में नहीं आई। यह आरक्षण का ही परिणाम था कि पहली बार पंचायती राजव्यवस्था में महिलाओं ने अपनी सहभागिता दर्शायी।

इसके अलावा केन्द्र सरकार ने 27 अगस्त 2009 को पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने हेतु एक संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश करने को मंजूरी प्रदान की। यह विधिक 110 संविधान संशोधन के रूप में 25 नवम्बर 2009 को प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में 15 राज्यों में पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है।

इस आरक्षण के बाद राजस्थान में महिला सहभागिता का प्रतिशत इस प्रकार है –

2015 के चुनाव में महिला सहभागिता प्रतिशत

नाम पद	कुल पद	पुरूष				महिला	
		सामान्य	अनु– सूचित जाति	अनु– सूचित जन जाति	पिछड़ा वर्ग		
जिला प्रमुख	33	6	2	3	4	18	54.54%
जिला परिषद सदस्य	1014	130	101	101	168	514	50.69%
प्रधान पंचायत समिति	295	35	28	29	39	164	55.59%
पंचायत समिति सदस्य	6236	687	628	594	1040	3287	52.7%
सरपंच	9862	844	961	1097	197	5043	51.13%

अतः 1995 में जितना महिला का प्रतिशत था उसकी तुलना में 2015 में राजस्थान में पंचायत व्यवस्था के प्रत्येक स्तर जिला प्रमुख से लेकर सरपंच तक महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस विवरण से स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत आरक्षण से महिलाओं का प्रतिशत तो बढ़ा है लेकिन अभी भी कुछ समस्याएँ हैं जो महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय योगदान देने में बाधक बनी हुई है।

राजस्थान के पंचायती राज व्यवस्था में महिला सहभागिता की समस्याएँ

1. राजस्थान के पुरूष सत्तात्मक समाज में महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर तक सीमित माना जाता रहा है। इस दृष्टि से महिलाओं के राजनीति में प्रवेश को समाज उचित नहीं मानता रहा है। अतः महिलाएँ राजनीति में खुलकर सहभागी नहीं बन पाती हैं।
2. राजस्थान के परम्परागत व सामंतवादी समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति दोयम दर्जे की बनी हुई है। सामाजिक कुप्रथाओं जैसे बालविवाह दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा आदि ने महिलाओं के सशक्तिकरण व पंचायतों में भागीदारी में रूकावट उत्पन्न की है।

महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को हिंसा अपराधीकरण, माफियाकरण ने भी प्रभावित किया जिससे वह राजनीति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करती है। उनके परिवार वाले भी उनके राजनीति में प्रवेश को उचित नहीं मानते हैं।

राजनीतिक दलों में स्थानीय स्तर पर महिला शाखाओं का अभाव होने के कारण महिलाओं के स्थानीय राजनीति यथा पंचायतों में प्रवेश में व्यवधान उत्पन्न होता है।

महिलाओं के निरक्षर एवं अल्प शिक्षित होने के कारण उन्हें पंचायतीराज व्यवस्था के प्रावधानों एवं

राजनीतिक अधिकारों का ज्ञान नहीं होता है। जिसका लाभ गाँव के प्रभावशाली व्यक्ति उठाते हैं और वह मूक–दर्शक बन कर रह जाती हैं।

महिलाओं के लिए उचित प्रशिक्षण व्यवस्था का अभाव भी उनकी पंचायतों में सहभागिता को सीमित करती है। अतः उक्त समस्याओं के निराकरण आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं ने भी राजस्थान की पंचायतीराज व्यवस्था में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज करायी हैं। शून्य से 32.48 प्रतिशत और 50 प्रतिशत आरक्षण के बाद पंचायती व्यवस्था में जिला प्रमुख से लेकर सरपंच तक उनकी प्रतिशतता में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। कुछ समस्याएँ अभी भी उनके सामने आ रही हैं जिनका निराकरण आवश्यक है और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता हेतु निम्न उपाय किये जाने आवश्यक हैं –

1. शिक्षा : राजस्थान में आज भी गाँवों में निरक्षरों की बहुतायतता पायी जाती है। पंचायतीराज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें शिक्षित करना आवश्यक है। उन्हें कम से कम पढ़ना–लिखना तो आना ही चाहिए ताकि महिला प्रतिनिधि के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के दायित्वों को समझ सकें। वर्तमन में सरकार द्वारा शैक्षिक योग्यता का निर्धारण एक सराहनीय प्रयास है।
2. महिलाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी संचालन किया जाना चाहिए।
3. महिला प्रतिनिधियों को भी पंचायतीराज संस्थाओं के प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से राजनीतिक कार्यकलापों के संचालन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।
4. पंचायतों के सशक्तीकरण एवं राजनीतिक समाजीकरण को प्राप्त करने के लिए समय–समय पर महिला मेलों एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए।
5. महिला प्रतिनिधियों के साथ काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके प्रति संवेदनशील बनना चाहिए। इससे भविष्य में पंचायत की कार्यशैली पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
6. नव–निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण में सरकार और नागरिक समाज के बीच सहयोग से नागरिक समाज को क्षमता निर्माण में व्यापक सहायता मिलेगी।

इस प्रकार पंचायतीराज में महिलाओं के रचनात्मक, सकारात्मक सहयोग अथवा भागीदारी को प्राप्त करने तथा उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, जीवन क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए दिए गए इन सुझावों के माध्यम से पंचायतीराज की मौलिक सोच विकेन्द्रीकरण की वस्तुस्थिति को यथार्थ में प्राप्त किया जा सकता है। पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को सक्रिय बनाने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, यदि उनका निश्चित दिशा में समुचित रूप से पालन किया जाए तो विश्वास है कि महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं सशक्तीकरण की दिशा में आवश्यक परिणाम सामने आऐंगे और राजस्थान की पंचायतीराज संस्थाओं की स्थिति मजबूत होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *शर्मा, निशीथ राकेश, ''पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भूमिका, कुरूक्षेत्र नई दिल्ली 2005''*
2. *शक्तावत, डॉ. गायत्री, ''महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता व पंचायती राज व्यवस्था, नवजीवन पब्लिकेशन, 2011, पृष्ठ 94''*
3. *तिवारी, डॉ. कणिका, ''महिला सशक्तिकरण का आत्मावलोकन'' कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, अगस्त 2013, पृष्ठ 4*
4. *श्रीवास्तव, मयंक, ''महिला–सशक्तिकरण सामाजिक बदलाव के लिए आवश्यक'' कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, पृष्ठ 14*
5. *शेखर, डॉ. हिमांशु, ''पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली 2014, पृष्ठ संख्या 18*
6. *पटनी, चन्द्रा, ''ग्रामीण स्थानीय प्रशासन'', विश्वभारती पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2006, पृष्ठ संख्या 176*
7. *गौतम, डॉ. नीरज कुमार, ''पंचायतीराज और सूचना प्रौद्योगिकी'' कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, जनवरी 2014, पृष्ठ संख्या 25*
8. *चन्देल, डॉ. धर्मवीर, चन्देल डॉ. नरेन्द्र कुमार, ''पंचायतीराज और महिला सहभागिता'', आविष्कार पब्लिशर्स, 2016, पृष्ठ संख्या 58*
9. *Rajpanchayat.rajasthan.gov.in*
10. *Villageinfo.in*
11. *https://scc.rajasthan.gov.in*

ISSN No. (E) 2455 - 0817
ISSN No. (P) 2394 - 0344
RNI : UPBIL/2016/67980
UGC Listed Journal - S. No. = 40827
Vol-3* Issue-2* May - 2018
Monthly / Bi-lingual

Multi-disciplinary International Journal

Remarking
An Analisation

Impact Factor
GIF = 0.543
IIJIF: 6.134

Indexed with Google scholar

Impact Factor
SJIF =4.473
SJIF: 5.879

Multi-disciplinary International Journal

Certificate of Paper Publication

Remarking

E-ISSN 2455-0817
P-ISSN 2394-0344

SJIF-5.879
GIF-0.543
IIJIF-6.134

RNI UPBIL/2016/67980
Indexed Google scholar

Remarking An Analisation

This is to certify that the paper titled............ पंचायती राज मे ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएँ और क्रियान्विति ....

Author : Meena Shringi
Designation : Research Scholar
Dept. : Political Science
College : Kota University, Kota, Rajasthan

has been published in our UGC approved International Peer Reviwed journal
vol. 03 issue 02 month May year 2018
The mentioned paper is measured upto the required.

Dr Rajeev Misra
(Editor/Secretary)

Dr. Asha Tripathi
(Vice-President)

Social Research Foundation

Non Governmental Organisation
128/170, H-Block, Kidwai Nagar, Kanpur - 208011
(Con) 0512-2600745, 9335332333, 9839074762 (E-mail) socialresearchfoundation@gmail.com (Web) : www.socialresearchfoundation.com

P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-2* May- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 Remarking An Analisation

पंचायती राज में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएँ और क्रियान्विति

सारांश

भारत में पंचायती राज प्रणाली दुनिया में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का अनोखा और एकदम नायाब उदाहरण है। इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण होता है। हमारी ग्रामीण आबादी का करीब आधा हिस्सा महिलाओं का है। ये लोग पंचायती राज संस्थाओं का महत्वपूर्ण घटक है। 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था होने के बावजूद पंचायतों में उनकी वास्तविक भागीदारी एक ऐसा लक्ष्य बना हुआ है जो पूरा नहीं हो पाया है। इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएँ संचालित कर रही है जो किसी न किसी रूप से पंचायतों से ही जुड़ी हुई है और महिलाओं के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक व राजनैतिक उत्थान में पूर्ण सहायक है।

मुख्य शब्द : सशक्तिकरण, महिलाएँ, पंचायती राज योजनाएँ, क्रियान्विति, सामाजिक।

मीना श्रृंगी
शोधार्थी
राजनीतिक विज्ञान विभाग,
कोटा विश्वविद्यालय,
कोटा

प्रस्तावना

स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि "जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक इस दुनिया के कल्याण की कोई संभावना नहीं है।" यह कथन आज भी उतना ही सत्य है और अवसर मिलने पर आज हर क्षेत्र में महिलाओं ने तमाम सीमाओं, बंधनों के बावजूद सराहनीय काम किया है।

भारतीय संविधान द्वारा महिला–पुरुष को समान माना गया है, परन्तु ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ही महिलाओं को दोयम दर्जे से आँका जाता है। हर क्षेत्र में महिला पुरूष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है घर–गृहस्थी के कार्य से लेकर कृषि, व्यवसाय, औद्योगिक सभी क्षेत्रों में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 70 से 80 फीसदी कृषि कार्य आज महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कृषि श्रम में उनकी भागीदारी 66 प्रतिशत है पर समाज आज भी महिलाओं को किसान के रूप में नहीं देखता। घर–समाज में जब महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, उनमें भी महिलाओं की भागीदारी कम ही रहती है।

अतः महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जो ग्रामीण महिलाओं के उत्थान हेतु कायान्वित है, ताकि वे सशक्त बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र में पंचायती राज में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं व उनकी क्रियान्विति के स्वरूप को जानने का प्रयास किया गया है।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार,"मैं एक समुदाय की प्रगति का पैमाना महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति को मानता हूँ।"

आज विश्व प्रगति की राह पर कामयाबी के नित नए मुकाम को छू रहा है, हमने लगातार गरीबी को घटते देखा है, शिक्षा का स्तर बढ़ते देखा है। हालांकि यह प्रगति असमान है, समाज में आज भी सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ अपने मूल स्वरूप में विद्यमान हैं और कई मामलों में पहले से ज्यादा विषम हो गई हैं, जिसके फलस्वरूप आबादी का एक बड़ा हिस्सा, खासकर ग्रामीण महिलाएँ इस प्रगति से आज भी अपने जीवन को इस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान को मुख्य धारा से जोड़ने में रूकावट महसूस करती है। अतः इस शोध का प्रमुख उद्देश्य इस रूकावट को दूर करने हेतु सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु संचालित योजनाओं के बारे में जानकर उनकी सफल क्रियान्विति की ओर ध्यान केन्द्रित करना है।

भारत में सामाजिक, आर्थिक विकास की वृहद् प्रक्रिया के संदर्भ में ग्रामीण महिला की स्थिति को सुधारने के लिए इन योजनाओं के प्रशिक्षण

कार्यक्रमों में समय–समय पर बदलाव की आवश्यकता है। ताकि नवीन परिवर्तनों के साथ और प्रभावी रूप से इन्हें लागू किया जा सके।

साहित्यावलोकन

शर्मा, रेखा, "ग्रामीण महिलायें एवं पंचायती राज" 2012 में उल्लेखित है कि सरकार ने गरीबी के श्राप को दूर करने हेतु विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गहिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ शुरू की हैं, जिसमें उनके स्वास्थ्य से लेकर रोजगार तक की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। कई महिला संगठनों के साथ रोजगार की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए गए हैं।

नायक, अशोक, द्विवेदी हर्षित, "पंचायती राज में ग्रामीण नेतृत्व, महिलाएँ एवं राजनीतिक सहभागिता" 2013 में पंचायती राज एवं महिलाएँ : महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में समन्वयात्मक दृष्टिकोण, निष्कर्ष एवं सुझाव का विस्तृत विवरण दिया गया है।

श्रीवास्तव, राकेश, "ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण : आगे की राह" जनवरी 2018 में ग्रामीण महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं–चाहे सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक हो, का प्रभावी सम्मिलन आवश्यक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को उनकी क्षमता का अहसास कराया जाए। उन्हें जागरूक बनाया जाए कि एक उज्ज्वल भविष्य उनका इंतजार कर रहा है, उनका मार्गदर्शन व पोषण किया जाए।

डॉ. सीमा, "कौशल विकास से सशक्त होती महिलाएँ" कुरूक्षेत्र 2017 में स्किल इंडिया पहल के माध्यम से महिलाओं को गैर–पारंपरिक भूमिकाओं से जोड़ने पर बल दिया गया है, जिसमें उन्हें मुख्य धारा से जोड़कर देश की आर्थिक प्रगति में भागीदार बनाया जा सके। महिलाओं के संदर्भ में इस मिशन का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए सीटें बढ़ाने के साथ ही आरक्षण के माध्यम से कौशल विकास को सुनिश्चित करना है।

पंचायती राज में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएँ

महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई योजनाएँ निम्न हैं :–

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम

1. बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में इस कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी।
2. इस कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों के गिरते लिंगानुपात के मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
3. इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य लिंग के आधार पर लड़का और लड़की में होने वाले भेदभाव को रोकने के साथ–साथ प्रत्येक बालिका की सुरक्षा, शिक्षा और समाज में स्वीकृति सुनिश्चित करना है।

वन स्टॉप सेंटर स्कीम

यह योजना 1 अप्रैल 2015 को "निर्भया" फंड के साथ लागू की गई थी। यह योजना भारत के विभिन्न शहरों के अलग–अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही है। जिसके अंतर्गत यह योजना उन महिलाओं को शरण देती है जो किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं। इसके तहत पुलिस डेस्क, कानूनी, चिकित्सा और परामर्श सेवाएँ देने का काम किया जाता है। ग्रामीण महिलाएँ भी इसका लाभ ले सकती हैं।

वर्किंग वूमन हॉस्टल

इस योजना का उद्देश्य है काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास आसानी से उपलब्ध कराना। जहाँ उन उनके बच्चों की देखभाल की सुविधा और जरूरत की हर चीज आसपास उपलब्ध हो। यह योजना शहरों, कस्बों और ग्रामीण सभी जगह पर उपलब्ध है जहाँ पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं।

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम

योजना का उद्देश्य उन स्किल्स को प्रदान करना है, जो महिलाओं को रोजगार की सुविधा प्रदान करते हैं और दक्षता और कौशल प्रदान करते हैं। साथ ही जो महिलाओं को स्व–रोजगार/उद्यमी बनने में सक्षम बनाती है। क्षेत्रों में कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, सिलाई, कढ़ाई, जरी आदि हस्तशिल्प, कम्प्यूटर और आई. टी. कार्यस्थल के लिए सॉफ्ट स्किल और कौशल जैसे कथित अंग्रेजी रत्न, आभूषण, यात्रा और पर्यटन, आतिथ्य जैसे कार्यों के लिए सेवाएँ प्रदान करती हैं।

महिला शक्ति केंद्र योजना

यह योजना महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए उब्रेला स्कीम मिशन के तहत महिला एवं बाल विकास द्वारा 2017 में संचालित की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का काम किया जाता है। यह योजना राष्ट्र स्तर, राज्य स्तर व जिला स्तर पर काम करती है।

महिला ई–हाट

इस योजना का मुख्य फोकस घर पर रहने वाली महिलाओं पर है। उन्हें ही ध्यान में रख कर ये योजना शुरू की गई है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक मंच तैयार किया है, जिसके माध्यम से महिलाएँ अपने हुनर के जरिए कमाई भी कर सकती हैं। मंत्रालय ने इस योजना का नाम महिला ई–हाट दिया है।

उज्जवला योजना

यह योजना माननीय प्रधानमंत्री ने मई 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आरंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत नवम्बर 2017 तक लगभग 712 जिलों में करीब 3.2 करोड़ एल.पी.जी. कनेक्शन दिए जा चुके हैं। एलपीजी को खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने से ग्रामीण महिलाओं को बड़ा फायदा हुआ है। स्वास्थ्य सुधार के रूप में और खाना पकाने में लगने वाला समय घटने के कारण अधिक आर्थिक उत्पादकता के रूप में उनकी आजीविका बेहतर हुई है।

प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना

एलपीजी पंचायत योजना का उद्देश्य एलपीजी उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता फैलाना है कि कैसे साफ ईंधन और इससे जुड़े लाभों को उठाया जा सकता है। यह पारंपरिक ईंधन के उपयोग के लाभों पर व्यक्तिगत अनुभवों को बाँटने के माध्यम से चर्चा को और प्रभावी बनाने के लिए मंच प्रदान करेगा।

इसका उद्देश्य उज्जवला योजना के लाभार्थियों के साथ जुड़ने का है, ताकि तेल के सार्वजनिक उपक्रमों, गैर–सरकारी संगठनों, आशा कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अधिकारियों के माध्यम से लोगों में परंपरागत तौर पर पहले से मौजूद गलत धारणाओं को दूर किया जा सके। इसके तहत देशभर में एक लाख एलपीजी पंचायतों को सक्रिय किया जाएगा ताकि एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में महिलाओं को शिक्षित किया जा सके। इसके साथ ही पर्यावरण, स्वास्थ्य पर इसके विभिन्न लाभों पर भी बातचीत होगी। एलपीजी पंचायत के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने पर चर्चा होगी।

पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से 17 अप्रैल 2017 को देशभर में महिला पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता के निर्माण और महिला पंचायत नेताओं के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के बारे में एक विस्तृत मॉड्यूल शुरू किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य गाँवों के शासन और प्रशासन के क्षेत्र में पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमताओं, दक्षताओं और कौशल का विकास करके उन्हें अधिकार सम्पन्न बनाना है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के देश के सभी जिलों में 1 जनवरी 2017 से कार्यान्वित की जा रही है। इसके तहत 5000 रूपये का नकद प्रोत्साहन परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं के खाते में सीधे अंतरित किया जाता है, बशर्ते वे मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी उनकी विशिष्ट शर्तों को पूरा करती हो। पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के तहत मातृत्व लाभ के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन प्राप्त होगा ताकि एक महिला को औसतन 6000 रूपये मिलें।

योजना का उद्देश्य

नकद प्रोत्साहन के जरिए मजदूरी हानि के लिए आंशिक मुआवजा प्रदान करना है, जिससे कि महिला बच्चे को जन्म देने से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके। उपलब्ध कराए गए नकद प्रोत्साहन से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पी.डब्ल्यू. एंड एल.एम.) के बीच बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

प्रसूती अवकाश 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया

कामकाजी महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए संसद ने 9 मार्च 2017 को प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक 2016 पारित किया। इस विधेयक के जरिए प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 में संशोधन करते हुए कामकाजी महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक उपाय शामिल किए गए, जैसे –

1. कामकाजी महिलाओं के लिए प्रथम दो बच्चों तक प्रसूति अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया।
2. 2 बच्चों के बाद प्रसूति अवकाश 12 सप्ताह का जारी रहेगा।
3. 12 सप्ताह का प्रसूति अवकाश उन माताओं को भी मिलेगा जो 3 महीने से कम आयु का शिशु गोद लेती हैं।

दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन का गठन किया गया है

इस योजना के तहत "स्वयं सहायता समूह" के जरिए महिलाओं को इकट्ठा कर एक समूह का रूप दिया गया है, जहाँ वह अपनी रोजमर्रा की परेशानियों से जुड़े मुद्दों को संगठित स्वर देती है। यह समूह "गरीबों के लिए, गरीबों का" की तर्ज पर कार्य करता है। संभवतः महिलाओं से संबंधित गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य में यह विश्व की सबसे बड़ी पहल है, जिसका लक्ष्य 70 लाख ग्रामीण परिवारों तक पहुँच सुनिश्चित करना है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना (डीडीयू – जीकेवाई)

डीडीयू–जीकेवाई परियोजना के माध्यम से ग्रामीण गरीब युवाओं को उच्च गुणवत्ता कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत 25696 रूपये प्रति व्यक्ति से एक लाख रूपये तक के प्लेसमेंट से जुड़े स्किलिंग प्रोजेक्ट्स के लिए धन मुहैया कराया जाता है। इस पहल के माध्यम से महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस योजना में कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं। स्थांतरण सहायता केंद्र की स्थापना कर विस्थापित महिलाओं की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है।

स्वधार गृह

कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के पुनर्वास के लिए 2002 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने स्वधार योजना शुरू की। यह योजना अपेक्षाकृत महिलाओं/लड़कियों की जरूरत के मुताबिक आश्रय, भोजन, कपड़े और देखभाल प्रदान करती है। लाभार्थियों में उनके परिवारों और रिश्तेदारों, जेल से रिहा महिला कैदियों और बिना पारिवारिक सहायता, प्राकृतिक आपदाओं में बची महिलाओं, आतंकवादी/अतिवादी हिंसा आदि से पीड़ित विधवा महिलाएँ शामिल हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना

बेटियों के भविष्य के लिए पैसे जोड़ने के लिए सुकन्या योजना एक अच्छी स्कीम है। इस योजना पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलेगा। आप अपनी 10 साल तक की बेटी के लिए यह खाता खुलवा सकते हैं। इस पर वर्तमान में 8.1 फीसदी सालाना का ब्याज मिल रहा है। बेटी के 21 साल के होने पर अकाउंट मैच्योर हो जाता है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जिसमें प्रशिक्षित कुल लोगों में आधे से ज्यादा महिलाएँ हैं, क्योंकि स्कूली शिक्षा के साथ–साथ महिलाओं को नए कौशलों और डिजिटल उपकरणों में प्रशिक्षित करना भी समय की माँग है। तभी वे खेती से बाहर अन्य व्यवसायों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकेंगी। सरकार इस दिशा में पूरी तरह सजग है।

इसी तरह प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल साक्षरता का प्रसार कर रहा है। यह साक्षरता महिलाओं को सामाजिक –राजनीतिक और आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाएगी।

निष्कर्ष

आजादी के 71 वर्षों के बाद भी आज भी गाँव जमीनी आवश्यकताओं तथा सुविधाओं से महरूम हैं। विकास की इस व्यापक अवधारणा में स्वतंत्रता के बाद से ही विविध योजनाओं के माध्यम से प्रयास किये जाते रहे, उसमें महिलाओं के उत्थान के लिए सम्मिलित योजनाएँ भी रही, किन्तु यथेष्ट परिणामों का अभाव ही रहा।

इन योजनाओं की क्रियान्विति में महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है –

1. शिक्षा का निम्न स्तर – ग्रामीण महिलाओं के सामने मुख्य समस्या उनकी शैक्षिक प्राप्ति का निम्न स्तर है जिससे वे योजनाओं के बारे में पूर्णतया जानकारी ग्रहण नहीं कर पाती और पूरा लाभ लेने से चूक जाती हैं।
2. शिक्षा सरकार द्वारा विभिन्न तकनीकों का प्रसार करने के लिए चलाए गए कार्यक्रमों में तथा निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करती है।
3. प्रौद्योगिकियों तक ठीक पहुँच न होना – सरकारी योजनाओं, कृषि विस्तार कार्यक्रमों के जरिए अनुकूल प्रौद्योगिकियों, उपकरणों और सेवाओं की महिलाओं तक पहुँच ठीक नहीं है।
4. कृषि के बाहर आजीविका के अवसरों की कमी से महिलाओं की उदासीनता को दूर करने हेतु उचित निर्देशन व क्रियान्वयन की आवश्यकता।
5. विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बीच सामंजस्य का भी अभाव है।

अतः इन योजनाओं की सफल क्रियान्विति हेतु सबसे पहले तो जरूरत इस बात की है कि महिलाओं में आत्मशक्ति के बारे में चेतना जागृत की जाए जिससे न केवल महिलाओं का कल्याण होगा बल्कि वे सामाजिक विकास की प्रवर्तक भी बन सकेंगी। एक सशक्त महिला न केवल स्वयं अपने लिए बल्कि वे समाज के समग्र विकास के लिए भी उपयोगी व महत्वपूर्ण साबित होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं में आत्मविश्वास, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता तथा अन्याय से लड़ने की नैतिक शक्ति से ही पैदा होता है।

सशक्तिकरण ऐसी प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक दृष्टि से अपने विकास के संबंध में ठोस निर्णय लेने और प्रभावी गतिविधियों में शामिल होने के योग्य बनाती है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ सम्मिलित हैं, जैसे –

1. निर्णय लेना
2. रूचियों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना
3. लक्ष्यों को स्पष्ट करना
4. कार्यक्रम योजनाओं को लागू करना
5. गतिविधियों पर निगरानी व ध्यान बनाए रखना
6. मूल्यांकन
7. भावी योजनाओं की कार्ययोजना बनाना।

सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की क्रियान्विति में अधिकारी, जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर कार्य करें जिससे कार्य में पारदर्शिता के साथ लोगों में विश्वास भी जागृत होगा। इसके लिए सही तरीके से मॉनिटरिंग करनी होगी। इसके अलावा इन योजनाओं के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करें और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुँचाने में अधिकारी अपना उत्तरदायित्व निभाकर जनप्रतिनिधियों को भी भागीदार बनायें।

अतः स्पष्ट है इन योजनाओं के माध्यम से सरकार महिलाओं के उत्थान व सशक्तता प्रदान करने का भरसक प्रयास तो कर ही रही है परन्तु ग्रामीण महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक हो, का प्रभावी सम्मिलन आवश्यक है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना एक सतत प्रक्रिया है। समय की माँग है कि महिलाओं को उनकी क्षमता का अहसास कराया जाए, उनका भविष्य उज्जवल है, उन्हें इसके प्रति जागरूक किया जाए, उनका मार्गदर्शन व पोषण किया जाए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *झा, सिद्धार्थ, "महिलाएँ और पंचायतें", कुरूक्षेत्र, जनवरी 2018, पृ.सं. 36*
2. *डॉ. सीमा, "कौशल विकास से सशक्त होती महिलाएँ", कुरूक्षेत्र, सितंबर 2017, पृ.सं. 44*
3. https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/ *government-schemes-for-women-empowerment-1482143835-2*
4. https://hindi.goodreturns.in/personal-finance/2018 02/*10-indian-government-schemes-women-empowerment*
5. *राय राजनाथ, मुबारक शफकत, "खोज बदलती ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी", कुरूक्षेत्र, जनवरी 2018, पृ.सं. 25–26*
6. *डॉ. सीमा, "कौशल विकास से सशक्त होती महिलाएँ", कुरूक्षेत्र, सितंबर 2017, पृ.सं. 46*
7. *https://www.punjabkesari.in/business/news/these-special-plans-of-pm-modi-for-women-765808*
8. *शर्मा, रेखा, "ग्रामीण महिलायें एवं पंचायती राज", रावत प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.सं. 119*
9. *नायक, डॉ. अशोक, द्विवेदी, डॉ. हर्षित, "पंचायती राज में ग्रामीण नेतृत्व, महिलाएँ एवं राजनीतिक सहभागिता", पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2013, पृ.सं. 107*
10. *श्रीवास्तव, राकेश, "ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण : आगे की राह", कुरूक्षेत्र, जनवरी 2018, पृ.सं. 9*

गैण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल

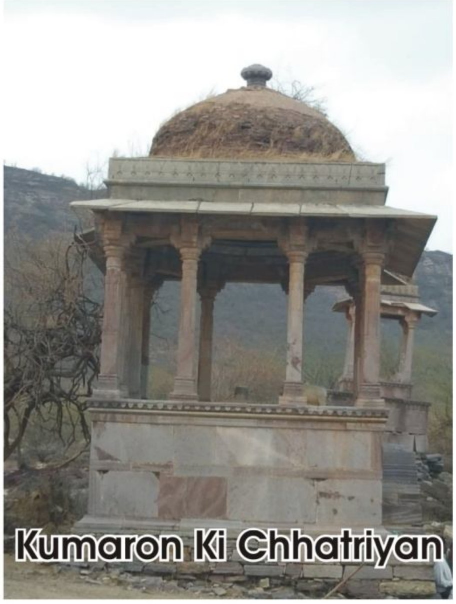

Kumaron Ki Chhatriyan

Kanchan Dham Ashram

Hanumaan Mandir

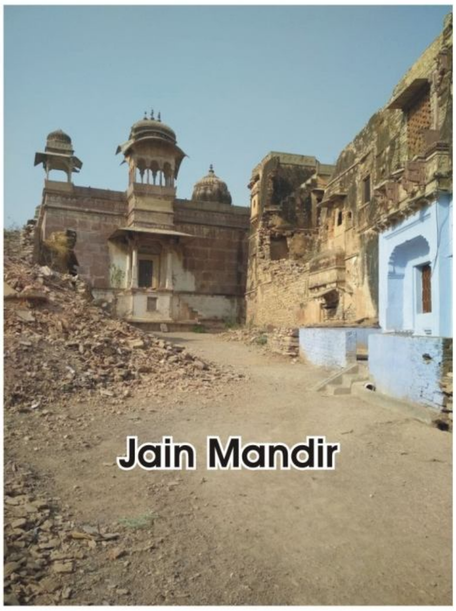

Jain Mandir

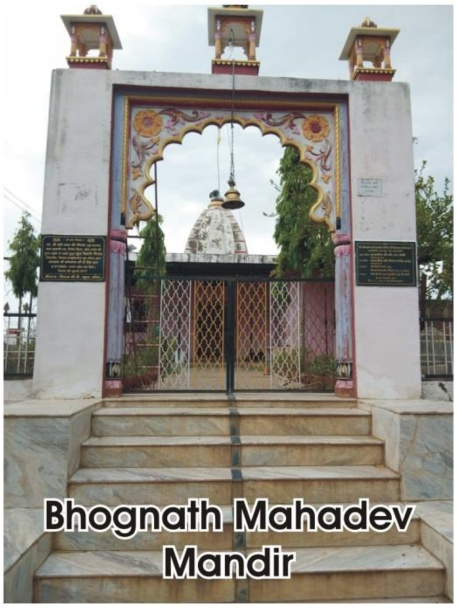

Bhognath Mahadev Mandir

Doub Talai Wale Peer Baba Ki Mazar

Chacholiya Ke Balaji

Basant Kund

Neel Kanth Mahadev

गैण्डोली खुर्द व फौलाई ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं से लाभान्वित
एवं पानी की समस्या से जूझती हुई महिलाएँ

अटल सेवा केन्द्र गेण्डोली
पंचायत समिति के. पाटन जिला बून्दी (राजस्थान)